



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267119  
CG-DL-E-25102025-267119

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 697]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

सं. 45/2025 - सीमा शुल्क

सा.का.नि. 781(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, यथा:-

- (i) अधिसूचना संख्या 1/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 16 जनवरी, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 63(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित हुआ;

- (ii) अधिसूचना संख्या 57/2022- सीमा शुल्क, दिनांक 17 नवंबर, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 822(अ) दिनांक 17 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (iii) अधिसूचना संख्या 32/2019- सीमा शुल्क, दिनांक 30 सितंबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 726 (अ) दिनांक 30 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित;
- (iv) अधिसूचना संख्या 19/2019- सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 476 (अ) दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित;
- (v) अधिसूचना संख्या 86/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 14 नवंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1404(अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017;
- (vi) अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (vii) अधिसूचना संख्या 41/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 776(अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (viii) अधिसूचना संख्या 37/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 772(अ) दिनांक 30 जून, 2017;
- (ix) अधिसूचना संख्या 36/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 771(अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (x) अधिसूचना संख्या 32/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 767(अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xi) संख्या 30/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 765(अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xii) अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 764(अ) दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xiii) अधिसूचना संख्या 16/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2017, जो भारत के राजपत्र,

- असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 394(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2017;
- (xiv) अधिसूचना संख्या 5/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 89(अ) दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xv) अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमा शुल्क, दिनांक 23 दिसंबर, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1008(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xvi) अधिसूचना संख्या 81/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 8 सितम्बर, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 569(अ) दिनांक 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था;
- (xvii) अधिसूचना संख्या 121/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अगस्त, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 623(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xviii) अधिसूचना संख्या 25/1998-सीमा शुल्क, दिनांक 2 जून, 1998 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 290(अ) दिनांक 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xix) अधिसूचना संख्या 51/1996-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 303(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996;
- (xx) अधिसूचना संख्या 50/1996-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 302(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xxi) अधिसूचना संख्या 39/1996-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 291(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xxii) अधिसूचना संख्या 154/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 583(अ) दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxiii) अधिसूचना संख्या 152/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 581(अ) दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxiv) अधिसूचना संख्या 148/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;

- (xxv) अधिसूचना संख्या 147/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 576(अ) दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxvi) अधिसूचना संख्या 146/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 575(अ) दिनांक 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxvii) अधिसूचना संख्या 104/1994-सीमा शुल्क, दिनांक 16 मार्च, 1994 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 319(अ) दिनांक 16 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxviii) अधिसूचना संख्या 207/89-सीमा शुल्क, दिनांक 17 जुलाई, 1989 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 702(अ) दिनांक 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित हुआ था;
- (xxix) अधिसूचना संख्या 326-सीमा शुल्क, दिनांक 23 दिसंबर, 1993, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 912(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xxx) अधिसूचना संख्या 80-सीमा शुल्क, दिनांक 29 अगस्त, 1970, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1246(अ) दिनांक 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित हुआ;
- (xxxi) अधिसूचना संख्या 3-सीमा शुल्क, दिनांक 8 जनवरी, 1957, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 98(अ) दिनांक 8 जनवरी, 1957;

यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यथा,-

(क) नीचे दी गई तालिका I के स्तंभ (3) में या इससे उपबद्ध सुसंगत सूची के साथ पठन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को, और जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब उनका भारत में आयात किया जाए, -

- (i) उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्धरणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है; और
- (ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठन उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्धरणीय उतने एकीकृत कर से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एकीकृत माल और सेवा कर दर से अधिक है,

तालिका I के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन रहते हुए, जिसकी शर्त संख्या उक्त तालिका I के स्तंभ (6) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है;

(ख) नीचे दी गई तालिका II के स्तंभ (3) में या इससे उपबद्ध सुसंगत सूची के साथ पठन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को, और जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब उनका भारत में आयात किया जाए, –

- (i) उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्धरणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है; और
- (ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठन उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्धरणीय उतने एकीकृत कर से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एकीकृत माल और सेवा कर दर से अधिक है,

तालिका II के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन रहते हुए, जिसकी शर्त संख्या उक्त तालिका II के स्तंभ (6) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है;

(ग) नीचे दी गई तालिका III के के स्तंभ (3) में या इससे उपबद्ध सुसंगत सूची के साथ पठन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को, और जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब उनका भारत में आयात किया जाए,—

- (i) उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्धरणीय उतने सीमाशुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है; और
- (ii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठन उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्धरणीय उतने एकीकृत कर से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एकीकृत माल और सेवा कर दर से अधिक है,
- (iii) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (9) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय प्रतिकर उपकर की उतनी राशि से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (6) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशि से अधिक है,

तालिका III के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी के अधीन रहते हुए, जिसकी शर्त संख्या उक्त तालिका III के स्तंभ (7) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में वर्णित है, छूट प्रदान करती है;

(घ) नीचे दी गई तालिका IV के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट विवरण के माल को और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उपशीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं, जब भारत में आयात किया जाता है, तो उस पर लगने वाले सीमा शुल्क के उतने हिस्से से, जो उक्त पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, उतना शुल्क लगेगा जो लगने वाले शुल्क से अधिक है, यदि उक्त माल का मूल्य, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के कुल योग के बराबर होता -

(i) वाहक माध्यम की लागत; और

(ii) वाहक माध्यम के संबंध में वहन किया गया माल ढुलाई और बीमा शुल्क;

#### तालिका I

क्रम सं .	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	एकीकृत माल और सेवा कर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	चिड़ियाघर द्वारा आयातित पशु और पक्षी	शून्य	-	-
2.	01	गाय, बछिया, बैल, बकरी, भेड़, सूअर, अंगोरा खरगोश, बत्तख के बच्चे और शुद्ध नस्ल के पोल्ट्री स्टॉक	5%	-	-
3.	01	ब्रैंडपैरेंट पोल्ट्री स्टॉक और डंकी स्टैलियन	25%	-	-
4.	0207 25 00, 0207 27 00	टर्की का मांस और खाद्य ओफल, फ्रोज़न	5%	-	-
5.	0207 42 00, 0207 45 00	बत्तखों का मांस और खाद्य ओफल, फ्रोज़न	5%	-	1

6.	0304 99 00	सुरीमी एनालॉग प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए, उत्पादन में उपयोग के लिए, फ्रोज़न फिश पेस्ट (सुरीमी)	5%	-	2
7.	0306 19 00	फ्रोज़न क्रिल्ल	15%	-	-
8.	0306 36	जीवित एस. पी. एफ वन्नामेई झींगा (लिटोपेनियम वन्नामेई) ब्रूस्टॉक	5%	-	-
9.	0306 36	जीवित ब्लैक टाइगर झींगा (पेनेउस मोनोडॉ ) ब्रूस्टॉक	5%	-	-
10.	0306 36 60	अर्टेमिय	शून्य	-	-
11.	0308 90 00	एस. पी. एफ पोलीकीट वर्म्स	5%	-	-
12.	0505 10	बत्तख या गूस से प्राप्त रियल डाउन फिलिंग सामग्री, जब बोनाफाईड निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए कपड़ा या चमड़े का कपड़ा के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है	10%	-	2 और 3
13.	0511 91 40	अर्टेमिय सिस्ट्स	शून्य	-	-
14.	06, 07, 08, 09 या 12	रोपण सामग्री, अर्थात् तिलहन, सब्जियों के बीज, फूल और सजावटी पौधे, फूलों के कंद और बल्ब, फूलों के पौधों की कटिंग या पौधे, फलों के बीज या पौधे और दालों के बीज:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	4
15.	0703 10	सभी माल	शून्य	-	-
16.	0713	मटर (पिसम सटाईवम), तुअर, काबुली चना, बंगाल चना और मसूर (दाल) के अलावा अन्य दालें	शून्य	-	-
17.	0713 10	मटर (पिसम सटाईवम)	10%	-	-

18.	0713 60 00	साबुत तुअर	शून्य	-	-
19.	0713 40 00, 0713 60 00	तुअर (साबुत तुअर को छोड़कर)	10%	-	-
20.	0713 20 10	काबुली चना	10%	-	-
21.	0713 20 20	बंगाल ग्राम (देसी चना)	10%	-	-
22.	0713 20 90	छोले (गार्बेन्ज़ो)	10%	-	-
23.	0713 40 00	लेन्टिल (मसूर)	5%	-	-
24.	0802 11 00	सभी माल	रु. 35 प्रति किलोग्राम/-	-	-
25.	0802 12 00	सभी माल	रु. 100 प्रति किलोग्राम/-	-	-
26.	0802 31 00	सभी माल	100%	-	-
27.	0802 99 00	पेकन नट्स	30%	-	-
28.	0806 20 10	गहरे रंग का बीजरहित किशमिश	30%	-	-
29.	0808 10 00	सभी माल	15%	-	-
30.	0810 40 00	क्रैनबेरी, ताज़ा; ब्लूबेरी, ताज़ा	10%	-	-
31.	0811 90	क्रैनबेरी, फ़ोज़न; ब्लूबेरी, फ़ोज़न	10%	-	-
32.	0813 40 90	क्रैनबेरी, सूखे; ब्लूबेरी, सूखे	10%	-	-
33.	1207 99 90	शिया नट्स	15%	-	-
34.	1209	सभी माल (उपशीर्षक 120991 और 120999 के अंतर्गत आने वाले माल के छोड़कर)	15%	-	-

35.	1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00, 1211 90	लीकोरिस की जड़ों के अलावा सभी सामान, ताजा या सूखे	15%	-	-
36.	1301 90 49	ओलियोपाइन रेसिन	5%	-	-
37.	1302 14, 1302 19 या 1302 20 00	सभी सामान (वनस्पति के बीज और पाइरेथ्रम के अर्क या रोटोनोन युक्त पौधों की जड़ों के अर्क को छोड़कर)	15%	-	-
38.	1504 20	अक्वैटिक फ़ीड के विनिर्माण में उपयोग के लिए फिश लिपिड तेल	शून्य	-	3
39.	1504 20	अक्वैटिक फ़ीड के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा मछली का तेल	शून्य	-	3
40.	1505	सभी माल	15%	-	-
41.	1507 10 00	सभी माल	10%	-	-
42.	1507 90 10	सभी माल	32.5%	-	-
43.	1508, 1509, 1510, 1512 (1512 11 10 के अलावा) 1513 या 1515	सभी माल, कच्चा और खाद्य ग्रेड	35%	-	-
44.	1508, 1510, 1512 (1512	सभी माल, परिष्कृत और खाद्य ग्रेड	45%	-	-

	19 10 के अलावा), 1513 या 1515				
45.	1509	सभी माल, परिष्कृत और खाद्य ग्रेड	40%		
46.	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	10%	-	-
47.	1511 90	सभी माल	32.5%	-	-
48.	1511	पाम स्टीयरिन, चाहे कच्चा, आरबीडी या अन्य, जिसमें मुक्त फैटी एसिड (एफएफए) 20% या अधिक हो	7.5%	-	-
49.	1512 11 10	सभी माल	10%	-	-
50.	1512 19 10	सभी माल	32.5%	-	-
51.	1514 11 या 1514 91	सभी माल, खाद्य ग्रेड	35%	-	-
52.	1514 19 या 1514 99	सभी माल, खाद्य ग्रेड	45%	-	-
53.	1516 10	सभी माल	30%	-	-
54.	1516 20, 1516 30 00	सभी माल	80%	-	-
55.	1516 20, 1516 30 00	सभी माल, खाद्य ग्रेड	45%	-	-
56.	1517 10 21, 1517 90 10, 1518 00 11, 1518 00 21	सभी माल, खाद्य ग्रेड	45%	-	-

	या 1518 00 31				
57.	1517 या 1518	सभी माल, खाद्य ग्रेड के अलावा	30%	-	-
58.	1518	अक्वैटिक फ़ीड के विनिर्माण के लिए ऐल्गल ऑइल:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
59.	1520 00 00	कच्चा ग्लिसरीन	7.5%	-	-
60.	1520 00 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा ग्लिसरीन:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3
61.	1702	होम्योपैथिक दवा के निर्माण में उपयोग के लिए लैक्टोज़:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3
62.	2008 19 21, 2008 19 22, 2008 19 29, 2008 19 91	सभी माल	30%	-	-
63.	2008 19 92	सभी माल	30%	-	-
64.	2008 93 00	क्रैनबेरी, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चाहे उसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो या न हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो	5%	-	-

65.	2008 99	ब्लूबेरी, अन्यथा तैयार या संरक्षित, चाहे उसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्पिरिट हो या न हो, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो	10%	-	-
66.	2102 20 00	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए एल्गल प्राइम (फ्लाउर)	शून्य	-	3
67.	2106 90	सभी वस्तुएं (पेय पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कम्पाउन्ड ऐल्कहॉलिक प्रेपराशंस को छोड़कर, जिनकी अल्कोहलिक मात्रा 0.5% से अधिक हो, जिसका निर्धारण 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है)	50%	-	-
68.	2202 99	क्रैनबेरी उत्पाद	10%	-	-
69.	कोई भी अध्याय	तालिका I से संलग्न सूची 1 में निर्दिष्ट वस्तुएं समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण में प्रयुक्त होती हैं: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	5
70.	2204, 2205, 2206, 2208	सभी माल	50%	-	-
71.	2207 20 00	औद्योगिक रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए विकृत इथाइल अलकोहॉल: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
72.	2301 10 90	अक्वैटिक फ़ीड के उत्पादन में प्रयुक्त रिसर्च एंड देवेलोपमेंट के लिए इन्सेक्ट मील	5%	-	3 और 6

73.	2301 20	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए फिश मील: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
74.	2301 20	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए क्रिल मील	शून्य	-	3
75.	2301 20	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए फिश हाइड्रोलाइज़ेट	5%	-	3
76.	2309 90 31	प्रॉन और श्रिम्प्स फ़ीड	5%	-	-
77.	2309 90 39	फिश फ़ीड	5%	-	-
78.	2309 90 90	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए मिन्नल और विटामिन प्रीमिक्स	शून्य	-	3
79.	2309 90 90	अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण के उत्पादन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राकृतिक गैस से बने सिंगल सेल प्रोटीन	5%	-	3 और 6
80.	2309 90	श्रिम्प्स लार्वा फ़ीड	5%	-	-
81.	2518	धातुकर्म उपयोग के लिए डोलोमाइट IS:10346-2004 के अनुरूप	2.5%	-	-
82.	2521	धातुकर्म उपयोग के लिए चूना पत्थर IS:10345-2004 के अनुरूप	2.5%	-	-
83.	2529 22 00	एसिड ग्रेड फ्लोरस्फार जिसमें वजन के हिसाब से 97% से अधिक कैल्शियम फ्लोराइड होता है	2.5%	-	-
84.	26	सोने के निर्माण में उपयोग के लिए सोने के अयस्क और सांद्र:	शून्य	-	3 और 7

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
85.	27	जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर ईंधन, अर्थात्:- (i) आईएफओ 180 सीएसटी; (ii) आईएफओ 380 सीएसटी (iii) बहुत कम गंधक वाला ईंधन तेल (VLSFO), जो ISO 8217:2017 RMG380 मानक के अनुसार 220-400 CST विस्कोसिटी (सांद्रता) सीमा को पूरा करता है / मरीन फ्यूल 0.5% (FO): परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	8
86.	2701, 2702, 2703	सभी सामान	2.5%	-	-
87.	2709 00 10	पेट्रोलियम कूड	रु. 1 प्रति मेट्रिक टन	-	-
88.	2710 19	ईंधन तेल	2.5%	-	-
89.	2710 19	स्ट्रेट रन फ्यूल ऑइल	2.5%	-	-
90.	2710 19	लो सल्फर वैक्स रेसिड्यू	2.5%	-	-
91.	2710 19	वैक्यूम अवशेष, स्लरी	2.5%	-	-
92.	2710 19	वैक्यूम गैस तेल	2.5%	-	-
93.	2710	नेफथा, उर्वरकों के निर्माण में उपयोग के लिए: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3

94.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19	द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) जो घरेलू उपभोक्ताओं या गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) के ग्राहकों को आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयात की जाती हैं	शून्य	-	-
95.	2711	<p>घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में स्थित इकाई द्वारा पॉलीआइसोब्यूटिलीन के विनिर्माण में खपत की गई पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन की मात्रा से अधिक मात्रा में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाई से प्राप्त की जाती हैं और डीटीए इकाई द्वारा एसईजेड इकाई को वापस कर दी जाती हैं, जहां से ऐसी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) प्राप्त की गई थीं।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, पॉलीआइसोब्यूटिलीन के विनिर्माण में खपत पेट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन की मात्रा की गणना पॉलीआइसोब्यूटिलीन विनिर्माण करने वाली डीटीए इकाई द्वारा प्राप्त उक्त गैसों की मात्रा में से, उक्त इकाई द्वारा एसईजेड इकाई को वापस की गई उक्त गैसों की मात्रा को घटाकर की जाएगी:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3

96.	2716 00 00	<p>एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, जो निम्नलिखित का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है-</p> <p>(i) ईंधन के रूप में आयातित कोयला</p> <p>(ii) ईंधन के रूप में घरेलू कोयला</p> <p>(iii) ईंधन के रूप में घरेलू गैस/आरएलएनजी (रीगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस) का मिश्रण</p> <p>(iv) ईंधन के रूप में आरएलएनजी</p>	<p>पैसा प्रति किलोवाट घंटा</p> <p>40</p> <p>65</p> <p>59</p> <p>89</p>	-	-
97.	2716 00 00	<p>एसईजेड के गैर- प्रसंस्करण क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, जो निम्नलिखित का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है-</p> <p>(i) ईंधन के रूप में आयातित कोयला</p> <p>(ii) ईंधन के रूप में घरेलू कोयला</p> <p>(iii) ईंधन के रूप में घरेलू गैस/आरएलएनजी का मिश्रण</p> <p>(iv) ईंधन के रूप में आरएलएनजी</p>	<p>पैसा प्रति किलोवाट घंटा</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>18</p> <p>21</p>	-	-
98.	2716 00 00	<p>1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा डीटीए को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा, जिन्हें 19 जुलाई, 2012 से पहले एसईजेड में स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी दी गई थी:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।</p>	शून्य	-	9

99.	2716 00 00	1000 मेगावाट से कम क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों से डीटीए को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा, जिन्हें 19 जुलाई, 2012 से पहले एसईजेड में स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी दी गई थी-  (i) ईंधन के रूप में आयातित कोयला  (ii) ईंधन के रूप में घरेलू कोयला  (iii) ईंधन के रूप में घरेलू गैस/आरएलएनजी का मिश्रण  (iv) ईंधन के रूप में आरएलएनजी:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	पैसा प्रति किलोवाट घंटा  24  24  18  21	-  -  -  -	9  9  9  9
100.	28, 29, 30, 38	तालिका 1 से संलग्न सूची 2 में निर्दिष्ट औषधियाँ, दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक किट या उपकरण	5%	-	-
101.	28, 29, 30, 38	तालिका 1 से संलग्न सूची 2 में निर्दिष्ट औषधियों या औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियाँ:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
102.	28, 29, 30 या 38	सूची 3 में निर्दिष्ट जीवनरक्षक औषधियाँ/दवाएँ, जिनमें उनके लवण और एस्टर शामिल हैं तथा डायग्नोस्टिक किट	शून्य	-	-

103.	28, 29, 30 या 38	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(i) तालिका 1 से संलग्न सूची 3 में निर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों या औषधियों के विनिर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियां।</p> <p>(ii) इनके निर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियाँ:</p> <p>(क) पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन (निष्क्रिय और जीवित)</p> <p>(ख) मोनोकंपोनेंट इंसुलिन:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3
104.	30 या 9804	<p>दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त विशेष चिकित्सा प्रयोजन हेतु औषधियाँ, दवाएँ या खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी):</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	10
105.	अध्याय 30	<p>तालिका 1 से संलग्न सूची 4 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दवाएँ या औषधियां, जो उक्त सूची 4 के स्तंभ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आपूर्ति के लिए हैं, तथा जो उक्त सूची 4 के स्तंभ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट औषधि कंपनियों द्वारा संचालित की जाती हैं:</p>	शून्य	-	11

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
106.	28, 29, 32, 39, 54, 56, 70, 72 या 90	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -  (i) दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए तालिका 1 से संलग्न सूची 5 में निर्दिष्ट माल;  (ii) दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए फाइबर प्रबलित प्लास्टिक छड़ (एफआरपी);  (iii) दूरसंचार ग्रेड एफआरपी के विनिर्माण के लिए तालिका 1 से संलग्न सूची 6 में निर्दिष्ट वस्तुएं:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य  शून्य  शून्य	-  -  -	3  3  3
107.	28 या 38	निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -  (i) अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण के लिए सभी रूपों में सिलिकॉन, यानी पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन या सिल्लियां;  (ii) सौर सेल या सौर सेल मॉड्यूल के निर्माण के लिए अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
108.	2807 00 10	उर्वरकों के निर्माण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड	5%	-	-
109.	2809 20 10	फॉस्फोरिक एसिड	5%	-	-
110.	2841	अमोनियम मेटावनाडेट	2.5%	-	-

111.	2844	रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में उपयोग के लिए चिकित्सा उपयोग फिशन मोलिब्डेनम-99 (मो-99): परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
112.	2852 या 3822	फार्मास्यूटिकल रेफ्रन्स स्टैण्डर्ड: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	12
113.	29 या 38	अल्फा पिनीन	5%	-	-
114.	29, 30, 35, 38 या 39	तालिका 1 से संलग्न सूची 7 में निर्दिष्ट वस्तुएं एंजाइम लिंकड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से किट (एलिसा किट) के निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
115.	29 या 38	जिबरेलिक एसिड	5%	-	-
116.	29	डीएल-2 एमिनोब्यूटेनॉल, डाइएथिल मैलोनैट, ट्राइएथिल ऑर्थोफॉर्मेट, एसीटोब्यूटिरोलैक्टोन, थाइमिडीन, आर्टेमिसिनिन	5%	-	-
117.	29	माल्टोल, डेफेरिप्रोन के निर्माण में उपयोग के लिए: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
118.	2910 20 00	मिथाइलऑक्सिरेन (प्रोपाइलीन ऑक्साइड)	2.5%	-	-
119.	2914 61 00, 2914 69 30, 2914 69 90	एंथ्राक्विनोन या 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में उपयोग के लिए: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3

120.	2929 10 90	स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण में उपयोग के लिए मेथिलीन डाइफेनिल डायइसोसायनेट (एमडीआई)	5%	-	3
121.	30 या कोई अन्य अध्याय	दवाएं और सामग्री: परंतु कि इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	13
122.	30	डायथाइलकार्बामाज़िन (डीईसी) टैबलेट	-	शून्य	14
123.	कोई भी अध्याय	कृत्रिम प्लाज्मा	5%	-	-
124.	कोई भी अध्याय	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक	शून्य	-	-
125.	3002 49 10	प्रोबायोटिक्स	5%	-	-
126.	3102 30 00	सभी सामान	5%	-	-
127.	31	पोटाश का म्यूरेट, खाद के रूप में या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए	शून्य	-	-
128.	31	अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रो-फॉस्फेट, खाद के रूप में उपयोग के लिए या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए	5%	-	-
129.	31	कॉम्पोसीट उर्वरक	5%	-	-
130.	31	(I) उर्वरक नियंत्रण आदेश के भाग ए के अनुसूची 1 में निम्नलिखित जल-घुलनशील उर्वरक शामिल हैं, अर्थात्: -  (i) पोटेशियम नाइट्रेट (13:0:45)  (ii) कैल्शियम नाइट्रेट  (iii) मोनो अमोनियम फॉस्फेट  (iv) मोनो पोटेशियम फॉस्फेट (0:52:34)  (v) 13:40:13 एनपीके उर्वरक	5%  5%  5%  2.5%  2.5%	-  -  -  -	-  -  -  -

		(vi) 18:18:18 एनपीके उर्वरक	2.5%	-	-
		(vii) एनपीके 13:05:26	2.5%	-	-
		(viii) 20:20:20 एनपीके उर्वरक	2.5%	-	-
		(ix) 6:12:36 एनपीके उर्वरक	2.5%	-	-
		(x) पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट	2.5%	-	-
		(xi) 19:19:19 NPK उर्वरक	2.5%	-	-
		(xii) एनपीके 12:30:15	2.5%	-	-
		(xiii) एनपीके 12:32:14	2.5%	-	-
		(II) उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसूची 1 भाग ए में निम्नलिखित तरल उर्वरक शामिल हैं, अर्थात्: -			
		(i) सुपर फॉस्फोरिक एसिड (70% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5%	-	-
		(ii) अमोनियम पॉली फॉस्फेट (10-34-0) (तरल)	5%	-	-
		(iii) जिंकेटेड फॉस्फेट (निलंबन)	5%	-	-
131.	3102 10	यूरिया	शून्य	-	-
132.	3104 30 00	पोटेशियम सल्फेट, जिसमें पोटेशियम ऑक्साइड का वजन 52% से अधिक न हो	5%	-	-
133.	3105 30 00	डायमोनियम फॉस्फेट, खाद के रूप में या जटिल उर्वरकों का उत्पादन के लिए	शून्य	-	-
134.	3208, 3815, 3901, 3920	तालिका I से जुड़ी सूची 8 में निर्दिष्ट सामान जिनका उपयोग ईवीए (एथिलीन विनाइल एसिडेट) शीट या बैकशीट के निर्माण में किया जाता है, जिनका उपयोग सौर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है:	शून्य	-	3 और 15

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
135.	3302 10	सभी सामान (मिश्रित अल्कोहल युक्त तैयारियां, जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जिनकी अल्कोहलिक क्षमता आयतन के हिसाब से 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है, आयतन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारित, को छोड़कर):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	-
136.	38	जैव-कीटनाशक, निम्नलिखित पर आधारित -  (i) बैसिलस थुरिंजिएन्सिस वर. कुर्स्ताकी (ii) बैसिलस थुरिंजिएन्सिस वर. इजराइलेंसिस (iii) बैसिलस स्फेरिकस (iv) सैचरोपोलिसपोरा स्पिनोसा	5%	-	-
137.	3822 90 90	सभी सामान	10%	-	-
138.	3824 99 00, 8505 11 90	ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) मोटर्स के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -  (i) चुंबक राल (स्ट्रॉटियम फेराइट यौगिक/निर्माण से पहले, चुंबकीकरण से पहले);  (ii) नियोडिमियम चुंबक (चुंबकीकरण से पहले):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3
139.	39	एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए)	7.5%	-	-
140.	39, 48 या कोई अन्य	टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, बटन, हैंगर या मुद्रित बैग (चाहे पॉलिथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, उच्च	शून्य	-	2 और 3

	अध्याय	आणविक या उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन से बने हों), वास्तविक निर्यातकों द्वारा आयातित:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
141.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	तालिका I से जुड़ी सूची 9 में निर्दिष्ट सामान, जब उन्हें निर्यात के लिए हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए प्रामाणिक निर्यातकों द्वारा आयात किया गया है:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3 और 16
142.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	तालिका I से जुड़ी सूची 10 में निर्दिष्ट सामान, जब उन्हें निर्यात के लिए कपड़ा या चमड़े के कपड़ों के निर्माण में उपयोग के लिए <i>बोना फ़ाएड</i> निर्यातकों द्वारा आयात किया गया है:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	2 और 3
143.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	तालिका I से जुड़ी सूची 11 में निर्दिष्ट सामान, जब वास्तविक निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए चमड़े या सिंथेटिक जूते, या चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया गया है:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	2 और 3
144.	39, 72 और 81	उपशीर्षक 9021 10 के अंतर्गत आने वाले आर्थोपेडिक प्रत्यारोपणों, या शरीर के अन्य कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए निम्नलिखित सामान उपशीर्षक 9021 31			

		या 9021 39 के अंतर्गत आने वाले अर्थात्:-  (i) विशेष ग्रेड स्टेनलेस स्टील;  (ii) टाइटेनियम मिश्र धातु;  (iii) कोबाल्ट-क्रोम मिश्र धातु;  (iv) सभी प्रकार के पॉलीइथाइलीन:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य  शून्य  शून्य  शून्य	-  -  -  -	3  3  3  3
145.	39 या 74	निम्नलिखित वस्तुएं, यदि कॉपर-टी गर्भनिरोधकों के निर्माण के लिए आयात की जाती हैं, अर्थात् -  (i) अलाथियोन;  (ii) तांबे का तार:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
146.	3902	कैपेसिटर ग्रेड पॉलीप्रोपाइलीन ग्रैन्यूल या रेजिन,  कैपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक फिल्म के निर्माण के लिए:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
147.	3904	सभी सामान	7.5%	-	-
148.	3906 90 90	सुपर अवशोषक पॉलिमर (एसएपी) जिसे निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है, अर्थात्: -  (i) ऐडल्ट डायपर;	5%	-	3

		(ii) ऐडल्ट डायपर के अलावा, अध्याय शीर्षक 9619 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
149.	3907	पॉलिएस्टर चिप्स	5%	-	-
150.	3907 29 10	पॉलीटेट्रामेटिलीन ईथर ग्लाइकॉल, (पीटी एमईजी) स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के उपयोग के लिए:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
151.	3908	नायलॉन चिप्स	5%	-	-
152.	3920 (3920 99 99 से भिन्न), 3921	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मस से भिन्न सभी सामान <b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, पीवीसी फ्लेक्स फिल्मस शब्द में पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट शामिल हैं	10%	-	-
153.	3920 99 99	पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मस से भिन्न सभी सामान <b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, पीवीसी फ्लेक्स फिल्मस शब्द में पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट शामिल हैं	15%	-	-
154.	4002 70 00	शीर्ष 8544(उप-शीर्ष 8544 11 को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले इंसुलेटेड तारों और केबलों के निर्माण में उपयोग के लिए इथाएलीन-प्रोपाइलीन-गैर-सम्बद्ध डाइन रबर (ईपीडीएम):	7.5%	-	3

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
155.	40	शीर्ष 8802 के विमानों में उपयोग किए जाने वाले रबर के नए या रीट्रेडेड न्यूमैटिक टायर: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	17
156.	40	शीर्ष 8802 के विमानों में उपयोग किए जाने वाले रबर के नए या रीट्रेडेड न्यूमैटिक टायर: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	18
157.	4011 30 00	क्रम सं. 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा सभी सामान	2.5%	-	-
158.	4016 95 90, 4016 99 90,	निम्नलिखित को छोड़कर सभी सामान- (i) प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने गुब्बारे; (ii) सेलुलर मोबाइल फोन के लिए माइक्रोफोन रबर केस; या (iii) सेंसर रबर केस / सीलिंग गैस्केट जिसके अंतर्गत रबर जैसे एस.बी.आर, ई.पी.डी.एम, सी.आर, सी.एस, सिलिकॉन से सीलिंग गैस्केट/केस और सभी अन्य व्यष्टिक रबर या संयोजन/रबरों के संयोजन सेलुलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए  <b>स्पष्टीकरण.</b> - संदेहों को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि में प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौना गुब्बारे शामिल नहीं हैं (खिलौना गुब्बारे सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 9503 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं)	10%	-	-

159.	4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00, 4106 21 00, 4106 31 00, 4106 91 00	वेट ब्लू चर्म (खाल और चर्म)	शून्य	-	-
160.	47	<p>लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्युलॉसिक पदार्थ का गूदा (रेयान ग्रेड लकड़ी के गूदे को छोड़कर) जब निम्नलिखित के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात्: -</p> <p>(i) अखबारी कागज;</p> <p>(ii) कागज और पेपरबोर्ड;</p> <p>(iii) वयस्क डायपर;</p> <p>(iv) वयस्क डायपर के अलावा, अध्याय शीर्षक 9619 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	<p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>2.5%</p>	-	<p>3 और 19</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
161.	4702	रेयान ग्रेड लकड़ी का गूदा	2.5%	-	-
162.	4707	(i) न्यूजप्रिन्ट के अलावा कागज या पेपरबोर्ड के निर्माण के लिए किसी इकाई में उपयोग या आपूर्ति के लिए आयातित सभी सामान;	2.5%	-	3
		(ii) न्यूजप्रिन्ट के विनिर्माण हेतु किसी इकाई में उपयोग हेतु या आपूर्ति हेतु आयातित सभी वस्तुएं: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3

163.	48	<p>समाचार पत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(i) न्यूजप्रिन्ट;</p> <p>(ii) अन्य बिना लेपित कागज जो न्यूजप्रिन्ट के विनिर्देशों के अनुरूप हो (इसकी सतह खुरदरापन के अलावा):</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	20
164.	4810	<p>हल्के भार वाला विलेपित कागज, जो 70 ग्राम प्रति वर्ग मी. तक भार वाला हो, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए आयात किया जाता है:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	3
165.	4823 90 90	पतंगों से भिन्न सभी सामान	10%	-	-
166.	49 या 8523	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, और</p> <p>(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार बताने वाला स्वामित्व दस्तावेज</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर" का अर्थ है स्रोत कोड और ऑब्जेक्ट कोड सहित निर्देशों, डेटा, ध्वनि या छवि का कोई भी प्रतिनिधित्व, जो मशीन-पठनीय रूप में दर्ज किया गया है, और एक स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन के माध्यम से उपयोगकर्ता को हेरफेर करने या इंटरैक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है</p>	शून्य	-	-

167.	कोई भी अध्याय	पुस्तक के रूप में वाणिज्यिक कैटलॉग	शून्य	-	-
168.	4901 10 10, 4901 91 00, 4901 99 00	मुद्रित पुस्तकें (मुद्रित पुस्तकों के कवर सहित) और मुद्रित मैनुअल, बाउंड फॉर्म में या बाइंडर के साथ लूज-लीफ फॉर्म में, कागज या किसी अन्य सामग्री पर निष्पादित जिसमें ट्रांसपेरेंसीस शामिल है	5%	-	-
169.	4906	सभी सामान	शून्य	-	-
170.	4907 00 20	पेपर मनी	शून्य	शून्य	-
171.	5201 00 25	अन्य: स्टेपल लंबाई 32.0 मिमी से अधिक	शून्य	-	-
172.	5603 11 10, 5603 11 90	हाइड्रोफिलिक नॉन-वोवन, हाइड्रोफोबिक नॉन-वोवन, ऐडल्ट डायपर के निर्माण में उपयोग के लिए आयातित:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
173.	600110, 6001 92	खिलौनों के निर्माण के लिए पाइल फबरिक्स :  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3
174.	68, 82, 84	इलेक्ट्रॉनिक घटकों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भागों के निर्माण के लिए मोल्ड्स (जिसमें अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए चेसिस शामिल), उपकरण (टंगस्टन कार्बाइड माइक्रो पीसीबी ड्रिल को छोड़कर) और डार्ड:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
175.	68, 72, 85	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -  (i) सिलिकॉन सिल्लियां उगाने के लिए ग्रेफाइट	5%	-	3

		<p>फेल्ड या ग्रेफाइट पैक;</p> <p>(ii) सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए वायर सा में प्रयुक्त पतला स्टील का तार:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
176.	6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00, 6802 93 00	<p>संगमरमर स्लैब और क्रम संख्या 177 पर उल्लिखित सामान से भिन्न सभी सामान</p>	10%	-	-
177.	6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 93 00	ग्रेनाइट स्लैब	20%	-	-
178.	70	<p>दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में उपयोग के लिए सिलिका का प्रीफॉर्म:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	3

179.	कोई भी अध्याय	सिलिका के प्रीफॉर्म के निर्माण के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -  (i) प्रशीतित हीलियम तरल (2804); (ii) जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड (2812); (iii) सिलिका टेट्रा क्लोराइड (2812); (iv) सिलिका ट्यूब (7002); (v) सिलिका छड़ें (7002):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
180.	7007	निम्नलिखित में उपयोग के लिए उपयुक्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएँ -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन;  (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें;  या  (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	10%	-	-
181.	70, 84, 85, 90, कोई भी अध्याय	तालिका I से संलग्न सूची 12 में निर्दिष्ट माल:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	-
182.	71	रुबी , पन्ना और नीलम, बिना जड़े और बिना कटे आयातित	0.5%	-	-
183.	71	अपरिष्कृत हीरे (औद्योगिक या गैर-औद्योगिक)	शून्य	-	-

184.	7102 21, 7102 31 00	साधारण स्वान हीरा:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	21
185.	7102, 7104	रफ लैब ग्रोन डायमंड के विनिर्माण में प्रयोग के लिए सीड्स  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	-
186.	71	अपरिष्कृत रंगीन मणि रत्न	0.5%	-	-
187.	71	अपरिष्कृत अर्ध-कीमती रत्न	0.5%	-	-
188.	7103	पूर्व आकारित बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न	0.5%	-	-
189.	71 (7104 99 00 के अलावा)	कटे और पॉलिश किए गए रंगीन रत्न	5%	-	-
190.	71	हीरे, जिसमें लैब में बने हीरे- अर्ध-प्रसंस्कृत, आधे कटे या टूटे हुए सम्मिलित हैं	5%	-	-
191.	71	गैर-औद्योगिक हीरे जिसमें शामिल हैं लैब-ग्रोन हीरे (अपरिष्कृत हीरे के अलावा)	5%	-	-
192.	71	सोने की डोरे बार, जिसमें सोने की मात्रा 95% से अधिक न हो	5%	-	3 और 22
193.	71	सिल्वर डोरे बार जिसमें चांदी की मात्रा 95% से अधिक न हो	5%	-	3 और 22
194.	71 या 98	(i) सोने की बार, तोला बार से भिन्न, जिन पर निर्माता या रिफाइनेर का उत्कीर्ण सीरियल नंबर और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन हो, और सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से	5%	-	23

		कम न हो, पात्र यात्री द्वारा आयातित			
		(ii) सोना (i) से भिन्न किसी भी रूप में, जिसमें शामिल तोला बार और आभूषण, लेकिन रत्नों या मोतियों से जड़े आभूषण को छोड़कर	5%		23
195.	71 या 98	चांदी, किसी भी रूप में जिसमें शामिल आभूषण, लेकिन रत्नों या मोतियों से जड़े आभूषण को छोड़कर, पात्र यात्री द्वारा आयातित	5%	-	23
196.	7108	क्रम संख्या 192 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा सभी सामान	5%	-	-
197.	7106	क्रम संख्या 193 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा सभी सामान	5%	-	-
198.	71	आयात- (i) तालिका I से संलग्न सूची 13 के अनुसार बैंकों द्वारा सोना या चांदी या दोनों; (ii) तालिका I से संलग्न सूची 14 के अनुसार बैंकों द्वारा सोना; (iii) तालिका I में संलग्न सूची 15 के अनुसार संस्थाओं द्वारा सोना/चांदी/प्लैटिनम	-	शून्य	-
199.	7104	अपरिष्कृत सिंथेटिक जेमस्टोन	0.5%	-	-
200.	7104	अपरिष्कृत क्यूबिक ज़िरकोनिया	0.5%	-	-
201.	7112	बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राखः परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3 और 24
202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11,	सभी सामान	5%	-	-

	7110 11 19, 7110 11 21, 7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118				
203.	7113	(i) गोल्ड फाइन्डिंगज़; (ii) सिल्वर फाइन्डिंगज़; (iii) प्लैटिनम फाइन्डिंगज़.  <b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, सोने, चांदी या प्लैटिनम के फाइन्डिंग का अर्थ है एक छोटा घटक जैसे हुक, क्लैस्प, क्लैप, पिन, कैच, स्क्रू बैंक जो आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को अपनी जगह पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है	5%	-	-
204.	7202 60 00	फेरो-निकेल	शून्य	-	-
205.	7204	सभी सामान:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	-
206.	7210 12 10, 7210 12 90	सभी सामान	7.5%	-	-
207.	7219 12 00, 7219 13 00,	सभी सामान	7.5%	-	-

	7219 21 90, 7219 90 90				
208.	7225 19 90	7225 11 00 या 7226 11 00 के अंतर्गत आने वाले कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) के निर्माण में उपयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) लेपित कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
209.	7225	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -  (i) हॉट रोल्ड कॉइल्स;  (ii) कोल्ड-रोल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) लेपित और एनील्ड स्टील;  (iii) हॉट रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड कॉइल्स;  (iv) कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड,  टैरिफ आइटम 7225 11 00 या 7226 11 00 के अंतर्गत आने वाले कोल्ड रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण के लिए:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य  शून्य  शून्य  शून्य	-  -  -  -	3  3  3  3
210.	7225 11 00	सभी सामान	5%	-	-
211.	7226 11 00	सभी सामान	5%	-	-
212.	7226 99 30	अमॉर्फस अलॉय रिबन	5%	-	-
213.	7229	इन्वार	5%	-	-

214.	72	निम्नलिखित के अलावा सभी सामान, अर्थात्: -  (i) क्रम संख्या 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212 और 213 के सामने उल्लिखित सामान;  (ii) अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले पुराने और दोषपूर्ण माल	7.5%	-	-
215.	73	सभी सामान, निम्नलिखित के अलावा -  (i) क्रम संख्या 216 के सामने उल्लिखित सामान;  (ii) सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए स्कू, सिम सॉकेट या धातु की अन्य यांत्रिक वस्तुएं  (iii) शीर्षक 7318 या 7323 के अंतर्गत आने वाले सामान	10%	-	-
216.	73072900, 73079990, 73089090, 73102990, 73209090, 73259999, 73261990, 73269099	सभी सामान, सिवाए सिम सॉकेट/अन्य यांत्रिक सामान (धातु) (7326 90 99) सेलुलर मोबाइल फोन के लिए	10%	-	-
217.	73181500, 73181600, 73182990	सभी सामान	15%	-	-
218.	7325	शीर्षक 8546 के अंतर्गत आने वाले विद्युत	7.5%	-	3

		इन्सुलेटरों के निर्माण में उपयोग के लिए धातु के हिस्से:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
219.	73	बॉयलर के निर्माण में उपयोग के लिए पाइप और ट्यूब:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	7.5%	-	3
220.	7326 90 99	हवा से चलने वाले बिजली जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए जाली स्टील के छल्ले:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3 और 25
221.	7402 00 10	ब्लिस्टर कॉपर	शून्य	-	-
222.	7408	फोटोवोल्टिक रिबन या टिनयुक्त तांबे के इंटरकनेक्ट या सेल इंटरकनेक्ट या स्ट्रिंग इंटरकनेक्ट या फोटोवोल्टिक कनेक्ट या फोटोवोल्टिक रिबन या सौर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर रिबन के निर्माण के लिए तांबे का तार या परिष्कृत तांबा जिसका अधिकतम अनुप्रस्थ काट आयाम 6 मिमी से अधिक हो:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
223.	7802	सभी सामान	शून्य	-	-
224.	7902	सभी सामान	शून्य	-	-

225.	8101 99 90	टंगस्टन (वोल्फ्राम) बार और छड़ें, जो केवल सिंटरिंग द्वारा बनायीं जाती हैं, प्रोफाइल, प्लेट, शीट, पट्टी और पन्नी से भिन्न	5%	-	-
226.	8105 20 30	सभी सामान	शून्य	-	-
227.	82	विदेश से मरम्मत के बाद आयातित धातु खींचने के लिए डाई, मरम्मत के लिए भारत से बाहर निर्यात की गई समान घिसी हुई डाई के बदले में:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	26
228.	84 या कोई अन्य अध्याय	अपतटीय तेल अन्वेषण या दोहन के प्रयोजनों के संबंध में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए पुर्ज और कच्चा माल:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	27
229.	25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 69, 73, 74, 82, 84, 85, 87, 89 या 90	तालिका I से संलग्न सूची 16 के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट माल, जब किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आयात किया जाता है, पेट्रोलियम परिचालन या कोयला बेड मीथेन परिचालन के संबंध में:  (क) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (ग) सीमांत क्षेत्र नीति (एमएफपी) (घ) कोल बेड मीथेन नीति (ङ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (HELP) या ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP)	शून्य	18%	28

		<p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट व्यक्ति एक लाइसेंसधारी, पट्टेदार, ठेकेदार या उप-ठेकेदार है, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है:-</p> <p>(i) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत दिए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अनुसरण में खनिज तेलों (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं) की खोज के लिए अधिकृत व्यक्ति, जो तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के प्रावधानों के तहत बनाया गया है</p> <p>(ii) "पट्टेदार" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत दिए गए पेट्रोलियम खनन पट्टे के अनुसरण में तेलों (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं) का खनन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, जो तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के प्रावधानों के तहत बनाया गया है</p> <p>(iii) "ठेकेदार" से तात्पर्य ऐसी कंपनी (भारतीय या विदेशी) या कंपनियों के संघ से है, जिसके साथ केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों (खनिज तेलों के पूर्वक्षण या निष्कर्षण या</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>उत्पादन से युक्त) के संबंध में ऐसी कंपनी या संघ द्वारा किए जाने वाले करार में प्रवेश किया है</p> <p>(iv) "उप-ठेकेदार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लाइसेंसधारी/पट्टेदार या ठेकेदार द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसे लाइसेंसधारी/पट्टेदार या ठेकेदार की ओर से पेट्रोलियम परिचालन करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया हो:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
230.	84 या कोई अन्य अध्याय	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(1) पवन ऊर्जा संचालित विद्युत जनरेटर घटकों के विनिर्माण या रखरखाव के लिए भाग और उप-भाग, अर्थात्:-</p> <p>(i) विशेष बीयरिंग,</p> <p>(ii) गियर बॉक्स,</p> <p>(iii) यॉ घटक,</p> <p>(iv) पवन टरबाइन नियंत्रक</p> <p>(2) पवन चालित विद्युत जनरेटरों के रोटर के लिए ब्लेडों के निर्माण या रखरखाव हेतु पुर्जे</p> <p>(3) पवन संचालित बिजली जनरेटर ब्लेड के लिए बाल्सा लकड़ी, कार्बन फाइबर:</p>	5%	-	29
			5%	-	29

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
231.	84 या कोई अन्य अध्याय	पवन ऊर्जा से संचालित विद्युत जनरेटरों में उपयोग के लिए 500 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले पीएम सिंक्रोनस जनरेटरों के निर्माण हेतु स्थायी चुम्बक: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3 और 25
232.	84 या कोई अन्य अध्याय	(क) कैटलिटिक कन्वर्टर्स के भाग, प्लैटिनम या पैलेडियम से बने हुए को छोड़कर भाग, 7110 के अंतर्गत आते हैं, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए	7.5%	-	3
		(ख) कैटलिटिक कन्वर्टर्स या उसके भागों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: - (i) कच्चा सबस्ट्रेट (सिरेमिक) (ii) वॉश कोटेड सबस्ट्रेट (सिरेमिक) (iii) कच्चा सबस्ट्रेट (धातु) (iv) वॉशकोटेड सबस्ट्रेट (धातु) (v) स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ स्ट्राइप (टैरिफ मद 7314 14 10 के अंतर्गत आती है) (vi) वॉश कोट	7.5%	-	3
		(ग) उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के निर्माण के लिए 7110 के अंतर्गत आने वाले प्लैटिनम या पैलेडियम से बने	5%	-	3

		उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के भाग: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
233.	7110	प्लैटिनम या पैलेडियम जिनका उपयोग निम्नलिखित के निर्माण में किया जाता है: - (i) सभी सामान, जिसमें नोबल मेटल कम्पाउंड्स और नोबल मेटल सॉल्यूशन्स भी शामिल हैं, जो शीर्षक 2843 के अंतर्गत आते हैं; (ii) उपशीर्षक 3815 12 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
234.	2825 60 20	कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरिया ज़िरकोनिया कंपाउंड: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
235.	2846 10 90	कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरियम कंपाउंड: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
236.	3824 99 00	कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए जिओलाइट: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
237.	84, 85, 90	सेमीकंडक्टर वेफर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले	शून्य	-	3

		(एलसीडी) के निर्माण में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण, अन्य यंत्र और उनके भाग, पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
238.	84, 85, 90	सेमीकंडक्टर चिप्स के संयोजन, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण, अन्य यंत्र और उनके भाग, पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
239.	84, 85, कोई भी अध्याय	(i) तालिका I से संलग्न सूची 17 में निर्दिष्ट माल, शीर्षक/उप- शीर्षक/टैरिफ मद 8523 52 00, 8541, 8542, 8543 90 00 या 8548 00 00 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण के लिए (ii) (i) के माल के निर्माण के लिए पुर्जे: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
240.	कोई भी अध्याय	(i) तालिका I से संलग्न सूची 18 में निर्दिष्ट माल, टैरिफ मद 8541 42 00 के अंतर्गत आने वाले फोटोवोल्टिक कोशिकाओं या टैरिफ मद 8541 43 00 के अंतर्गत आने वाले फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के निर्माण के लिए	शून्य	-	3

		(ii) उपरोक्त मद (i) में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पुर्जे			
241.	84, 85 या 90	निम्नलिखित सामान, एक मान्यता प्राप्त प्रेस कैमरामैन द्वारा आयातित: -  (i) फोटोग्राफिक कैमरे;  (ii) सिनेमैटोग्राफिक कैमरे;  (iii) डिजिटल कैमरे; और  (iv) उपरोक्त कैमरों के साथ उपयोग के लिए आवश्यक लेंस, फिल्टर, फ्लैश लाइट उपकरण और एक्सपोजर मीटर:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-'	30
242.	84, 85 या 90	निम्नलिखित सामान, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आयातित: -  (i) पर्सनल कंप्यूटर जिसमें लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर शामिल है;  (ii) टाइपराइटर; और  (iii) फैंक्स मशीन:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	31
243.	84, कोई भी अध्याय	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -  (i) उच्च गति वाली कोल्ड-सेट वेब ऑफसेट रोटरी डबल चौड़ाई वाली चार प्लेट चौड़ी प्रिंटिंग मशीनें, जिनकी न्यूनतम गति 70,000 प्रतिघंटा प्रति घंटा है या उच्च गति वाली हीट-सेट वेब ऑफसेट	5%	-	-

		रोटरी प्रिंटिंग मशीनें, जिनकी न्यूनतम गति 70,000 प्रतियां प्रति घंटा हैं;			
		(ii) (i) के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त मेलरूम उपकरण, अर्थात्: - (क) ओवरहेड कन्वेयर ग्रिपर; (ख) स्टैकर; (ग) आवरण; (घ) लेबलर; (ङ) स्ट्रैपर; (च) इन्सर्टर्स; (छ) डिलीवरी कन्वेयर:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	20
244.	84, 85	ब्रेल प्रिंटर या ब्रेल एम्बॉसर या ब्रेल डिस्प्ले, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया	शून्य	-	-
245.	84, 85	ट्रक रिक्रिजरेशन यूनिट	शून्य	-	-
246.	84	प्लैटिनम और रोडियम मिश्र धातु से बने बुशिंग, जब भारत से निर्यात किए गए घिसे हुए या क्षतिग्रस्त बुशिंग के बदले में आयात किए जाते हैं:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	32
247.	8431	सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्माण के लिए पुर्जे और घटक:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात	2.5%	-	3

		31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
248.	8407	निम्नलिखित के इंजनों के अलावा अन्य सभी सामान- (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें, या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें।	7.5%	-	-
249.	8408	निम्नलिखित के इंजनों के अलावा अन्य सभी सामान- (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें, या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें।	7.5%	-	-
250.	8409	शीर्षक 8407 या 8408 के इंजनों के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भागों के अलावा अन्य सभी सामान, निम्नलिखित में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के- (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-

251.	8483 10 91	शीर्षक 8407 के अंतर्गत आने वाले इंजनों के लिए क्रैंक शाफ्ट से भिन्न सभी सामान-  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन;  (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या  (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
252.	8483 10 92	शीर्षक 8408 के अंतर्गत आने वाले इंजनों के लिए क्रैंक शाफ्ट से भिन्न सभी सामान -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन;  (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या  (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
253.	841440	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन;  (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या  (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
254.	841480 (84148011 के अलावा)	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले	7.5%	-	-

		मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें			
255.	8415 90 00	स्प्लिट-सिस्टम एयर कंडीशनर की इन्डोर या आउटडोर इकाइयों के अलावा सभी सामान	10%	-	-
256.	8419	सौर जल हीटर और प्रणाली के निर्माण में उपयोग के लिए सौर सिलेक्टिव कोटिंग की तीन परतों के साथ निष्क्रिय ट्यूब:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
257.	84198912, 84198913, 84198914, 84198915, 84198916, 84198917, 84198919	सभी सामान	7.5%	-	-
258.	8419	काँफी के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए काँफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग वाली मशीनें	7.5%	-	-

259.	8421 99 00	सभी सामान से भिन्न रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) घरेलू प्रकार के फिल्टर के लिए झिल्ली तत्व	7.5%	-	-
260.	8446, 8448	कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (पुराने और प्रयुक्त से भिन्न), अर्थात्: - (i) शटललेस रैपियर लूमस (650 मीटर प्रति मिनट से ऊपर); (ii) शटललेस रैपियर लूमस (650 मीटर प्रति मिनट से नीचे); (iii) शटललेस वॉटरजेट लूमस (800 मीटर प्रति मिनट से ऊपर); (iv) शटललेस एयरजेट लूमस (1000 मीटर प्रति मिनट से ऊपर); (v) शटललेस एयरजेट लूमस (1000 मीटर प्रति मिनट से नीचे); (vi) शटललेस करघों के निर्माण में उपयोग के लिए भाग और घटक:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य	- - - - - -	- - - - - 3
261.	8446	कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए निम्नलिखित बुनाई मशीनें (पुरानी और प्रयुक्त से भिन्न), अर्थात्: - (i) कार्बन फैंब्रिक बुनाई रैपियर लूमस; (ii) तकनीकी वस्त्र निर्माण के लिए द्विअक्षीय और बहुअक्षीय बुनाई मशीनें; (iii) तकनीकी वस्त्र निर्माण के लिए 3-डी और ब्लॉक बुनाई मशीनें:	5%	-	-

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
262.	8447	कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए निम्नलिखित बुनाई मशीनें (पुरानी और प्रयुक्त से भिन्न), अर्थात्: (i) फ्लैट बुनाई मशीनें (11 चक्कर प्रति मिनट या 0.3 मीटर प्रति सेकंड की न्यूनतम गति); (ii) ताना बुनाई मशीनें (न्यूनतम कार्यशील चौड़ाई 60" और न्यूनतम गति 500 आरपीएम); (iii) राशेल बुनाई मशीनें (न्यूनतम कार्यशील चौड़ाई 60" और न्यूनतम गति 500 आरपीएम); (iv) स्पेसर कपड़ों के लिए बुनाई मशीनें: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	-
263.	84	कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (से भिन्न पुराने और प्रयुक्त), अर्थात्: - (i) औद्योगिक सिलाई मशीन (टैरिफ शीर्ष 8452); (ii) लेजर परिधान पैनेल कटर (टैरिफ मद 8456 11 00); (iii) संपूर्ण परिधान बनाने की मशीन (बुना हुआ) (अध्याय 84); (iv) इंक जेट प्रिंटिंग मशीनें (टैरिफ मद 8443 39 10):	5%	-	-
			5%	-	-
			5%	-	-
			5%	-	-

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
264.	84	<p>गैर-बुने वस्त्रों के विनिर्माण के लिए मशीनरी (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर), अर्थात्: -</p> <p>(i) निम्नलिखित गैर-बुने हुए कपड़ों के उत्पादन के लिए पूर्ण उत्पादन लाइनें, रोलड माल की तैयारी और पैकिंग तक, अर्थात्:</p> <p>(क) सुई-छिद्रित नॉन-वोवन</p> <p>(ख) रासायनिक रूप से बंधित नॉन-वोवन</p> <p>(ग) तापीय रूप से बंधित नॉन-वोवन</p> <p>(घ) स्टीच-बॉन्ड नॉन-वोवन</p> <p>(ङ) स्पन-लेस्ड (हाइड्रो-एंटैगल्ड) नॉन-वोवन</p> <p>(च) मेल्ट-ब्लोन नॉन-वोवन</p> <p>(छ) स्पन-बंधित मेल्ट-ब्लोन (एसएमएस) नॉन-वोवन;</p> <p>(ii) सभी गैर-बुने हुए कपड़ों की फिनिशिंग के लिए मशीनरी;</p> <p>(iii) गैर-बुने हुए कपड़ों को तैयार कपड़ों में बदलने के लिए मशीनरी:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	-
265.	84 या कोई अन्य	कपड़ा मशीनरी के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे और घटक (पुराने और प्रयुक्त से भिन्न) (टैरिफ शीर्षक	5%	-	3

	अध्याय	8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452 के अंतर्गत आने वाले): परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
266.	8448	निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: - (i) हाई स्पीड डोबी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक (300 आरपीएम और ऊपर) (टैरिफ मद 8448 19 00); (ii) हाई स्पीड जैक्वार्ड मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक (300 आरपीएम और ऊपर) (टैरिफ मद 8448 19 00); (iii) स्वचालित शंकु वाइंडर के लिए स्वचालित यार्न स्प्लिसर (टैरिफ मद 8448 32 90); (iv) स्वचालित शंकु वाइंडर के लिए स्पिंडल मोटर (टैरिफ मद 8448 32 90); (v) स्वचालित शंकु वाइंडर के लिए नालीदार वाइंडिंग ड्रम (टैरिफ मद 8448 32 90); (vi) कॉम्पैक्ट स्पिनिंग अटैचमेंट (टैरिफ मद 8448 39 90); (vii) रिले नोजल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण (टैरिफ मद 8448 42 90) के साथ फिट एयर जेट वेफ्ट सम्मिलन तंत्र; (viii) जल आपूर्ति तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण (टैरिफ मद 8448 42 90) से सुसज्जित जल जेट वेफ्ट प्रविष्टि प्रणाली;	शून्य	-	-

		<p>(ix) एयर जेट या वॉटर जेट लूमस के लिए प्रोफाइल रीड (टैरिफ मद 8448 42 90);</p> <p>(x) रैपियर टेप, रैपियर हेड या रैपियर ड्राइव व्हील (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xi) इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तंत्र के साथ या उसके बिना वेफ्ट फीडर (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xii) इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण तंत्र के साथ या उसके बिना संचायक (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xiii) प्रोग्रामर के साथ वेफ्ट प्रोग्रामर (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xiv) इलेक्ट्रॉनिक वेफ्ट स्टॉप मोशन (टैरिफ मद 8448 49 50);</p> <p>(xv) सीएएम के लिए सीएएम बीट-अप रैपियर लूम (टैरिफ मद 8448 49 90);</p> <p>(xvi) सर्वो मोटर नियंत्रण (टैरिफ मद 8448 49 90) के साथ फिट इलेक्ट्रॉनिक टेक अप मोशन;</p> <p>(xvii) सर्वो मोटर नियंत्रण (टैरिफ मद 8448 49 90) के साथ सुसज्जित इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ मोशन</p>			
267.	8483 40 00	सीएनसी लेथ्स (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनिंग सेंटर (टैरिफ मदs 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्क्रू:	2.5%	-	3

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
268.	8466 93 90	सीएनसी लेथ्स (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनिंग सेंटर (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए लिनीअर मोशन गाइड:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3
269.	8537 10	सीएनसी लेथ्स (टैरिफ मद 8458 11 00, 8458 91 00), मशीनिंग सेंटर (टैरिफ मद 8457 10 10, 8457 10 20) या शीर्ष 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी सिस्टम:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	3
270.	7325 10 00, 8477 90 00, 8483 40 00	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (टैरिफ मद 8477 10 00, 8477 20 00, 8477 30 00):  (i) एस. जी. इंगोट कास्टिंग्स (7325 10 00)  (ii) रेखीय गति गाइड (8477 90 00)  (iii) बॉल स्कू (8483 40 00):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	7.5%	-	3
			5%	-	3
			5%	-	3

271.	8472 90 या 8473 40	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(i) कैश डिस्पेंसर या स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर;</p> <p>(ii) (i) में उल्लिखित वस्तुओं के भाग और घटक: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	-
272.	84 या 85	<p>निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जें और घटक-</p> <p>(i) मानक संस्करण 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम;</p> <p>(ii) फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर से भिन्न सेलुलर मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग के लिए फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर;</p> <p>(iii) आइरिस स्कैनर;</p> <p>(iv) एमपीओएस (मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर के अलावा) के लिए लघुकृत पीओएस कार्ड रीडर:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3
273.	कोई भी अध्याय	<p>एलईडी लाइट या फिक्स्चर के निर्माण में उपयोग के लिए सभी भाग जिसमें शामिल एलईडी लैंप:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	10%	-	3

274.	कोई भी अध्याय	एलईडी लाइटों और फिक्सचर या एलईडी लैंप के लिए एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर या एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) के निर्माण में उपयोग के लिए सभी इनपुट:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3
275.	85 या कोई अन्य अध्याय	किसी विदेशी फिल्म इकाई या टेलीविजन टीम द्वारा आयातित टेलीविजन उपकरण, कैमरे और फिल्म बनाने के लिए अन्य उपकरण:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	33
276.	85 या कोई भी अन्य अध्याय	विदेशी मूल के फोटोग्राफिक, फिल्मांकन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और रेडियो उपकरण, कच्ची फिल्में, वीडियो टेप और ध्वनि रिकॉर्डिंग टेप, यदि वहां से निर्यात किए जाने के बाद भारत में आयात किए गए हों:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	34
277.	85 या कोई भी अन्य अध्याय	निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में परीक्षण के लिए आयातित माल:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	35
278.	8501 10, 8501 20, 8501 31,	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले	10%	-	-

	8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72	मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें			
279.	8511	एक प्रकार के इंजन के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं से भिन्न सभी सामान: - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
280.	8518	टैरिफ मद 8518 10 00 के अंतर्गत आने वाले माइक्रोफोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: - (i) माइक्रोफोन कार्ट्रिज; (ii) माइक्रोफोन धारक; (iii) माइक्रोफोन ग्रिल; (iv) माइक्रोफोन बॉडी:	शून्य	-	3

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
281.	8537	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
282.	8544(85443000 और 854470 के अलावा)	सभी सामान (सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यू एस बी केबल से भिन्न)	10%	-	-
283.	9032 89	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
284.	8507 90	बैटरी सेपरेटर्स	5%	-	-
285.	8529 90 90	रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनलों के भाग	5%	-	-
286.	8521 90 90	डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डी.वी.आर / नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एन.वी.आर) से भिन्न सभी सामान	10%	-	-
287.	8523	शैक्षिक प्रकृति की पुस्तकें, जर्नल, पत्रिकाएँ या समाचार पत्र युक्त सीडी-रोम	शून्य	-	-

288.	8525 89 00	डिजिटल स्थिर छवि वीडियो कैमरा से भिन्न सेलुलर मोबाइल फोन का कैमरा या कैमरा मॉड्यूल	शून्य	-	-
289.	8525 81 से 8525 89	सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा से भिन्न सभी सामान	10%	-	-
290.	8523	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा आयोजित भंडारण मीडिया पर विदेशी उपग्रह डेटा	शून्य	-	-
291.	85 या कोई अन्य अध्याय	डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरों के भाग और घटक: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
292.	85 या कोई अन्य अध्याय	(i) डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) / नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के निर्माण के लिए भाग, घटक और सहायक उपकरण 8521 90 90, से भिन्न के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित आइटम, अर्थात्: - (क) पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड; (ख) चार्जर या पावर एडाप्टर;  (ii) वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए ऊपर उप-भाग (i) में उल्लिखित: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
293.	85 या कोई अन्य अध्याय	(i) टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, घटक और	शून्य	-	3

		<p>सहायक उपकरण, लेकिन टैरिफ मद 8528 71 00 के अंतर्गत आने वाले वीडियो डिस्प्ले को शामिल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, निम्नलिखित मदों के अलावा, अर्थात्: -</p> <p>(क) पॉपुलेटेड प्रिंटेड मुद्रित सर्किट बोर्ड;</p> <p>(ख) चार्जर या पावर एडाप्टर</p>			
		<p>(ii) उपरोक्त (i) में शामिल वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-भाग:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3
294.	85 या कोई अन्य अध्याय	<p>(i) 8525 81 से 8525 89 के अंतर्गत आने वाले सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण, निम्नलिखित वस्तुओं के अलावा, अर्थात्: -</p> <p>(क) पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड;</p> <p>(ख) चार्जर या पावर एडाप्टर;</p> <p>(ii) ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-भाग:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3
295.	85 या कोई अन्य अध्याय	<p>(i) लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली</p>	2.5%	-	3

		(पीसीबीए) को छोड़कर भाग, घटक और सहायक उपकरण;  (ii) उपरोक्त (i) में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए उप-भाग:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
296.	कोई भी अध्याय	लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) (टैरिफ मद 85079090 के अंतर्गत आने वाले) के निर्माण में उपयोग के लिए इनपुट, भाग या उप-भाग:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	-
297.	8524	शीर्षक 8524 के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल (15.6" और अधिक):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
298.	8524	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के निर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल (टच के साथ या बिना)  (आईएफपीडी) मॉड्यूल	5%	-	3
299.	8529	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के ओपन सेल शीर्षक 8524 के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -	शून्य	-	3

		<p>(i) फिल्म पर चिप;</p> <p>(ii) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए);</p> <p>(iii) सेल (ग्लास बोर्ड/सब्सट्रेट):</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
300.	8528 59 00	सभी सामान, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) से भिन्न	10%	-	-
301.	8529	<p>इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -</p> <p>(i) टच ग्लास शीट</p> <p>(ii) टच सेंसर पीसीबी</p>	5%	-	3
302.	8529	<p>शीर्षक 8524 के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान, अर्थात्: -</p> <p>(i) प्लेट डिफ्यूजर;</p> <p>(ii) फिल्म डिफ्यूजर;</p> <p>(iii) रिफ्लेक्टर शीट;</p> <p>(iv) फिल्म, शीर्ष;</p> <p>(v) फिल्म, मध्य;</p> <p>(vi) फिल्म तल;</p> <p>(vii) बार, एलईडी;</p> <p>(viii) बेज़ल;</p> <p>(ix) बैक कवर शीट;</p>	10%	-	3

		(x) बैक लाइट यूनिट मॉड्यूल: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
303.	8529 10 99, 8529 90 90	केवल या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग शीर्षक 8525, 8526 या 8527 का उपकरण: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	-
304.	8529 10 99, 8529 90 90	शीर्षक 8528 के उपकरण के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, अर्थात्: - (i) अन्य कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर (8528 49 00); (ii) अन्य मॉनिटर (8528 59 00); (iii) अन्य प्रोजेक्टर (8528 69 00); (iv) टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, चाहे उसमें रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं, (क) वीडियो डिस्प्ले या स्क्रीन (8528 71 00) को शामिल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; और (ख) अन्य मोनोक्रोम (8528 73)	10%	-	-
305.	8536 41 00, 8536 49 00	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन; (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या	10%	-	-

		(iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें			
306.	8540 71 00	घरेलू माइक्रोवेव ओवन के निर्माण के लिए 1.5 किलोवाट तक के मैग्नेट्रॉन का उपयोग किया जाता है	शून्य	-	3
307.	8549 (8549 99 00 के अलावा)	बैटरी स्क्रेप और बैटरी अपशिष्ट, टैरिफ मद 8549 13 00, 8549 14 00 या 8549 19 00 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी के अपशिष्ट और स्क्रेप को छोड़कर	5%	-	-
308.	8549 13 00, 8549 14 00, 8549 19 00	लिथियम-आयन बैटरी का अपशिष्ट और स्क्रेप	शून्य	-	-
309.	कोई भी अध्याय	ई-रीडर के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल या पुर्जे:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
310.	86	लोको सिमुलेटर	5%	-	-
311.	86 या कोई भी अध्याय	ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली	7.5%	-	-
312.	8609 00 00	रेफरिजरैटेड कंटेनर	5%	-	-
313.	8604 00 00	ट्रैक मशीनें और पुर्जे	7.5%	-	-
314.	कोई भी अध्याय	टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन कोशिकाओं का निर्माण के उपयोग के लिए भाग, उप-भाग, इनपुट या कच्चा माल:	शून्य	-	3

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
315.	8702, 8704	मोटर वाहन (विद्युत चालित वाहन को छोड़कर), यदि आयातित हों, -  (i) एक सम्पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटकों, भागों या उप-असेंबली युक्त एक पूर्णतया नॉकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में,  (क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन शर्त में नहीं है;  (ख) इंजन या गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन रूप में, लेकिन चेसिस या बॉडी असेंबली पर माउंट नहीं किया गया।  (ii) ऊपर (i) से भिन्न.	15%	-	-
			20%	-	-
			20%	-	-
316.	8702, 8704	विद्युत चालित वाहन, यदि आयातित हों-  (i) अपूर्ण या अधूरा, एक नॉक डाउन किट के रूप में जिसमें एक पूर्ण वाहन को जोड़ने के लिए आवश्यक घटक, भाग या उप-संयोजन शामिल हैं, जिसमें शामिल बैटरी पैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, ऊर्जा मॉनिटर, संपर्ककर्ता, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, चाहे हो या न हो व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन, के साथ -		-	-
		(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-असेंबली में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगा हुआ है	15%	-	-

		<p>(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजनों में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है</p> <p>(ii) ऊपर दिए गए (i) रूप में से भिन्न-</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - संदेहों के निवारण के लिए, इस प्रविष्टि के मद (i) (क) और (i)(ख) में निहित छूट उपलब्ध होगी, भले ही एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-असेंबली में से एक या अधिक किट में आयातित न हों, परन्तु प्रस्तुत किट, व्याख्या के सामान्य नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत वर्गीकृत है</p>	20%	-	-
			20%	-	-
317.	8703	<p>मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन (विद्युत चालित वाहन को छोड़कर):</p> <p>मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया (शीर्षक 8702 से भिन्न), जिसमें शामिल स्टेशन वैगन और रेसिंग कारें, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं हुई हैं, यदि आयात की जाती हैं, -</p> <p>(i) एक सम्पूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए सभी आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजनों से युक्त एक पूर्णतया नॉकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में,-</p>			

		(क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन शर्त में नहीं है;	15%	-	-
		(ख) इंजन या गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन रूप में, लेकिन चेसिस या बॉडी असेंबली पर माउंट नहीं किया गया	35%	-	-
		(ii) किसी अन्य रूप में, -			
		(क) सीआईएफ मूल्य यूएस \$ 40, 000 से अधिक या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए इंजन क्षमता 3000 सीसी से अधिक और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 2500 सीसी से अधिक, या दोनों के साथ;	70%	-	-
		(ख) ऊपर (क) से भिन्न	70%	-	-
318.	8703	विद्युत चालित वाहन, यदि आयातित हों-  (i) अपूर्ण या अधूरा, एक पूर्ण वाहन को जोड़ने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-विधानसभाओं से युक्त एक नॉक डाउन किट के रूप में, जिसमें शामिल बैटरी पैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, ऊर्जा मॉनिटर, संपर्ककर्ता, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, चाहे हो या न हो व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन, के साथ -			

	<p>(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-असेंबली में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगा हुआ है</p> <p>(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-असेंबली में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर माउंट नहीं किया गया है</p> <p>(ii) ऊपर दिए गए फॉर्म (i) में से भिन्न</p> <p>(क) सीआईएफ मूल्य यूएस \$40,000 से अधिक के साथ</p> <p>(ख) ऊपर (क) से भिन्न</p>	15%	-	-
		35%	-	-
			-	-
		70%	-	-
		70%	-	-
	<p>(ग) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को एस.ओ. संख्या 1363 (ई) के तहत अधिसूचित भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के प्रावधानों के अनुसार आयातित न्यूनतम सीआईएफ मूल्य यूएस डॉलर 35, 000 के साथ:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या के मद (2)( ग) में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2031 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - संदेहों के निवारण के लिए, इस प्रविष्टि के मद (i)( क) और (i)( ख) में निहित छूट उपलब्ध</p>	15%	-	36

		होगी, भले ही एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-असेंबली में से एक या अधिक किट में आयातित न हों, परन्तु प्रस्तुत किट, व्याख्या के सामान्य नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की शीर्ष 8703, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत है			
319.	8507 60 00	बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में लिथियम-आयन सेल का उपयोग, जिनका उल्लेख क्रम संख्या 320 और 321 के सामने किया गया है से भिन्न:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
320.	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
321.	8507 60 00	विद्युत चालित वाहन या हाइब्रिड मोटर वाहन की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
322.	8507	विद्युत चालित वाहन या हाइब्रिड वाहन के निर्माण में उपयोग के लिए बैटरी पैक	15%	-	3
323.	8504 40 30	विद्युत चालित वाहन या हाइब्रिड वाहन के निर्माण में उपयोग के लिए बैटरी चार्जर	15%	-	3

324.	8507 60 00	लिथियम-आयन बैटरी या सेलुलर बैटरी पैक मोबाइल फोन	15%	-	-
325.	8507 60 00	निम्नलिखित सामान से भिन्न सभी सामान, अर्थात्:- (i) क्रम संख्या 322 और 324 के सामने उल्लिखित माल; (ii) पावर बैंक	10%	-	-
326.	8704	रेफ्रीजरेटेड मोटर वाहन	शून्य	-	-
327.	8708	शीर्षक 8702 से 8704 तक के मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों के अलावा सभी सामान	10%	-	-
328.	8711	(क) मोटर साइकिलें (मोपेड सहित) और सहायक मोटर से सुसज्जित साइकिलें (विद्युत चालित मोटर साइकिलें और साइकिलें के अलावा), साइड कार सहित या उसके बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हैं और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है -  (1) एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटकों, भागों या उप-असेंबली युक्त एक पूरी तरह से नॉक डाउन किट के रूप में, जिसमें -  (क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व- संयोजन शर्त में नहीं है;  (ख) इंजन या गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व- संयोजन रूप में, बॉडी असेंबली पर माउंट नहीं किया गया;  (2) उपरोक्त प्रपत्र (क)(1) में से भिन्न;  (ख) मोटर साइकिलें (जिसमें शामिल मोपेड) और	10%	-	-
			20%	-	-
			40%	-	-

		<p>सहायक मोटर से सुसज्जित साइकिलें (विद्युत चालित मोटर साइकिलें और साइकिलें को छोड़कर), साइड कार के साथ या उसके बिना, और साइड कार, नई, जो आयात से पहले कहीं भी पंजीकृत नहीं की गई हैं और जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी और उससे अधिक है -</p> <p>(1) एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक घटकों, भागों या उप-असेंबली युक्त एक पूरी तरह से नॉक डाउन किट के रूप में, जिसमें -</p> <p>(क) इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन शर्त में नहीं है;</p> <p>(ख) इंजन या गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र पूर्व-संयोजन रूप में, बॉडी असेंबली पर माउंट नहीं किया गया;</p> <p>(2) ऊपर दिए गए फॉर्म (ख)(1) में से भिन्न]</p>			
			10%	-	-
			20%	-	-
			30%	-	-
329.	8711	<p>विद्युत चालित वाहन, यदि आयातित हों-</p> <p>(1) अपूर्ण या अधूरा, आवश्यक घटकों, भागों या युक्त एक नॉक डाउन किट के रूप में एक संपूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए उप-असेंबली, जिसमें शामिल बैटरी पैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, ऊर्जा मॉनिटर, ब्रेक सिस्टम, चाहे हो या न हो व्यक्तिगत रूप से पूर्व-असेंबल, के साथ -</p>			

		<p>(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-असेंबली में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगा हुआ है</p> <p>(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-असेंबली में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर माउंट नहीं किया गया है</p> <p>(2) ऊपर दिए गए (1) फॉर्म में से भिन्न</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b> - संदेहों के निवारण के लिए, इस प्रविष्टि के मद (1)(क) और (1)(ख) में निहित छूट उपलब्ध होगी, भले ही एक पूर्ण वाहन के संयोजन के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजनों में से एक या अधिक किट में आयातित न हों, परन्तु प्रस्तुत किट, व्याख्या के सामान्य नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8711 के अंतर्गत वर्गीकृत हो</p>	15%	-	-
			25%	-	-
			50%	-	-
330.	8714 91 00, 8714 92, 8714 93, 8714 94 00, 8714 95, 8714 96 00, 8714 99	साइकिल के पुर्जे और घटक से भिन्न सभी सामान	15%	-	-

331.	39,40,58,70, 72,73,83,84, 85,87,90	सूची 19 में निर्दिष्ट वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स/घटक, उप-प्रणालियाँ और टायर, जब परीक्षण और/या प्रमाणन के उद्देश्य से सूची 20 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा आयात किए जाते हैं:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	37
332.	88	ग्लाइडर, या हवाई जहाज के सिमुलेटर या सिमुलेटर हेलीकॉप्टरों का	शून्य	-	-
333.	88 या कोई अन्य अध्याय	ग्लाइडर के पुर्जे या विमान के सिमुलेटर (ग्लाइडर के रबर टायर और ट्यूब को छोड़कर):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3 और 38
334.	88 या कोई अन्य अध्याय	कच्चा माल -  (i) शीर्ष 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा रिकॉर्डर के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित विमान को छोड़कर)  (ii) विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए (i):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
335.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8802 विमान के जिसमें शामिल इंजन के घटक या भाग-  (i) शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले विमानों के निर्माण के लिए (टेलीविजन	शून्य	-	3 और 39

		<p>कैमरा, डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा रिकॉर्डर के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित विमान को छोड़कर)</p> <p>(ii) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आयातित (i) विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
336.	88 या कोई अन्य अध्याय	<p>रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए पुर्जे, परीक्षण उपकरण, औजार और टूल-किट</p> <p>(i) शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले विमान (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा रिकॉर्डर के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित विमान को छोड़कर) या</p> <p>(ii) ऐसी गतिविधियों में लगी इकाइयों द्वारा शीर्षक 8802 विमानों के जिसमें शामिल इंजन के घटक या भाग:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	40
337.	8802 (8802 60 00 के अलावा)	<p>सभी सामान:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	41
338.	8807	<p>विमान के घटक या भाग, जिनमें इंजन भी शामिल हैं शीर्षक 8802 के:</p>	शून्य	-	42

		परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
339.	88 या कोई अन्य अध्याय	(क) उपग्रह और पेलोड; (ख) (क) के परीक्षण के लिए लाए गए जमीनी उपकरण; (ग) उपग्रह जिसमें शामिल के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन, इसके पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	43
340.	88 या कोई अन्य अध्याय	प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण, सहायक उपकरण, पुर्जे, घटक, स्पेयर, उपकरण, मॉक अप और मॉड्यूल, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	5%	44
341.	8802 (8802 60 00 के अलावा)	सभी सामान: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	45
342.	8802 (8802 60 00 के अलावा)	सभी सामान: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	46
343.	8802 (8802 60 00 के अलावा)	सभी सामान: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	2.5%	-	47
344.	8802 20 00,	जो क्रम संख्या 337, 341, 342 और 343 के	2.5%	-	-

	8802 30 00, 8802 40 00	अंतर्गत आते हैं से भिन्न सभी सामान			
345.	कोई भी अध्याय	विमान के पुर्जे (रबर ट्यूब से भिन्न), शीर्षक 8802: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	17
346.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित में से किसी भी मैनुअल में निर्धारित घटक या भाग: -  (i) विमान रखरखाव मैनुअल (एएमएम); (ii) घटक रखरखाव मैनुअल (सीएमएम); (iii) इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग (आईपीसीएल); (iv) संरचनात्मक मरम्मत मैनुअल (एसआरएम); या (v) ओईएम की मानक प्रक्रिया मैनुअल (एसपीएम), जब सर्विसिंग, मरम्मत, रखरखाव या ओवरहालिंग के लिए भारत में आयात की जाती है, तो संबंधित शर्तों को पूरा करने के अधीन, जिसकी शर्त संख्या क्रम संख्या 336, 338 या 345 के सामने कॉलम (6) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित है	-	5	-
347.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8802 या 8806 श्रेणी के विमानों के पुर्जे (रबर टायर और ट्यूब से भिन्न) (टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा रिकॉर्डर के रूप में प्रयुक्त मानवरहित विमानों को छोड़कर)	2.5%	-	-
348.	कोई भी अध्याय	शीर्षक 8802 विमान के पुर्जे (रबर ट्यूब से भिन्न): परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात	शून्य	-	18

		31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
349.	88 या कोई अन्य अध्याय	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के तहत भारत में आयातित विमान, विमान इंजन और अन्य विमान भाग	-	शून्य	48
350.	89	आयातित माल की अधिक तेजी से उतराई और निर्यात माल की लदाई के लिए जहाजों के साथ आयातित बजरे या पॉटून  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	49
351.	89 या कोई अन्य अध्याय	जहाज मरम्मत इकाई द्वारा समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए पूंजीगत सामान और उनके पुर्जे, कच्चा माल, भाग, सामग्री हैंडलिंग उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं।  <b>स्पष्टीकरण:</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "समुद्री जहाज" में शामिल हैं-  (i) लाइनर; विभिन्न प्रकार के मालवाहक जहाज जिसमें शामिल मांस, फल या इसी तरह के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटर जहाज, विशेष वस्तुओं (अनाज, कोयला, अयस्क या इसी तरह) के परिवहन के लिए निर्दिष्ट जहाज; टैंकर (पेट्रोल, शराब या इसी तरह); नौका और अन्य नौकायन जहाज; केबल जहाज; बर्फ तोड़ने वाले जहाज; सभी प्रकार के तैरते कारखाने (व्हेल प्रसंस्करण, मछली संरक्षण या	शून्य	-	3

		<p>इसी तरह के लिए) व्हेल पकड़ने वाले; ट्रॉलर और अन्य मछली पकड़ने वाले जहाज; जीवन रक्षक नौकाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज; मौसम जहाज; बोया के परिवहन या मूरिंग के लिए जहाज; पायलट-बोट; ड्रेज्ड सामग्री या इसी तरह के निपटान के लिए हॉपर बार्ज;</p> <p>(ii) सभी प्रकार के युद्ध पोत जिसमें शामिल पनडुब्बियां;</p> <p>(iii) टग, ड्रेजर, फायर-फ्लोट और बचाव जहाज; और</p> <p>(iv) तेल रिग, ड्रिलिंग जहाज और जैक-अप रिग:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>			
352.	89 या कोई भी अध्याय	<p>भारत में पंजीकृत समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	50
353.	8901	<p>सभी सामान ( जहाज और अन्य अस्थायी संरचनाएं जिन्हें तोड़ने के लिए आयात किया जाता है को छोड़कर):</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	51
354.	8901	<p>तटीय यात्रा के लिए परिवर्तित विदेशी जहाज:</p> <p>परन्तु ऐसा जहाज ऐसे रूपांतरण की तारीख से छह महीने के भीतर विदेश जाने वाले जहाज में पुनः परिवर्तित हो जाता है</p>	-	शून्य	-

		<p><b>स्पष्टीकरण.-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,</p> <p>(क) "विदेश जाने वाले जहाज" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 के खंड (21) के तहत उसे दिया गया है।</p> <p>(ख) "तटीय पोत में रूपांतरण" में मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त पोत शामिल होगा</p>			
355.	8902, 8904 00 00, 8905 90	<p>सभी सामान (जहाज और अन्य अस्थायी संरचनाएं जिन्हें तोड़ने के लिए आयात किया जाता है को छोड़कर):</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	51
356.	8906	<p>सभी सामान (जहाज और अन्य तैरते हुए संरचनाएं जिन्हें तोड़ने के लिए आयात किया जाता है को छोड़कर):</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	51
357.	8908 00 00	<p>सभी सामान:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2035 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	-
358.	89	<p>केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के तहत तेल या गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए आयातित रिग और सहायक वस्तुएं</p>	-	शून्य	48

359.	कोई भी अध्याय	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के तहत आयातित सभी सामान, जहाज, पोत [मोटर वाहन से भिन्न]	-	शून्य	48
360.	89	केबल बिछाने या मरम्मत सेवाएँ के लिए जहाज/वाहन भारतीय सीमा जल क्षेत्र में	-	शून्य	52
361.	कोई भी अध्याय	<p>(i) शीर्षक /टैरिफ मद 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (टैरिफ मद 8905 20 00 को छोड़कर) या 8906 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल, घटक, उपभोग्य वस्तुएं या भाग;</p> <p>(ii) टैरिफ मद 890610 00 के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण के संबंध में उपयोग किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स;</p> <p>(iii) टैरिफ मद 890610 00 के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण में आवश्यक मुद्रित या डिजिटल रूप में तकनीकी दस्तावेज</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना संख्या <b>50/2017-</b> सीमा शुल्क की क्रम संख्या <b>558</b> के अंतर्गत पहले से आयातित कच्चे माल और भागों के मामले में, -</p> <p>(क) इकाई सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का</p>	शून्य	-	3

		<p>आयात) नियम, 2022 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क उप आयुक्त या सहायक आयुक्त को एक अलग बॉन्ड प्रस्तुत करेगी, जिसमें ऐसे माल का ब्यौरा दिया जाएगा और साथ ही शीर्ष/टैरिफ मद 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (टैरिफ मद 8905 20 00 को छोड़कर) या 8906 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उसका उपयोग करने का वचन देगी; और</p> <p>(ख) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसे माल का उपयोग करने में विफलता की स्थिति में, इकाई मांग पर, ऐसे माल पर देय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करेगी, लेकिन इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए:</p> <p>परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2035 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
362.	कोई भी अध्याय	ट्रेजर की मरम्मत के लिए पुर्जे	शून्य	-	-
363.	90	हृदय कैथेटर के साथ उपयोग के लिए कोरोनरी स्टेंट और कोरोनरी स्टेंट सिस्टम	शून्य	-	-
364.	90	एंडोवैस्कुलर स्टेंट	शून्य	-	-
365.	9019 10 20, 9022 90 10, 9022 90 30	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए आवश्यक माल	5%	-	-
		<b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, शब्द "माल" केवल चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत			

		चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों या उपकरणों को संदर्भित करता है और इसके भागों और स्पेयर्स को संदर्भित नहीं करता है।			
366.	9018 90 99 या 9022 (सिवाय 9022 90 10 या 9022 90 30)	सभी सामान, निम्नलिखित, से भिन्न -  (i) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनें (9022 14 20 या 9022 14 90);  (ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -  (क) स्थैतिक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (9018 90 99);  (ख) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);  (ग) वर्टिकल बकी (9022 90 90);  (घ) एक्स-रे ट्यूब सस्पेंशन (9022 90 90);  (ङ) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (>25किलोहर्ट्ज़) (9022 14 10)  (च) एक्स-रे ग्रिड (9022 90 90);  (छ) मल्टी लीफ कोलिमेटर/ आइरिस (9022 29 00 या 9022 90 90).  (ज) फ्लैट पैनल डिटेक्टर, जिसमें शामिल सिंटिलेटर (9022 90 90);  (झ) एक्स-रे ट्यूब (9022 30 00)	7.5%	-	-

367.	9022 14 10	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (>25किलोहर्ट्ज़, >=500mA) (9022 14 20 या 9022 14 90)	10%	-	3
368.	9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (9022 14 20 या 9022 14 90), अर्थात्: - (i) वर्टिकल बकी; (ii) एक्स-रे ट्यूब सस्पेंशन; (iii) एक्स-रे ग्रिड;	10%	-	3
369.	9022 29 00, 9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए मल्टी लीफ कोलिमेटर/आइरिस (9022 14 20 या 9022 14 90)	10%	-	3
370.	9022 30 00	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब (9022 14 20 या 9022 14 90):  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	7.5%	-	3
371.	9022 30 00	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब (9022 14 20 या 9022 14 90):	10%	-	3

		परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 अप्रैल, 2026 से पहले प्रभावी नहीं होगी			
372.	9022 90 90	फ्लैट पैनल डिटेक्टर, जिसमें शामिल सिंटिलेटर, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए (9022 14 20 या 9022 14 90):  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	7.5%	-	3
373.	9022 90 90	फ्लैट पैनल डिटेक्टर, जिसमें शामिल सिंटिलेटर, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए (9022 14 20 या 9022 14 90):  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 अप्रैल, 2026 से पहले प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3
374.	90 या कोई अन्य अध्याय	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग (9022 14 20 या 9022 14 90) के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुओं के अलावा, शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021, या 9022 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल, भाग या सहायक उपकरण, अर्थात्-  (i) स्थैतिक उपयोगकर्ता इंटरफेस (9018 90 99);	2.5%	-	3

		<p>(ii) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);</p> <p>(iii) वर्टिकल बकी (9022 90 90);</p> <p>(iv) एक्स-रे ट्यूब सर्पेशन (9022 90 90);</p> <p>(v) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (&gt;25KHz) (9022 14 10)]</p> <p>(vi) एक्स-रे ग्रिड (9022 90 90);</p> <p>(vii) मल्टी लीफ कोलिमेटर/ आइरिस (9022 29 00 या 9022 90 90</p> <p>(viii) मेडिकल ग्रेड मॉनिटर (8528 59 00);</p> <p>(ix) फ्लैट पैनल डिटेक्टर, जिसमें शामिल सिंटिलेटर (9022 9090);</p> <p>(x) एक्स-रे ट्यूब (9022 30 00)</p>			
375.	कोई भी अध्याय	<p>कोरोनरी स्टेंट / कोरोनरी स्टेंट प्रणाली और कृत्रिम हृदय वाल्व के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब और तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब, हेनेस मिश्र धातु- 25 और पॉलीप्रोपाइलीन जाल: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	3
376.	कोई भी अध्याय	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <p>(i) कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी, यूरेटेरोस्टॉमी, इलियाक कंडिट यूरोस्टॉमी स्टोमा मामलों के प्रबंधन के लिए ओस्टोमी उत्पाद (उपकरण) जैसे बैग, बेल्ट, चिपकने वाले सील या डिस्क या रोल, चिपकने वाला रिमूवर, बैग क्लोजिंग क्लैप, कराया सील पेस्ट या पाउडर, सिंचाई सेट, प्लास्टिक या रबर फेसप्लेट, फ्लैज, पुरुष या महिला मूत्र असंयम सेट, त्वचा जेल, भागों या सेट में;</p>	5%	-	-

		(ii) (i) में चिकित्सा उपकरणों के सहायक उपकरण;	5%	-	-
		(iii) (i) में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक भाग : परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
377.	90 या कोई अन्य अध्याय	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, तंत्र और उपकरण जिसमें शामिल स्पेयर पार्ट्स और उसके सहायक उपकरण: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	53
378.	90 या कोई भी अध्याय	कृत्रिम हृदय (बाएं निलय सहायक उपकरण)	शून्य	-	-
379.	90 या कोई भी अध्याय	पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस / एट्रियल सेप्टल दोष अवरोधन उपकरण	5%	-	-
380.	90 या कोई अन्य अध्याय	(i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: (क) बैसाखियाँ; (ख) व्हीलचेयर; (ग) चलने के लिए फ्रेम; (घ) तिपहिया साइकिल; (ङ) ब्रेलर; (च) कृत्रिम अंग	शून्य	-	-

		(ii) (i) पर माल के भाग	शून्य	-	-
381.	90 या कोई भी अन्य अध्याय	श्रवण यंत्रों के (जिसमें बधिर सहायक उपकरण शामिल है) निर्माण के लिए पुर्जे	शून्य	-	-
382.	90 या कोई अन्य अध्याय	अस्पताल उपकरण (उपकरण, तंत्र और उपकरण, जिसमें शामिल स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण इसके अलावा, निर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए को छोड़कर उपभोज्य वस्तुएं):  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	54
383.	90 या कोई भी अन्य अध्याय	रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) और परीक्षण स्ट्रिप्स	5%	-	-
384.	90 या कोई अन्य अध्याय	जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण जिसमें शामिल सहायक उपकरण या स्पेयर पार्ट्स या व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऐसे उपकरण दोनों:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	5%	-	55
385.	90 या कोई भी अन्य अध्याय	सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और अन्य विकलांगों के लिए सामान, सूची 21 में निर्दिष्ट	शून्य	-	-
386.	कोई भी अध्याय	कोकलीयर इम्प्लांट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल, पुर्जे या सहायक उपकरण:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
387.	9022	एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली और पुर्जे उसके:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात	शून्य	-	56

		31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
388.	90 या कोई अन्य «पीएच0»	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन / प्रणाली:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	57
389.	9028 30	स्मार्ट मीटर के अलावा सभी सामान	10%	-	-
390.	9031 80 00	जो निम्नलिखित सामान में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, से भिन्न सभी सामान -  (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन;  (ii) शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाली मोटर कारें; या  (iii) शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाली मोटर साइकिलें	7.5%	-	-
391.	91 या 9804 90 00	ब्रेल घड़ियाँ और ब्रेल एक दिवसीय अलार्म घड़ियाँ	शून्य	-	-
392.	91	ब्रेल घड़ियों के निर्माण के लिए ब्रेल घड़ियों के पुर्जे और केस:  परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	3
393.	93	0.177 कैलिबर की एयर राइफलें या एयर पिस्तौल	शून्य	-	-
394.	93	0.177 कैलिबर की एयर राइफलों या एयर पिस्तौलों के एयर छर्रे	शून्य	-	-
395.	9405 50 00	सौर लालटेन या सौर लैंप	15%	-	-
396.	9503 00 91	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक	20%	-	3

		खिलौनों के पुर्जे: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
397.	9504	वीडियो गेम के निर्माण के लिए वीडियो गेम के पुर्जे: परंतु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	3
398.	9608	लेखन उपकरणों के भाग	5%	-	-
399.	कोई भी अध्याय	डाक टिकट, अप्रयुक्त	शून्य	-	-
400.		सभी सामान (किसी भी अल्कोहलिक क्षमता का अविकृत एथिल अल्कोहल को छोड़कर) निम्नलिखित में उपयोग हेतु: - (i) प्रयोगशाला; या (ii) अनुसंधान और विकास उद्देश्यों	10%	-	58
401.	9804	व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्:- (i) सूची 3 में निर्दिष्ट जीवनरक्षक दवाएं या औषधियां (जिसमें शामिल डायग्नोस्टिक टेस्ट किट); (ii) अन्य जीवनरक्षक दवाएं या औषधियां  (iii) स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या इयूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार हेतु जीवनरक्षक औषधियाँ, अर्थात्- (क) ज़ोलगेन्समा (ओनासेमनोजेनएबेपार्व ओवेक) (ख) विल्टेप्सो (विल्टोलार्सन) (ग) उक्त रोगों के उपचार हेतु कोई अन्य औषधि	शून्य  शून्य  शून्य	-  -  शून्य	-  59  59

		(iv) कैंसर के उपचार में प्रयुक्त दवा डिनटुक्सिमैब (क्वार्ज़िबा):  परंतु कि इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	59
402.	9804	व्यक्तिगत उपयोग के लिए जीवनरक्षक दवाएँ/औषधियां, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की जाती हैं:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	60
403.	9804	विशेष प्रयोजनों के लिए दवाएं, औषधियां या भोजन चिकित्सा प्रयोजन (एफएसएमपी) जो कि सूची 22 में निर्दिष्ट दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	61
404.	9804	व्यक्तिगत उपयोग के लिए अभिप्रेत सभी वस्तुएं, तथा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (22 या 1992) के अंतर्गत आयात के संबंध में किसी भी निषेध से छूट प्राप्त, लेकिन जो शीर्ष 9803 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर	10%	-	-
405.	9804	डाक या हवाई मार्ग से आयातित वास्तविक उपहार, जिनकी सीआईएफ मूल्य सीमा 5000 रुपए तक है और जिन्हें विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत आयात	शून्य	शून्य	-

		के संबंध में किसी भी निषेध से छूट प्राप्त है			
406.	कोई भी अध्याय	<p>किसी मृत व्यक्ति से संबंधित प्रयुक्त वास्तविक व्यक्तिगत और घरेलू सामान, जैसा कि संबंधित भारतीय मिशन से प्रमाणित है, मृत व्यक्ति द्वारा माल के स्वामित्व के बारे में और सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से माल की निकासी के समय प्रस्तुत किया जाता है:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	86
407.	कोई भी अध्याय	डाक पार्सल, पैकेट और पत्रों के माध्यम से आयातित माल, जिसका सीआईएफ मूल्य प्रति खेप एक हजार रुपये से अधिक नहीं है	शून्य	शून्य	-
408.	कोई भी अध्याय	<p>निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात्: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) नायलॉन आंत</li> <li>2) हॉकी स्टिक के लिए PU या नायलॉन ग्लिप शीट</li> <li>3) फुलाने योग्य गेंदों के लिए ब्यूटाइल ब्लैडर</li> <li>4) विलो क्लेफ्ट्स, विलो, ऐशवुड या बीचवुड</li> <li>5) कॉर्क बॉटम्स</li> <li>6) फुलाने योग्य गेंदों के लिए पीवीसी/सिंथेटिक रबर ब्लैडर</li> <li>7) मनौ बेंत</li> <li>8) टेबल टेनिस रबर</li> <li>9) टेबल टेनिस बल्ले के हैंडल</li> <li>10) टेबल टेनिस ब्लेड</li> <li>11) टीपीयू/पीयू चमड़े का कपड़ा या कपास के साथ</li> </ol>	शून्य	-	62

		<p>लेमिनेटेड टीपीयू/पीयू, फुलाने योग्य गेंदों के लिए</p> <p>12) एक्स्ट्रा टेक (क्रिकेट बैट फेसिंग टेप)</p> <p>13) मिश्रित हॉकी स्टिक के लिए रेज़िन हार्डनर टीटीपी-33एस और रिलीज पेपर;</p> <p>14) टेबल टेनिस गेंद;</p> <p>15) सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे लेग गार्ड, जांघ गार्ड के लिए इवाज़ोट फोम;</p> <p>16) कैरम बोर्ड के लिए प्लाईवुड</p> <p>17) फुलाने योग्य गेंदों या खेल के दस्तानों के लिए पीवीसी चमड़े का कपड़ा</p> <p>18) शिन गार्ड या गोलकीपर दस्ताने या अन्य खेल दस्ताने के लिए लेटेक्स फोम</p> <p>19) शिन गार्ड या खेल दस्ताने के लिए पीईवीए/ईवीए पन्नी</p> <p>20) फुलाने योग्य गेंदों या खेल के दस्ताने के लिए सिलाई धागा</p> <p>21) फुलाने योग्य गेंदों या खेल के दस्तानों के लिए मुद्रण स्याही</p> <p>22) देवदार की लकड़ी</p> <p>23) फोम/ईवीए फोम:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>			
409.	कोई भी अध्याय	<p>नमूने जो वाणिज्यिक नमूनों और विज्ञापन सामग्री के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए जिनेवा में तैयार किए गए और 7 नवंबर, 1952 के अंतर्राष्ट्रीय</p>	शून्य	शून्य	-

		कन्वेंशन के तहत और उसके अनुसार आयात शुल्क से मुक्त हैं			
410.	कोई भी अध्याय	मूल्य सूचियां वाणिज्यिक नमूनों और विज्ञापन सामग्री मूल्य सूचियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा वाणिज्यिक नमूनों और विज्ञापन सामग्री के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए जिनेवा में तैयार किए गए और दिनांक 7 नवंबर, 1952 के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार आयात शुल्क से मुक्त हैं	शून्य	शून्य	-
411.	कोई भी अध्याय	वाणिज्यिक नमूने	शून्य	शून्य	63
412.	कोई भी अध्याय	निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए या उनके प्रयोग हेतु नमूने के रूप में आयातित इंजीनियरिंग वस्तुओं के प्रोटोटाइप	शून्य	शून्य	64
413.	कोई भी अध्याय	प्रामाणिक वाणिज्यिक नमूने और प्रोटोटाइप	शून्य	शून्य	65
414.	कोई भी अध्याय	टिकाऊ प्रकृति के कंटेनर: <b>स्पष्टीकरण-</b> आयात के समय कंटेनर पर पहले से लगा हुआ टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डाटा लॉगर जैसा उपकरण भी इस अधिसूचना के अंतर्गत उक्त कंटेनर के लिए उपलब्ध सीमाशुल्क और एकीकृत कर से छूट के लिए पात्र होगा	शून्य	शून्य	87
415.	कोई भी अध्याय	मशीनरी की सभी वस्तुएं, जिसमें शामिल प्राइम मूवर्स, उपकरण, तंत्र और उपकरण, नियंत्रण गियर और ट्रांसमिशन उपकरण, और सहायक उपकरण (जिसमें शामिल जो परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं) और घटक, जो गैर-पारंपरिक सामग्रियों, अर्थात् कृषि, वानिकी, कृषि-औद्योगिक,	5%	-	66

		<p>औद्योगिक, नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट या पोल्ट्री कूड़े का उपयोग करके बिजली उत्पादन या संपीड़ित जैव-गैस (बायो-सीएनजी) के उत्पादन के लिए एक परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक हैं:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।</p>			
416.	कोई भी अध्याय	<p>निम्नलिखित माल, जब तालिका I में संलग्न सूची 23 के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किसी नामित एयरलाइन द्वारा भारत में आयात किया जाता है और उक्त सूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किसी देश में पंजीकृत या निगमित होता है:</p> <p>(i) मुद्रित टिकट स्टॉक</p> <p>(ii) एयरवे बिल</p> <p>(iii) कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर आयातक एयरलाइन का प्रतीक चिन्ह मुद्रित हो जिसमें शामिल बैगेज टैग</p> <p>(iv) निःशुल्क वितरण हेतु प्रचार सामग्री</p>	शून्य	शून्य	-
417.	कोई भी अध्याय	<p>किसी भी कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए आयात किए जाने वाले उपकरण, यंत्र, कच्चा माल, घटक, पायलट प्लांट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	67
418.	कोई भी अध्याय	<p>किसी संस्था (जिसमें शामिल एक पंजीकृत सहकारी समिति) द्वारा अंधे और बधिरों के लिए भारत में आयात किए जाने पर निम्नलिखित सामान:</p>	शून्य	-	68

		<p>(i) दृष्टिहीनों के लिए सभी मूर्त उपकरण;</p> <p>(ii) बधिरों की शिक्षा के लिए श्रवण यंत्र और अन्य दृश्य-श्रव्य साधन;</p> <p>(iii) अंधे और बधिरों के लिए व्यावसायिक सहायता;</p> <p>(iv) अंधे और बधिरों को प्रशिक्षण देने या निर्देश देने के उद्देश्य से आवश्यक उपकरण, उपकरण, मशीनरी और उनके पुर्जे या घटक भाग या सहायक उपकरण;</p> <p>(v) बोलने वाली पुस्तकें चलाने के लिए फोनोग्राफ और कैसेट प्लेयर, बोलने वाली पुस्तकों के उत्पादन के लिए चुंबकीय टेप और कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मशीन, टेलीविजन एन्लार्जर और ऑप्टिकल एड्स:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
419.	कोई भी अध्याय	<p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयातित शैक्षिक सामग्री के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो कैसेट और वीडियो टेप:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	69
420.	कोई भी अध्याय	<p>विश्वविद्यालय या उच्चतर या उन्नत तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रम के साथ रिकॉर्ड किए गए और विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान द्वारा आयातित वीडियो कैसेट और वीडियो टेप:</p>	शून्य	-	70

		परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
421.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित सामान:  (i) खुले समुद्र में अनुसंधान में लगे जहाजों पर ले जाए जाने वाले उपकरण; और  (ii) उच्च समुद्र पर ऐसे जहाजों द्वारा एकत्रित बहुधात्विक पिंड  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	71
422.	कोई भी अध्याय	निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए नमूने, मॉडल, दीवार चित्र और आरेख	शून्य	-	
423.	कोई भी अध्याय	भारतीय कलाकारों और मूर्तिकारों द्वारा विदेशों में निर्मित कलाकृतियाँ, चाहे वे ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों के भारत लौटने पर आयातित हों या ऐसे कलाकारों या मूर्तिकारों द्वारा भारत लौटने के बाद आयातित हों:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	-
424.	कोई भी अध्याय	पुस्तकें, जो एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	72
425.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित सामान: -  (i) खेल सामग्री, खेल उपकरण, खेल संबंधी आवश्यक वस्तुएं, जिसमें शामिल सिंथेटिक खेल सतहें, फिटनेस उपकरण, खेल चिकित्सा, खेल परिधान;	शून्य	-	73

		(ii) उपरोक्त (i) के अंतर्गत आने वाले माल से संबंधित पुर्जे, सहायक उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
426.	कोई भी अध्याय	सूची 24 में उल्लिखित खेल सामग्री:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	74
427.	कोई भी अध्याय	सूची 29 में उल्लिखित खेल सामग्री	-	शून्य	74
428.	कोई भी अध्याय	भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा भारत में आयातित सूची 25 में निर्दिष्ट सामान:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	75
429.	कोई भी अध्याय	मिट्टी के पक्षी  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	-
430.	कोई भी अध्याय	सूची 26 में निर्दिष्ट माल का आयात  (i) राज्य राइफल एसोसिएशन; या (ii) जिला राइफल एसोसिएशन जो राज्य राइफल एसोसिएशन द्वारा नियंत्रित है या उससे संबद्ध है:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	76
431.	कोई भी अध्याय	एयर राइफल्स/पिस्तौल - 0.177 कैलिबर:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	77

432.	कोई भी अध्याय	सूची 27 में निर्दिष्ट डोपिंग रोधी और डोप परीक्षण संबंधी उपकरण, जिन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा भारत में आयात किया जाता है:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	78
433.	कोई भी अध्याय	आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी।	50%		79
434.	कोई भी अध्याय	चैलेंज कप और ट्रॉफियां:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	80
435.	कोई भी अध्याय	पदक और ट्रॉफियां:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	81
436.	कोई भी अध्याय	भारतीय टीम के किसी भी सदस्य द्वारा जीते गए पुरस्कार:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	82
437.	कोई भी अध्याय	ट्रॉफी, जब केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ या किसी भी समय लागू कानून के तहत पंजीकृत किसी भी खेल निकाय द्वारा भारत में आयात की जाती है, तो भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जिसमें शामिल द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप आयोजन में विजेता टीम को प्रदान की जाती है:	शून्य	शून्य	83

		परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2028 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
438.	कोई भी अध्याय	<p>वस्तुएं और उनके घटक भाग, जब उन्हें क्रमशः दोषपूर्ण वस्तुओं या उनके घटक भागों के प्रतिस्थापन के लिए आयात किया जाता है:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	84
439.	कोई भी अध्याय	<p>खाद्य पदार्थ और रसद (फल उत्पाद, शराब और तंबाकू को छोड़कर), जब भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में आयात किया जाता है, जो भारत का नागरिक नहीं है:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(i) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में आयातित ऐसे खाद्य पदार्थों और प्रावधानों का कुल सीआईएफ मूल्य 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगा; और</p> <p>(ii) आयातक विदेशी देश में उपलब्ध निधियों से ऐसे खाद्य पदार्थों और प्रावधानों के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा सुरक्षित करता है:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	-
440.	कोई भी अध्याय	<p>मशीनरी की सभी वस्तुएँ, जिनमें उपकरण, यंत्र और उपकरण, ट्रांसमिशन उपकरण और सहायक उपकरण (परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण सहित) और घटक शामिल हैं, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हैं: -</p>	5%	-	85

	<p>(i) विद्युत उत्पादन या प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना; या</p> <p>(ii) बायो-गैस या बायो-मीथेन या उप-उत्पाद हाइड्रोजन पर चलने वाली प्रणालियों का संतुलन:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
--	--	--	--	--

### स्पष्टीकरण.-

(I) इस तालिका I के प्रयोजनों के लिए, उक्त तालिका के स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में निर्दिष्ट दर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, यथामूल्य दर है;

(II) शंकाओं के निवारण हेतु, -

(क) स्तंभ (4) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अनुसार माल पर लगने वाला मूल सीमा शुल्क है।

(ख) स्तंभ (5) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार माल पर लगने वाला एकीकृत माल और सेवा कर है, जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित तत्समय प्रवृत्त माना जाता है।

(III) क्रम संख्या 162 और 361 के विरुद्ध प्रविष्टियों में 2 फरवरी, 2021 से किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 2017 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, इसमें पहले किए गए आयातों के संबंध में लंबित कार्रवाई, यदि कोई हो, को पूरा करेंगे।

**तालिका I का अनुलग्नक**

शर्त नं.	शर्त
1.	<p>यदि आयात के समय, -</p> <p>(क) (क) आयातक, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी दिनांक 22 फरवरी, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एल-110109(3)/1/2016-व्यापार (ई-2625) के अनुसार, नामित अधिकारी से, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित माल बत्तखों का मांस और खाद्य ओफल, फ्रोज़न (फ्रोज़ेन बत्तखों की पीठ के अलावा) हैं, जो उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हैं; और</p> <p>(ख) आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करता है, -</p> <p>i. पर्यटन मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के पद से या उससे ऊपर के अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह सिफारिश की गई हो कि आयातक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3-स्टार और उससे ऊपर का संचालित होटल है, जैसा कि संशोधित है, या</p> <p>ii. संशोधित डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 66/2023, दिनांक 06 मार्च, 2024 के तहत जारी वैध प्रतिबंधित आयात प्राधिकरण।</p>
2.	यदि आयातित माल का उपयोग करके निर्मित वस्तुओं को आयातक द्वारा उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से छह महीने के भीतर निर्यात किया जाता है।
3.	यदि आयातक सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।
4.	यदि आयातक यह घोषणा करता है कि ऐसी सामग्री केवल बुवाई या रोपण के प्रयोजन के लिए है।
5.	अगर, -

	<p>(i) माल का आयात समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यातक द्वारा निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए किया जाता है और उक्त निर्यातक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के साथ पंजीकृत है;</p> <p>(ii) आयातित माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा; और</p> <p>(iii) आयातक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो उपर्युक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य को प्रमाणित करता है, तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अंतर्गत पहले से आयातित माल के मूल्य और मात्रा को भी प्रमाणित करता है।</p> <p>परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जो 31 मार्च, 2020 की अवधि तक थी, को उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट माल के अप्रयुक्त मूल्य और मात्रा के आयात के लिए 20 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा।</p>
6.	<p>यदि आयातक आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के उप सचिव के पद से उससे ऊपर के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश की गई हो और यह कहा गया हो कि माल, निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है।</p>
7.	<p>यदि आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, खनन कंपनी द्वारा जारी किया गया परख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें संरचना का विवरण दिया गया हो।</p>
8.	<p>अगर, -</p> <p>(i) बंकर ईंधन उन जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए आयात किया जाता है जो</p>

	<p>मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के तहत पंजीकृत हैं और जिन पर केवल भारतीय ध्वज फहराया जाता है;</p> <p>(ii) ऐसे जहाज या जलयान दो या अधिक भारतीय बंदरगाहों (जिसमें एक मध्यवर्ती विदेशी बंदरगाह भी शामिल है) के बीच माल ले जाते हैं;</p> <p>(iii) ऐसे जहाज या जलयान ऐसे बंदरगाहों के बीच कंटेनरयुक्त माल अर्थात् निर्यात-आयात माल या खाली कंटेनर या घरेलू माल ले जाते हैं;</p> <p>(iv) ऐसे जहाज या जलयान, यात्रा के प्रत्येक चरण में, जैसा भी मामला हो, आयात मैनिफेस्ट (आईजीएम) या निर्यात मैनिफेस्ट (ईजीएम) दाखिल करते हैं।</p> <p>(v) ऐसे जहाज या जलयान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत आयात मैनिफेस्ट (आईजीएम) या निर्यात मैनिफेस्ट (ईजीएम) के अलावा, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास कार्गो से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल नहीं करते हैं;</p> <p>(vi) पोत का मास्टर या उसका प्राधिकृत एजेंट और आयातक, यथास्थिति, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को इस अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक बंकर ईंधन की मात्रा बताते हुए एक घोषणा-सह-वचन प्रस्तुत करेंगे, जो किसी वर्गीकरण सोसायटी द्वारा जारी ईंधन की खपत दर को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज पर आधारित होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ (आईएसीएस) का सदस्य हो और पोत द्वारा अपनी यात्रा के दौरान तय की जाने वाली प्रस्तावित दूरी हो;</p> <p>(vii) पोत का मास्टर या उसका प्राधिकृत एजेंट और आयातक, यथास्थिति, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को एक वचन प्रस्तुत करेंगे कि यदि वह उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी पालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे माल पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि, यदि उसमें निहित छूट न हो, उस पर लागू ब्याज सहित, अदा करेगा।</p>
9.	विद्युत उत्पादक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में क्षेत्राधिकार

	<p>प्राप्त विकास आयुक्त से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त विद्युत उत्पादक द्वारा विद्युत संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव में प्रयुक्त कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के लिए सीमा शुल्क और माल एवं सेवा कर, साथ ही ईंधन-परिवहन संबंधी माल एवं सेवा कर का कोई लाभ नहीं लिया गया है।</p>
10.	<p>यदि माल का आयात निम्नलिखित द्वारा किया जाता है: -</p> <p>(i) सूची 28 में सूचीबद्ध उत्कृष्टता केंद्र; या</p> <p>(ii) सूची 28 में सूचीबद्ध किसी उत्कृष्टता केंद्र की सिफारिश पर कोई व्यक्ति या संस्था, यह प्रमाणित करते हुए कि वह व्यक्ति (नाम सहित) जिसके लिए विशेष चिकित्सा प्रयोजनों हेतु औषधियाँ, दवाइयाँ या खाद्य (FSMP) आयात किए जा रहे हैं, किसी दुर्लभ बीमारी (नाम सहित) से पीड़ित है और उसे उक्त दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए इन औषधियों, दवाइयों या विशेष चिकित्सा प्रयोजनों हेतु खाद्य (FSMP) की आवश्यकता है।</p>
11.	<p>यदि, -</p> <p>(i) निर्दिष्ट फार्मास्युटिकल कंपनी के पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत रोगियों को औषधियाँ और दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं;</p> <p>(ii) उक्त फार्मास्युटिकल कंपनी, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को इस आशय का वचन देती है कि -</p> <p>1 वह निम्नलिखित अभिलेख रखेगी: -</p> <p>(क) रोगी का नाम, आयु, लिंग, निवास और संपर्क विवरण;</p> <p>(ख) रोगी और देखभालकर्ता, यदि कोई हो, के वैध पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण की प्रतियाँ, जैसी भी स्थिति हो;</p> <p>(ग) निदान की गई बीमारी और औषधियों और दवाइयों की निर्धारित खुराक;</p> <p>(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित या प्राप्त और उपभोग की गई औषधियाँ और दवाइयाँ;</p>

	<p>2 माल का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा;</p> <p>(iii) उक्त फार्मास्युटिकल कंपनी, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत करती है कि वह, पूर्वोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में, इस अधिसूचना में निहित छूट के बिना ऐसे माल पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर राशि, उस पर लागू ब्याज सहित, अदा करेगी।</p>
12.	<p>यदि आयातक संदर्भ मानक का प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जिस संगठन या संस्था से संदर्भ मानक आयात किया गया है, वह विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा अनुमोदित है।</p>
13.	<p>यदि आयात के समय आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसिंग प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी औषधियों और सामग्रियों की निर्दिष्ट मात्रा का उपयोग नैदानिक परीक्षण में किए जाने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।</p>
14.	<p>यदि आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव के पद से या उससे ऊपर के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि माल की आपूर्ति राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम या फाइलेरिया के विरुद्ध अन्य केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए निःशुल्क की जानी है।</p>
15.	<p>यदि आयातक आयात के समय, सभी मामलों में, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में भारत सरकार के उप सचिव के पद से या उससे ऊपर के अधिकारी से छूट प्रदान करने की सिफारिश करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और उक्त अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है।</p>

16.	<p>यदि आयातित माल का उपयोग करके निर्मित वस्तुओं को आयातक द्वारा उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से बारह महीने के भीतर निर्यात किया जाता है:</p> <p>परन्तु उक्त बारह महीने की अवधि को अधिकारिता प्राप्त आयुक्त द्वारा तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा।</p>
17.	<p>अगर, -</p> <p>(i) विमान की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव के लिए आयातित, जिसका उपयोग अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु कार्गो सेवा, जैसा भी मामला हो, के संचालन के लिए किया जाता है; या</p> <p>(ii) शर्त संख्या 45 के खंड (ii) में उल्लिखित किसी विमान की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव के लिए भागों को भारत में लाया जाता है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" और "अनुसूचित वायु कार्गो सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः शर्त संख्या 45 में दिए गए हैं।</p>
18.	<p>अगर,-</p> <p>(i) एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयातित या खरीदे गए विमानों की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव के लिए आयातित; या</p> <p>(ii) विमानों की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव के लिए आयातित, जिनका उपयोग उड़ान प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए या गैर-अनुसूचितगत (यात्री) सेवा या गैर-अनुसूचितगत (चार्टर) सेवाओं के संचालन के लिए किया जाता है;</p> <p>(iii) उड़ान अंशांकन प्रयोजनों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयातित या खरीदे गए विमानों की सर्विसिंग, मरम्मत या रखरखाव के लिए आयातित</p> <p>(iv) आयातक, आयात के समय, यथास्थिति, सीमा शुल्क उप आयुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को यह वचन देता है कि:-</p>

	<p>(क) आयातित माल का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा; और</p> <p>(ख) वह निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयातित माल का उपयोग करने में विफल रहने की स्थिति में, मांग करने पर उक्त माल पर देय शुल्क, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती, के बराबर रकम का भुगतान करेगा।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b>- "एयरो क्लब ऑफ इंडिया", "ऑपरेटर", "गैर-अनुसूचित (यात्री सेवाएँ" और "गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएँ" जैसे पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः शर्त संख्या 46 या 47 में दिए गए हैं।</p>
19.	<p>अगर,-</p> <p>(क) लकड़ी की लुगदी का आयात अखबारी कागज के निर्माण के लिए किया जाता है, अर्थात् कागज जिसका उपयोग समाचार पत्रों, पुस्तकों और पत्रिकाओं के मुद्रण में किया जाता है; और</p> <p>(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार निर्मित अखबारी कागज किसी समाचार पत्र को आपूर्ति किया जाता है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस शर्त के प्रयोजन के लिए, "समाचार पत्र" का तात्पर्य प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के प्रावधानों के तहत भारत के समाचार पत्र रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत समाचार पत्र से है।</p>
20.	यदि आयातक, आयात के समय, भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) के पास पंजीकृत प्रतिष्ठान है।
21.	यदि आयातक आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है: <p>(i) किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (केपीसीएस) के तहत जारी प्रमाण पत्र;</p> <p>(ii) आयातक से एक वचनबद्धता जिसमें यह कहा गया हो कि आयातित माल, नॉट</p>

	<p>फर्दर वर्कड देन सिम्प्ली सॉन डायमंड, है; और</p> <p>(iii) निर्यातक से एक प्रमाण पत्र, तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि आयातित माल, नॉट फर्दर वर्कड देन सिम्प्ली सॉन डायमंड, है।</p>
22.	<p>अगर,-</p> <p>(क) माल सीधे उस देश से भेजा जाता है जहाँ उसका उत्पादन किया गया था और प्रत्येक बार का वजन 5 किलोग्राम या उससे अधिक होता है;</p> <p>(ख) माल का आयात उस खनन कंपनी द्वारा जारी पैकिंग सूची के अनुसार किया जाता है जिसके द्वारा उसका उत्पादन किया गया था;</p> <p>(ग) आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के समक्ष खनन कंपनी या उससे संबद्ध प्रयोगशाला द्वारा जारी एक परख प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें डोर बार में बहुमूल्य धातु की मात्रा का विस्तृत विवरण दिया जाता है;</p> <p>(घ) सोने की डोर बार का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा 99.5% और उससे अधिक शुद्धता वाली मानक सोने की बार के शोधन और निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है; और</p> <p>(ङ) चांदी की डोर बार का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा 99.9% और उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी की बार के शोधन और निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है।</p>
23.	<p>अगर,-</p> <p>1.</p> <p>(क) शुल्क का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाता है;</p> <p>(ख) आयात की मात्रा प्रति पात्र यात्री एक किलोग्राम सोने और दस किलोग्राम चांदी से अधिक नहीं है; और</p>

	<p>2. सोना या चांदी है, -</p> <p>(क) भारत में आगमन के समय पात्र यात्री द्वारा ले जाया गया, या</p> <p>(ख) क्रम संख्या 194 की मद (i) और (ii) के अंतर्गत सोने की कुल मात्रा एक किलोग्राम से अधिक नहीं है और क्रम संख्या 195 के अंतर्गत चांदी की मात्रा दस किलोग्राम से अधिक नहीं है प्रति पात्र यात्री; और</p> <p>(ग) भारतीय स्टेट बैंक या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के सीमा शुल्क बंधित गोदाम से डिलीवरी ली जाती है, जो शर्त 1 के अधीन है;</p> <p>परन्तु ऐसा पात्र यात्री भारत में आगमन के समय सीमा शुल्क के उचित अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा दाखिल करता है, जिसमें वह ऐसे सीमा शुल्क बंधित गोदाम से सोने या चांदी की डिलीवरी लेने का इरादा घोषित करता है और सीमा शुल्क से निकासी से पहले उस पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करता है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "पात्र यात्री" का अर्थ भारतीय मूल का यात्री या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के तहत जारी वैध पासपोर्ट रखने वाला यात्री है, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत आ रहा है; और छह महीने की उपरोक्त अवधि के दौरान पात्र यात्री द्वारा की गई छोटी यात्राओं, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा यदि ऐसी यात्राओं पर रहने की कुल अवधि तीस दिनों से अधिक नहीं है और ऐसे यात्री ने इस अधिसूचना के तहत छूट का लाभ नहीं उठाया है या ऐसी छोटी यात्राओं के किसी समय अधिक्रान्त की गई अधिसूचना के तहत छूट का लाभ नहीं उठाया है ।</p>
24.	<p>यदि आयातक निकासी के समय और स्थान पर: -</p> <p>(i) आयात किए जा रहे व्ययित उत्प्रेरक या बहुमूल्य धातु युक्त राख में निहित बहुमूल्य धातुओं के प्रतिशत के संबंध में, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क को एक वचन देता है और इस आशय का वचन देता है कि</p>

	<p>उक्त माल बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति के लिए आयात किया जा रहा है।;</p> <p>(ii) यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के समक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण प्रयोजनों के लिए व्ययित उत्प्रेरक या बहुमूल्य धातु युक्त राख के आयात की अनुमति दी गई हो।</p>
25.	<p>यदि आयातक आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में भारत सरकार के उप सचिव के पद से या उससे ऊपर के अधिकारी से इस छूट के अनुदान की सिफारिश करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और उक्त अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है।</p>
26.	<p>यदि,-</p> <p>(1) विनिमय में प्राप्त धातु खींचने के लिए डाई, मरम्मत के लिए भारत से समान डाई के निर्यात की तिथि से एक वर्ष के भीतर आयात की जाती हैं; और</p> <p>(2) उनके निर्यात के अवसर पर ड्राबैक का भुगतान नहीं किया गया है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> उपर्युक्त शर्त (1) में निर्दिष्ट आयातों पर, शुल्क इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उक्त डाई का मूल्य निम्नलिखित के बराबर हो-</p> <p>(i) निम्नलिखित का कुल योग-</p> <p>(क) ऐसी मरम्मत के लिए श्रम शुल्क;</p> <p>(ख) ऐसी मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री की लागत;</p> <p>(ग) ऐसी डाई की मरम्मत के लिए आयातक द्वारा भुगतान किए गए कोई अन्य शुल्क;</p> <p>और</p> <p>(ii) दोनों तरफ का बीमा और माल ढुलाई शुल्क।</p>
27.	<p>यदि,-</p> <p>(क) पुर्जा और कच्चे माल का उपयोग सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की</p>

	<p>धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार माल के विनिर्माण में किया जाता है; और</p> <p>(ख) प्रत्येक मामले में सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी से, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि माल अपतटीय तेल अन्वेषण या दोहन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।</p>
28.	<p>यदि, -</p> <p>(क) आयातक लाइसेंसधारी, पट्टेदार या ठेकेदार है, तो उसे, यथास्थिति, संबंधित सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो यह प्रमाणित करता हो कि वह निर्दिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आता है और इस अधिसूचना की किसी भी शर्त का पालन न करने पर देय शुल्क, जुर्माना या दंड का भुगतान करने का वचन देना होगा;</p> <p>(ख) आयातक उप-ठेकेदार है, तो उसे, यथास्थिति, आयात के समय, सीमा शुल्क उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को निदेशक मंडल द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संबंधित लाइसेंसधारी, पट्टेदार या ठेकेदार द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि माल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए है, साथ ही ऐसे लाइसेंसधारी, पट्टेदार या ठेकेदार और उप-ठेकेदार द्वारा, यथास्थिति, एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत करनी होगी, जो इस अधिसूचना की किसी भी शर्त का पालन न करने पर देय शुल्क, जुर्माना या दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;</p> <p>(ग) आयातक या कोई निर्दिष्ट व्यक्ति (हस्तांतरक), माल को किसी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति (हस्तांतरिती) को हस्तांतरित करना चाहता है,-</p> <p>(i) हस्तान्तरणकर्ता, यथास्थिति, संबंधित सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उप आयुक्त सीमाशुल्क को ऐसे हस्तान्तरण के बारे में सूचना देगा और इस प्रकार हस्तान्तरित माल के संबंध में स्वयं को उन्मुक्त करवाएगा;</p>

	<p>(ii) हस्तान्तरितकर्ता इस अधिसूचना के शर्त का अनुपालन करने का वचन देगा, मानो वह इन वस्तुओं का आयातक है।</p> <p>(iii) जहां हस्तान्तरिति एक उप-ठेकेदार है, वहां पट्टेदार या कमतर या लाइसेंसधारी या ऐसे उप-ठेकेदार का ठेकेदार, जैसा भी मामला हो, एक अतिरिक्त वचन भी देगा कि यदि उप-ठेकेदार इस अधिसूचना के शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह शुल्क, जुर्माना या दंड का भुगतान करने के लिए खुद को उत्तरदायी बनाएगा;</p> <p>(घ) यदि आयातित माल को उपयोग के बाद अनुपयोगी या स्क्रेप के रूप में निपटान किया जाना है, तो आयातक या हस्तान्तरितकर्ता, जैसा भी मामला हो, इन मालों का निपटान एमएसटीसी या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से या सीधे रक्षा मंत्रालय या सरकारी विभाग के अधीन संघ के सशस्त्र बलों को ऐसे माल के लेन-देन मूल्य के 7.5% की दर से शुल्क का भुगतान करके करेगा।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस शर्त के प्रयोजनों के लिए, 1 फरवरी, 2022 को या उससे पहले आयातित माल, जो इस शर्त या ऐसे माल के लिए किसी पूर्ववर्ती छूट के तहत शुल्क की रियायती दर का दावा करते हैं, का निपटान 2 फरवरी, 2022 को या उसके बाद किया जाना है, उनका निपटान इस शर्त के खंड (घ) के अनुसार किया जा सकता है।</p>
29.	<p>यदि आयातक आयात के समय,-</p> <p>(क) सभी मामलों में, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के उप सचिव से या उसके ऊपर के अधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश की जाती है और (1) से (3) तक के माल के मामले में, उक्त अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है; और अधिकारी प्रमाणित करता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों</p>

	<p>के लिए अपेक्षित है; और</p> <p>(ख) उक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त को इस आशय का वचन देता है कि,-</p> <p>(i) 30 किलोवाट तक के पवन चालित विद्युत जनरेटरों या 30 किलोवाट तक के पवन चालित बैटरी चार्जर्स के मामले में, वह आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक ऐसे जनरेटरों या चार्जर्स को किसी भी तरीके से नहीं बेचेगा या अन्यथा उनका निपटान नहीं करेगा;</p> <p>(ii) (1) से (3) में निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं के मामले में, वह उन्हें निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा; और</p> <p>(iii) यदि वह उप-शर्त धारा (i) या (ii) या दोनों शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है, जैसा भी मामला हो, तो उसे आयातित माल पर लगने वाले शुल्क, जो तब लगता अगर यह छूट न मिली होती तो और आयात के समय पहले से भुगतान किए गए शुल्क के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।</p>
30.	<p>(i) यदि आयातक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो में उप प्रधान सूचना अधिकारी के पद से या उसके ऊपर के अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातक एक मान्यता प्राप्त प्रेस कैमरामैन है, और आयातक ने पिछले दो वर्षों में किसी भी अवसर पर इस अधिसूचना या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत छूट का लाभ नहीं उठाया है;</p> <p>(ii) इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निर्दिष्ट कैमरों, लेंसों और अन्य वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के उस भाग पर लागू होगी, जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं है; और</p> <p>(iii) यदि आयातक, आयात के समय और स्थान पर, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को इस आशय का वचन देता है कि उक्त माल उसके कब्जे, नियंत्रण और उपयोग में रहेगा तथा आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उसे बेचा या अलग नहीं किया जाएगा।</p>

31.	<p>(i) यदि आयातक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो में उप-प्रधान सूचना अधिकारी के पद से या उसके ऊपर के अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातक एक मान्यता प्राप्त पत्रकार है, और आयातक ने पिछले दो वर्षों में किसी भी अवसर पर इस अधिसूचना या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के अंतर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया है।</p> <p>(ii) इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निर्दिष्ट पर्सनल कंप्यूटर, टाइपराइटर और फैक्स मशीनों के सीआईएफ मूल्य के उस भाग पर लागू होगी, जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं है; और</p> <p>(iii) यदि आयातक, आयात के समय और स्थान पर, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को यह वचन देता है कि उक्त माल उसके कब्जे, नियंत्रण और उपयोग में रहेगा तथा आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक उसे बेचा या अलग नहीं किया जाएगा।</p>
32.	<p>यदि, -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) विनिमय में प्राप्त बुशिंग, भारत से बुशिंग के निर्यात की तिथि से एक वर्ष के भीतर आयात की जाती हैं; और</li> <li>2) उनके निर्यात के अवसर पर ड्राबैक का भुगतान नहीं किया गया है।</li> </ol> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - उपर्युक्त शर्त (1) में निर्दिष्ट आयातों पर, शुल्क इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उक्त बुशिंग का मूल्य -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) ऐसे विनिमय की लागत, अर्थात्, निम्नलिखित का योग -       <ol style="list-style-type: none"> <li>(क) श्रम शुल्क;</li> <li>(ख) प्लैटिनम और रोडियम की उस मात्रा के लिए लिया गया मूल्य, यदि कोई हो, जो भारत से निर्यात की गई उक्त बुशिंग में निहित प्लैटिनम और रोडियम की संबंधित मात्रा से अधिक है; और</li> <li>(ग) बुशिंग के ऐसे विनिमय के लिए आयातक द्वारा ऐसे बुशिंग के आपूर्तिकर्ता को</li> </ol> </li> </ol>

	<p>दिए गए कोई अन्य शुल्क; और</p> <p>(ii) बीमा और माल ढुलाई शुल्क, दोनों तरफ।</p>
33.	<p>यदि विदेशी फिल्म इकाई या टेलीविजन टीम का कोई मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि ऐसे प्रारूप में और ऐसी जमानत के साथ, जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार्य हो, एक बांड निष्पादित करता है, जिसमें वह ऐसे उपकरणों और कैमरों पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, यदि उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी के बाद, तीन महीने की अवधि या उक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर पुनः निर्यात के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण में नहीं रखा जाता है।</p>
34.	<p>यदि, -</p> <p>(क) निर्दिष्ट उपकरण, कच्ची फिल्मों और टेपों पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क का भुगतान भारत में उनके प्रथम आयात के समय किया गया था;</p> <p>(ख) भारत से उनके निर्यात पर ड्राबैक का भुगतान नहीं किया गया;</p> <p>(ग) इस रियायत का लाभ उठाते समय, माल की पहचान सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के अनुसार स्थापित की जाती है;</p> <p>(घ) माल को भारत से निर्यात की तारीख से छह महीने के भीतर या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर भारत में पुनः आयात किया जाता है, जिसे उक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा उसके समाधानप्रद रूप में पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर बढ़ाया जा सकता है; और</p> <p>(ङ) विदेश मंत्रालय का बाह्य प्रचार प्रभाग प्रमाणित करता है कि जिस उद्देश्य के लिए माल भारत से निर्यात किया गया था वह सार्वजनिक हित में था और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित था।</p>
35.	<p>यदि,-</p> <p>(1) माल का परीक्षण करने के लिए आयात किया जाता है -</p>

	<p>(क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रयोगशालाएँ;</p> <p>(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;</p> <p>(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) प्रयोगशालाएँ;</p> <p>(घ) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर; या</p> <p>(ङ) इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार में किसी भी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य परीक्षण केंद्र; और</p> <p>(2) संगठन का प्रमुख यह प्रमाणित करता है कि माल का आयात उस संगठन द्वारा केवल परीक्षण के उद्देश्य से किया गया है तथा ऐसे परीक्षण के बाद उसका उपयोग या विक्रय नहीं किया जाएगा।</p>
36.	<p>यदि आयातक, आयात के समय, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में संयुक्त सचिव के पद से या उससे ऊपर के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि,-</p> <p>(i) आयातक के पास भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2024 के एस.ओ. संख्या 1363 (ई) द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यंत्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी वैध अनुमोदन पत्र है;</p> <p>(ii) आयातक उपर्युक्त योजना की शर्त को पूरा करता है और आयात किए जा रहे वाहनों की मात्रा उपर्युक्त योजना के पैरा 1.3.5 और पैरा 1.3.6 में निर्धारित सीमाओं के भीतर है; और</p> <p>(iii) आयातक आयातित किए जा रहे माल के संबंध में इस छूट के लिए पात्र है।</p>
37.	<p>अगर,-</p> <p>(क) आयात के समय, आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को भारी उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो यह प्रमाणित करता है कि आयातित माल (उनके विवरण, मात्रा और तकनीकी विनिर्देश को ध्यान में रखते हुए) केवल परीक्षण और/या प्रमाणन उद्देश्यों के</p>

लिए सूची 37 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए है;

- (ख) आयात के समय, आयातक आयात बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के समक्ष एक बॉन्ड निष्पादित करता है, जिसमें वह उपरोक्त शर्त (क) में उल्लिखित उद्देश्य से विचलन के मामले में ब्याज सहित अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है;
- (ग) आयातक आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर परीक्षण और/या प्रमाणन करता है, जिसे आयातक के लिखित अनुरोध पर आयात बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा ऐसे विस्तार की मांग करने के कारणों का हवाला देते हुए तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है;
- (घ) आयातक, जहां भी लागू हो, परीक्षण और/या प्रमाणीकरण के बाद, आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर माल का पुनः निर्यात करता है, जिसे आयातक के लिखित अनुरोध पर आयात बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे विस्तार की मांग करने के कारणों का हवाला देते हुए तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है;
- (ङ) परीक्षण के दौरान माल नष्ट हो जाता है और इस प्रकार परीक्षण और/या प्रमाणीकरण के बाद पुनः निर्यात नहीं किया जाता है, आयातक ऐसे माल के आयात के बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि वाहन के पुर्जों या वाहनों या ई-कचरे की स्क्रेपिंग या पुनर्चक्रण किया गया है,-
- (i) इंजन/वाहन के स्क्रेपिंग के मामले में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत एजेंसियों द्वारा;
  - (ii) ई-कचरे के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं द्वारा;
  - (iii) अन्य वस्तुओं के मामले में, संबंधित अधिसूचित परीक्षण एजेंसी के प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया है;

	(च)आयातक आयात, उपयोग और स्क्रेप का उचित लेखा-जोखा रखता है, तथा ऐसे माल के आयात के बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को समय-समय पर ऐसा लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।
38.	यदि भागों की आवश्यकता हवाई जहाज, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर या विमान के सिमुलेटर के निर्माण या सर्विसिंग के लिए हो। <b>स्पष्टीकरण.</b> - हवाई जहाज, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर या विमान के सिमुलेटर के भागों में इंजन, इंजन के भाग, वायरलेस ट्रांसमिशन उपकरण, वायरलेस रिसेवर, लोहे और स्टील के वॉशर और स्कू, बॉल और रोलर बेयरिंग और अन्य भाग शामिल होंगे।
39.	यदि रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव या उनके ऊपर के कोई अधिकारी - (i) आयातित माल की मात्रा, विवरण और तकनीकी विशिष्टताओं को प्रमाणित करता है; (ii) प्रमाणित करता है कि उक्त माल शीर्षक 8802 के अंतर्गत आने वाले विमानों के विनिर्माण के लिए या ऐसे विमानों के घटकों या भागों, जिसमें शामिल इंजनों के विनिर्माण के लिए है; और (iii) आयातित वस्तुओं को छूट देने की सिफारिश की गई है।
40.	अगर,- (क) नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए आयातित- (i) भारत में पंजीकृत विमान; या (ii) भारत में पंजीकृत नहीं किए गए विमान, जो भारत में या भारत से होकर उड़ान के उद्देश्य से या रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के उद्देश्य से लाए जाते हैं और जिन्हें छह महीने के भीतर या नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा विस्तारित अवधि के लिए भारत से हटाया जाना है, जैसा भी मामला हो; या (iii) विमान के घटक या भाग, विमानों के जिसमें शामिल इंजन;

	<p>(ख) आयातक महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा अनुमोदित विमान रखरखाव संगठनों के गुणवत्ता प्रबंधकों द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसमें ऐसे भागों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों का उल्लेख होता है;</p> <p>(ग) आयातक विमानों, विमान घटकों, विमानों के भागों जिसमें शामिल इंजनों की सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव के उद्देश्य से आयातित निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात, उपयोग और खपत का उचित लेखा रखता है और इस तरह के खाते को समय-समय पर सीमा शुल्क आयुक्त को उस तरीके से प्रस्तुत करता है जैसा कि उक्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;</p> <p>(घ) आयातक, ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए, जैसा कि उक्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, बॉन्ड के निष्पादन द्वारा, मांग पर लगाए जाने वाले शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है,-</p> <p>(i) ऐसे पुर्जों, औजारों और टूल किटों पर, जिनके बारे में उक्त आयुक्त को संतुष्टिपूर्वक यह साबित नहीं हो जाता कि उनका उपयोग या उपभोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है;</p> <p>(ii) परीक्षण उपकरणों पर, जिनके बारे में उक्त आयुक्त को संतुष्टिपूर्वक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्हें पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया है या अन्यथा उपयोग किया गया है,</p> <p>आयात की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, स्थापित न करने, उपयोग न करने या उपभोग न करने के लिए पर्याप्त कारण है, स्वीकृत किया जाएगा।</p>
41.	<p>(क) यदि, ऐसे विमान के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए आयात किया गया हो, जो भारत में पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत होने का इरादा नहीं है, लेकिन छह महीने के भीतर या नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नागरिक उड्डयन</p>

	<p>महानिदेशक द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर भारत से हटाया जाना है; और भारत में प्रवास अवधि के आरंभ और अंत में उड़ान में यात्रियों को ले जाता है, लेकिन प्रवास अवधि के दौरान कोई वाणिज्यिक उड़ान नहीं भरता है।</p>
42.	<p>यदि शीर्षक 8802 विमान के जिसमें शामिल इंजन के घटकों या भागों को उक्त उद्देश्य के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित इकाइयों द्वारा रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए आयात किया जाता है और शीर्ष 8802 विमान के ऐसे घटकों या भागों, जिसमें शामिल इंजन को ऐसे रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के बाद निर्यात किया जाता है।</p>
43.	<p>यदि आयातक, आयात के समय,-</p> <p>(i) सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त उपग्रह और पे-लोड 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के प्रावधानों के अनुरूप बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने के लिए हैं;</p> <p>(ii) इस आशय का वचन देता है कि उपग्रहों या पे-लोडों के परीक्षण के लिए आयातित तालिका 1 के क्रम संख्या 339 के स्तंभ (3) की मद (ख) के अंतर्गत आने वाले भू-उपकरणों को, उनके आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा दी गई विस्तारित अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा, और इसका अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में, वह मांग पर ऐसी वस्तुओं पर इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट के बिना लगाए जाने वाले शुल्क और आयात के समय पहले से भुगतान किए गए शुल्क के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करेगा।</p>
44.	<p>यदि आयातक, आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के उप</p>

	<p>सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि तालिका 1 के क्रम संख्या 340 के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट माल, प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों और पेलोड के लिए आवश्यक हैं।</p>
45.	<p>अगर, -</p> <p>(i) किसी ऑपरेटर द्वारा या ऑपरेटर की ओर से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए आयात किया गया हो, और ऐसे विमान का उपयोग अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित वायु कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किया जाता हो, जैसा भी मामला हो; या</p> <p>(ii) (ii) उक्त विमान भारत में पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत होने का इरादा नहीं है, और भारत के लिए या भारत से होकर उड़ान के उद्देश्य से भारत में लाया गया है, और जिसे प्रवेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, या नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविस्तारित प्रवेश की तारीख से साठ दिन से अनधिक, के लिए हटाए जाने के लिए आशयित है ।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,</p> <p>(क) "ऑपरेटर" का अर्थ है कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम जो विमान संचालन में संलग्न है या संलग्न होने की पेशकश कर रहा है;</p> <p>(ख) " अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा " का अर्थ है उन्ही दो या अधिक स्थानों के बीच की जाने वाली वायु परिवहन सेवा, जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार संचालित होती है या ऐसी नियमित या लगातार उड़ानों के साथ संचालित होती है, जो एक सुस्पष्ट व्यवस्थित श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तथा प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों के उपयोग के लिए खुली होती है; और</p> <p>(ग) "अनुसूचित हवाई कार्गो सेवा" का अर्थ है प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का हवाई परिवहन या ऐसी नियमित या लगातार उड़ानों के साथ हो जो एक सुस्पष्ट व्यवस्थित श्रृंखला का निर्माण करती हों, और यात्रियों के उपयोग के लिए खुली न हों।</p>

46.	<p>अगर,-</p> <p>(क) विमान का आयात किया जाता है,-</p> <p>(i) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त है; या</p> <p>(ii) नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और</p> <p>(ख) आयातक को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विमान आयात करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है; और</p> <p>(ग) आयातक, आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को यह वचन देता है कि:-</p> <p>(i) उक्त विमान का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा और वह निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयातित विमान का उपयोग करने में विफल रहने की स्थिति में, मांग करने पर उक्त विमान पर देय शुल्क, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती, के बराबर राशि का भुगतान करेगा;</p> <p>(ii) इस रियायत के तहत आयातित विमान को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संस्थान से भिन्न को बेचा/हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।</p> <p>(घ) विमान को उड़ान अंशांकन प्रयोजनों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयात किया जाता है और आयात के समय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को एक वचन देता है कि:-</p> <p>(i) उक्त विमान का उपयोग केवल उड़ान अंशांकन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आयातित विमान का उपयोग करने में उनकी</p>
-----	---

	<p>विफलता की स्थिति में, वे मांग किए जाने पर उक्त विमान पर देय शुल्क, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती, के बराबर राशि का भुगतान करेगा; और</p> <p>(ii) उक्त विमान को किसी अन्य संस्था को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा</p>
47.	<p>(i) विमान का आयात ऐसे ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, जिसे गैर-अनुसूचित (यात्री) सेवाएं या गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएं प्रदान करने के लिए विमान आयात करने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है; और</p> <p>(ii) आयातक, आयात के समय, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को यह वचन देता है कि:-</p> <p>(क) उक्त विमान का उपयोग केवल गैर-अनुसूचित (यात्री) सेवाएं या गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जैसा भी मामला हो; और</p> <p>(ख) वह निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयातित विमान का उपयोग करने में विफल रहने की स्थिति में, उक्त विमान पर देय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान मांग पर करेगा, लेकिन इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b></p> <p>(1) इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए,-</p> <p>(क) " ऑपरेटर " का अर्थ है कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम जो विमान संचालन में लगा हुआ है या लगाने की पेशकश कर रहा है;</p> <p>(ख) "गैर-अनुसूचित (यात्री) सेवाएँ" का अर्थ है, विमान नियम 1937 के नियम 3 में परिभाषित अनुसूचित (यात्री) हवाई परिवहन सेवाओं के अलावा अन्य हवाई परिवहन सेवाएँ।</p> <p>(ग) "गैर-अनुसूचित (चार्टर) सेवाएँ" का अर्थ है, किसी "गैर-अनुसूचित (चार्टर) हवाई परिवहन संचालक" द्वारा किसी व्यक्ति को विमान चार्टर या किराये पर देने के</p>

	<p>लिए प्रकाशित टैरिफ के साथ प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, और जो ऐसे उद्देश्यों के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत और अनुमोदित हैं, और जो विमान नियम 1937 के नियम 133ए के प्रावधान के तहत नागरिक उड्डयन आवश्यकता के अनुरूप हैं:</p> <p>2. इस छूट के प्रयोजन के लिए, गैर-अनुसूचितगत (यात्री) ऑपरेटर द्वारा गैर-अनुसूचितगत (चार्टर) सेवाओं के लिए या गैर-अनुसूचितगत (चार्टर) ऑपरेटर द्वारा गैर-अनुसूचितगत (यात्री) सेवाओं के लिए ऐसे आयातित विमान का उपयोग, शुल्क की रियायती दर पर आयात की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।</p>
48.	<p>आयातक, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी राशि के लिए, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बॉन्ड निष्पादित करके स्वयं को बाध्य करता है, -</p> <p>(i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर का भुगतान करना;</p> <p>(ii) आयात बंदरगाह के सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना माल को बेचना या अलग नहीं करना;</p> <p>(iii) उस अवधि की समाप्ति से 3 महीने के भीतर माल का पुनः निर्यात करना जिसके लिए उन्हें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अंतर्गत आपूर्ति की गई थी;</p> <p>(iv) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट के बिना उक्त माल पर देय एकीकृत कर के बराबर राशि का मांग पर भुगतान करना।</p>

परन्तु माल को, ऊपर (iii) में शर्त के अनुसार भारत से बाहर पुनः निर्यात किए जाने के बजाय, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के तहत पट्टाकर्ता द्वारा भारत में किसी अन्य पट्टेदार को पट्टे पर दिया जा सकता है, जिस स्थिति में, -

(क) मूल पट्टेदार सीमा शुल्क आयुक्त को सूचना देगा और अपना बॉन्ड समाप्त करवाएगा;

(ख) नया पट्टेदार, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी राशि के लिए बॉन्ड के निष्पादन द्वारा, जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, खुद को यहां शर्त के अनुपालन के लिए बाध्य करेगा, जैसे कि वह माल का आयातक था।

परन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा अनुसूची II की मद 1(बी) या 5(एफ) के अंतर्गत आने वाले लेन-देन के अंतर्गत डीटीए को किसी एसईजेड इकाई द्वारा आपूर्ति किए गए माल के मामले में, जहां एसईजेड इकाई एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ऐसे लेन-देन पर एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, पट्टेदार स्वयं को केवल उपरोक्त शर्त की धारा (ii), (iii) और (iv) से ही बाध्य करेगा।

**स्पष्टीकरण.** - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा अनुसूची II की मद मद 1(बी) या 5(एफ) के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अंतर्गत किसी एसईजेड इकाई (पट्टादाता) द्वारा डीटीए को आपूर्ति किए गए माल के मामले में, -

(क) "सीमा शुल्क आयुक्त" या "आयात बंदरगाह के सीमा शुल्क आयुक्त", जहां कहीं भी वे दिखाई देते हैं, का अर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में परिभाषित "निर्दिष्ट अधिकारी" होगा;

(ख) मद (iii) में "पुनर्निर्यात" का अर्थ होगा माल को पट्टाकर्ता को वापस करना।

49.	<p>अगर,-</p> <p>(क) आयातक आयात के समय घोषणा करता है कि बजरो का पुनः निर्यात किया जाएगा;</p> <p>(ख) बजरो को उसी जहाज द्वारा पुनः निर्यात किया जाता है जिसने उन्हें लाया था या उसी शिपिंग एजेंसी के अधीन किसी अन्य जहाज द्वारा, आयात की तारीख से दो महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अनुमति दे; और</p> <p>(ग) आयातक ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करता है, जैसा कि सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, जो उस राशि का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है यदि पुनः निर्यात ऊपर शर्त (ख) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं होता है।</p>
50.	<p>अगर,-</p> <p>(क) आयातक समुद्रगामी जहाजों की मरम्मत के प्रयोजन के लिए आयातित निर्दिष्ट माल के आयात, उपयोग और उपभोग का उचित लेखा-जोखा रखता है और ऐसा लेखा-जोखा समय-समय पर सीमा शुल्क आयुक्त को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसा कि उक्त आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;</p> <p>(ख) आयातक, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी राशि के लिए, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जाए, बॉन्ड निष्पादित करके, मांग किए जाने पर उन पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों पर लगाए जाने योग्य शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए स्वयं को बाध्य करता है, जिनके बारे में उक्त आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि उनका उपयोग या अन्यथा</p>

	<p>उपभोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, उनके आयात की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जिसे आयुक्त इस बात से संतुष्ट होने पर कि उक्त अवधि के भीतर पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उनका उपयोग या उपभोग न करने के लिए, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त कारण है, अनुमति दे।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b>—“समुद्री जहाज़” में शामिल हैं—</p> <p>(i) लाइनर; विभिन्न प्रकार के मालवाहक जहाज जिसमें शामिल मांस, फल या इसी तरह के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटर जहाज, विशेष वस्तुओं (अनाज, कोयला, अयस्क या इसी तरह) के परिवहन के लिए निर्दिष्ट जहाज; टैंकर (पेट्रोल, शराब या इसी तरह); नौका और अन्य नौकायन जहाज; केबल जहाज; बर्फ तोड़ने वाले जहाज; सभी प्रकार के तैरते कारखाने (व्हेल प्रसंस्करण, मछली संरक्षण या इसी तरह के लिए) व्हेल पकड़ने वाले; ट्रॉलर और अन्य मछली पकड़ने वाले जहाज; जीवन रक्षक नौकाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज; मौसम जहाज; बोया के परिवहन या मूरिंग के लिए जहाज; पायलट नौकाएं; ड्रेज्ड सामग्री या इसी तरह के निपटान के लिए हॉपर बार्ज;</p> <p>(ii) सभी प्रकार के युद्ध पोत जिसमें शामिल पनडुब्बियां;</p> <p>(iii) टग, ड्रेजर, फायर-फ्लोट और बचाव जहाज; और</p> <p>(iv) तेल रिग, ड्रिलिंग जहाज और जैक-अप रिग।</p>
51.	<p>यदि जहाजों और अन्य तैरती संरचनाओं को उनके आयात के बाद तोड़ा जाना है, तो आयातक को सीमा शुल्क आयुक्त के समक्ष एक नया प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद ऐसे माल पर वह शुल्क लगेगा जो ऐसे माल पर देय होगा जैसे कि वे घरेलू उपभोग के लिए लाए गए हों, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 के अधीन, ऐसे माल के टूटने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नए प्रवेश पत्र की प्रस्तुति की तारीख को।</p>

52.	<p>आयातक, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी राशि के लिए, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बॉन्ड निष्पादित करके, स्वयं को निम्नलिखित के लिए बाध्य करता है, -</p> <p>(i) केबल बिछाने या मरम्मत सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले माल पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत देय शुल्क और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (7) के तहत देय एकीकृत कर का भुगतान करें;</p> <p>(ii) केबल बिछाने या मरम्मत सेवा पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के तहत लागू एकीकृत कर का भुगतान करें;</p> <p>(iii) सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, इस आशय का वचन देना कि आयातित माल घरेलू उपभोग के लिए नहीं निकाला जाएगा, तथा उसका उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;</p> <p>(iv) उक्त केबल बिछाने या मरम्मत सेवा के पूरा होने के तुरंत बाद जहाज/जलयान को पुनः निर्यात करना;</p> <p>(v) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में उक्त माल पर देय एकीकृत कर के बराबर राशि का भुगतान करना, लेकिन इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए।</p>
53.	<p>अगर,-</p> <p>(क) भारत सरकार के किसी भी विभाग या मंत्रालय द्वारा आयातित; और</p> <p>(ख) आयातक संबंधित विभाग या मंत्रालय में संयुक्त सचिव के या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल किसी अन्य देश के साथ सरकार से सरकार सहायता कार्यक्रम से संबंधित समझौते के तहत आयात किया जा रहा है।</p>

54.	<p>अगर,-</p> <p>(क) अस्पताल का संचालन निम्न द्वारा किया जाता है -</p> <p>(1) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण; या</p> <p>(2) किसी भी समय लागू कानून के तहत या उसके द्वारा स्थापित संस्थाएं; या</p> <p>(3) सोसाइटियों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी समय लागू कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटियां, ऐसी सोसाइटियां ऊपर (1) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित होती हैं;</p> <p>(ख) आयातक, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या उस अस्पताल को चलाने या नियंत्रित करने वाले स्थानीय प्राधिकरण से, जैसा भी मामला हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त अस्पताल ऊपर (क) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में आता है; और</p> <p>(ग) अस्पताल का प्रमुख प्रत्येक मामले में प्रमाणित करता है कि अस्पताल का उपकरण अस्पताल में उपयोग के लिए है तथा अस्पताल के संचालन या रखरखाव के लिए आवश्यक है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.-</b> "अस्पताल" में कोई भी संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, सोसायटी, एसोसिएशन, प्रयोगशाला, क्लिनिक और प्रसूति गृह शामिल हैं, जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।</p>
55.	<p>यदि आयातक आयात के समय, -</p> <p>(क) प्रत्येक मामले में, नीचे दिए गए प्रपत्र में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है; या</p> <p>(ख) सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार्य एक वचनबंध प्रस्तुत करता है कि उक्त प्रमाण पत्र उक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष</p>

	<p>प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर वह उस पर लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करेगा।</p> <p style="text-align: center;">फॉर्म</p> <p>प्रमाणपत्र संख्या.....(वर्ष)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि चिकित्सा उपकरण / सहायक उपकरण / स्पेयर पार्ट .....</p> <p>(नाम निर्दिष्ट किया जाए) ..... द्वारा आयात किया जा रहा है, जो एक जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण या स्पेयर पार्ट है और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक/उप महानिदेशक/सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली के हस्ताक्षर एवं तिथि</p>
56.	<p>अगर,-</p> <p>(क) जहां आयातक भारत सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, या माल उस सरकार के किसी विभाग के आदेश पर भेजा जाता है और तस्करी विरोधी कार्रवाइयों में उपयोग के लिए शिपमेंट के समय ऐसे आदेश के तहत विनियोजित किया जाता है, वहां वह आयात के समय भारत सरकार के राजस्व विभाग के अवर सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है;</p> <p>(ख) जहां आयातक किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का पुलिस बल या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या विशेष सुरक्षा समूह है और उक्त माल बम का पता लगाने या निपटान के प्रयोजनों के लिए आयात किया जाता है, तो वह आयात के समय गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी से, जो गृह मंत्रालय के अवर सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है।</p>

57.	<p>अगर,-</p> <p>(क) माल का आयात राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस या असम राइफल्स या रेलवे सुरक्षा बल या विशेष सीमा बल द्वारा बम का पता लगाने या निपटान के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और</p> <p>(ख) आयातक गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, के किसी अधिकारी से, जो गृह मंत्रालय के अवर सचिव के या उससे उच्च पद के अधिकारी हो, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है।</p>
58.	<p>यदि आयातक, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष यह वचनबद्धता प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार आयातित माल प्रयोगशाला में उपयोग के लिए या अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए होगा तथा आयात के पश्चात् बेचा या व्यापार नहीं किया जाएगा और इस शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, वह उक्त माल की ऐसी मात्रा के संबंध में, जिसके बारे में यह साबित हो जाता है कि उसका उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है, ऐसी मात्रा पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट न होती।</p>
59.	<p>अगर, -</p> <p>(क) माल किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए आयात किया जाता है;</p> <p>(ख) यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा नीचे लागू और निर्दिष्ट फॉर्म में प्रमाणित किया जाता है।</p>

(1) तालिका I के क्रम संख्या 401 के खंड (iii) के उपखंड (ग) के अंतर्गत आने वाले स्पाइनल मस्कलर एट्रोफी/ड्यूशन मस्कलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए प्रयुक्त दवाओं के लिए प्रपत्र।

प्रमाणपत्र संख्या.....(वर्ष)

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (दवा का नाम) दवा जिसका उपयोग ..... (रोगी का नाम) के उपचार के लिए किया जाना है, एक जीवनरक्षक दवा है जिसका उपयोग विशेष रूप से स्पाइनल मस्कलर एट्रोफी / ड्यूशन मस्कलर डिस्ट्रॉफी के लिए किया जाता है और इसे सीमा शुल्क और एकीकृत जीएसटी के भुगतान से छूट देने की अनुशंसा की जाती है।

महानिदेशक/उप महानिदेशक/सहायक महानिदेशक,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशक  
या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के  
हस्ताक्षर, दिनांक सहित।

या

(2) जीवन रक्षक औषधियों या औषधियों के लिए प्रपत्र, जो उपरोक्त (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें तालिका I के क्रम संख्या 401 के खंड (ii) के अंतर्गत आयात किया जा रहा है।

प्रमाणपत्र संख्या.....(वर्ष)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(रोगी का नाम) के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधि/औषधि .....(रोग का नाम) .....के लिए

	<p>जीवन रक्षक औषधि/औषधि है तथा सीमा शुल्क के भुगतान से छूट की अनुशंसा की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक के हस्ताक्षर एवं दिनांक उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन।</p> <p>और</p> <p>(ग) आयातक उक्त प्रमाणपत्र को सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, निकासी के समय प्रस्तुत करता है, या उपायुक्त या सहायक आयुक्त को स्वीकार्य रूप से यह वचन देता है कि वह उक्त प्रमाणपत्र को उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर उस पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करेगा।</p>
60.	<p>यदि आयातक आयात के समय-</p> <p>(क) माल किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए आयात किया जाता है;</p> <p>(ख) महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में, नीचे दिए गए फॉर्म में यह प्रमाणित किया जाता है कि माल जीवन रक्षक दवाएं या औषधियां हैं (वर्णन, मात्रा और तकनीकी विशिष्टता के संबंध में); और</p> <p>(ग) सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को इस आशय का वचन देता है कि आयातित माल का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाएगा और वह उक्त उद्देश्य के लिए आयातित माल का उपयोग करने</p>

	<p>में विफल रहने की स्थिति में, आयातित माल की ऐसी मात्रा पर लगाए जाने वाले शुल्क के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान करेगा, लेकिन इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए;</p> <p style="text-align: center;"><b>फॉर्म</b></p> <p style="text-align: center;">प्रमाणपत्र संख्या.....(वर्ष)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि ..... (औषधि/औषधि का नाम) का आयात किया जा रहा है।</p> <p>.....(रोगी का नाम) एक जीवनरक्षक दवा/औषधि है और इसकी आवश्यकता है</p> <p>उपचार अवधि (महीनों) के लिए ..... (मात्रा) और आईजीएसटी के भुगतान से छूट की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">महानिदेशक/उप महानिदेशक/सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)</p>
61.	<p>अगर, -</p> <p>(क) माल किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए आयात किया जाता है;</p> <p>(ख) यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली, राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा नीचे लागू और निर्दिष्ट फॉर्म में प्रमाणित किया जाता है।</p> <p>(1) तालिका 1 के क्रम संख्या 403 के अंतर्गत आने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियाँ/औषधियाँ/एफएसएमपी के लिए प्रपत्र।</p> <p style="text-align: center;">प्रमाणपत्र संख्या ..... (वर्ष)</p>

	<p>प्रमाणित किया जाता है कि औषधि .....(औषधि/औषधि/एफएसएमपी का नाम) का उपयोग (रोगी का नाम) के उपचार के लिए किया जाना है।</p> <p>यह विशेष चिकित्सा प्रयोजनों (एफएसएमपी) के लिए एक औषधि/औषधि/खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग विशेष रूप से सूची 22, तालिका 1 में निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट की सिफारिश की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">महानिदेशक के हस्ताक्षर एवं दिनांक उप महानिदेशक / सहायक महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन।</p> <p>और</p> <p>(ग) आयातक उक्त प्रमाणपत्र को सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, निकासी के समय प्रस्तुत करता है, या उपायुक्त या सहायक आयुक्त को स्वीकार्य रूप से यह वचन देता है कि वह उक्त प्रमाणपत्र को उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर उस पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करेगा।</p>
62.	<p>अगर, -</p> <p>(क) माल किसी निर्माता द्वारा निर्यात हेतु खेल के सामान के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है और निर्माता "खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद" के साथ पंजीकृत है;</p> <p>(ख) एक वर्ष में आयातित निर्दिष्ट वस्तुओं का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माता द्वारा निर्यातित खेल वस्तुओं के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा;</p>

	<p>(ग) आयातक को उप-धारा (ख) में उल्लिखित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य और मात्रा को प्रमाणित करने वाले "खेल वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद" से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस धारा के अंतर्गत पहले से आयातित वस्तुओं के मूल्य और मात्रा को भी प्रमाणित करना होगा।</p> <p>परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्र की वैधता, जो 31 मार्च, 2020 की अवधि तक थी, को उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट माल के अप्रयुक्त मूल्य और मात्रा के आयात के लिए 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया जाएगा।</p>
63.	<p>अगर, -</p> <p>(i) उक्त माल को वास्तविक वाणिज्यिक यात्रियों या व्यापारियों द्वारा व्यक्तिगत सामान के रूप में आयात किया गया है या डाक या हवाई मार्ग से आयात किया गया है;</p> <p>(ii) आयातकर्ता आयात के समय अपना आयात-निर्यात कोड नंबर प्रस्तुत करता है;</p> <p>(iii) उक्त माल स्पष्ट रूप से नमूने के रूप में चिह्नित है;</p> <p>(iv) उक्त माल का आयात बारह महीनों की अवधि के भीतर 3,00,000 (तीन लाख) रुपये मूल्य या 50 इकाइयों की संख्या से अधिक नहीं है; और:</p> <p>परन्तु जहां रत्न और आभूषण उद्योग से संबंधित नमूने रत्न और आभूषण के निर्यातकों द्वारा आयात किए जाते हैं, वहां उक्त नमूने का आयात 50 रुपये मूल्य से अधिक नहीं होगा। 3,00,000 (तीन लाख) या पिछले तीन वर्षों के निर्यात के औसत मूल्य का 0.25%, जो भी कम हो, और ऐसे नमूनों की संख्या बारह महीने की अवधि के भीतर 50 इकाइयों से अधिक नहीं होगी, परन्तु आयातक रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य और पिछले बारह महीनों के दौरान इस अधिसूचना के तहत पहले से आयातित वस्तुओं के मूल्य और मात्रा को प्रमाणित किया गया हो।</p>

	<p>(v) आयात के समय आयातक -</p> <p>(क) घोषित करता है कि -</p> <p>(क) नमूने भारत में केवल निर्यातकों के मार्गदर्शन के लिए या निर्यात आदेश प्राप्त करने या निष्पादित करने के लिए प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजन से आयात किए गए हैं;</p> <p>(ख) नमूने का कुल आयात मूल्य 3,00,000 (तीन लाख) रुपये या पिछले तीन वर्षों के निर्यातों के औसत मूल्य का 0.25%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है, यदि नमूना रत्न और आभूषण उद्योग से संबंधित है, जैसा भी मामला हो, रत्न और आभूषण के निर्यातक द्वारा आयातित किया गया हो और वाणिज्यिक नमूनों के किसी अन्य आयात के मामले में 3,00,000 (तीन लाख) रुपये से अधिक नहीं है और ऐसा नमूना पिछले बारह महीनों की अवधि के भीतर 50 इकाइयों से अधिक नहीं होगा; और</p> <p>(ख) यदि खंड (क) के तहत घोषणा झूठी पाई जाती है, तो इसमें निहित छूट के अलावा उक्त माल पर लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करने के लिए सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करता है।</p>
64.	<p>अगर,</p> <p>(i) आयातक, विशेष निर्यात से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद या व्यापार विकास प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि नमूने निर्यात आदेशों को निष्पादित करने या प्राप्त करने के संबंध में उपयोग के लिए आवश्यक हैं;</p> <p>(ii) जहां नमूने का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, उसे किसी उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा माल के रूप में अनुपयोगी बना दिया जाएगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां उन्हें आयात के नौ महीने की अवधि के भीतर या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा;</p>

	<p>(iii) जहां किसी नमूने का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक है, उसे आयात के नौ महीने की अवधि के भीतर या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा; और</p> <p>(iv) आयातक ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए तथा ऐसी जमानत के साथ एक बॉन्ड निष्पादित करेगा, जैसा कि सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त द्वारा धारा (ii) और (iii) को लागू करने के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।</p>
65.	<p>अगर, -</p> <p>(i) उक्त माल डाक द्वारा या विमान द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा आयात किया गया है;</p> <p>(ii) उक्त नमूनों या प्रोटोटाइप का मूल्य दस हजार रुपए से अधिक नहीं है; और</p> <p>(iii) उक्त माल निःशुल्क आपूर्ति किया गया है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण- शर्त (ii) के प्रयोजन के लिए, दस हजार रुपये की मूल्य सीमा निर्धारित करने के लिए डाक शुल्क या हवाई माल भाड़े को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।</b></p>
66.	<p>अगर, -</p> <p>(i) आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में के उप सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि माल, गैर-परंपरागत सामग्रियों, अर्थात् कृषि, वानिकी, कृषि-औद्योगिक, औद्योगिक, नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट या पोल्ट्री कूड़े का उपयोग करके, बिजली या संपीड़ित जैव-गैस (बायो-सीएनजी) के उत्पादन के लिए एक परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त अधिकारी इस छूट के अनुदान की सिफारिश करता है;</p> <p>(ii) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के मामले में, आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या</p>

	<p>सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के संतोष के लिए यह साबित करता है कि आयातक और क्रेता के बीच गैर-परंपरागत सामग्रियों से उत्पादित विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए परियोजना के चालू होने की तारीख से कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए एक वैध विद्युत क्रय समझौता है:</p> <p>परन्तु यह शर्त राज्य विद्युत बोर्डों या निगमों द्वारा प्रवर्तित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी और लाइसेंसधारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।</p> <p>परन्तु यह शर्त नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी, यदि आयातक सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को संतुष्ट करते हुए यह साबित कर दे कि परियोजना के चालू होने की तारीख से कम से कम दस वर्षों के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए आयातक और शहरी स्थानीय निकाय के बीच एक वैध समझौता है।</p> <p>(iii) आयातक, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को यह वचनबद्धता देता है कि ऐसे आयातित माल का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में, वह ऐसे माल के संबंध में, जिसका इस प्रकार उपयोग किया जाना सिद्ध नहीं होता है, इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट के बिना ऐसे माल पर लगाए जाने वाले शुल्क और आयात के समय पहले से भुगतान किए गए शुल्क के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
67.	<p>अगर,-</p> <p>(i) (i) उक्त परियोजना किसी ऐसी कंपनी द्वारा शुरू की गई हो जिसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाई हो;</p>

(ii) उक्त परियोजना भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तपोषित है, जैसा भी मामला हो, और ऐसे मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का हिस्सा उक्त परियोजना की कुल लागत के बीस प्रतिशत से कम नहीं है;

(iii) संबंधित मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में भारत सरकार के उप सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र, जो उक्त परियोजना को वित्तपोषित कर रहा हो, प्रत्येक मामले में, आयात के समय, यह दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाता है -

(क) परियोजना की कुल लागत;

(ख) परियोजना की लागत ऐसे मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा साझा की जाएगी, जैसा भी मामला हो;

(ग) इस अधिसूचना के तहत पहले से आयातित माल का मूल्य;

(घ) कि माल उक्त परियोजना के प्रयोजनों के लिए आयात किया गया है;

(iv) माल को आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक किसी व्यक्ति या अन्य

	<p>संगठन को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा:</p> <p>परन्तु इस अधिसूचना के तहत छूट केवल संबंधित मंत्रालय या विभाग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा साझा की गई उक्त परियोजना की लागत के बराबर मूल्य तक ही उक्त वस्तुओं के लिए उपलब्ध होगी।</p>
68.	<p>यदि किसी ऐसी संस्था को उक्त माल के आयात के पश्चात ही कार्य करना प्रारंभ करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उस संस्था द्वारा आयातित माल के संबंध में छूट लागू नहीं होगी, जब तक कि उस संस्था के अध्यक्ष या सचिव द्वारा लिखित में वचनबद्धता नहीं दी जाती है कि वह माल के आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर इस संबंध में दी जाने वाली विस्तारित अवधि के भीतर कार्य करना प्रारंभ कर देगी;</p>
69.	<p>अगर, -</p> <p>(i) आयातक, निकासी के समय, शिक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी, भारत सरकार से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, कि ऐसे वीडियो कैसेट और वीडियो टेप शैक्षिक सामग्री के साथ रिकॉर्ड किए गए हैं और उस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए या दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण के लिए आवश्यक हैं और इसी प्रकार के कार्यक्रम भारत में निर्मित नहीं किए जाते हैं;</p> <p>(ii) आयातक, निकासी के समय और स्थान पर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को इस आशय का वचन देता है कि ऐसे वीडियो</p>

	<p>कैसेट और वीडियो टेप का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और ऐसे कैसेट और टेप को बाद में किसी अन्य सामग्री के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा; और</p> <p>(iii) ऐसे वीडियो कैसेट और वीडियो टेप को आयात बंदरगाह पर सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क की पूर्व अनुमति के बिना बेचा या विभाजित नहीं किया जाएगा।</p>
70.	<p>अगर,-</p> <p>(i) आयातक, निकासी के समय और स्थान पर, उस संगठन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसने उक्त वीडियो कैसेट और वीडियो टेप पर कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है, कि उसे विश्वविद्यालय या उच्चतर या उन्नत तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रम के साथ रिकॉर्ड किया गया है, और आयातक, यदि ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो वह सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को भी संतुष्ट करता है कि ऐसे वीडियो कैसेट या वीडियो टेप में, जैसा भी मामला हो, ऐसा तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रम शामिल है;</p> <p>(ii) विश्वविद्यालय के मामले में, आयातक, मंजूरी के समय और स्थान पर, विश्वविद्यालय के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, कि ऐसे वीडियो कैसेट और वीडियो टेप उस विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु आवश्यक हैं;</p> <p>(iii) अनुसंधान संस्थान (सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या नियंत्रित अनुसंधान संस्थान के अलावा) के मामले में, आयातक, मंजूरी के समय और स्थान पर, शिक्षा मंत्रालय या उक्त अनुसंधान संस्थान से प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय में उप सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उक्त कैसेट और टेप उस अनुसंधान संस्थान में तकनीकी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु आवश्यक हैं;</p>

(iv) आयातक, निकासी के समय और स्थान पर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को इस आशय का वचन देना है कि ऐसे वीडियो कैसेट और वीडियो टेप -

(क) आयात बंदरगाह पर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना बेचा या अलग नहीं किया जाएगा,

(ख) तकनीकी शिक्षा के प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, और

(ग) बाद में किसी अन्य सामग्री के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण.** - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति -

(i) " प्रमुख" का अर्थ है, -

(क) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका रजिस्ट्रार (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए),

(ख) किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसके प्रधानाचार्य, (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं),

(ग) किसी संस्था के संबंध में, उसका निदेशक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए)।

(ii) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित एक संस्थान,

(ख) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई संस्था,

	<p>(ग) किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या उससे संबद्ध महाविद्यालय, (घ) सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या नियंत्रित एक अनुसंधान संस्थान।</p>
71.	<p>यदि आयातक, निकासी के समय और स्थान पर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को, महासागर विकास विभाग में संयुक्त सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि पोत को ऐसे अनुसंधान या संग्रहण कार्य के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है।</p>
72.	<p>अगर,</p> <p>(i) ऐसे संग्रहालय या कला दीर्घा का संचालन करने वाला प्रतिष्ठान स्वयं ही आयातक है, जो ऐसी कलाकृतियों या प्राचीन वस्तुओं का क्रेता या स्वामी है;</p> <p>(ii) आयातक, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष यह वचनबद्धता प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार आयातित माल का उपयोग सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किया जाएगा तथा आयात के पश्चात् उसका विक्रय या व्यापार नहीं किया जाएगा और इस शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, वह उक्त माल की ऐसी मात्रा के संबंध में, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाता है कि उसका उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है, ऐसी मात्रा पर इस अधिसूचना के अधीन छूट के बिना उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और</p> <p>(iii) आयातक भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो प्रमाणित करता है कि-</p> <p>(क) आयातक एक संग्रहालय या कला गैलरी चलाता है जो जनता को अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देता है; और</p> <p>(ख) इस प्रकार के संग्रहालय या गैलरी का निर्माण करने वाली इमारत स्पष्ट रूप से संग्रहालय या कला गैलरी के संचालन के लिए है।</p> <p>(iv) ऐसी पुरावशेष वस्तुओं को आयात की तिथि से 90 दिनों के भीतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास पंजीकृत किया जाता है।</p>

73.	<p>अगर, -</p> <p>(i) उक्त माल भारत में आयात किया जाता है, -</p> <p>(क) भारतीय खेल प्राधिकरण या संबंधित राज्य के खेल प्राधिकरण द्वारा भारत या विदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या प्रतियोगिता में उपयोग के लिए या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए, या</p> <p>(ख) राष्ट्रीय खेल महासंघ को अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने राज्य/जिला संबद्ध संघों के उपयोग के लिए, भारत या विदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या प्रतियोगिता में या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत, या</p> <p>(ग) रक्षा मंत्रालय में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत, अपने स्वयं के उपयोग के लिए या भारत या विदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या प्रतियोगिता में उपयोग के लिए या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए।</p> <p>(ii) आयातक, माल की निकासी के समय, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को भारतीय खेल प्राधिकरण में निदेशक या अपने स्वयं के आयात के लिए सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड में सचिव या संबंधित राज्य के खेल प्राधिकरण के निदेशक या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें दर्शाया जाता है -</p> <p>(क) आयातक का नाम और पता तथा उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य; और</p> <p>(ख) उक्त माल की आवश्यकता ऊपर शर्त (i) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए है।</p>
74.	<p>(i) उक्त सामान भारत में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयात किया जाता है।</p> <p>(ii) आयातक, माल के आयात के समय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले और खेल विभाग में उप सचिव से नीचे न हो अधिकारी, से सीमा शुल्क</p>

	<p>के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, भारत सरकार जिसमें दर्शाया गया हो -</p> <p>(क) उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य;</p> <p>(ख) आयातक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाला खिलाड़ी है; और</p> <p>(ग) उक्त माल आयातक के प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए आवश्यक है और छूट प्रदान करने की सिफारिश करता है:</p> <p>परन्तु तालिका 1 से संलग्न सूची 24 या 25 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट मद 18, 'निशानेबाजी' के अंतर्गत सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में, उक्त वस्तुओं को प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक प्रसिद्ध निशानेबाज द्वारा भारत में आयात किया जाता है और ऐसा आयातक, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से, यथास्थिति, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातक एक प्रसिद्ध निशानेबाज है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "प्रसिद्ध निशानेबाज" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप में ओपन पुरुष स्पर्धा या ओपन महिला स्पर्धा या ओपन सिविलियन स्पर्धा में भाग लिया हो, चाहे वह अर्हक टूर्नामेंट या वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि के माध्यम से हो, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के नियमों के अनुसार आयोजित किया गया हो, और जिसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया हो।</p> <p>(iii) हथियार और गोलाबारूद विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा लगाए गए लाइसेंसिंग शर्त और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगे।</p>
75.	<p>यदि आयातक, माल की निकासी के समय, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, नई दिल्ली के अध्यक्ष से सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें दर्शाया गया हो -</p> <p>(i) उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य; और</p>

	(ii) उक्त माल का उपयोग पर्वतारोहण अभियान या प्रशिक्षण के संबंध में किया जाना है।
76.	<p>यदि आयातक, माल की निकासी के समय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को, यथास्थिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल विभाग, भारत सरकार में उप सचिव या उससे नीचे न हो, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें उक्त माल को छूट देने की सिफारिश की गई हो और यह दर्शाया गया हो कि, -</p> <p>(i) उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य;</p> <p>(ii) भारतीय खेल प्राधिकरण छूट प्रदान करने की सिफारिश करता है; और</p> <p>(iii) उक्त सामान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आवश्यक है</p>
77.	<p>अगर, -</p> <p>(i) उक्त माल को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा भारत में आयात किया जाता है;</p> <p>(ii) आयातक, माल की निकासी के समय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को, यथास्थिति, भारतीय खेल प्राधिकरण में निदेशक या उससे नीचे न हो, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें उक्त माल को छूट देने की सिफारिश की जाती है और यह दर्शाया जाता है कि, -</p> <p>(क) उक्त माल के आयातक का नाम और पता;</p> <p>(ख) उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य; और</p> <p>(ग) उक्त सामान प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक है</p>
78.	<p>यदि आयातक, माल की निकासी के समय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को, जैसा भी मामला हो, युवा मामले और खेल मंत्रालय में निदेशक के या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि -</p> <p>(i) आयातक का नाम और पता तथा उक्त माल का विवरण, मात्रा और मूल्य; और</p>

	(ii) उक्त सामान एंटी-डोपिंग और डोप परीक्षण के संबंध में आवश्यक है।
79.	<p>अगर,-</p> <p>(i) उक्त माल को व्यक्तिगत सामान के रूप में, या आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबंधों से छूट प्राप्त उपहार के रूप में, या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी सीमा शुल्क निकासी परमिट या आयात लाइसेंस के अंतर्गत आयात किया गया है; और</p> <p>(ii) यह सामान एक प्रसिद्ध निशानेबाज के उपयोग के लिए है, जिसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित किया गया है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "प्रसिद्ध निशानेबाज" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी ओपन पुरुष स्पर्धा या ओपन महिला स्पर्धा या ओपन सिविलियन स्पर्धा में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप में भाग लिया हो, चाहे वह योग्यता टूर्नामेंट या वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि के माध्यम से हो, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के नियमों के अनुसार आयोजित किया गया हो, और जिसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता स्कोर प्राप्त किया हो।</p>
80.	<p>अगर,-</p> <p>(i) भारत के बाहर किसी टूर्नामेंट में भाग लेने के संबंध में किसी भारतीय टीम को प्रदान किया गया तथा आधिकारिक खेल संघ के पास रखने के लिए भारत लाया गया;</p> <p>(ii) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि टीम टूर्नामेंट में भाग लेने के विशिष्ट उद्देश्य से विदेश गई थी; और</p> <p>(iii) आयातक, साथ ही आधिकारिक खेल संघ जिसके द्वारा माल को रखा जाएगा, एक वचन देता है कि उक्त माल उक्त संघ द्वारा रखा जाएगा और किसी भी तरह से इसका निपटान नहीं किया जाएगा, बाद में पुनः निर्यात को छोड़कर जब ऐसा पुनः निर्यात टूर्नामेंट में भागीदारी के शर्त में से एक हो।</p>

81.	<p>अगर,-</p> <p>(i) भारतीय टीमों के सदस्यों को भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रदान किया जाता है; और</p> <p>(ii) सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त माल सामान्य उपयोग की वस्तु नहीं है</p>
82.	<p>अगर,-</p> <p>(i) टीम ने युवा मामले और खेल विभाग में भारत सरकार के अनुमोदन से किसी भी खेल या खेल से संबंधित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में भाग लिया है;</p> <p>(ii) आयातक, निकासी के समय, उक्त विभाग में भारत सरकार के अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे न हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि,-</p> <p>(क) आयातक किसी भारतीय टीम का सदस्य है जिसने भारत सरकार के अनुमोदन से किसी खेल या क्रीड़ा से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में भाग लिया है और ऐसे टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है; और</p> <p>(ख) उक्त पुरस्कार की घोषणा, ऐसे टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के आयोजन से पहले, उसके आयोजकों द्वारा की गई है; और</p> <p>(iii) आयातक, आयात के समय और स्थान पर सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को वचन देता है कि पुरस्कार उसके कब्जे, नियंत्रण और उपयोग में रहेगा तथा ऐसे आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक उसे बेचा या अलग नहीं किया जाएगा।</p>
83.	<p>अगर-</p> <p>(i) सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त माल सामान्य उपयोग की वस्तु नहीं है;</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ या पंजीकृत खेल निकाय जो अंतर्राष्ट्रीय</p>

	<p>टूर्नामेंट जिसमें शामिल द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप का आयोजन करता है, आयात के समय सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को निम्नलिखित दस्तावेज देता है, अर्थात:-</p> <p>(क) निर्माता का चालान;</p> <p>(ख) ट्रॉफी की तस्वीर;</p> <p>(ग) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ या पंजीकृत खेल निकाय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय निकाय, यदि कोई हो, जिसके आदेश पर ऐसा महासंघ या खेल निकाय भारत में टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, द्वारा आयात के उद्देश्य को बताते हुए एक घोषणा;</p> <p>(घ) घटना की अवधि;</p> <p>(iii) ऐसा महासंघ या खेल निकाय यह वचन देता है कि,-</p> <p>(क) उक्त ट्रॉफी को महासंघ या खेल निकाय द्वारा अपने पास रखा जाता है तथा प्रतियोगिता समाप्त होने तक किसी भी तरीके से उसका निपटान नहीं किया जाता है;</p> <p>(ख) यदि ट्रॉफी भारतीय टीम को प्रदान की जाती है, तो ऐसा महासंघ या खेल निकाय ट्रॉफी को अपने पास रखेगा और किसी भी तरह से उसका निपटान नहीं किया जाएगा;</p> <p>(ग) यदि ट्रॉफी विजेता टीम से भिन्न भारतीय टीम को प्रदान की जाती है, तो उक्त ट्रॉफी निर्यात कर दी जाएगी;</p> <p>(iv) निर्यात के समय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि ट्रॉफी जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भारत में आयोजित द्विपक्षीय टूर्नामेंट और विश्व कप सहित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया है और ट्रॉफी की पहचान स्थापित है।</p>
84.	<p>अगर, -</p> <p>(i) दोषपूर्ण वस्तुएं पहले भारत के बाहर के स्थानों से एक आयातक द्वारा भारत</p>

	<p>में लाई गई थीं, जो एक व्यक्ति है और दोषपूर्ण वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति हैं;</p> <p>(ii) वस्तुएं या उनके घटक भाग, जैसा भी मामला हो, वारंटी अवधि के भीतर आयात किए जाते हैं और वस्तुओं से संबंधित स्थापित व्यापार प्रथा के अनुसार निर्माता द्वारा दी गई वारंटी के संदर्भ में विदेशी निर्माता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति किए जाते हैं;</p> <p>(iii) दोषपूर्ण भागों की मरम्मत जिसमें शामिल प्रतिस्थापन निर्माता द्वारा भारत में अपने एजेंट या शाखा के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है; और</p> <p>(iv) दोषपूर्ण वस्तुओं या उनके घटक भागों को यदि पुनः निर्यात नहीं किया जाता है, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया जाता है।</p>
85.	<p>यदि, -</p> <p>(i) आयातक, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, ऐसी वस्तुओं की मात्रा, विवरण और विशिष्टता दर्शाते हुए, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव के या उससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें निम्नलिखित के लिए अपेक्षित छूट प्रदान करने की सिफारिश की गई हो: -</p> <p>क. विद्युत उत्पादन या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना; या</p> <p>ख. बायो-गैस या बायो-मीथेन या उप-उत्पाद हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों का संतुलन;</p> <p>(ii) आयातक, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को यह वचन देता है कि ऐसी आयातित वस्तुओं का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और यदि आयातक इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसी वस्तुओं के संबंध में, जिनके बारे में यह साबित नहीं होता कि उनका</p>

	इस प्रकार उपयोग किया गया है, ऐसी वस्तुओं पर इस अधिसूचना के अधीन छूट न होने की स्थिति में लगाए जाने वाले शुल्क और आयात के समय पहले ही भुगतान किए जा चुके शुल्क के बीच के अंतर के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
86.	यदि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से माल की निकासी के समय, मृत व्यक्ति द्वारा माल के स्वामित्व के बारे में संबंधित भारतीय मिशन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है
87.	यदि आयातक, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और राशि के लिए बांड निष्पादित करके, उक्त कंटेनरों को उनके आयात की तारीख से छह महीने के भीतर पुनः निर्यात करने और उक्त सहायक आयुक्त की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और आयातक द्वारा ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में उस पर लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करने के लिए स्वयं को बाध्य करता है: परन्तु किसी विशेष मामले में, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, उक्त सहायक आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा छह महीने की पूर्वोक्त अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

### तालिका I में संलग्न सूचियाँ

#### सूची 1 (तालिका I का क्रम संख्या 69 देखें)

- 1) एसिड सोडियम कार्बोनेट (सोडियम बाइकार्बोनेट)
- 2) बैटर
- 3) ब्रेडक्रम्ब्स
- 4) प्री-डस्ट ब्रेडेड पाउडर
- 5) स्टार्च (गेहूँ/गैर-गेहूँ)/प्री-जिलेटिनाइज्ड स्टार्च
- 6) फ्लेवरिंग ऑयल
- 7) फ्लेवरिंग एक्सट्रेक्ट और सॉस

- 8) खाद्य रंग
- 9) खाद्य एंजाइम
- 10) खाद्य मैरिनेट
- 11) खाद्य टेंडराइज़र
- 12) खाद्य ग्रेड फॉस्फेट
- 13) प्राकृतिक खाद्य गोंद
- 14) सोडियम साइट्रेट
- 15) सीज़निंग सॉल्ट/एसिड जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट
- 16) साइट्रिक एसिड
- 17) सॉर्बिटोल
- 18) ओटीआर फ्रेश फिश बैग (ऑक्सीजन पारगम्य)
- 19) खरीदार की ज़रूरतों के अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन बॉक्स
- 20) खरीदार की ज़रूरतों के अनुसार सॉलिड बोर्ड बॉक्स
- 21) कार्टन या बॉक्स पर टैग करने के लिए आरएफआईडी लेबल

**सूची 2 (तालिका 1 के क्रम संख्या 100 और 101 देखें)**

1. एमिकासिन
2. एम्फोटेरिसिन-बी
3. एप्रोटीनिन
4. बैक्लोफेन
5. ब्लेओमाइसिन
6. क्लोरैम्बुसिल
7. कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफिन
8. क्लिंडामाइसिन
9. डैक्टिनोमाइसिन
10. डोनोरुबिसिन
11. डेसफेरियोक्सामाइन
12. डाइमरकैप्रोल

13. डिसोपाइरामाइड फॉस्फेट
14. डोपामाइन
15. एप्टिफिबेटाइड
16. ग्लूकागन
17. हाइड्रॉक्सीयूरिया
18. आइसोफ्लुरेन
19. लैक्टुलोज
20. लैटानोप्रोस्ट
21. मेथोट्रेक्सेट
22. मस्टिन हाइड्रोक्लोराइड
23. पैन्क्यूरोनियम ब्रोमाइड
24. प्रोटामाइन
25. क्विनिडाइन
26. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट स्पिनकैप और कार्ट्रिज
27. सोडियम हायल्यूरॉनोस्टेराइल 1% और 1.4% घोल
28. थियोगुआनिन
29. टोब्रामाइसिन
30. टेटनस इम्यूनोग्लोबिन
31. ट्राइबाविरिन / रिबाविरिन
32. यूरोकाइनेज
33. उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड
34. वैनकोमाइसिन
35. जिडोवुडिन
36. 5-फ्लूरोयूरेसिल
37. पेर्गोलाइड
38. ट्रोपोनिन-टी के बेडसाइड परख के लिए किट
39. प्रत्यारोपण के लिए दाता अंगों के भंडारण, परिवहन और फलशिंग के लिए घोल
40. मिल्टेफोसिन
41. मिलरिनोन लैक्टेट
42. मेथाक्सी आइसोब्यूटाइल आइसोनाइड्राइल (MIBI)
43. वर्टेपोर्फिन
44. डैकलिजुमाब
45. गैन्सीक्लोविर
46. ड्रोटेकोगिन अल्फा (सक्रिय)
47. जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन
48. कम आणविक भार हेपरिन
49. एफैविरेंज़

50. एमट्रिसिटाबाइन
51. एज़ैथियोप्रिन
52. एंटीनोमाइसिन डी
53. साइटोसिन अरेबिनोसाइड (साइटाराबिन)
54. विनब्लास्टाइन सल्फेट
55. विंक्रिस्टाइन
56. यूरोकोलिन्स सॉल्यूशन
57. पोरैक्टेट अल्फ़ा
58. ट्रोपोनिन-1 संपूर्ण रक्त परीक्षण किट
59. धड़कते दिल की सर्जरी के लिए ब्लोअर/मिस्टर किट
60. फ़्लोरो एंजाइम इम्यूनोएसे डायग्नोस्टिक किट
61. टैबलेट टेलबिवुडिन
62. DTaP-IPV-Hib या PRP-T संयुक्त वैक्सीन
63. इंजेक्शन थायरोट्रोपिन अल्फ़ा
64. इंजेक्शन ओमालिजुमैब
65. एबेटासेप्ट
66. डैप्टोमाइसिन
67. फॉंडापारिनक्स सोडियम
68. इक्साबेपिलोन
69. पेगैप्टानिब सोडियम इंजेक्शन
70. टोसिलिजुमैब
71. कैस्पोफुंगिन एसीटेट
72. डेसफ्लुरेन यूएसपी
73. जिलेटिन और मानव थ्रोम्बिन युक्त हेमोस्टेटिक मैट्रिक्स
74. रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट माध्यम (सोडियम और मेग्लुमिन आयोक्सिटालेमेट, आयोबिट्रिडोल और सोडियम और मेग्लुमिन आयोक्साग्लेट)
75. यट्रियम
76. निलोटिनिब
77. न्यूमोकोकल सैकराइड संयुग्मी टीका, इंजेक्शन के लिए 13-वैलेंट सस्पेंशन में अधिशोषित
78. इंजेक्शन के लिए माइकाफुंगिन सोडियम
79. राल्टेग्राविर पोटेशियम
80. न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड टीका

81. इंजेक्शन के लिए टेम्सरोलिमस सांद्रण
82. नटालिजुमैब
83. सोमाट्रोपिन
84. हेपेटाइटिस बी प्रतिजन का पता लगाने के लिए नैदानिक एजेंट
85. एचआईवी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए नैदानिक किट
86. एंजाइम से जुड़ी प्रतिरक्षा अवशोषक परख किट, एलिसा किट
87. फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + उमेक्लिडिनियम + विलेंटेरोल एफएफ/यूएमईसी/वीआई
88. ब्रेंटुक्सिमैब वेदोतिन
89. ऑक्रेलिजुमैब
90. पर्टुजुमैब
91. पर्टुजुमैब + ट्रैस्टुजुमैब
92. फ़रीसीमैब

**सूची 3 (तालिका I के क्रम संख्या 102 और 103 देखें)**

1. एस्पैरैगिनेज
2. एंटी-ह्यूमन लिम्फोसाइट इम्युनोग्लोबुलिन IV
3. एंटी-ह्यूमन थाइमोसाइट इम्युनोग्लोबुलिन IV
4. बेसिलिक्सिमैब
5. बैरैक्टेंट इंद्रा-ट्रेकियल सस्पेंशन
6. रक्त समूह सीरम
7. जैल में भिगोई गई बर्न थेरेपी ड्रेसिंग
8. रक्तसावी विकारों के निदान हेतु इन विट्रो परीक्षण हेतु बोवाइन थ्रोम्बिन
9. बोवाइन एल्बुमिन
10. सीज़ियम ट्यूब
11. कैल्शियम फोलिनेट
12. कोलेस्टारामिन

13. क्रिसमस फैक्टर कंसन्ट्रेट (कोएगुलेशन फैक्टर IX प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसन्ट्रेट)
14. कोबाल्ट-60
15. कॉर्टिकोस्ट्रॉफिन
16. एड्रोफोनियम
17. एपिरुबिसिन
18. फाइब्रिनोजेन
19. फ्लोक्सुरिडीन
20. फ्लूसाइटोसिन
21. फ्लूडराबाइन फॉस्फेट
22. भ्रूण बोवाइन सीरम (एफबीएस)
23. गैडोलीनियम डीटीपीए डाइमेग्लुमिन
24. गैलियम साइट्रेट
25. गोसेरलिन एसीटेट
26. हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन
27. इडारूबिसिन
28. इडोक्सुरिडीन
29. डी.आई.सी. में नैदानिक परीक्षण हेतु प्रत्यक्ष आकलन हेतु रक्त फाइब्रिनोजेन क्षरण उत्पाद हेतु इम्यूनोएसे किट।
30. अंतःशिरा अमीनो अम्ल
31. अंतःशिरा वसा इमल्शन
32. आयोपैमिडोल
33. आयोहेक्सोल

34. (क) बिलियोमाइसिन में इंडियम (III) (ख) इंडियम 113 स्टेराइल जनरेटर और एल्यूशन सहायक उपकरण (ग) ब्रेन स्कैनिंग किट में इंडियम 113 (घ) लिवर स्कैनिंग किट में इंडियम 113
35. इस्काडोर, सीएलआईए डायग्नोस्टिक किट
36. लेनोग्रास्टिम
37. मंदक के साथ मेट्रिज़ामाइड इंजेक्शन
38. माइकोफेनोलेट मोफेटिल
39. सामान्य मानव प्लाज़्मा
40. सामान्य मानव इम्युनोग्लोबुलिन
41. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेज़ोनेंस कंट्रास्ट एजेंट
42. सामान्य मानव सीरम एल्ब्यूमिन
43. पेनिसिलमाइन
44. पेंटामिडाइन
45. प्रेडनिमुस्टाइन
46. न्यूमोसिस्टिस कैरिनी आईएफ किट
47. प्रोस्टाग्लैंडीन इ1 (पी जी ई 1)
48. रेडियोआइसोटोप टी। 201
49. (क) पीटी परीक्षण के लिए खरगोश मस्तिष्क थ्रोम्बोप्लास्टिन (ख) पीटी परीक्षणों के लिए अभिकर्मक (ग) टीटी परीक्षणों के लिए मानव थ्रोम्बिन
50. घोड़े से उत्पन्न रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन
51. सेवोफ्लुरेन
52. रोकुरोनियम ब्रोमाइड
53. सेप्टोपल बीड्स और चैन
54. सोडियम आर्सेनेट

55. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का घोल
56. शल्य चिकित्सा वाहिकाओं से रक्तस्राव के नियंत्रण के लिए बाँझ अवशोषक हेमोस्टेट
57. स्ट्रॉटियम SR-89 क्लोराइड
58. सकसैमैथोनियम क्लोराइड
59. सेलेनियम-75
60. टेकोप्लानिन
61. टेट्रोफोस्मिन
62. टोकेनाइड
63. ट्राई-आयोडोथायरोनिन
64. ट्राइएथिलीन टेट्रामाइन
65. थ्रोम्बोकाइनेज
66. टेनिपोसाइड
67. ट्रांस-1-डायमिनो साइक्लोहेक्सेन ऑक्सालैटोप्लैटिनम
68. टिकार्सिलिन डिसोडियम और पोटेशियम क्लैवुलनेट संयोजन
69. विन्डेसिन सल्फेट
70. एक्स-रे डायग्नोस्टिक एजेंट, निम्नलिखित:-
  - (i) प्रोपाइलिडोन
  - (ii) एथिल आयोडोफेनिलयून डेसिलेट
  - (iii) आयोडिपैमाइड मिथाइल ग्लूकैमाइन
  - (iv) लिपिडोल अल्ट्रा फ्लूइड
  - (v) पेटेंट ब्लू
71. ज़ालिसटाबाइन
72. एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर कॉन्संट्रेट (VIII और IX)
73. पेम्ब्रोलिजुमाब (कीटूडा)

74. ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन
75. ओसिमर्टिनिब
76. डर्वालुमैब
77. ओनासेमनोजेन अबेपर्वोवेक
78. एस्कमिनिब
79. मेपोलिजुमैब
80. पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
81. दारतुमुमैब
82. दारतुमुमैब सबक्यूटेनियस
83. टेक्लिस्टामैब
84. अमीवन्तमैब
85. एलेक्टिनिब
86. रिस्टिडप्लम
87. ओबिनुटुजुमैब
88. पोलाटुजुमैब वेडोटिन
89. एंट्रेक्टिनिब
90. एटेज़ोलिजुमाब
91. स्पेसोलिमैब
92. वेलाग्लूसेरेज़ अल्फ़ा
93. एगल्सिडेस अल्फ़ा
94. रुरियोक्टोकाँग अल्फ़ा पेगोल
95. इडुरसल्फेटेज़
96. एल्ग्लूकोसिडेस अल्फ़ा
97. लैरोनिडेस

98. ओलिपुडेस अल्फा
99. टेपोटिनिब
100. एवेलुमैब
101. एमिसिजुमैब
102. बेलुमोसुडिल
103. मिग्लुस्टैट
104. वेलमैनेज़ अल्फा
105. एलिरोक्यूमैब
106. एवोलोकुमैब
107. सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट
108. सीआई-इनहिबिटर इंजेक्शन
109. इंकिलसिरन
110. एगल्सिडेस बीटा
111. इमीग्लूसेरेज़
112. एप्टाकाँग अल्फा एक्टिवेटिड रेकोम्बिनेन्त कोगुलाशन फैक्टर VII ए

**सूची 4 (तालिका I का क्रम संख्या 105 देखें)**

क्रम सन.	दावा का नाम	पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम का नाम	पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चलाने वाली दवा कंपनी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एक्सटेंडी(एनजुलाटामाइड)	एक्सटेंडी पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	एस्टेलस फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	डैसैटिनिब (स्प्रीसेल)	स्प्राइसेल असिस्टेंस प्रोग्राम	ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3	निवोलुमैब (ओपडाइटा)	ओएसिस	ब्रिस्टल मायर्स स्क्वब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	हालावेन (एरिबुलिन मेडीलेट) - मेटास्टेटिक स्तन कैंसर, नरम ऊतक सार्कोमा	होप टू हर - 2 टू 3 साइकिल्स परचेज्ड एंड बैलेंसड अपटू डिजीस प्रोग्रेशन	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		हेल्प - ऑल साइकिल्स फॉर बिलो पावर्टी लाइन पेशंट्स	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	ज़ोनेग्रैन (ज़ोनिसामाइड) - मिर्गी के लिए	लाइवफ्री - 33%	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		सपोर्ट टू पेशंट्स फॉर एक्सटेंडिंग इयूरेशन ऑफ़ ट्रीटमेंट ऐज़ दिस इस ए क्रॉनिक थेरेपी	
6	इम्ब्रूविका	1+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
7	ज़िटिगा	3+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
8	वेलकेड 1मिग्रा	3+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
9	वेलकेडे 3.5 मिलीग्राम	1+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
10	कैलेक्स	1+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
11	डैकोजेन	1+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड

12	यॉडेलिस	1+1 पीएपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
13	सिम्पोनी	1 वायल फ्री ऑन फर्स्ट परचेज	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
14	रेमीकेड	5+4 ओन 3 डोस थेरेपी, 6+6 ओन 4 डोस थेरेपी	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
15	इनवेगा सभी SKU	1+1 पीएपी (मेंटेनेंस डोसेस)	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
16	इमाटिनिब (ग्लिवेक)	ग्लिवेक एनओए प्रोग्राम/ग्लिवेक इंटरनेशनल पीएपी	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड.
17	निलोटिनिब (टैसिग्ना)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर /उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
18	रुक्सोलिटिनिब (जकावी)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर /उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
19	एवरोलिमस (एफिनिटर)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर /उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

20	सेरिटिनिब (स्पेक्सिब)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर/उमंग	सैंडोज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	पाज़ोपैनिब (वोट्रिएंट)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर /उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
22	एल्ट्राँम्बोपैग (रेवोलेड)	विन फॉर पेशेंट्स -कैंसर केयर /उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
23	इंडिकेटरोल (सेक्वाज़ा)	विन फॉर पेशेंट्स - सीओपीडी	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड.
24	सेक्यूकिनुमाब (स्कैफो)	विन फॉर पेशेंट्स - स्किनकेयर	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड.
25	ओमालिज़ुमाब (ज़ोलेयर सीएसयू)	विन फॉर पेशेंट्स - स्किनकेयर	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड.
26	रैनिबिज़ुमैब (एक्सेंट्रिक्स)	विन फॉर पेशेंट्स - विजनकेयर	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड.
27	रिटक्सिमैब	स्पर्श - द टच	डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
28	एलॉटिनिब (टार्सेवा)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

29	ट्रेसटुजुमैब (हरक्लोन)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
30	पेरटुजुमैब (पेरजेटा)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
31	ट्रांसटुजुमैब एम्टान्सिन (कैडसिला)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
32	ओबिनुटुजुमैब (गज़ीवा)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	बेवाकिज़ुमैब (एवास्टिन)	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
34	टोसिलिजुमाब (एक्टेमरा)	केयर फॉर जॉइंट्स	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
35	माइकोफेनोलेट मोफेटिल (सेलसेप्ट)	आरंभ	रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
36	एवोनेक्स (इंटरफेरॉन बीटा 1ए)	रीच	यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

37	टायसब्री (मोनोक्लोनल एंटीबॉडी)	रीच	यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	टेक्विडेरा (डाइ-मिथाइल फ्यूमरेट)	रीच	यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	प्लेग्रिडी (पेगीलेटेड इंटरफेरॉन बीटा 1ए)	रीच	यूसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40	सोराफेनिब (नेक्सावर)	नेक्ससीएसपी (नेक्सावर कैसर सर्वाइवरशिप प्रोग्राम)	बायर ज़ाइडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
41	सिर्टुरो (बेडाक्विलाइन)	बेडाक्विलाइन कम्पैशनेट यूज प्रोग्राम	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
42	डार्जलेक्स (डारातुमुमाब)	डारातुमुमाब पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	जैनसेन इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
43	सुटेंट	सुटेंट पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

44	क्रिज़ाल्क	क्रिज़ाल्क पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम-स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	इनलीटा	इनलीटा पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम-स्टार	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
46	पालबेस	पालबेस पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम-प्रेरणा	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
47	एनब्रेल	एनब्रेल पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर लिमिटेड
48	ज़ेलजान्ज़	ज़ेलजान्ज़ पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49	जेनट्रोपिन	जेनट्रोपिन पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

50	अटगाम	अटगाम पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
51	एरोमासिन	अरोमासिन पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
52	कैम्प्टो	कैम्प्टो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53	पेम्ब्रोलिजुमाब	की - पीएपी 1.0	एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स
54	पेम्ब्रोलिजुमाब	किरण	एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स
55	लोरलाटिनिब	लोब्रिक्वाकेयर	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
56	डैकोमिटिनिब	डकोकेयर	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
57	इनोटुजुमैब ओज़ोगैमिसिन	हेमाकेयर	फाइजर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

58	राइबोसिक्लिब	उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
59	डैब्राफेनीब	उमंग	नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
60	सेलुमेटिनिब	एस्ट्राजेनेका फार्मा पीएपी	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड
61	बेनरालिजुमैब	एस्ट्राजेनेका फार्मा पीएपी	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड
62	फुलवेस्ट्रेंट	एस्ट्राजेनेका फार्मा पीएपी	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड
63	अकालाब्रुटिनिब	एस्ट्राजेनेका फार्मा पीएपी	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड
64	ओलापारिब	एस्ट्राजेनेका फार्मा पीएपी	एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड
65	अमिवंतामब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड

66	टेक्लिस्टामैब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
67	उस्टेकिनुमाब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
68	डाराटुमुमाब और हायलूरोनिडेस- fihj	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
69	इब्रुटिनिब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
70	बोर्टेज़ोमिब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
71	डाराटुमुमाब	जॉनसन एंड जॉनसन पीएपी	जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड
72	सेटुक्सीमब	रेनबो पीएपी	मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड

73	एवेलुमैब	माय बावेन्सियो असिस्ट प्रोग्राम	मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
74	टेपोटिनिब	माय टेपमेटको पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम	मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
75	ब्रेटुक्सिमैब वेडोटिन	टेकेडा पीएपी	टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
76	वेडोलिजुमाब	टेकेडा पीएपी	टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
77	वेलाग्लूसेरेज़ अल्फा	टेकेडा पीएपी	टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
78	एगल्सिडेस अल्फा	टेकेडा पीएपी	टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
79	इडुरसल्फेज	टेकेडा पीएपी	टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
80	मेपोलिजुमाब	जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

81	एलेक्टिनिब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82	रिस्टिडप्लाम पाउडर	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
83	एमिसिजुमाब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
84	एटेजोलिजुमाब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
85	पर्टुजुमैब + ट्रैस्टुजुमैब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
86	ओक्रेलिजुमैब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
87	पोलाटुजुमैब वेडोटिन	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

88	फ़ारिसीमैब	ब्लू ट्री	रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
89	लुस्पैटरसेप्ट	ब्रिस्टल-मायर्स पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम	ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

**सूची 5 (तालिका I का क्रम संख्या 106 देखें)**

क्र. सं.	आइटम विवरण
1	क्लोरीन
2	हीलियम
3	सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड
4	जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड
5	फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड
6	सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ऑक्सीजन
7	ओलिगोपॉली आइसोसाइनेट एथिल-एसीटेट घोल
8	फाइबर के लिए रंगीन स्याही
9	पॉलीयूरेथेन या विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसीटेट कोपोलिमर का बाइंडर
10	यूवी रेज़िन 1 और 2/रिबन मैट्रिक्स

11	नायलॉन-12 / ईथर एस्टर इलास्टोमर
12	रंगीन नायलॉन 12/ नायलॉन 11/ईथर एस्टर इलास्टोमर
13	लम्बी पॉलीथीन टेप
14	पॉलिएस्टर टेप
15	नायलॉन धागा/पानी में फूलने योग्य सूत
16	पॉलीइथिलीन कॉर्ड
17	द्विअक्षीय उन्मुख नायलॉन टेप
18	सिलिका ट्यूब / रॉड, प्रीफॉर्म से भिन्न
19	अरामिड यार्न
20	संसेचित ग्लास फाइबर सुदृढीकरण (ग्लास रोविंग्स)
21	रिप कॉर्ड
22	नायलॉन 11
23	शीथिंग के लिए कम धुआँ शून्य हैलोजन यौगिक
24	कांच का धागा / रोविंग्स
25	एक्रिलेट विलयन में जटिल उच्च आणविक भार रेजिन
26	एक्रिलेटेड मोनोमर्स
27	फोटोइनिशिएटर
28	टर्ट ब्यूटाइल पेरबेंजोएट
29	लंबे फैटी एसिड मिश्रण का जिंक साबुन
30	संशोधित पॉलीप्रोपाइलीन
31	एथिलीन एक्रिलिक एसिड (ईएए)/विनाइल एस्टर

**सूची 6 (तालिका I का क्रम संख्या 106 देखें)**

क्र. सं.	आइटम विवरण
1	कांच का धागा/रोविंग्स
2	यूवी रेज़िन
3	एक्रिलेट विलयन में जटिल उच्च आणविक भार रेज़िन
4	एक्रिलेटेड मोनोमर्स
5	फोटोइनिशिएटर
6	टर्ट ब्यूटाइल पेरबेंजोएट
7	लंबे फैटी एसिड मिश्रण का जिंक साबुन
8	संशोधित पॉलीप्रोपाइलीन
9	एथिलीन एक्रिलिक एसिड (ईएए)/विनाइल एस्टर

**सूची 7 (तालिका I का क्रम संख्या 114 देखें)**

1. प्लास्टिक एलिसा प्लेटें;
2. मानव एवं पशु रोगों के विरुद्ध निष्क्रिय धनात्मक नियंत्रण सीरम;
3. एंजाइम हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज;
4. एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज;
5. एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज;
6. पशु मानव-विरोधी इम्युनोग्लोबिन;
7. प्रोटीन ए या प्रोटीन ए गोल्ड संयुग्म;
8. पॉलीस्टाइरीन लेटेक्स मोती;
9. निष्क्रिय एंजाइम लेबल वाला मानव एचआईवी-रोधी अभिकर्मक;

10. एंटीबाँडी या एंटीजन या प्रोटीन ए के एंजाइम संयुग्म;
11. मानव एवं पशु रोगों से संबंधित प्राकृतिक या सिंथेटिक या पुनः संयोजक एंटीजन;
12. मानव एवं पशु रोगों से संबंधित एंटीबाँडी (मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल);
13. एंजाइम संयुग्म के लिए स्टेबलाइजर

### **सूची 8 (तालिका I का क्रम संख्या 134 देखें)**

1. ईवीए और पॉलीओलेफिन इलास्टोमर्स (पीओई) रेज़िन;
2. ईवीए और पॉलीओलेफिन इलास्टोमर्स (पीओई) मास्टर बैच;
3. पॉलीएथिलीन टैरेफ्थलेट (पीईटी) फिल्म;
4. पॉली विनाइल फ्लोराइड (पीवीएफ);
5. पॉली विनाइल डाइ-फ्लोराइड (पीवीडीएफ);
6. ईवीए या पीओई के लिए ट्राइमेथिलोलप्रोपेन ट्राइ एक्रिलेट (टीएमपीटीए);
7. ईवीए या पॉलीओलेफिन इलास्टोमर्स (पीओई) एडिटिव - "टाइक्रॉस";
8. चिपकने वाला रेज़िन; और
9. चिपकने वाला हार्डनर

### **सूची 9 (तालिका I का क्रम संख्या 141 देखें)**

1. फोटो फ्रेम का पिछला भाग, फोटो फ्रेम/बॉक्स के लिए फिटिंग
2. निर्यात उत्पादों पर लगाने के लिए मोटिफ
3. लैंप शेड के लिए सजावटी कागज़
4. फोटो फ्रेम के लिए प्रिंट
5. फर्नीचर के लिए हार्डवेयर पीतल और धातु की फिटिंग
6. कटलरी के लिए हैंडल/ब्लेड
7. इनले कार्ड, सेंसर, स्टिकर, पॉली बैग, अलार्म टैग, अलार्म चिप्स, सुरक्षा चिप्स
8. ज़िपर, ज़िपर हेड, फास्टनर, पुलर, स्लाइडर, एंड स्टॉपर, आईलेट, हुक, आई, रिबेट्स,

- स्टड, बटन, मैग्नेट बटन, बकल, फ्यूज़िबल एम्ब्रॉयडरी प्रिंट, सेक्विन, मेटल चेन, डॉग हुक, 'डी' रिंग, 'ओ' रिंग, ब्रिज फिटिंग, मेटल फ्रेम/बैग फ्रेम, मेटल लेटर/इंटीरियर प्लेट/लोगो
9. प्लास्टिक/स्टेनलेस स्टील/धातु के डिस्पेंसर के लिए नल/लोशन पंप
  10. इलेक्ट्रिक लैंप/टेबल लैंप/वॉल लैंप/सीलिंग लैंप/डोर लैंप/विंडो लैंप/गार्डन लैंप/वायर रोल/क्रिसमस अलंकरण पर लगाने के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट्स
  11. निर्यात उत्पाद की बेहतर फिनिश के लिए आवश्यक रसायन/लाह
  12. लकड़ी पॉलिश सामग्री
  13. समुद्री शंख, मोती की माँ (एमओपी), मवेशियों के सींग और हड्डी की सामग्री
  14. घड़ी की गति
  15. चिपकने वाला पदार्थ/गोंद
  16. प्राकृतिक आवश्यक तेल/सुगंधित रसायन
  17. कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और 120 वोल्ट के बल्ब
  18. रेजिन

**सूची 10 (तालिका I का क्रम संख्या 142 देखें)**

1. बटन और स्नैप फास्टनर, जिप फास्टनर सहित फास्टनर
2. इनले कार्ड
3. बकल, आईलेट, हुक और आई, रिवेट्स
4. कॉलर स्टे, कॉलर पैटीज़, बटरफ्लाई और प्लास्टिक स्टे सहित अन्य परिधान स्टे
5. कढ़ाई वाले मोटिफ या प्रिंट
6. लेस
7. कढ़ाई वाले बैज सहित बैज
8. सेक्विन
9. टॉगल
10. स्टड
11. प्रिंटेड बैग
12. लेबल, टैग और सेंसर जैसे चोरी-रोधी उपकरण
13. पॉली पाउच, उच्च घनत्व वाले स्टिकर, हीट ट्रांसफर स्टिकर

14. ड्राँ स्ट्रिंग्स-हुडेड जैकेट पर एग्लेट
15. पैकिंग के लिए पिन बुलेट, प्लास्टिक टैग बुलेट, मेटल टैब, बो, रिंग और स्लाइडर और रिंग;
16. अस्तर और अस्तर सामग्री
17. गीला नीला क्रोम टैन्ड चमड़ा
18. गीला सफ़ेद चमड़ा
19. क्रस्ट चमड़ा
20. सभी प्रकार के तैयार चमड़े
21. सुदृढीकरण सामग्री
22. सभी प्रकार के लेबल या मूल्य टैग या हेंग टैग
23. पॉलीयूरेथेन
24. ड्राँ कॉर्ड या डोरी
25. इलास्टिक बैंड या टेप
26. धातु टैब या स्टॉपर या क्लिप
27. टेप
28. वेल्क्रो टेप
29. डाई सेट
30. डी-रिंग

**सूची 11 (तालिका I का क्रम संख्या 143 देखें)**

1. बकल, "डी" रिंग और "ओ" रिंग, आईलेट, हुक और आई, रिवेट्स, स्टड, सजावटी फिटिंग और धातु की सजावट
2. बटन और स्नैप फास्टनर, ज़िप फास्टनर
3. चुंबकीय ताले सहित ताले

4. धातु के हैंडल, हैंडल फिटिंग, हैंडल होल्डर, धातु के फ्रेम, डॉग हुक, सभी प्रकार के लोगो, रिंग बाइंडर, की हुक, की रिंग, की होल्डर, पुश क्लिप, चैन, पुलर, पुलर के पुर्जे, कब्जे और चुंबकीय स्नैप
5. लूप रिवेट्स और लूप ओवल
6. पैकेजिंग बॉक्स
7. सैडल ट्री
8. धातु या मिश्र धातु से बनी फिटिंग, स्नैप
9. धातु की फिटिंग, अलंकरण, किसी भी सामग्री की वेबिंग
10. सैडल ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी सामग्री का रकाब और रकाब पट्टियाँ
11. कृत्रिम फर और अलार्म टैग
12. चमड़े के सामान में इस्तेमाल होने वाले चुंबक
13. लेबल या मूल्य टैग या हेंग टैग
14. गीला नीला क्रोम टैन्ड चमड़ा
15. गीला सफ़ेद चमड़ा
16. क्रस्ट चमड़ा
17. सभी प्रकार का तैयार चमड़ा
18. सुदृढीकरण सामग्री
19. अस्तर या इंटरलाइनिंग सामग्री (सिंथेटिक या पॉली विनाइल क्लोराइड या पॉलीयूरेथेन या कपड़ा)
20. लेस
21. इनसोल या मिड-सोल और उसकी शीट या बोर्ड
22. शैंक बोर्ड
23. स्टिफ़नर
24. पॉलीयूरेथेन, थर्मोप्लास्टिक रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, फ़ाइलॉन, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर के यूनिट सोल और शीट, जिनमें पॉलीयूरेथेन पेंट, कलर पेस्ट और पिगमेंट शामिल हैं
25. थर्मोप्लास्टिक शीट
26. टो कैप और टो पफ और काउंटर
27. सिंथेटिक या पॉलीमरिक फ़ोम
28. सुरक्षात्मक स्टील टो कैप और स्टील मिड सोल
29. हील्स
30. रिफ्लेक्टिव टेप या फ़ैशन टेप या इलास्टिक टेप या वेल्क्रो टेप

31. सजावटी वस्तुओं के रूप में चैटन या स्टोन या बीड्स या क्रिस्टल
32. बीडिंग सामग्री (सिंथेटिक या चमड़ा या कपड़ा)
33. पॉलीयूरेथेन

**सूची 12 (तालिका I का क्रम संख्या 181 देखें)**

क्र. सं.	शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7017 10 00 या 7020 00	अर्धचालक वेफर्स के उत्पादन के लिए विसरण और ऑक्सीकरण भट्टियों में डालने के लिए डिजाइन किए गए क्वार्ट्ज रिएक्टर ट्यूब और धारक।
2.	8419 89 या 8486	अर्धचालक उत्पादन के लिए रासायनिक वाष्प जमाव उपकरण।
3.	8419 90 या 8486	अर्धचालक उत्पादन के लिए रासायनिक वाष्प जमाव उपकरण के भाग।
4.	8421 19 या 8486	अर्धचालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन ड्रायर।
5.	8421 91 00 या 8486	अर्धचालक वेफर प्रसंस्करण के लिए स्पिन ड्रायर के भाग।
6.	8424 89 या 8486	इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से पहले अर्धचालक पैकेजों के धातु लीडों से संदूषकों को साफ करने और हटाने के लिए डिफ्लैश मशीनें।
7.	8424 89 या 8486	अर्धचालक वेफर्स की नक्काशी, स्ट्रिपिंग या सफाई के लिए छिड़काव उपकरण।
8.	8424 90 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स की नक्काशी, स्ट्रिपिंग या सफाई के लिए छिड़काव उपकरणों के भाग।
9.	8456 11 00 या 8456 12 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के उत्पादन में किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम द्वारा कार्य करने के लिए मशीनें।
10.	8456 90 10 या 8486	किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा, उक्त प्रथम अनुसूची के अर्धचालक पदार्थों पर शुष्क-नक्काशी पैटर्न के लिए मशीन उपकरण।
11.	8486 40 00	अर्धचालक उपकरणों पर पैटर्न के लिए मास्क और रेटिकल्स का

		उत्पादन या मरम्मत करने के लिए फोकस्ड आयन बीम मिलिंग मशीनें।
12.	8456 90 90 या 8486	लेजर बीम द्वारा अर्धचालक उत्पादन में संपर्क पटरियों को काटने के लिए लेजर कटर।
13.	8464 10 या 8486	मोनोक्रिस्टल अर्धचालक बॉल्स को स्लाइस में काटने या वेफर्स को चिप्स में काटने के लिए मशीनें।
14.	8464 20 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के प्रसंस्करण के लिए पीसने, पॉलिश करने और लैपिंग मशीनें।
15.	8464 90 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर अंकन या स्कोरिंग के लिए डाइसिंग मशीनें।
16.	8466 91 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के प्रसंस्करण के लिए पीसने, पॉलिश करने और लैपिंग मशीनों के भाग।
17.	8466 91 00 या 8486	मोनोक्रिस्टल अर्धचालक बॉल्स को स्लाइस में या वेफर्स को चिप्स में काटने के लिए मशीनों के भाग।
18.	8466 91 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर अंकन या स्कोरिंग के लिए डाइसिंग मशीनों के भाग।
19.	8466 93 या 8486	अर्धचालक उपकरणों पर पैटर्न के लिए मास्क और रेटिकल्स का उत्पादन या मरम्मत करने के लिए फोकस्ड आयन बीम मिलिंग मशीनों के भाग।
20.	8466 93 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के उत्पादन में किसी भी सामग्री को हटाने, लेजर या अन्य प्रकाश या फोटो बीम द्वारा काम करने के लिए मशीनों के भाग।
21.	8466 93 या 8486	अर्धचालक पदार्थों पर शुष्क-नक्काशी पैटर्न के लिए मशीनों के भाग।
22.	8466 93 या 8486	लेजर बीम द्वारा अर्धचालक उत्पादन में संपर्क पटरियों को काटने के लिए लेजर कटर के भाग।
23.	8466 93 या 8486	अर्धचालक वेफर्स को अलग करने या साफ करने के लिए उपकरण के भाग।
24.	8477 10 00 या 8479 89	अर्धचालकों के संयोजन के लिए एनकैप्सुलेशन उपकरण।
25.	8477 90 00 या 8479 90	अर्धचालकों के संयोजन के लिए एनकैप्सुलेशन उपकरण के भाग।
26.	8479 50 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स, कैसेट, वेफर बॉक्स और अर्धचालक उपकरणों के लिए अन्य सामग्री के परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण के लिए स्वचालित मशीनें।
27.	8479 89 या 8486	मोरियोक्रिस्टल अर्धचालक बॉल्स को उगाने या खींचने के लिए उपकरण।

28.	8479 89 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के लिए एपीटैक्सियल जमाव मशीनें।
29.	8479 89 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर स्पटरिंग द्वारा भौतिक निक्षेपण के लिए उपकरण।
30.	8479 89 या 8543 30 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले को गीला-नक्काशी, विकसित करने, अलग करने या साफ़ करने के लिए उपकरण।
31.	8479 89 या 8486	अर्धचालकों के संयोजन के लिए डाई अटैच उपकरण, टेप स्वचालित बॉन्डर्स और वायर बॉन्डर्स।
32.	8479 89 या 8486	अर्धचालक लीड को मोड़ने, मोड़ने और सीधा करने के लिए मशीनें।
33.	8479 89 या 8486	अर्धचालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेपण उपकरण।
34.	8479 89 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर फोटोग्राफिक इमल्शन कोटिंग के लिए स्पिनर।
35.	8479 90 या 8486	मोनोक्रिस्टल अर्धचालक बॉल्स को विकसित करने या खींचने के लिए उपकरण के भाग।
36.	8479 90 या 8486	अर्धचालक वेफर्स के लिए एपिटैक्सियल डिपोजिशन मशीनों के भाग।
37.	8479 90 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर स्पटरिंग द्वारा भौतिक निक्षेपण के लिए उपकरण के भाग।
38.	8479 90 या 8486	अर्धचालकों के संयोजन के लिए डाई अटैच उपकरण, टेप स्वचालित बॉन्डर्स और वायर बॉन्डर्स के लिए भाग।
39.	8479 90 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर फोटोग्राफिक इमल्शन कोटिंग के लिए स्पिनरों के भाग।
40.	8479 90 या 8543 90 00 या 8486	गीले-नक्काशी, विकास, स्ट्रिपिंग या अर्धचालक वेफर्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले की सफाई के लिए उपकरण के भाग।
41.	8479 90 या 8486	अर्धचालक वेफर्स, वेफर कैसेट, वेफर बॉक्स और अर्धचालक उपकरणों के लिए अन्य सामग्री के परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण के लिए स्वचालित मशीनों के भाग।
42.	8479 90 या 8486	अर्धचालक लीड को मोड़ने, मोड़ने और सीधा करने के लिए मशीनों के भाग।
43.	8479 90 या 8486	अर्धचालक उत्पादन के लिए भौतिक निक्षेपण उपकरण के भाग।
44.	8480 71 00 या 8486	अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए इंजेक्शन और संपीड़न मोल्ड।

45.	8514 19 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रतिरोध तापित भट्टियां और ओवन।
46.	8514 20 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रेरण या परावैद्युत भट्टियां और ओवन।
47.	8514 90 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स पर अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रतिरोध तापित भट्टियों और ओवन के भाग।
48.	8514 31 00 या 8514 32 00 या 8514 39 00 या 8486	अर्धचालक वेफर्स को तेजी से गर्म करने के लिए उपकरण।
49.	8514 90 00 या 8486	शीर्षक संख्या 8514 11 से 8514 39 तक की भट्टियों और ओवन के भाग।
50.	8514 90 00 या 8486	वेफर्स को तेजी से गर्म करने के लिए उपकरण के भाग।
51.	8543 10 10 या 8486	अर्धचालक पदार्थों के डोपिंग के लिए आयन इम्प्लांटर्स।
52.	8543 या 9017 20	एक प्रकार का पैटर्न उत्पन्न करने वाला उपकरण जिसका उपयोग फोटोरेसिस्ट लेपित सबस्ट्रेट से मास्क या रेटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है।
53.	8543 90 00 या 8486	अर्धचालक पदार्थों के डोपिंग के लिए आयन इम्प्लांटर्स के भाग।
54.	8543 90 00 या 9017 90 00	फोटोरेसिस्ट लेपित सबस्ट्रेट से मास्क या रेटिकल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैटर्न जनरेटिंग उपकरण के भाग और सहायक उपकरण।
55.	8486 20 00	संवेदनशील अर्धचालक पदार्थों पर सर्किट पैटर्न के प्रक्षेपण या चित्रण के लिए उपकरण।
56.	8486 90 00	शीर्षक क्रमांक 901041 से 901049 तक के उपकरण के पुर्जे और सहायक उपकरण
57.	9011 10 00	ऑप्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी, अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
58.	9011 20 00	फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी, अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
59.	9011 90 00	ऑप्टिकल स्टीरियोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी के भाग और सहायक उपकरण, जो विशेष रूप से अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और

		परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
60.	9011 90 00	फोटोमाइक्रोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी के भाग और सहायक उपकरण, जो विशेष रूप से अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
61.	9012 10	इलेक्ट्रॉन बीम सूक्ष्मदर्शी, अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
62.	9012 90 00	इलेक्ट्रॉन बीम सूक्ष्मदर्शी के भाग और सहायक उपकरण, जो विशेष रूप से अर्धचालक वेफर्स या रेटिकल्स के संचालन और परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों से सुसज्जित होते हैं।
63.	9030 90	अर्धचालक वेफर्स या उपकरणों को मापने या जांचने के लिए उपकरणों और तंत्रों के भाग और सहायक उपकरण तथा उपकरणों के भाग।
64.	9031 41 00	ऑप्टिकल उपकरण और उपकरण, अर्धचालक वेफर्स या उपकरणों के निरीक्षण के लिए या अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त फोटोमास्क या रेटिकल्स के निरीक्षण के लिए।
65.	9031 49 00	अर्धचालक वेफर्स पर सतह कण संदूषण को मापने के लिए ऑप्टिकल उपकरण और उपकरण।
66.	9031 90 00	अर्धचालक वेफर्स या उपकरणों के निरीक्षण के लिए या अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त मास्क, फोटोमास्क या रेटिकल्स के निरीक्षण के लिए ऑप्टिकल उपकरणों और उपकरणों के भाग और सहायक उपकरण।
67.	9031 90 00	अर्धचालक वेफर्स पर सतह कण संदूषण को मापने के लिए ऑप्टिकल उपकरणों और उपकरणों के भाग और सहायक उपकरण।
68.	कोई भी अध्याय	उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 67 तक निर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं, शर्त के अधीन कि आयातक सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

**सूची 13 (तालिका I का क्रम संख्या 198 देखें) - 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी और 31 मार्च, 2026 तक वैध**

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. फेडरल बैंक लिमिटेड
4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

7. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
8. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
9. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. आरबीएल बैंक लिमिटेड
12. भारतीय स्टेट बैंक
13. यस बैंक लिमिटेड

**सूची 14 (तालिका I का क्रम संख्या 198 देखें)- 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी और 31 मार्च, 2026 तक वैध**

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**सूची 15 (तालिका I का क्रम संख्या 198 देखें)**

1. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड.
2. एमएसटीसी लिमिटेड
3. डायमंड इंडिया लिमिटेड

## सूची 16 (तालिका I का क्रम संख्या 229 देखें)

क्र. सं.	शीर्षक/ टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7304	प्रीमियम/क्रोम केसिंग पाइप और ट्यूबिंग के साथ सहायक उपकरण, कनेक्शन, क्रॉसओवर, कपलिंग, उप-समुद्री पाइपलाइन जिसमें शामिल वेट कोटिंग और रैपिंग - एपीआई 5एल (अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट) लाइन पाइप एपीआई सूची के अनुलग्नक- जे और अनुलग्नक- एच की आवश्यकता का अनुपालन करता है
2.	8207	पृथ्वी की खुदाई और चट्टान की ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग बिट्स
3.	8413, 8414, 8481, 842129, 843143, 847989, 847990, 842199, 730799, 854999, 853710, 841989, 842123	प्रक्रिया और उत्पादन मंच के लिए आवश्यक उपकरण जैसे जल इंजेक्शन, गैस टरबाइन, उप-सतही पंप और सभी प्रकार के कंप्रेसर, उप-सतही पंप और चूसने वाली रॉड पंप, उच्च दबाव वाल्व, एमईजी पुनर्ग्रहण और पुनर्जनन सुविधाओं और गैस निर्जलीकरण इकाई के लिए उपकरण / इकाइयां, गैस इंजन, गैस जनरेटर, फिल्टर और फिल्टरिंग उपकरण, अमीन प्लांट
4.	8430	तेल और गैस रिग (तटीय) अपतटीय और तटवर्ती पेट्रोलियम परिचालनों के लिए विशेष सेवाओं हेतु पेट्रोलियम और गैस कुआं ड्रिलिंग मशीनरी और उपकरण/इकाइयाँ
5.	8475, 8481 80	उच्च तापमान वाल्व, उप-समुद्री वाल्व
6.	8531 10 90	अग्नि निवारण संकेत उपकरण
7.	8705 30 00	अग्निशमन वाहन

8.	8905, 898598, 890120, 890400, 732698, 732690, 890790, 560750, 731581, 401693, 847990, 401699, 732690, 843143	तेल और गैस रिग (अपतटीय), प्रक्रिया और उत्पादन प्लेटफार्म और समुद्री जहाज और बजरे जिसमें शामिल टग, सुरक्षा नौकाएँ, आवास कार्य बजरा, भू-तकनीकी जांच और भूभौतिकीय सर्वेक्षण पोत, सहायक पोत, एफपीएसओ, बुर्ज बोय मूरिंग सिस्टम, तेल और गैस रिग और विशेष सेवाओं के लिए उपकरण, रिमोट संचालित वाहन, हल्के जहाज, ड्रेज, फ्लोटिंग क्रेन और अन्य जहाज, जिनकी नौगम्यता उनके मुख्य कार्य के लिए सहायक है, फ्लोटिंग दस्तावेज़, फ्लोटिंग और पनडुब्बी ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्म - मूरिंग रस्सियां, जंजीरें, हथकड़ी, युग्मन मरीन होज़, उत्प्लावन मॉड्यूल और संबंधित उपकरण
9.	8906 90	जीवन रक्षक नौकाएँ, जीवन रक्षक नौकाएँ, जीवन रक्षक नौकाएँ, प्रदूषण नियंत्रण के लिए पोत
10.	8907	तेल भंडारण और उससे जुड़े उपकरणों, अन्य तैरती संरचनाओं (उदाहरण के लिए राफ्ट, टैंक, कॉफ़र बांध, लैंडिंग स्टेज, बाँय और बीकन) के लिए उपयोग किए जाने वाले तेल टैंकर
11.	9015, 870590, 841350	भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय उपकरण, लॉगिंग इकाइयाँ, वाहन पर लगे लॉगिंग इकाइयाँ, पेट्रोलियम संचालन के लिए आवश्यक सर्वेक्षण पोत
12.	9020 00 00	श्वास उपकरण और गैस मास्क
13.	9030 10 00	आग और गैस का पता लगाने वाले उपकरण जिसमें शामिल एच 2एस निगरानी उपकरण
14.	2710 3811 3824 3905 3104 20 00 2915	तेल क्षेत्र के रसायन अर्थात् पोटेशियम फॉर्मेट, खोखला ग्लास स्फीयर ग्रेड-IV, जलीय फिल्म बनाने वाला फोम 6% यूएस मिल, ग्लूटारल्डिहाइड, हाइड्रॉक्सीमेथिल फॉस्फोनियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, कम तापमान पर डीमल्सीफायर, पोटेशियम क्लोराइड, जैथम गम पॉलीमर,

		तेल और गैस कुओं के लिए विशिष्ट सीमेंट एडिटिव्स और सीज़ियम फॉर्मेट
15.	732690, 391729, 730429	छिद्रण बंदूकें/वाहक और सहायक उपकरण, कार्बन/जीआरई ड्रिल पाइप, ड्रिल कॉलर
16.	730791, 731815, 843143, 842139, 730799, 731824, 848190, 848180, 730511, 854442, 730429, 730519, 730890, 843049, 731290, 731829, 820590	उप-समुद्री/तटीय उत्पादन प्रणाली जिसमें शामिल संरचनाएं, क्रिसमस ट्री, नियंत्रण प्रणाली (जिसमें शामिल एचपीयू, ईपीयू, एमसीएस, टीयू टीयू, उप-समुद्री नियंत्रण मॉड्यूल, पुनर्प्राप्ति योग्य उत्पादन मॉड्यूल), टाई-इन प्रणाली, जम्पर, एच आई पी पी एस, विद्युत/फाइबर ऑप्टिक और स्टील फ्लाइंग लीड, गूज़नेक, पीएलईटीएस, एसएसआईवी, आईएलएस, पीएलआर, वेलहेड्स, अम्बिलिकल्स, मैनिफोल्ड्स, फाउंडेशन पाइल्स, होल्ड बैक सिस्टम, एंकर पाइल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, लचीले राइजर और फ्लोलाइन, बकल अरेस्टर, बेंड रेस्ट्रिक्टर, अम्बिलिकल टर्मिनेशन हेड, बेंड स्टिफनर कनेक्टर, सेपरेटर
17.	847990, 401693, 843143, 392690, 741529, 843139; 731815; 841221; 842129; 847989, 843049, 850511, 732690	वायरलाइन मछली पकड़ने के उपकरण और लॉगिंग इकाइयों और उपकरणों में प्रयुक्त स्टील के सामान
18.	741920, 741999, 741980	तांबे की वस्तुएँ
19.	340290, 340239, 391390, 250810, 382499, 250840, 271019	वेलबोर सफाई में प्रयुक्त सर्फेक्टेंट-विलायक (सूक्ष्म-पायस), जल-आधारित विस्कोसिफायर, सिंथेटिक तेल आधारित रियोलॉजी संशोधक, एसओबीएम में प्रयुक्त बेस ऑयल, सिंथेटिक तेल आधारित रियोलॉजी संशोधक और वेटिंग एजेंट, पारंपरिक और एचटीएचपी कुओं के लिए ऑर्गेनोफिलिस क्ले शर्त्स

20.	390290, 340399, 392690, 39139090, 29053990, 271019, 382499, 843143, 847989, 820559	उपकरण/छिद्रण बंदूक जोड़ों के लिए प्रयुक्त विशेष स्नेहक, डाउन होल लॉगिंग उपकरणों में प्रयुक्त सिलिकॉन तेल, हीट श्रिंक स्लीव और हैंडलिंग उपकरण, गो-डेविल-II, ब्लू स्ट्रीक, हाइपर ग्राफ ल्यूब, विशेष हैंडलिंग उपकरण
21.	360200, 360320, 360360, 902789, 360300, 340399, 350691, 6914 90	छिद्रण विस्फोटक, धागा/सिलिकॉन ग्रीस, विशेष धागा लॉकर आरटीवी चिपकाने वाला पदार्थ, हल्के वजन वाले उच्च शक्ति वाले 30/50 जाल और 40/70 जाल का प्रॉपेट, जिसकी 12000 psi पर 2% से कम क्रशेबिलिटी हो
22.	903090, 284444, 284443, 284440	रेडियोधर्मी अवशेष
23.	73, 84, 85, 87, 89 और 90	क्रम संख्या 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 में निर्दिष्ट भागों के लिए माल के संचालन, मरम्मत या रखरखाव के लिए पुर्जे, सहायक उपकरण, उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं, उप-संयोजन, परीक्षण उपकरण, भंडार, पुर्जे, मालिकाना सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण
24.	852380	पेट्रोलियम संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर]

**सूची 17 (तालिका I का क्रम संख्या 239 देखें)**

1. माइक्रोमैनिपुलेटर्स
2. आणविक किरण एक्सपिटेक्सी प्रणाली (एमबीई प्रणाली)
3. रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) प्रणाली - निम्न दाब सीवीडी (एलपी सीवीडी) - धातु कार्बनिक सीवीडी (एमओ सीवीडी)
4. उच्च दबाव ऑक्सीकरण प्रणालियाँ
5. लिथोग्राफी प्रणालियाँ
6. वेफर्स/स्टेपर्स पर सीधा कदम
7. एक्स-रे लिथोग्राफी प्रणालियाँ

8. ई-बीम मास्क बनाने की प्रणाली
9. ई-बीम प्रत्यक्ष लेखन प्रणाली
10. मास्क अलाइनर्स
11. मास्क निरीक्षण प्रणालियाँ (तुलनित्र)
12. वेफर स्क्राइबर या वेफर स्लाइसर या वेफर सॉइंग मशीन या वेफर फ्रैक्चर या इनका कोई संयोजन
13. डाई बॉन्डर्स या वायर बॉन्डर्स या इनका संयोजन
14. वेफर काटने की मशीन
15. रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली
16. स्वच्छ कमरे की हवा की बौछारें
17. वायु और द्रव दोनों में कण मॉनिटर/काउंटर
18. स्वचालित एनकैप्सुलेशन प्रणाली, स्वचालित अंकन/ब्रांडिंग मशीन
19. स्वच्छ कक्ष लामिनार प्रवाह वायु संचालन प्रणाली
20. अल्ट्रा क्लीन रूम उपकरण
21. अति उच्च शुद्धता विखनिजीकृत जल उपचार संयंत्र
22. पीवीडीएफ वेल्डिंग और ऑर्बिटल वेल्डिंग मशीनें
23. अल्ट्रा हाई प्योर (यूएचपी) गैस वितरण प्रणाली
24. विषाक्त गैस वितरण / निगरानी प्रणाली
25. एपिटैक्सी मोटाई, बोरॉन और फॉस्फोरस भार प्रतिशत मापने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड (एफटीआईआर) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
26. एफटीआईआर उपकरण के भाग
27. जमा धातु या ऑक्साइड की मोटाई मापने के लिए इंटरफेरोमीटर और नैनो-स्कैन मीटर
28. अपवर्तक मोटाई, अर्धचालक वेफर पर जमा परतों की मोटाई के मापन के लिए एलिप्सोमीटर
29. डी-ऑक्सो प्यूरिफायर और प्यूरिज़ायर और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन गैसें
30. अर्धचालक वेफर/उपकरण निर्माण हेतु उच्च शुद्धता प्रक्रिया गैसों के उत्पादन हेतु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जनरेटर और सहायक उपकरण
31. अर्धचालक उपकरणों के लिए स्वचालित लीड फ्रेम लोडर
32. अर्धचालक वेफर्स की ऑक्साइड शुद्धता और वाहक सांद्रता मापने के लिए पारा जांच उपकरण और सहायक उपकरण
33. पारा जांच उपकरण के भाग
34. अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त विषैली प्रक्रिया गैसों के लिए धुआँ स्क्रबर
35. अर्धचालक वेफर्स और/या उस पर जमा किसी भी परत की सतह जिसमें शामिल स्थलाकृति की रूपरेखा और माप के लिए उपकरण
36. अर्धचालक वेफर प्रसंस्करण में प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रिया गैसों के लिए द्रव्यमान प्रवाह नियंत्रक (एमएफसी) और स्रोत वाष्पीकरणकर्ता

37. एपिटैक्सियल रिएक्टरों के तापन के लिए आरएफ जनरेटर
38. आरएफ जनरेटर के भाग
39. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयुक्त उपकरण अर्थात् बर्न-इन सिस्टम, नमी मॉनिटर और उसके भाग
40. अर्धचालक निर्माण में प्रयुक्त मोल्डिंग, कटिंग, ट्रिमिंग कार्यों के लिए उपकरण
41. अर्धचालक वेफर उपकरणों के गतिशील विद्युत मापदंडों के मापन के लिए उपकरण
42. अर्धचालक वेफर में जंक्शन के भौतिक मापदंडों को मापने के लिए उपकरण
43. अर्धचालक उपकरणों के लिए स्वचालित ट्रिम और फॉर्म/डाई उपकरण
44. इलेक्ट्रो पॉलिशड एसएस पाइप, स्वेगेलोक फिटिंग्स, नुप्रो बेलो वाल्व, मैनुअल शट-ऑफ वाल्व, नॉन-रिटर्न वाल्व, उच्च शुद्धता वाले गैस और रासायनिक फिल्टर
45. अवरक्त विकिरणित तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पाइरोमीटर
46. प्रक्रिया गैसों की शुद्धता का विश्लेषण करने के लिए गैस क्रोमैटोग्राफ/विश्लेषक
47. विषाक्त गैस मॉनिटर और अलार्म
48. अर्धचालक उद्योग में प्रयुक्त विसरण भट्टी के तापमान प्रोफाइलिंग के लिए मिली-वोल्ट जनरेटर
49. अर्धचालक वेफर्स/उपकरणों के गतिशील विद्युत मापदंडों के मापन के लिए वक्र अनुरेखक
50. अर्धचालक उपकरणों के लिए जीवन काल वाहकों/स्विचिंग समय के मापन हेतु उपकरण
51. फोटोमास्क के लिए प्रिंटर से संपर्क करें
52. डाई शीर परीक्षक
53. दोषों का पता लगाने के लिए मोल्डेड/एनकैप्सुलेटेड उपकरणों के निरीक्षण हेतु एक्सआरपी परीक्षक
54. पीपीएमएस में नमी की मात्रा मापने के लिए ट्रेस नमी विश्लेषक/ओस बिंदु विश्लेषक
55. अर्धचालक निर्माण में यूवी प्रकाश तीव्रता माप उपकरण
56. मास्क बनाने के लिए महत्वपूर्ण आयाम माप प्रणाली

### **सूची 18 (तालिका I का क्रम संख्या 240 देखें)**

1. स्वचालन के साथ या बिना सौर सेल टैबर और स्ट्रिंगर मशीन
2. स्वचालित लैमिनेटिंग और हॉट प्रेसिंग टूल
3. इलेक्ट्रोल्थूमिनसेंट और दृश्य निरीक्षण मशीनें
4. सूर्य सिम्युलेटर या फ्लैश परीक्षक
5. ऑटो बसिंग और सोल्डरिंग उपकरण
6. लेजर कटिंग मशीन
7. आईक्यूसी प्रयोगशाला और विश्वसनीयता कक्ष उपकरण
8. सौर माँड्यूल निर्माण के लिए स्वचालन लाइन
9. वेफर निरीक्षण कैमरा या मशीन

10. वेफर टेक्सचर मशीन
11. वेफर पॉलिशिंग मशीन
12. सौर सेल निर्माण के लिए स्वचालन लाइन
13. प्लाज्मा संवर्धित रासायनिक वाष्प निक्षेपण (पीईसीवीडी) मशीनें
14. निष्क्रियता उपकरण
15. एलडीएसई (लेजर डिटेक्टिव सेलेक्टिव एमिटर) मशीन
16. प्रिंटिंग मशीन (लाइन)
17. गैस निवारण या गैस उपचार प्रणाली
18. सौर फोटोवोल्टिक सेल जिसमें शामिल ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज सिलिकॉन कार्बाइड नौकाओं और नाव सफाई उपकरण में सभी प्रकार की नौकाओं या वाहक
19. वेफर सफाई मशीन
20. सेल परीक्षक और सॉर्टर
21. रीवर्क टूल
22. प्रक्रिया अल्ट्रा-शुद्ध जल उत्पादन इकाई
23. अर्धचालक उपचार इकाई
24. सबस्ट्रेट सफाई और उपचार इकाई
25. रासायनिक वितरण इकाई
26. रासायनिक अनुप्रयोग इकाई
27. कोशिका परिभाषा
28. मॉड्यूल फिनिशिंग यूनिट
29. निरीक्षण माप प्रणालियाँ

**सूची 19 (तालिका I का क्रम संख्या 331 देखें)**

1. डीजल बसें
2. डीजल हाइब्रिड बसें
3. पेट्रोल हाइब्रिड बसें
4. इलेक्ट्रिक बसें
5. उपशीर्ष 870290 के अंतर्गत अन्य बसें
6. 1000 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले पेट्रोल यात्री वाहन
7. 1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अधिक न होने वाले सिलेंडर क्षमता वाले पेट्रोल यात्री वाहन
8. 1500 सीसी से अधिक परंतु 3000 सीसी से अधिक न होने वाले सिलेंडर क्षमता वाले पेट्रोल यात्री वाहन
9. 3000 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले पेट्रोल यात्री वाहन

10. 1500 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले डीजल यात्री वाहन
11. 1500 सीसी से अधिक परंतु 2500 सीसी से अधिक न होने वाले सिलेंडर क्षमता वाले डीजल यात्री वाहन
12. 2500 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले डीजल यात्री वाहन
13. पेट्रोल हाइब्रिड यात्री वाहन
14. डीजल हाइब्रिड यात्री वाहन
15. पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड यात्री वाहन
16. डीजल प्लग-इन हाइब्रिड यात्री वाहन
17. उपशीर्षक 870380 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक यात्री वाहन
18. अन्य यात्री वाहन
19. वाहन (शीर्षक 8703 के अंतर्गत आने वाले जिनका सीआईएफ मूल्य यूएसडी 40,000 से अधिक है)
20. डम्पर
21. डीजल माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक न हो
22. डीजल माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक परंतु 20 टन से अधिक न हो
23. 20 टन से अधिक जी.वी.डब्ल्यू. वाले डीजल माल वाहन
24. पेट्रोल माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक न हो
25. 5 टन से अधिक जी.वी.डब्ल्यू. वाले पेट्रोल माल वाहन
26. डीजल हाइब्रिड माल वाहन जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक नहीं
27. डीजल हाइब्रिड माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक परंतु 20 टन से अधिक न हो
28. डीजल हाइब्रिड माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अधिक है
29. पेट्रोल हाइब्रिड माल वाहन जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक न हो
30. 5 टन से अधिक जी.वी.डब्ल्यू. वाले पेट्रोल हाइब्रिड माल वाहन
31. इलेक्ट्रिक माल वाहन
32. अन्य माल वाहन
33. 50 सीसी तक की सिलेंडर क्षमता वाले दो पहिया वाहन
34. 50 - 250 सीसी के बीच इंजन सिलेंडर क्षमता वाले दो पहिया वाहन
35. 250 - 500 सीसी के बीच इंजन सिलेंडर क्षमता वाले दो पहिया वाहन
36. 500 - 800 सीसी के बीच इंजन सिलेंडर क्षमता वाले दो पहिया वाहन
37. 800 सीसी से अधिक इंजन सिलेंडर क्षमता वाले दो पहिया वाहन
38. दो पहिया वाहन इलेक्ट्रिक
39. अन्य दो पहिया वाहन
40. बॉडी कंट्रोल यूनिट/वाहन नियंत्रण इकाई
41. वाहनों में उपयोग के लिए इन्फोटेनमेंट सिस्टम/इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
42. निष्क्रिय प्रविष्टि निष्क्रिय प्रारंभ

43. सार्वजनिक परिवहन के लिए बुद्धिमान परिवहन प्रणाली
44. सनरूफ
45. ट्रांसमिशन जिसमें शामिल 4 डब्ल्यूडी और ऑटोमैटिक्स
46. इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग सिस्टम
47. वाहनों के स्पीकर और एम्पलीफायर
48. कंप्रेसर
49. हाई-टेक स्विच
50. वर्षा और प्रकाश सेंसर
51. एचवीएसी सिस्टम
52. वाहनों के लिए आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था
53. टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क ट्यूब
54. गतिशील बल लचीला इंजन
55. सेंसर और काँइल
56. कम उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता के लिए इंजन घटक
57. सपाट छाती
58. यांत्रिक मुहरें
59. वैकल्पिक ईंधन प्रणालियाँ
60. इंजन प्रबंधन ईसीयू
61. इलेक्ट्रो वाल्व, संचायक, गियर पंप, रोटार ऑयल पंप
62. मोटर्स
63. हाइड्रोजन वाहन प्रणाली
64. सिलेंडर
65. प्लास्टिक ईंधन टैंक
66. तारों का उपयोग
67. हेड लैंप
68. एजीएस (ट्रांसमिशन) के साथ शिफ्ट टॉवर
69. उपशीर्ष 87089900 के अंतर्गत मोटर वाहनों के अन्य भाग और सहायक उपकरण
70. सीट बेल्ट वेबिंग
71. साइड इंजिन/इम्पैक्ट बीम ट्यूब
72. टैरिफ मद 87089900 के अंतर्गत आने वाले शरीर के अंग
73. ड्राइव चेन
74. ब्लोअर या इंजन क्लिंग या माइक्रो मोटर्स, बीएलडीसी मोटर्स
75. एक्सल सिस्टम
76. ई-लिफ्ट एक्सल
77. इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित वायु निलंबन
78. बुद्धिमान ट्रेलर कार्यक्रम
79. दोहरे द्रव्यमान वाला फलाईव्हील (डीएमएफ)

80. प्रकाश व्यवस्था
81. एयरबैग्स
82. ब्रेकिंग सिस्टम
83. वाहन में उपयोग के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड
84. संपर्क कॉइल - एयरबैग परिनियोजन
85. इम्मोबिलाइज़र-दो पहिया वाहन
86. हॉर्न सिस्टम और घटक
87. इंटरडर
88. उन्नत ग्लेज़िंग समाधान
89. मिश्र धातु पहिये (2W, 4W) प्रणाली और घटक
90. इलेक्ट्रिक वाहन पार्ट्स
91. उच्च वोल्टेज विद्युत वितरण इकाई
92. इलेक्ट्रिक वाहन पंप और मोटर
93. इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ड्राइव यूनिट
94. इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांसमिशन और अन्य वस्तुएँ
95. टैरिफ मद 4011 1010 के अंतर्गत आने वाले टायर

**सूची 20 (तालिका I का क्रम संख्या 331 देखें)**

1. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे, महाराष्ट्र
2. अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी), मानेसर, हरियाणा
3. ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी), चेन्नई, तमिलनाडु
4. भारतीय रबर निर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), ठाणे, महाराष्ट्र
5. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (एन ए टी आर ए एक्स), इंदौर, मध्य प्रदेश
6. केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे, महाराष्ट्र
7. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून, उत्तराखंड
8. केंद्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएमटीटीआई), बुधनी, मध्य प्रदेश
9. रक्षा मंत्रालय का वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर, महाराष्ट्र
10. उत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा

**सूची 21 (तालिका I का क्रम संख्या 385 देखें)**

(क)	(1) ब्रेल लेखक और ब्रेल लेखन उपकरण
	(2) हस्तलेखन उपकरण ब्रेल फ्रेम, स्लेट, लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्क्रिप्ट लेखन मार्गदर्शिकाएँ, स्टाइलस, ब्रेल इरेज़र
	(3) छड़ियाँ, सोनिक गाइड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
	(4) ऑप्टिकल, पर्यावरण सेंसर
	(5) टेलर फ्रेम (अंकगणित और बीजगणित प्रकार), क्यूबरिथम, स्पीकिंग या ब्रेल कैलकुलेटर जैसे अंकगणितीय सहायक उपकरण
	(6) ज्यामितीय सहायक सामग्री जैसे संयुक्त ग्राफ और गणितीय प्रदर्शन बोर्ड, ब्रेल प्रोट्रैक्टर, तराजू, कम्पास और स्पर व्हील
	(7) इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण, जैसे कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, तुलनित्र, गेज, गेज ब्लॉक लेवल, रूलर, रूलर और यार्डस्टिक
	(8) ड्राफ्टिंग, ड्राइंग एड्स, स्पर्शनीय प्रदर्शन
	(9) विशेष रूप से अनुकूलित घड़ियाँ और घड़ियाँ
(ख)	(1) शीर्ष क्रमांक 90 के अंतर्गत आने वाले आर्थोपेडिक उपकरण। प्रथम अनुसूची के 21
	(2) शीर्ष क्रमांक 87 के अंतर्गत आने वाली व्हील चेयर। प्रथम अनुसूची के 13
(ग)	कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र और उसके पुर्जे
(घ)	कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक कान (कोक्लियर इम्प्लांट)
(ङ)	(1) बोलने वाली पुस्तकें (कैसेट, डिस्क या अन्य ध्वनि प्रतिकृतियों के रूप में) और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, ब्रेल एम्बॉसर, बोलने वाले कैलकुलेटर, बोलने वाले थर्मामीटर
	(2) ब्रेल और रिकॉर्ड की गई सामग्री के यांत्रिक या कम्प्यूटरीकृत उत्पादन के लिए उपकरण जैसे ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनल और डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल, ट्रांसफर और प्रेसिंग मशीन और स्टीरियो टाइपिंग मशीन
	(3) ब्रेल पेपर
	(4) सभी मूर्त उपकरण जिसमें शामिल वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, विशेष रूप से दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए
	(5) दृष्टिहीनों की गतिशीलता में सुधार के लिए सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास और बाधा पहचान उपकरण और सफेद छड़ियाँ
	(6) दृष्टिहीनों की शिक्षा, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तकनीकी सहायता जैसे ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियाँ, शिक्षण और सीखने के सहायक उपकरण, खेल और अन्य उपकरण और दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित व्यावसायिक सहायता
	(7) सहायक श्रवण उपकरण, ऑडियोमीटर

	(8) बाहरी कैथेटर, बिस्तर के घावों को रोकने के लिए विशेष जेली कुशन, सीढ़ी लिफ्ट, मूत्र संग्रह बैग
	(9) गंभीर रूप से विकलांग रोगियों के लिए प्रत्यारोपण जिसमें शामिल अस्थि सीमेंट

**सूची 22 (तालिका I का क्रम संख्या 403 देखें)**

1. लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (एलएसडी)
2. एड्रेनोलेकोडिस्ट्रॉफी
3. गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा की कमी (एससीआईडी)
4. क्रोनिक गैनुलोमैटस रोग
5. विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम
6. ऑस्टियोपेट्रोसिस
7. फैनकोनी एनीमिया
8. लारोन सिंड्रोम
9. टायरोसिनेमिया
10. खराब चयापचय नियंत्रण, एकाधिक यकृत एडेनोमा, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए उच्च जोखिम, या पर्याप्त सिरोसिस या यकृत रोग, या प्रगतिशील यकृत विफलता के शर्त के कारण ग्लाइकोजन भंडारण विकार (जीएसडी) I, III और IV
11. मेपल सिरप मूत्र रोग (एमएसयूडी)
12. यूरिया चक्र विकार
13. कार्बनिक अम्लता
14. ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी रोग
15. ऑटोसोमल प्रमुख पॉलीसिस्टिक किडनी रोग
16. फेनिलकेटोनुरिया (पीकेयू)
17. गैर-पीकेयू हाइपरफेनिलएलानिनेमिया शर्त
18. होमोसिस्टिन्यूरिया
19. यूरिया चक्र एंजाइम दोष
20. ग्लूटेरिक एसिड्यूरिया प्रकार 1 और 2
21. मिथाइल मैलोनिक एसिडीमिया
22. प्रोपियोनिक एसिडीमिया
23. आइसोवालेरिक एसिडीमिया
24. ल्यूसीन संवेदनशील हाइपोग्लाइसीमिया
25. गैलेक्टोसिमिया
26. ग्लूकोज गैलेक्टोज कुअवशोषण
27. गंभीर खाद्य प्रोटीन एलर्जी

28. जीएच की कमी
29. प्रेडर विली सिंड्रोम
30. हत्थेदार बर्तन सहलक्षण
31. नूनन सिंड्रोम
32. एसिडेमिया, माइटोकॉन्ड्रियल विकार
33. तीव्र आंतरायिक पोरफाइरिया
34. विल्सन रोग
35. जन्मजात अधिवृक्कीय अधिवृद्धि
36. नवजात शिशु में शुरू होने वाली मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी बीमारी (नोएमआईडी)
37. गौचर रोग प्रकार I और III
38. हर्लर सिंड्रोम [म्यूकोपॉलीसैकेरिसोसिस (एमपीएस) प्रकार I]
39. हंटर सिंड्रोम (एमपीएस II)
40. पोम्पे रोग
41. फैब्री रोग
42. एमपीएस आईवीए
43. एमपीएस VI
44. पुटीय तंतुशोथ
45. इयूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
46. स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी
47. वोलमैन रोग
48. हाइपोफॉस्फेटेसिया
49. न्यूरोनल सेराॅइड लिपोफ्यूशिनोसिस
50. हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स
51. एटिपिकल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम

**सूची 23 (तालिका I का क्रम संख्या 416 देखें)**

क्र. सं.	देश का नाम	नामित एयरलाइन का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	रूस	एयरोफ्लोट
2.	संयुक्त अरब अमीरात	एयर अरेबिया, एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज
3.	कजाखस्तान	एयर अस्ताना
4.	चीन	एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, चाइना सदरन एयरलाइंस

5.	फ्रांस	एयर फ्रांस
6.	मॉरीशस	एयर मॉरीशस
7.	जापान	ऑल निप्पॉन एयरवेज, जापान एयरलाइंस
8.	यूएसए	अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस
9.	अफगानिस्तान	एरियाना अफगान एयरलाइंस, काम एयर
10.	कोरियान गणतन्त्र	एशियाना एयरलाइंस, कोरियन एयर
11.	बहरीन	गल्फ एयर
12.	बांग्लादेश	बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस
13.	यूके	ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक एयरवेज
14.	हांगकांग	कैथे पैसिफिक एयरवेज
15.	ताइवान	चाइना एयरलाइंस
16.	जर्मनी	लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस
17.	भूटान	डुक एयर
18.	मिस्र	मिस्र एयर
19.	इज़राइल	अल-अल-इज़राइल एयरलाइंस
20.	इथियोपिया	इथियोपियन एयरलाइंस
21.	फिनलैंड	फिन एयर
22.	ईरान	ईरान एयर, महान एयर
23.	कुवैत	जज़ीरा एयरवेज, कुवैत एयरवेज
24.	नीदरलैंड	केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस
25.	केन्या	केन्या एयरवेज
26.	मलेशिया	मलेशिया एयरलाइंस
27.	मालदीव	मालदीव
28.	श्रीलंका	श्रीलंकाई एयरलाइंस
29.	म्यांमार	म्यांमार एयरवेज
30.	नेपाल	नेपाल एयरलाइंस
31.	ओमान	ओमान एयर
32.	पाकिस्तान	पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस
33.	ऑस्ट्रेलिया	क्वांटस एयरवेज
34.	कतर	कतर एयरवेज
35.	सऊदी अरब	सऊदी अरब एयरलाइंस
36.	सिंगापुर	सिंगापुर एयरलाइंस, टाइगर एयरवेज
37.	स्विट्जरलैंड	स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस
38.	थाईलैंड	थाई एयरवेज
39.	टर्की	तुर्की एयरलाइंस

40.	तुर्कमेनिस्तान	तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस
41.	उज़्बेकिस्तान	उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस
42.	यमन	यमन एयरवेज
43.	कनाडा	एयर कनाडा

**सूची 24 (तालिका I का क्रम संख्या 426 देखें)**

खेल एस.नं.	खेल का नाम	माल एस.नं.	माल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तीरंदाजी	1	धनुष और तीर
		2	धनुष हैंडल
		3	धनुष अंग
		4	धनुष डूब गया
		5	'वी' बार सेट
		6	बटन
		7	स्ट्रिंग सामग्री - तेज़ और हल्की
		8	तीर टैब
		9	फिंगर टैब्स
		10	आर्म गार्ड
		11	लक्ष्य चेहरा
		12	दूरबीन
		13	लक्ष्य बॉस
		14	धनुष तार
		15	क्लिंकर
		16	फ्लेचिंग जिग
		17	फ्लेचेस
		18	चेस्ट गार्ड
		19	एरो रेस्ट
		20	तीर तरकश
		21	काटने का निशान
2	व्यायाम	1	हथौड़े फेंकना
		2	चक्र
		3	गोली मारना

		4	भाला
		5	फाइबर ग्लास वॉल्टिंग पोल
		6	जूते
		7	स्पाइक
		8	क्रॉस बार
		9	बाँस कूद
		10	क्रॉस बार (ऊंची कूद)
		11	टट्टी कुदने की घुड़ौड़
		12	टेक ऑफ बोर्ड
		13	पोल वॉल्ट अपराइट
		14	स्प्रिंग बोर्ड
		15	प्रारंभिक ब्लॉक
3	बैडमिंटन	1	शटलकाँक
		2	रैकेट
		3	रैकेट स्ट्रिंग्स
4	बास्केटबाल	1	हाइड्रा अपराइट
		2	बेहतर गुणवत्ता वाली बास्केट बॉल
		3	24-सेकंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
5	बिलियर्ड्स और स्नूकर	1	बिलियर्ड्स/स्नूकर बॉल्स
		2	संकेत
6	मुक्केबाज़ी	1	शावक रक्षक
		2	हेड गार्ड
		3	माउथ गार्ड/गम शील्ड
		4	मुक्केबाज़ी के दस्ताने
		5	स्पीड बॉल्स
		6	प्रशिक्षण रोबोट
		7	जूते
		8	दांत रक्षक
		9	पंचिंग पैड
		10	महिलाओं के लिए ब्रेस्ट गार्ड
		11	पट्टी
		12	स्कोरिंग डिवाइस
7	क्रिकेट	1	क्रिकेट की गेंदें
		2	बॉलिंग मशीनें
		3	शारीरिक फिटनेस/प्रशिक्षण के लिए स्विस् बॉल
		4	शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एरोबिक उपकरण

8	कैरम	1	कैरम बोर्ड
9	कैनोइंग, कयाकिंग और रोइंग	1	नौकाओं
		2	पैडल
		3	एर्गोमीटर
10	साइकिल चलाना	1	हेलमेट, वायुगतिकीय
		2	स्किन फिट राइडिंग किट (एक ही पीस में टी-शर्ट और शॉर्ट्स)
		3	चमड़े के साइकिलिंग जूते, क्लीट्स के साथ
		4	दस्ताने
		5	स्किन-फिट वार्मिंग किट (एक टुकड़ा निचला और ऊपरी पूरी आस्तीन)
		6	प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिए रेसिंग साइकिलें (सड़क), स्पेयर पार्ट्स के साथ
		7	प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिए रेसिंग साइकिल (ट्रैक), स्पेयर पार्ट्स के साथ
11	बाइ लगाना	1	सहायक उपकरण/स्पेयर के साथ बाइ लगाने के उपकरणों का पूरा सेट
		2	जूते
12	फुटबॉल	1	उच्च गुणवत्ता वाली फुटबॉल
		2	गोलकीपर किट, पूर्ण
		3	फुटबॉल के जूते
		4	पिंडली रक्षक
13	कसरत	1	ट्रेम्पोलिन
		2	समानांतर बार
		3	क्षैतिज पट्टी
		4	पॉमेल हॉर्स
		5	मेहराब घोड़ा
		6	रोमन छल्ले
		7	वॉल्ट रनवे
		8	वॉल्टिंग बोर्ड
		9	बैलेंस बीम
		10	असमान बार
		11	फर्श प्लेटें
		12	समानांतर बार रेल
		13	असमान बार रेल
		14	पट्टियाँ और अंगूठियाँ
		15	स्कोरिंग प्रणाली

		16	मशरूम
		17	बीट बोर्ड
		18	अतिरिक्त बार
		19	क्रैश मैट
		20	एक्रोबैटिक टम्बलिंग मैट
		21	फर्श व्यायाम चटाई
		22	लयबद्ध उपकरण गेंद
		23	रस्सी, क्लब और रिबन
		24	पाम गार्ड
14	गोल्फ	1	गोल्फ की गेंदें
		2	गोल्फ क्लब
15	हॉकी	1	संपूर्ण गोलकीपर किट
		2	सिंथेटिक डिम्पल्ड बॉल्स
		3	जूते
		4	हॉकी खेलने की छड़ी
		5	गोल पोस्ट
		6	टर्फ सफाई मशीन
		7	गेंद फेंकने की मशीन
16	हैंड बॉल	1	बेहतर गुणवत्ता वाली हैंड बॉल
17	जूदो	1	जूडो मैट
		2	जूडो ड्रेसिंग
		3	समर्थन और पट्टियाँ
		4	जूडो डमी
		5	जूते
		6	क्रैश मैट
		7	स्कोरिंग प्रणाली
18	शूटिंग	1	राइफलें - 22 कैलिबर (कम से कम बाहरी बैरल का व्यास 10 मिमी होना चाहिए।)
		2	पिस्तौल - .22 और .32 कैलिबर (बैरल को ब्रीच पॉइंट से मापा जाना चाहिए)
		3	एयर राइफल/पिस्तल - 4.5 मिमी/0.177 कैलिबर
		4	शॉट गन - 12 बोर (यह "वेंटिलेटेड रिब" और "सिंगल साइटिंग प्लेन" होना चाहिए)
		5	वायु छर्रे - डायबेलोटाइप (अर्थात् चपटी नाक और चित्रित नाक)

			पर मीटराउंड)		
		6	गोला-बारूद- 12 बोर कारतूस, .27 वायु छर्चे, .22 बोर माचिस कारतूस, .22 बोर रैपिड फायर (छोटे) कारतूस, .22 बोर पिस्तौल मैच मानक खेल, .32 बोर वेड-कटर		
		7	.32 बोर रिवाल्वर (बैरल की लंबाई 4½" से कम नहीं होनी चाहिए, और माप कारतूस रखने वाले सिलेंडर के अंत से लिया जाना चाहिए)		
		8	.22 बोर रिवाल्वर - (बैरल की लंबाई ऊपर के समान)		
		9	दूरबीन		
		10	12 बोर गन		
		11	.38/.357 रिवाल्वर/पिस्तौल		
		12	राइफलें 7.62/.308 या 8 मिमी तक कोई भी कैलिबर		
		13	इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य स्कोरिंग प्रणाली		
		14	मिट्टी के पक्षी		
		19	स्कीइंग	1	स्की
				2	स्की बाइंडिंग
				3	स्की बूट
				4	स्की सूट
5	जूते				
20	तैराकी/वाटर पोलो	1	चश्मे		
		2	गति घड़ियाँ		
		3	तरेरी खींचो		
		4	किक बोर्ड		
		5	लेन रस्सी		
		6	पुनर्जीवनकर्ता		
		7	लाइफ जैकेट		
		8	पोर्टेबल स्टार्टिंग ब्लॉक		
		9	स्टॉप वॉच		
21	टेबल टेनिस	1	गेंद		
		2	रैकेट		
		3	रबर शीट		

22	वालीबाल	1	उच्च गुणवत्ता वाली वॉलीबॉल
		2	निपीडमान
		3	घुटने का पैड
		4	वॉलीबॉल समायोज्य डंडे
		5	वॉलीबॉल फाइबरग्लास एंटीना
23	वाटर पोलो	1	गेंद
		2	कैप्स
24	भारोत्तोलन	1	बारबेल सेट और छड़ें
		2	बारबेल प्लेट्स/डिस्क
		3	जूते
25	कुश्ती	1	कुश्ती मैट
		2	डमी
		3	कुश्ती की पोशाकें
26	नौकायन	1	दूरबीन
		2	नावें और अन्य सहायक उपकरण
27	घुड़सवार	1	सैडल
		2	लगाम
		3	रकाब चमड़ा
		4	रकाब लोहा
		5	बिट्स
		6	जंपिंग सेट
		7	गर्म रक्त घोड़ा
28	कबड्डी	1	मैट
		2	जूते
29	कराटे	1	कराटे मैट
		2	किट
30	लॉन टेनिस	1	रैकेट
		2	गेंद
		3	जूते
		4	रैकेट स्ट्रिंग/गट
31	लॉन बॉलिंग	1	गेंद
		2	जैक
32	रोइंग	1	फिक्स्ड पर्ट
		2	जूते
		3	रो बॉल्स
		4	मिश्रित उपकरण

		5	कार्बन फाइबर चप्पू और स्कल्स
		6	चप्पुओं के लिए बटन और आस्तीन
		7	नाव की मरम्मत के लिए सामग्री
33	रग्बी	1	गेंद
		2	जूते
34	सेपक टकरा	1	गेंद
35	सॉफ्टबॉल	1	बल्ला (स्लगर)
		2	कैचर किट
		3	गेंद
		4	अंपायर किट
		5	बाएं हाथ के दस्ताने
		6	होम प्लेट रबर
		7	एक प्रकार का दस्ताना
		8	चेस्ट गार्ड
		9	लेग गार्ड
		10	हार्ड टो शू
		11	चेहरे के लिए मास्क
		12	हेलमेट
36	स्क्वाश	1	रैकेट
		2	गेंद

सूची 25 (तालिका I का क्रम संख्या 428 देखें)

क्र.सं.	माल की श्रेणी	माल क्र.सं.	माल का नाम
1	सॉफ्टवियर पर्वतारोहण उपकरण	1	चढ़ाई के जूते
		2	बूट कवर
		3	स्लीपिंग बैग (पंख)
		4	जैकेट (पंख)
		5	पतलून (पंख)
		6	पवनरोधी जैकेट
		7	पवनरोधी पैंट
		8	एनोरेक
		9	सल्लोपैट
		10	थर्मल अंडरसूट

		11	दस्ताने (पंख)
		12	चेहरे का मास्क
		13	उच्च ऊंचाई वाले हल्के वजन वाले टेंट
		14	शिखर सम्मेलन टेंट
		15	पड़ाव
		16	उत्तरजीविता कंबल
		17	कैरीमैट
		18	रक सैक फ्रेमलेस
		19	चढ़ाई की रस्सियाँ
		20	स्नो गॉगल्स
		21	हार्नेस
		22	दस्ताने
		23	गेटर
2	लोहे की वस्तुओं से बने पर्वतारोहण उपकरण	1	बर्फ के लिए कुदाल
		2	बर्फ कुल्हाड़ी और हथौड़े
		3	रॉक हैमर
		4	आइस पिटन्स
		5	केराबाइनर्स
		6	रॉक पिटन्स
		7	आरोही और अवरोही
		8	मित्र (सेट)
		9	नट और चॉक्स
		10	पुली
		11	क्रैम्पन्स
		12	बरमे
		13	विस्तार बोल्ट
		14	बचाव पुली
		15	स्लेज
		16	बचाव स्ट्रेचर
		17	क्रैम्पन्स
		18	हेड लैंप
		19	अल्टीमीटर
		20	उच्च आवर्धन वाली दूरबीनें
		21	हिमस्खलन पीप्स ट्रांस रिसीवर्स
		22	ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और सहायक उपकरण

		23	गैस स्टोव/बर्नर
		24	सहायक उपकरण के साथ पेट्रोल स्टोव
		25	एमएसआर बोतलें
3	रॉक क्लाइम्बिंग उपकरण	1	होल्ड्स
		2	चढ़ाई वाली चप्पलें
		3	साज़
		4	चढ़ाई की रस्सियाँ
		5	एंकर
		6	यांत्रिक बेले उपकरण
		7	रॉक क्लाइम्बिंग जूते

**सूची 26 (तालिका I का क्रम संख्या 430 देखें)**

क्र.सं.	माल का विवरण
1	गोला-बारूद-कारतूस
2	शूटिंग स्लिंग, शूटिंग चश्मा, ईयर मफ, ईयर प्लग, नीलिंग रोल, शूटिंग स्टैंड, स्टैंड और स्टॉप वॉच के साथ स्पोर्टिंग स्कोप
3	ध्वनिक रिलीज के साथ स्कीट या ट्रैप या डबल ट्रैप मशीन
4	लक्ष्य और कागजी लक्ष्य
5	सभी शूटिंग विषयों के लिए ड्राई फायरिंग हेतु प्रशिक्षण सहायता
6	10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर और 300 मीटर के लिए कंप्यूटर नियंत्रित या इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रित लक्ष्य प्रणाली
7	निशानेबाजी के खेल में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों के लिए टूल बॉक्स
8	प्रतियोगिता दृष्टि और एपर्चर, अर्थात् पीछे और सामने की दृष्टि
9	लकड़ी या एल्यूमीनियम स्टॉक, ग्रिप और केस
10	हथियारों की सफाई सामग्री, जैसे छड़, रुई की कलियाँ, हथियारों के लिए तेल और ग्रीस

**सूची 27 (तालिका I का क्रम संख्या 432 देखें)**

क्र.सं.	माल की श्रेणी	माल क्र.सं.	माल का विवरण
1	डोपिंग रोधी	1	गैस क्रोमैटोग्राफ
	और डोप	2	गैस क्रोमैटोग्राफ-एनपीडी

	परीक्षण उपकरण	3	गैस क्रोमैटोग्राफ-एफआईडी		
		4	गैस क्रोमैटोग्राफ-सी-आइसोटोप अनुपात द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर		
		5	गैस क्रोमैटोग्राफ-उच्च रिज़ॉल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर		
		6	तरल क्रोमैटोग्राफ		
		7	लिक्विड क्रोमैटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर		
		8	एलिसा प्रोसेसर		
		9	इम्यूनो परख विश्लेषक		
		10	रक्त कोशिका गणक और अन्य रुधिर विज्ञान विश्लेषक		
		11	डीएनए/ईपीओ विश्लेषण उपकरण जिसमें शामिल कैमरे और अन्य सहायक उपकरण		
		12	डोप परीक्षण से संबंधित उपकरणों के संचालन के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, अन्य सहायक उपकरण		
		13	प्रयोगशाला में उपयोग के लिए सहायक उपकरण जैसे सेंटीफ्यूज; इलेक्ट्रॉनिक तराजू; धुआँ हुड; गैस जनरेटर; गैस आपूर्ति प्रणाली जिसमें शामिल नियामक, पाइप और अन्य प्रयोगशाला सामग्री		
		14	प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण जिसमें शामिल अभिगम नियंत्रण प्रणालियाँ		
		2	डोप परीक्षण के लिए नमूना प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायन	1	डोप परीक्षण के लिए नमूना प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायन
		3	शुद्ध औषधि मानक और उसके मेटाबोलाइट्स; मूत्र/रक्त में स्पाइक्ड औषधि मानक; संश्लेषित मानक	1	शुद्ध औषधि मानक और उसके मेटाबोलाइट्स; मूत्र/रक्त में स्पाइक्ड औषधि मानक; सिंथेटिक मानक

**सूची 28 (तालिका I की क्रम संख्या 104 और शर्त संख्या 10 देखें)**

क्रम सं.	संस्था
1	एम्स, नई दिल्ली
2	मानव आनुवंशिकी केंद्र, बेंगलुरु
3	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
4	किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, मुंबई
5	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
6	निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिकंदराबाद
7	पीजीआईएमआर, चंडीगढ़
8	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

**सूची 29 (तालिका I का क्रम संख्या 427 देखें)**

खेल एस.नं.	खेल का नाम	माल एस.नं.	माल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तीरंदाजी	1	धनुष और तीर
		2	धनुष हैंडल
		3	धनुष अंग
		4	धनुष डूब गया
		5	'वी' बार सेट
		6	बटन
		7	स्ट्रिंग सामग्री - तेज़ और हल्की
		8	तीर टैब
		9	फिंगर टैब्स
		10	आर्म गार्ड
		11	लक्ष्य चेहरा
		12	दूरबीन
		13	लक्ष्य बॉस
		14	धनुष तार
		15	क्लिंकर
		16	फ्लेचिंग जिग
		17	फ्लेचेस

		18	चेस्ट गार्ड
		19	एरो रेस्ट
		20	तीर तरकश
		21	काटने का निशान
2	व्यायाम	1	हथौड़े फेंकना
		2	चक्र
		3	गोली मारना
		4	भाला
		5	फाइबर ग्लास वॉल्टिंग पोल
		6	जूते
		7	स्पाइक
		8	क्रॉस बार
		9	बाँस कूद
		10	क्रॉस बार (ऊंची कूद)
		11	टट्टी कुदने की घुड़ौड़
		12	टेक ऑफ बोर्ड
		13	पोल वॉल्ट अपराइट
		14	स्प्रिंग बोर्ड
		15	प्रारंभिक ब्लॉक
3	बैडमिंटन	1	शटलकॉक
		2	रैकेट
		3	रैकेट स्ट्रिंग्स
4	बास्केटबाल	1	हाइड्रा अपराइट
		2	बेहतर गुणवत्ता वाली बास्केट बॉल
		3	24-सेकंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
5	बिलियर्ड्स और स्नूकर	1	बिलियर्ड्स/स्नूकर बॉल्स
		2	संकेत
6	मुक्केबाजी	1	शावक रक्षक
		2	हेड गार्ड
		3	माउथ गार्ड/गम शील्ड
		4	मुक्केबाजी के दस्ताने
		5	स्पीड बॉल्स
		6	प्रशिक्षण रोबोट
		7	जूते
		8	दांत रक्षक
		9	पंचिंग पैड

		10	महिलाओं के लिए ब्रेस्ट गार्ड
		11	पट्टी
		12	स्कोरिंग डिवाइस
7	क्रिकेट	1	क्रिकेट की गेंदें
		2	बॉलिंग मशीनें
		3	शारीरिक फिटनेस/प्रशिक्षण के लिए स्विस् बॉल
		4	शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एरोबिक उपकरण
8	कैरम	1	कैरम बोर्ड
9	कैनोइंग, क्याकिंग और रोइंग	1	नौकाओं
		2	पैडल
		3	एर्गोमीटर
10	साइकिल चलाना	1	हेलमेट, वायुगतिकीय
		2	स्किन फिट राइडिंग किट (एक ही पीस में टी-शर्ट और शॉर्ट्स)
		3	चमड़े के साइकिलिंग जूते, क्लीट्स के साथ
		4	दस्ताने
		5	स्किन-फिट वार्मिंग किट (एक टुकड़ा निचला और ऊपरी पूरी आस्तीन)
		6	प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिए रेसिंग साइकिलें (सड़क), स्पेयर पार्ट्स के साथ
		7	प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिए रेसिंग साइकिल (ट्रैक), स्पेयर पार्ट्स के साथ
11	बाइ लगाना	1	सहायक उपकरण/स्पेयर के साथ बाइ लगाने के उपकरणों का पूरा सेट
		2	जूते
12	फुटबॉल	1	उच्च गुणवत्ता वाली फुटबॉल
		2	गोलकीपर किट, पूर्ण
		3	फुटबॉल के जूते
		4	पिंडली रक्षक
13	कसरत	1	ट्रेम्पोलिन
		2	समानांतर बार
		3	क्षैतिज पट्टी
		4	पॉमेल हॉर्स
		5	मेहराब घोड़ा
		6	रोमन छल्ले
		7	वॉल्ट रनवे
		8	वॉल्टिंग बोर्ड

		9	बैलेंस बीम
		10	असमान बार
		11	फर्श प्लेटें
		12	समानांतर बार रेल
		13	असमान बार रेल
		14	पट्टियाँ और अंगूठियाँ
		15	स्कोरिंग प्रणाली
		16	मशरूम
		17	बीट बोर्ड
		18	अतिरिक्त बार
		19	क्रैश मैट
		20	एक्रोबैटिक टम्बलिंग मैट
		21	फर्श व्यायाम चटाई
		22	लयबद्ध उपकरण गेंद
		23	रस्सी, क्लब और रिबन
		24	पाम गार्ड
14	गोल्फ	1	गोल्फ की गेंदें
		2	गोल्फ क्लब
15	हॉकी	1	संपूर्ण गोलकीपर किट
		2	सिंथेटिक डिम्पल्ड बॉल्स
		3	जूते
		4	हॉकी खेलने की छड़ी
		5	गोल पोस्ट
		6	टर्फ सफाई मशीन
		7	गेंद फेंकने की मशीन
16	हैंड बॉल	1	बेहतर गुणवत्ता वाली हैंड बॉल
17	जूदो	1	जूडो मैट
		2	जूडो ट्रेसेस
		3	समर्थन और पट्टियाँ
		4	जूडो डमी
		5	जूते
		6	क्रैश मैट
		7	स्कोरिंग प्रणाली
18	शूटिंग	1	राइफलें - 22 कैलिबर (कम से कम बाहरी बैरल का व्यास 10 मिमी होना चाहिए।)

		2	पिस्तौल - .22 और .32 कैलिबर (बैरल को ब्रीच पॉइंट से मापा जाना चाहिए)
		3	एयर राइफल्स/पिस्टल - 4.5 मिमी/0.177 कैलिबर
		4	शॉट गन - 12 बोर (यह "वेंटिलेटेड रिब" और "सिंगल साइटिंग प्लेन" होना चाहिए)
		5	वायु छर्चे - डायबेलोटाइप (अर्थात् चपटी नाक और चित्रित नाक पर मीटराउंड)
		6	गोला-बारूद- 12 बोर कारतूस, .27 वायु छर्चे, .22 बोर माचिस कारतूस, .22 बोर रैपिड फायर (छोटे) कारतूस, .22 बोर पिस्तौल मैच मानक खेल, .32 बोर वेड-कटर
		7	.32 बोर रिवाल्वर (बैरल की लंबाई 4½" से कम नहीं होनी चाहिए, और माप कारतूस रखने वाले सिलेंडर के अंत से लिया जाना चाहिए)
		8	.22 बोर रिवाल्वर - (बैरल की लंबाई ऊपर के समान)
		9	दूरबीन
		10	12 बोर गन
		11	.38/.357 रिवाल्वर/पिस्तौल
		12	राइफलें 7.62/.308 या 8 मिमी तक कोई भी कैलिबर
		13	इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य स्कोरिंग प्रणाली
		14	मिट्टी के पक्षी
		19	स्कीइंग
2	स्की बाइंडिंग		
3	स्की बूट		
4	स्की सूट		
5	जूते		
20	तैराकी/वाटर पोलो	1	चश्मे
		2	गति घड़ियाँ
		3	तरेरी खींचो
		4	किक बोर्ड
		5	लेन रस्सी

		6	पुनर्जीवनकर्ता
		7	लाइफ जैकेट
		8	पोर्टेबल स्टार्टिंग ब्लॉक
		9	स्टॉप वॉच
21	टेबल टेनिस	1	गेंद
		2	रैकेट
		3	रबर शीट
22	वालीबाल	1	उच्च गुणवत्ता वाली वॉलीबॉल
		2	निपीडमान
		3	घुटने का पैड
		4	वॉलीबॉल समायोज्य डंडे
		5	वॉलीबॉल फाइबरग्लास एंटीना
23	वाटर पोलो	1	गेंद
		2	कैप्स
24	भारोत्तोलन	1	बारबेल सेट और छड़ें
		2	बारबेल प्लेट्स/डिस्क
		3	जूते
25	कुश्ती	1	कुश्ती मैट
		2	डमी
		3	कुश्ती की पोशाकें
26	नौकायन	1	दूरबीन
		2	नावें और अन्य सहायक उपकरण
27	घुड़सवार	1	सैडल
		2	लगाम
		3	रकाब चमड़ा
		4	रकाब लोहा
		5	बिट्स
		6	जंपिंग सेट
28	कबड्डी	1	मैट
		2	जूते
29	कराटे	1	कराटे मैट
		2	किट
30	लॉन टेनिस	1	रैकेट
		2	गेंद
		3	जूते
		4	रैकेट स्ट्रिंग/गट

31	लॉन बॉलिंग	1	गेंद
		2	जैक
32	रोइंग	1	फिक्स्ड पर्ट
		2	जूते
		3	रो बॉल्स
		4	मिश्रित उपकरण
		5	कार्बन फाइबर चप्पू और स्कल्स
		6	चप्पुओं के लिए बटन और आस्तीन
		7	नाव की मरम्मत के लिए सामग्री
33	रग्बी	1	गेंद
		2	जूते
34	सेपक टकरा	1	गेंद
35	सॉफ्टबॉल	1	बल्ला (स्लगर)
		2	कैचर किट
		3	गेंद
		4	अंपायर किट
		5	बाएं हाथ के दस्ताने
		6	होम प्लेट रबर
		7	एक प्रकार का दस्ताना
		8	चेस्ट गार्ड
		9	लेग गार्ड
		10	हार्ड टो शू
		11	चेहरे के लिए मास्क
		12	हेलमेट
36	स्कवाश	1	रैकेट
		2	गेंद

## तालिका II

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	एकीकृत माल और सेवा कर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	39 या कोई भी अध्याय	सुरक्षा फाइबर, सुरक्षा धागे, पेपर आधारित टैगमेंट, जिसमें शामिल एम-फीचर, सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा सुरक्षा पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	1
2.	39 या कोई भी अध्याय	सुरक्षा फाइबर और सुरक्षा धागे के निर्माण में उपयोग के लिए सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर को सुरक्षा पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए आपूर्ति हेतु कच्चा माल:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	1
3.	4802	मोल्ड वैट निर्मित वॉटरमार्क बैंक नोट पेपर, -  (i) बैंक नोट प्रेस, देवास,  (ii) करेंसी नोट प्रेस, नासिक,  (iii) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक,	शून्य	-	-

		(iv) सिक्कोरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, (v) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर, या (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, सालबोनी, द्वारा आयातित			
4.	4907	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयातित मुद्रित भारतीय बैंक नोट	शून्य	-	-
5.	71	भारत सरकार के वर्तमान सिक्के	शून्य	-	-
6.	कोई भी अध्याय	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (मेसर्स एआईईएसएल) द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं:  उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-  (i) हस्तचालित धातु संसूचक; (ii) डाक बम संसूचक; (iii) विस्फोटक कंटेनर; (iv) सुवाह्य या स्थिर चौखट धातु संसूचक; (v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक; (vi) माइन इम्पैक्टर; (vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और (viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31	शून्य	-	2

		मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
7.	कोई भी अध्याय	<p>(i) गश्ती नौकाओं के निर्माण, या उनमें लगाने, या उनके रखरखाव के लिए आवश्यक मशीनें, उपकरण, यंत्र, पुर्जे और उपकरण;</p> <p>(ii) वायरलेस ट्रांसमिशन और रिसेविंग सेट और उनके घटक;</p> <p>(iii) रात्रि दृष्टि उपकरण और उनके घटक;</p> <p>(iv) हथियार और उनके घटक, तथा गोला-बारूद;</p> <p>(v) रेडियो संचार परीक्षण सेट;</p> <p>(vi) गश्ती नौकाओं के अतिरिक्त पुर्जे;</p> <p>(vii) उपरोक्त किसी भी वस्तु के अतिरिक्त पुर्जे;</p> <p>उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हस्तचालित धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) सुवाह्य या स्थिर चौखट धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31</p>	शून्य	-	3

		मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
8.	कोई भी अध्याय	<p>(i) स्पीडहीट ग्रेनेड सीएस, 3-वे ग्रेनेड सीएन/सीएस, अभ्यास ग्रेनेड, दो सेकंड बाउचॉन के साथ ब्लास्ट फैलाव ग्रेनेड, मॉडल 34 सिंगल ब्लास्ट ग्रेनेड, स्पीड-हीट ग्रेनेड के लिए एक सेकंड देरी फायरिंग तंत्र, तीन-तरफा ग्रेनेड के लिए दो सेकंड देरी फायरिंग तंत्र;</p> <p>(ii) लंबी दूरी के गोले सीएन/सीएस, छोटी दूरी के गोले सीएन/सीएस, स्लाइट राइट-शैल सीएन/सीएस, अभ्यास गोले सीएन/सीएस;</p> <p>(iii) रिफिल, सहायक उपकरण कैप, गैस छर्चे और अभ्यास गोले के लिए रिकैपिंग और डिकैपिंग मशीनें, गैस गन और गैस गन के लिए सहायक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स;</p> <p>(iv) डंडे, डंडे के कारतूस, एक सेकंड बाउचॉन, दो सेकंड बाउचॉन, रासायनिक गदा, एरोसोल आंसू गैस स्प्रे, आंसू गैस बिलेट, पेपर फॉग और बुलेट प्रूफ सुरक्षात्मक जैकेट:</p> <p>उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्: -</p> <p>(i) हस्तचालित धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p>	शून्य	-	4

		<p>(iv) सुवाह्य या स्थिर चौखट धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
9.	कोई भी अध्याय	<p>रक्षा मंत्रालय के एटीवीपी के प्रयोजन के लिए आवश्यक मशीनरी, उपकरण, यंत्र, फिटिंग, डिवाइस, वैज्ञानिक उपकरण, घटक, पुर्जे, उपकरण, सहायक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तकनीकी जानकारी (मुद्रित मीडिया में दस्तावेजों और चित्रों के रूप में) कास्टिंग, फोर्जिंग, पाइपिंग, ट्यूबिंग, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p>	शून्य	-	5

		(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
10.	कोई भी अध्याय	<p>रक्षा मंत्रालय के अधीन संघ के सशस्त्र बलों या राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को आपूर्ति के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट के निर्माण के लिए बैलिस्टिक ग्रेड अरामिड फैब्रिक, अरामिड धागा, अरामिड यार्न, बैलिस्टिक ग्रेड सिरेमिक प्लेट, उच्च प्रदर्शन पॉलीइथिलीन प्लेट, विशेष ग्रेड पॉलीयूरेथेन पेस्ट और विशेष ग्रेड थर्मोप्लास्टिक फिल्म की आवश्यकता होती है।</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</li> <li>(ii) डाक बम संसूचक;</li> <li>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</li> <li>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</li> <li>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</li> <li>(vi) माइन इम्पैक्टर;</li> <li>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</li> <li>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</li> </ul> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31</p>	शून्य	-	6

		मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
11.	कोई भी अध्याय	<p>बम निरोधक सूट/हेलमेट/सुरक्षा कवच, बम दमन कंबल, विस्फोटक डिटेक्टर जिसमें शामिल (हाथ में पकड़ने योग्य या पोर्टेबल), इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, रिमोट कार खोलने का उपकरण (पुश/पुल प्रकार), निरीक्षण/तलाशी दर्पण - प्रदीप्त/दूरबीन या अन्य, माइन डिटेक्टर, धातु डिटेक्टर (पोर्टेबल या स्थिर), डाक बम डिटेक्टर, विस्फोटक कंटेनर। कारतूस और लेज़र साइट के साथ वाटर जेट डिसरप्टर और टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर, नॉन-लीनियर जंक्शन डिटेक्टर। ऑप्टिकल फाइबर स्कोप, सर्च लाइट (ड्रैगन किस्म), रेडिएशन डिटेक्टर, पार्सल व्यूअर। अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, बम डिसरप्टर, बम ट्रेलर, ब्लास्टिंग मशीन, तार और केबल लोकेटर:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</li> <li>(ii) डाक बम संसूचक;</li> <li>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</li> <li>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</li> <li>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</li> <li>(vi) माइन इम्पैक्टर;</li> <li>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</li> <li>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</li> </ul>	शून्य	-	7

		परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
12.	कोई भी अध्याय	<p>परिचालन प्रयोजन हेतु विशेष सुरक्षा समूह के उपयोग हेतु सभी सामान:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</li> <li>(ii) डाक बम संसूचक;</li> <li>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</li> <li>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</li> <li>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</li> <li>(vi) माइन इम्पैक्टर;</li> <li>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</li> <li>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</li> </ul> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	-	8
13.	कोई भी अध्याय	<p>रक्षा मंत्रालय के दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए आवश्यक मशीनरी, उपकरण, यंत्र, घटक, पुर्जे, जिग्स और फिक्सचर, डाई, उपकरण, सहायक उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने</p>	शून्य	-	9

		<p>वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
14.	कोई भी अध्याय	<p>बैलिस्टिक ग्रेड अरामिड यार्न:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p>	शून्य	-	1 और 10

		(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
15.	कोई भी अध्याय	मशीनरी, उपकरण, यंत्र, घटक, पुर्जे, जिग्स, फिक्सचर, डाई, उपकरण, सहायक उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कास्टिंग, फोर्जिंग, पाइपिंग, ट्यूबिंग, रसायन, जैव-रसायन, रेफ्रिजरेटर्स, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं:  उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-  (i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक; (ii) डाक बम संसूचक; (iii) विस्फोटक कंटेनर; (iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक; (v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक; (vi) माइन इम्पैक्टर; (vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और (viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	11
16.	कोई भी अध्याय	पदक और सजावट (जिसमें पदक रिबन शामिल हैं):  उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क	शून्य	शून्य	12

		<p>अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
17.	कोई भी अध्याय	<p>भारतीय नौसेना, थलसेना, वायुसेना या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ भारत से बाहर इयूटी पर तैनात व्यक्तियों के व्यक्तिगत सामान:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p>	शून्य	शून्य	13

		<p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
18.	कोई भी अध्याय	<p>किसी संस्था द्वारा युद्ध कर्बों के रखरखाव के लिए विदेशों से दानकर्ताओं से प्राप्त बोना फाइड उपहार:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	14
19.	कोई भी	गोदाम में पड़े बांडेड स्टॉक से खरीदे गए आयातित	शून्य	शून्य	15

	अध्याय	<p>सामान:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p> <p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
20.	कोई भी अध्याय	<p>भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी भी प्राधिकारी के समक्ष परीक्षण, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के लिए आयातित माल:</p> <p>उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से छूट निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-</p> <p>(i) हाथ में पकड़े जाने वाला धातु संसूचक;</p> <p>(ii) डाक बम संसूचक;</p>	शून्य	शून्य	16

		<p>(iii) विस्फोटक कंटेनर;</p> <p>(iv) पोर्टेबल या स्थिर डोर फ्रेम धातु संसूचक;</p> <p>(v) गहन खोज धातु या माइन संसूचक;</p> <p>(vi) माइन इम्पैक्टर;</p> <p>(vii) माइन प्रोडर (गैर-चुंबकीय); और</p> <p>(viii) वाहन के नीचे खोज दर्पण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
21.	8406 82 00	<p>नौसेना के जहाजों के लिए 5-15 मेगावाट के बीच उत्पादन वाले स्टीम टर्बाइन और अन्य वाष्प टर्बाइन:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
22.	8408 10 93	<p>नौसेना के लिए 3 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता वाला संपीड़न इग्निशन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
23.	8411 12 00	<p>मिग-29 के या एलसीए के लिए टर्बोजेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
24.	8411 21 00, 8411 22 00	<p>बहु-भूमिका या उपयोगिता हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोजेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टर्बाइन:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17

25.	8487 10 00	जहाजों या नावों के प्रोपेलर और ब्लेड, नौसेना शिल्प के लिए नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर के रूप में आवश्यक हैं: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
26.	8502 13 20, 8502 13 30, 8502 13 40	1-3 मेगावाट बिजली उत्पादन वाले विद्युत उत्पादन सेट: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
27.	8502 39 90	1 मेगावाट और उससे अधिक विद्युत उत्पादन वाले विद्युत उत्पादन सेट: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
28.	8543 70 13	माइन डिटेक्शन स्वीप के लिए माइन डिटेक्टर: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
29.	8705 90	विशेष प्रयोजन मोटर वाहन, जो मुख्य रूप से वाहन आधारित खान बिखराव प्रणाली के लिए व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, वाहन से भिन्न: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
30.	84, 85, 8802 12 00, 90 या 93	(i) 2000 किलो. ग्राम. से अधिक लदान रहित भार का हेलीकॉप्टर जो निम्नलिखित प्रकार के हैं, - (क) सह-अक्षीय इंटरमेशिंग या टेंडेम रोटर वाले सैन्य हेलीकॉप्टर (के ए 31, कामोव का 226, चिन्क) (ख) 3500 किलोग्राम से अधिक खाली वजन वाले सैन्य	शून्य	शून्य	17

		<p>हेलीकॉप्टर (बहु भूमिका और उपयोगिता हेलीकॉप्टर, अपाचे एएच 64ई)</p> <p>(ii) संबद्ध भूमिका उपकरण, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण, गोला-बारूद, विशेष रखरखाव उपकरण, विशेष परीक्षण उपकरण और ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पुर्जे</p> <p>(iii) उपरोक्त मद (I) में उल्लिखित माल के लिए गोला-बारूद:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 पर या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
31.	84, 85, 8802 20 00, 90 या 93	<p>(i) सैन्य प्रशिक्षक विमान की श्रेणी के अंतर्गत 2000 किलो. ग्राम. से अनधिक लदान रहित भार वाले वायु यान और अन्य विमान</p> <p>(ii) संबद्ध भूमिका उपकरण, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण, विशेष रखरखाव उपकरण, विशेष परीक्षण उपकरण और ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पुर्जे</p> <p>(iii) उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित माल के लिए गोला-बारूद:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
32.	84, 85, 8802 30 00,	<p>(i) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आवश्यक 2000 किलोग्राम से अधिक परंतु 15, 000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित भार वाले हवाई जहाज और</p>	शून्य	शून्य	17

	8806, 90 या 93	<p>अन्य विमान, -</p> <p>(क) सैन्य उपयोग के लिए आरपीए- 35000 फीट (एचएएलई -उच्च ऊंचाई लंबी सहनशक्ति) से अधिक संचालन ऊंचाई;</p> <p>(ख) लड़ाकू विमान (एमएमआरसीए, एमआरएफए)</p> <p>(ii) संबद्ध भूमिका उपकरण, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण, विशेष रखरखाव उपकरण, विशेष परीक्षण उपकरण और ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पुर्जे</p> <p>(iii) उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित माल के लिए गोला-बारूद:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
33.	84, 85, 8802 40 00, 8806, 90 या 93	<p>(i) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आवश्यक 15, 000 किलोग्राम से अधिक भार वाले लदान रहित हवाई जहाज और अन्य विमान, -</p> <p>(क) वाहक जनित लड़ाकू विमान;</p> <p>(ख) सैन्य परिवहन विमान (सी-130, सी-17);</p> <p>(ग) उड़ान ईंधन भरने वाला विमान;</p> <p>(घ) अवाक्स विमान;</p> <p>(ङ) टोही और निगरानी विमान</p> <p>(च) उभयचर विमान;</p> <p>(ii) संबद्ध भूमिका उपकरण, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण,</p>	शून्य	शून्य	17

		<p>ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण, गोला-बारूद, विशेष रखरखाव उपकरण, विशेष परीक्षण उपकरण और ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पुर्जे (iii) उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित माल के लिए गोला-बारूद:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
34.	8807	<p>शीर्षक 8801 या 8802 या 8806 के माल के हिस्से:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
35.	8805 10 20	<p>विमान अरेस्टर गियर के रूप में डेक अरेस्टर या समान गियर जिनकी आवश्यकता होती है:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
36.	8906 90	<p>अन्य जहाज, जिसमें शामिल युद्धपोत और जीवनरक्षक नौकाएँ से भिन्न नौकायन नौकाएँ विशेष अभियानों के लिए पानी के नीचे वाहन/प्लेटफॉर्म की श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक हैं:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
37.	9301 10	<p>तोपखाना हथियार (उदाहरण के लिए बंदूकें, हॉवित्जर और मोर्टार) बंदूकों की श्रेणी के अंतर्गत (127 मिमी):</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
38.	9301 10 90	<p>हेली पोर्टेबल हॉवित्जर श्रेणी के अंतर्गत तोपखाने के</p>	शून्य	शून्य	17

		<p>हथियार जिनका कैलिबर 150 मिमी से अधिक और वजन 4500 किलोग्राम या उससे कम हो:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
39.	9303	<p>स्नाइपर राइफल्स की श्रेणी के अंतर्गत राइफलें .338 इंच या अधिक:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
40.	84, 85, 87, 90 या 9306	<p>(i) 250 मिमी से अधिक कैलिबर वाले रॉकेट;</p> <p>(ii) एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस);</p> <p>(iii) वाहन, लांचर, कंटेनरों के साथ मिसाइल, बंदूकें, रडार, कमांड पोस्ट, सेंसर सिस्टम, बिजली उत्पादन इकाइयाँ, ऊपर (ii) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए रखरखाव और मरम्मत उपकरण:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
41.	84, 85, 90 या 9306	<p>(i) निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात् -</p> <p>(क) जहाज ने 8-32 किमी की रेंज वाली मिसाइलें लॉन्च कीं;</p> <p>(ख) भूमि आधारित मिसाइलों की रेंज 100 किमी से अधिक है;</p> <p>(ग) टारपीडो;</p> <p>(घ) कंधे से दागी जाने वाली सतह से हवा में मार</p>	शून्य	शून्य	17

		<p>करने वाली मिसाइल;</p> <p>(ड) पनडुब्बी से प्रक्षेपित भूमि हमला क्रूज मिसाइल;</p> <p>(च) हार्पून एंटी-शिप मिसाइल;</p> <p>(छ) मध्यम दूरी की जहाज-रोधी मिसाइल</p> <p>(ii) लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एलआर एसएम) के लिए प्रणालियाँ, उप-प्रणालियाँ, उपकरण, भाग, उप-भाग, उपकरण, परीक्षण उपकरण, सॉफ्टवेयर</p> <p>(iii) मिसाइल, कमांड और नियंत्रण इकाइयाँ, रडार, स्व-चालित लांचर, सिमुलेटर, इन्फ्लेटेबल डमी, वाहन, बिजली उत्पादन इकाइयाँ, ऊपर (ii) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए रखरखाव और मरम्मत उपकरण: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
42.	84, 85, 87, 9301 10 10 या 93	<p>(i) स्व-चालित वायु रक्षा गन मिसाइल प्रणाली;</p> <p>(ii) वाहन, मिसाइल, बंदूकें, रडार, ऊपर (i) में उल्लिखित माल के लिए कमांड और नियंत्रण पोस्ट:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
43.	49, 73, 84, 85, 90 या 93	<p>(i) ए.के -203 राइफल के निर्माण में उपयोग के लिए भाग, उप-भाग, इनपुट;</p> <p>(ii) उपरोक्त (i) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए</p>	शून्य	शून्य	17

		<p>मशीनरी, फिक्सचर, गेज, उपकरण और जिग;</p> <p>(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में तकनीकी दस्तावेज:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
44.	88, 8536	<p>फ्लाइट मोशन सिमुलेटर और उसके हिस्से:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
45.	88, 8536	<p>टारगेट मोशन सिमुलेटर और उसके हिस्से:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
46.	कोई भी अध्याय	<p>एचएसीएफएस के पुर्जे, उप-समुच्चय:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
47.	84, 85	<p>लो नॉइज़ एम्पलीफायर (हर्मेटिक सील किया हुआ), वेंट गाइड असेंबली-रिटर्न, वेंट गाइडेड असेंबली-सप्लाइ, एमआरएसएम सिस्टम के लिए वेंट गाइड असेंबली-एनबीसी:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
48.	84, 85, 87, 90, 93	<p>आईएडब्ल्यूडीएस के पुर्जे और उप-समुच्चय:</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	17
49.	88	<p>सैन्य परिवहन विमान (सी-140, सी-295 एमडब्ल्यू):</p> <p>परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई,</p>	शून्य	शून्य	17

		2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी			
50.	89	डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
51.	89	मानव रहित अंडरवाटर वेसल/प्लेटफॉर्म: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
52.	8807	लड़ाकू विमानों के लिए इजेक्शन सीटें: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
53.	8506	ड्रोन और विशेष उपकरणों के लिए उच्च प्रदर्शन वाली बैटरी: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
54.	8525	घटक और सहायक उपकरणों के साथ सॉफ्टवेयर-परिभाषित रेडियो सहित संचार उपकरण: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
55.	9019, 9020	एयर डाइविंग, रीब्रीथर सेट, डाइविंग सिस्टम, घटक और सहायक उपकरण: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
56.	89	नौसेना वायु परिसंपत्तियों के लिए सोनोबॉय: परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17

57.	93	जहाज से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
58.	93	100 मिमी से अधिक कैलिबर वाले रॉकेट:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
59.	88	सैन्य उपयोग के लिए आरपीए (रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट):  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
60.	कोई भी अध्याय	तोपखाने के हथियार, राइफल, विमान, आदि जैसी वस्तुओं के पुर्जे, उप-समुच्चय, अतिरिक्त पुर्जे, सहायक उपकरण, औजार, परीक्षण उपकरण, साहित्य, सिवाय 12.7 मिमी एसआरसीजी, 155 मिमी/45 कैलिबर धनुष, एल-70 गन, 84मिमी आरएल एमके-III, एके-630 नेवल गन, लाइट मशीन गन, एमएजी गन:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
61.	49	उपरोक्त क्र.सं. 21 से 60 पर उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में तकनीकी दस्तावेज:  परन्तु इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई, 2029 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	17
62.	9801	तालिका II से संलग्न सूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए आवश्यक सामान, जिसे 19 जुलाई, 2012 से पहले विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी	शून्य	-	18 और 19

		<p>द्वारा प्रमाणित किया गया हो, अर्थात्,</p> <p>(i) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में स्थित 700 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र; या</p> <p>(ii) 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र, जो (i) में निर्दिष्ट से भिन्न राज्यों में स्थित है; या</p> <p>(iii) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में स्थित 350 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का जल विद्युत संयंत्र; या</p> <p>(iv) 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र, जो खंड (i) में निर्दिष्ट राज्यों से भिन्न में स्थित है:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
63.	9801	<p>निम्नलिखित चीजों के लिए के लिए आवश्यक सामान,-</p> <p>(i) विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ जिसमें शामिल गैस टरबाइन विद्युत परियोजनाएँ (को छोड़कर विद्युत उत्पादन में से भिन्न गतिविधियों में लगी परियोजनाओं द्वारा स्थापित कैप्टिव विद्युत संयंत्र)</p> <p>(ii) विद्युत पारेषण, उप-पारेषण या वितरण परियोजनाएं:</p>	5%	-	18
			5%	-	18

		परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
64.	9801	सभी सामान: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	18
65.	9801	जल आपूर्ति परियोजनाएँ <b>स्पष्टीकरण.-</b> अधिसूचना संख्या 42/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 [सा.का.नि. 294 (ई), दिनांक 23 जुलाई, 1996] की मद संख्या 26 और 26ए के समक्ष शीर्ष 9801 के अंतर्गत अधिसूचित जल आपूर्ति परियोजनाएं : परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	18
66.	9801	तालिका II से संलग्न सूची 2 में निर्दिष्ट किसी भी परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक सामान, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट या उससे अधिक हो, जैसा कि परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	-	18 और 20
67.	कोई भी अध्याय	पुरातात्विक नमूने, फोटो, प्लास्टर कास्ट या पुरावशेष, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित संग्रहालय में सार्वजनिक लाभ के लिए प्रदर्शित किए जाने के लिए हैं: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31	शून्य	शून्य	21

		मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
68.	कोई भी अध्याय	अफ्रीकी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और पूर्वानुमान (आरएएमए) कार्यक्रम के लिए अनुसंधान मूँडे एरे के लिए आवश्यक उपकरण या बोया:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 जुलाई, 2026 के पश्चात प्रभावी नहीं होगी	-	शून्य	22
69.	कोई भी अध्याय	(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, उपकरण, उपस्कर (कंप्यूटर सहित);  (ख) सहायक उपकरण, पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए);  (ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश;  (घ) प्रोटोटाइप, जिनका सीआईएफ मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है:  परन्तु यह सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल के अलावा, द्वारा आयात किया गया हो:  इसके अलावा, इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	5%	-	23
70.	कोई भी अध्याय	(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, उपकरण, उपस्कर (कंप्यूटर सहित);  (ख) सहायक उपकरण, पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं और जीवित	5%	-	24

		<p>पशु (प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए);</p> <p>(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप, जिनका सीआईएफ मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है:</p> <p>परन्तु यह अस्पताल के अलावा अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयात किया गया हो:</p> <p>इसके अलावा, इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>			
71.	कोई भी अध्याय	<p>(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, उपकरण, उपस्कर (कंप्यूटर सहित);</p> <p>(ख) सहायक उपकरण, पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए);</p> <p>(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश; और</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप, जिनका सीआईएफ मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है:</p> <p>परन्तु यह अस्पताल के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों और प्रयोगशालाओं द्वारा आयात किया गया हो:</p> <p>इसके अलावा, इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी।</p>	5%	-	25
72.	कोई भी	<p>(क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, उपकरण, उपस्कर</p>			

	अध्याय	<p>(कंप्यूटर सहित);</p> <p>(ख) सहायक उपकरण, पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए);</p> <p>(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्डेड चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश:</p> <p>परन्तु यह क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (कैंसर संस्थान) द्वारा आयातित हो:</p> <p>इसके अलावा, इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	5%	-	26
73.	कोई भी अध्याय	<p>निम्नलिखित वस्तुएँ, अर्थात्: -</p> <p>(i) खाद्य पदार्थ</p> <p>(ii) दवाइयाँ</p> <p>(iii) शीघ्र नष्ट होने वाली चिकित्सा सामग्री</p> <p>(iv) वस्त्र</p> <p>(v) कंबल</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	27
74.	कोई भी अध्याय	<p>भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयातित सामान:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	28
75.	कोई भी अध्याय	<p>भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त ऊन, ऊनी कपड़े और ऊनी परिधान:</p> <p>परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	-

76.	कोई भी अध्याय	औषधियाँ, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	29
77.	कोई भी अध्याय	(i) कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इंकॉर्पोरेटेड, जिसका नाम अब कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर इंकॉर्पोरेटेड (जिसे आगे केयर कहा जाएगा) या इसके वितरण संगठनों द्वारा आयातित उपहार वस्तुएँ, जो भारत के राष्ट्रपति और केयर के बीच हुए समझौते के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।  (ii) केयर या इसके वितरण संगठनों द्वारा आयातित आपूर्तियाँ और उपकरण, जो भारत के राष्ट्रपति और केयर के बीच हुए समझौते के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं; और  (iii) केयर के अधिकारियों के आधिकारिक उपयोग के लिए आपूर्तियाँ और उपकरण:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	30
78.	कोई भी अध्याय	राहत और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए भारत में आयातित माल:  परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	31
79.	कोई भी	खाद्य एवं खाद्य सामग्री:	शून्य	शून्य	32

	अध्याय	परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी			
80.	कोई भी अध्याय	(i) रक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु भारत सरकार को दान की गई वस्तुएँ; (ii) राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान की गई सोना-चाँदी सहित वस्तुएँ: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	33
81.	कोई भी अध्याय	भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत उपहार में दी गई या निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुएँ: परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी	शून्य	शून्य	-

**स्पष्टीकरण.-**

(I) इस तालिका II के प्रयोजनों के लिए, उक्त तालिका के स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में निर्दिष्ट दर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, यथामूल्य दर हैं;

(II) शंकाओं के निवारण हेतु, -

(क) स्तंभ (4) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुसार माल पर लगाए जाने वाले मूल सीमा शुल्क से है।

(ख) स्तंभ (5) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार माल पर लगाए जाने वाले एकीकृत माल और सेवा कर से है, जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित किया गया है।

## तालिका II का अनुलग्नक

शर्त नं.	शर्त
1.	यदि आयातक, सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली, 2022 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है
2.	अगर, - (i) आपूर्ति तीन विशिष्ट बी-737 और दो विशिष्ट बी-777 विमानों को की जाती है, जिनका रखरखाव और संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा कुछ विशेष कार्यों के लिए भारत सरकार के उपयोग हेतु किया जाता है; और (ii) प्रत्येक मामले में एयर वाइस मार्शल के पद से नीचे का अधिकारी न हो, यह प्रमाणित करेगा कि उक्त आपूर्ति ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है।
3.	अगर,- (i) माल भारत सरकार द्वारा आयात किया जाता है, या भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या तस्करी विरोधी कार्यों या कोस्टल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी में उपयोग के लिए भारत सरकार के किसी विभाग के आदेश पर भेजा जाता है और शिपमेंट के समय ऐसे आदेश के तहत विनियोजित किया जाता है, और (ii) आयातक एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है- (क) राजस्व विभाग के अवर सचिव को इस आशय का पत्र कि उक्त माल का उपयोग तस्करी विरोधी अभियानों में किया जाना है, या (ख) गृह मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे का न हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त वस्तुएँ तटीय सुरक्षा अभियानों या आंतरिक सुरक्षा अभियानों में उपयोग हेतु अभिप्रेत हैं।
4.	अगर,- (i) उक्त माल राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपयोग के लिए आयात किया जाता है; और

	(ii) आयातक गृह मंत्रालय के अवर सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है।
5.	<p>अगर,-</p> <p>(i) उक्त वस्तुओं का आयात रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव से नीचे का न हो अधिकारी, द्वारा नामित ए.टी.वी.पी. के कार्य केन्द्रों, सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया हो; और</p> <p>(ii) ऐसे आयातक, आयात के समय, प्रत्येक मामले में, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को, संबंधित विवरण के साथ उक्त वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत करेंगे, जिसे परियोजना निदेशक या एटीवी कार्यक्रम के निदेशक (भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष रैंक के) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, कि उक्त वस्तुएं एटीवीपी के लिए आवश्यक हैं, उनका उपयोग केवल एटीवीपी के लिए किया जाएगा और उनका निर्माण भारत में नहीं किया गया है।</p>
6.	<p>अगर,-</p> <p>(i) आयातक, आयात के समय, प्रत्येक मामले में, ऐसे बुलेटप्रूफ जैकेटों के निर्माण के लिए आवश्यक उक्त वस्तुओं की विवरण तथा मात्रा सहित सूची, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करता है; और</p> <p>(ii) ऐसी सूची भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे का न हो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की जाती है:-</p> <p>क. रक्षा मंत्रालय में हो, रक्षा मंत्रालय के अधीन संघ के सशस्त्र बलों को ऐसे बुलेटप्रूफ जैकेटों की आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध किए गए आयात के मामले में; या</p> <p>ख. गृह मंत्रालय में हो, यदि आयात राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को ऐसे बुलेटप्रूफ जैकेटों की आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध किया जाता है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण</b> - राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी शामिल होंगे, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949</p>

	<p>का 66), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के तहत बनाए गए या गठित किए गए हैं।</p>
7.	<p>अगर,-</p> <p>(i) राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस या असम राइफल्स या रेलवे सुरक्षा बल या विशेष सीमा बल द्वारा बम का पता लगाने या निपटान के प्रयोजनों के लिए आयात किया गया; और</p> <p>(ii) आयातक, गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, के किसी अधिकारी से, जो गृह मंत्रालय के अवर सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी से, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है।</p>
8.	<p>आयातक को कैबिनेट सचिवालय के किसी अधिकारी से, जो अवर सचिव से नीचे का न हो अधिकारी, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त माल पूर्वोक्त उपयोग के लिए है।</p>
9.	<p>अगर,-</p> <p>(i) उक्त माल दिव्यदृष्टि कार्यक्रम के कार्य केन्द्रों, सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जिसे रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव से नीचे का न हो ऐसे अधिकारी द्वारा नामित किया गया हो; और</p> <p>(ii) ऐसे आयातक, आयात के समय, प्रत्येक मामले में, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, यथास्तिथि, को उक्त माल की सूची उनके प्रासंगिक विवरण के साथ प्रस्तुत करेंगे, -</p> <p>(क) निदेशक, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला या मुख्य प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स</p>

	<p>कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो कि उक्त सामान दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के लिए आवश्यक है, उसका उपयोग केवल दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के लिए किया जाएगा तथा वह भारत में निर्मित नहीं है; और</p> <p>(ख) रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे का न हो ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए कि उक्त सूची में उल्लिखित उक्त वस्तुओं का आयात रक्षा मंत्रालय द्वारा दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत और उसके प्रयोजनों के लिए अधिकृत है।</p>
10.	<p>अगर, -</p> <p>(i) माल को बैलिस्टिक ग्रेड अरामिड कपड़े के निर्माण में उपयोग के लिए एक निर्माता द्वारा आयात किया जाता है;</p> <p>(ii) आयातक, प्रत्येक मामले में, आयात के समय, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को, यथास्तिथि, एक वचन देता है कि इस तरह के अरामिड कपड़े की आपूर्ति केवल बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माता को की जाएगी, जो रक्षा मंत्रालय के तहत संघ के सशस्त्र बलों या राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को आगे आपूर्ति के लिए होगी।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - "राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल" पद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल होंगे, जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (66 का 1949), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (35 का 1992), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (47 का 1968), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (50 का 1968) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 (47 का 1986) के तहत बनाए या गठित किए गए हैं।</p>
11.	<p>अगर, -</p> <p>(i) उक्त माल का आयात अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर)-भारत, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के अधिकृत कार्य केंद्रों द्वारा किया जाता है, जिन्हें परमाणु</p>

	<p>ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो, द्वारा नामित किया जा सकता है; और</p> <p>(ii) आयातक, आयात के समय, प्रत्येक मामले में, सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, उक्त वस्तुओं की एक सूची उनके प्रासंगिक विवरण के साथ प्रस्तुत करता है, जिसे परियोजना निदेशक, (आईटीईआर)-भारत परियोजना द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है, इस आशय से कि -</p> <p>(क) उक्त सूची में उल्लिखित सामान आईटीईआर-भारत परियोजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं;</p> <p>(ख) उक्त माल का उपयोग केवल उक्त परियोजना के लिए ही किया जाएगा।</p>
12.	यदि रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा सीधे आयात किया जाता है।
13.	यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, लापता हो जाता है या युद्ध बंदी बना लिया जाता है तो उसके निकटतम संबंधी को सुपुर्द करने के लिए आयात किया जाता है।
14.	<p>अगर, -</p> <p>(i) रक्षा मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सामान केवल युद्ध कर्बों के रखरखाव के लिए हैं; और</p> <p>(ii) आयातक संस्था का प्रमुख प्रत्येक मामले में प्रमाणित करता है कि उक्त माल केवल उपरोक्त उद्देश्य के लिए है तथा इसे बेचा या निपटाया नहीं जाएगा।</p>
15.	<p>अगर, -</p> <p>(i) आयातित भंडार को तटरक्षक संगठन के जहाज के चालक दल के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार मुफ्त आपूर्ति किए जाने का इरादा है;</p> <p>(ii) निर्धारित प्रपत्र में शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया है और आयातित सामान के संबंध में निर्यात शुल्क, जुर्माना, किराया, ब्याज और अन्य देय प्रभारों का भुगतान किया गया है;</p> <p>(iii) तटरक्षक संगठन के जहाज पर आयातित सामान ले जाने के लिए निकासी का आदेश उचित अधिकारी द्वारा दिया गया है; और</p>

	(iv) इस संबंध में सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
16.	<p>अगर, -</p> <p>(i) रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के अवर सचिव से एक प्रमाण पत्र, प्रत्येक मामले में, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को प्रस्तुत किया जाता है, कि आयातित माल परीक्षण, प्रदर्शन या प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए है, और</p> <p>(ii) आयातक प्रत्येक मामले में ऐसे माल पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करने का वचन देता है (सिवाय उनके जो उक्त अवर सचिव द्वारा परीक्षण, प्रदर्शन या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में उपभोग किए जाने के रूप में प्रमाणित किए गए हों) जिन्हें आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त सहायक आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर उसके द्वारा पुनः निर्यात नहीं किया जाता है।</p>
17.	<p>यदि रक्षा मंत्रालय, या रक्षा बलों, या रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, या किसी अन्य संस्था द्वारा रक्षा बलों के लिए भारत में आयात किया जाता है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: -</p> <p>(i) रक्षा मंत्रालय में अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, प्रमाणित करता है,</p> <p>(क) आयातित माल की मात्रा, विवरण और तकनीकी विनिर्देश; और</p> <p>(ख) उक्त माल केवल रक्षा बलों के उद्देश्य और उपयोग के लिए है और आयातित माल को छूट प्रदान करने की सिफारिश करता है;</p> <p>(ii) आयातक, आयात के समय उक्त प्रमाणपत्र सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को, यथास्तिति, प्रस्तुत करेगा।</p>
18.	यदि माल का आयात परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में संबंधित कस्टम हाउस के साथ 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले पंजीकृत अनुबंधों के तहत किया गया है।
19.	<p>यदि विद्युत मंत्रालय में अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, यह प्रमाणित करता है कि: -</p> <p>(i) विद्युत क्रय करने वाले राज्य ने टैरिफ तय करने की पूरी शक्तियों के साथ नियामक</p>

	<p>आयोग का गठन किया है;</p> <p>(ii) विद्युत क्रय करने वाले राज्य विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित वितरण सुधारों को लागू करने का कार्य करेंगे।</p> <p>(क) किसी ऐसी परियोजना के लिए आयात के मामले में जिसके लिए विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, द्वारा जारी मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र अनंतिम है, आयातक किसी भी अनुसूचित बैंक से एक सौ बासठ महीने की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम पर एक सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, जो इस छूट के बिना ऐसे आयातों पर देय सीमा शुल्क के बराबर राशि के लिए आयात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, जैसा भी हो, को प्रस्तुत की जाती है और यदि आयातक आयात की तारीख से एक सौ बीस महीने (एक सौ छप्पन महीने) की अवधि के भीतर अंतिम मेगा पावर स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उक्त प्रतिभूति को इस छूट के बिना ऐसे आयातों पर देय सीमा शुल्क के लिए विनियोजित किया जाएगा:</p> <p>परन्तु अनंतिम मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति आनुपातिक विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार के उक्त संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया मेगा प्रमाण पत्र के अनुसार आनुपातिक रूप से जारी की जा सकती है;</p> <p>(ख) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा आयात के मामले में, आयातित माल की मात्रा, कुल मूल्य, विवरण और विनिर्देशन अध्यक्ष और उक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं; और</p> <p>(ग) निजी क्षेत्र की परियोजना द्वारा आयात के मामले में, आयातित माल की मात्रा, कुल मूल्य, विवरण और विनिर्देशन ऐसी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं।</p>
20.	<p>(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक इकाइयों द्वारा आयात के मामले में, आयातित माल की मात्रा, कुल मूल्य, विवरण और विनिर्देशनों को परमाणु ऊर्जा विभाग में अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, द्वारा प्रमाणित किया जाता है।</p>

	(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा आयात के मामले में, आयातित माल की मात्रा, कुल मूल्य, विवरण और विनिर्देश उक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं।
21.	यदि आयातित माल को निम्नलिखित द्वारा प्रबंधित संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाना है - (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में, ऐसी वस्तुओं का आयात भारत में पुरातत्व के महानिदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अधीन किया जाएगा; या (ख) किसी राज्य सरकार द्वारा आयातित माल का आयात संबंधित राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तहत किया जाएगा।
22.	अगर, (क) आयातक, आयात के समय, आयात बंदरगाह के सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें इस छूट को प्रदान करने की सिफारिश की जाती है और यह कि माल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक है; और (ख) आयातक, बॉन्ड के निष्पादन द्वारा, ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए, जैसा कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, स्वयं को बाध्य करता है, - (i) आयात की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर माल को पुनः निर्यात करने के लिए, जिसे ऐसे माल के आयात के बंदरगाह के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा, आयातक के लिखित अनुरोध पर, ऐसे विस्तार की मांग करने के कारणों का हवाला देते हुए, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है; और (ii) ऊपर निर्दिष्ट किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, इस प्रविष्टि के तहत छूट के बिना, ऐसे माल पर देय एकीकृत कर के बराबर राशि, उस पर लागू ब्याज के साथ, मांग पर भुगतान करने के लिए।

23.

(क) (i) माल का आयात निम्नलिखित द्वारा या उन्हें सुपुर्दगी के लिए किया जाता है -

(क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान, या

(ख) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत एक संस्थान; और आयातक संबंधित विभाग के उप सचिव के पद या उससे उच्च पद के अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है;

(ii) आयातक, आयात के समय, प्रत्येक मामले में, संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त माल केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है;

(iii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं के आयात के मामले में, आयातक, आयात के समय, संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि जीवित पशु अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करता है; और

(iv) जब माल किसी संस्था को सुपुर्दगी के लिए आयात किया जाता है, तो मद (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त मद (i), (ii) और (iii) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 57 या 58 के तहत नियुक्त गोदाम से माल की निकासी के समय प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) जहां आयातक भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत नहीं है, वहां उसे माल की निकासी के समय आयातित माल पर लागू सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा:

परन्तु ऐसा पंजीकरण प्राप्त करने और ऊपर निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के बाद, वह भुगतान किए गए शुल्क की ऐसी राशि की वापसी के लिए दावा दायर कर सकता है, जिसके लिए इस अधिसूचना के तहत छूट दी गई है, उक्त शुल्क के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की

	<p>अवधि के भीतर, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क के समक्ष, जैसा भी मामला हो, आयात के बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र हो या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमत एक वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर।</p> <p><b>स्पष्टीकरण.</b> - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पद, -</p> <p>(क) "सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान" से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिसके आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;</p> <p>(ख) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(ii) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;</p> <p>(ग) "प्रमुख" से तात्पर्य है -</p> <p>(i) किसी संस्थान के संबंध में, उसका निदेशक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(ii) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(iii) किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसका प्रधानाचार्य (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);</p> <p>(घ) "अस्पताल" में कोई भी संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, सोसायटी, संघ, प्रयोगशाला, क्लिनिक या प्रसूति गृह शामिल है जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।</p>
24.	<p>(क) (1) आयातक -</p> <p>(i) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत है;</p>

(ii) आयात के प्रत्येक मामले में संस्था के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त माल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग केवल उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;

(iii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं के आयात के मामले में, आयात के समय संस्था के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि जीवित पशु अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करता है।

(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाले माल को आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक हस्तांतरित या बेचा नहीं जाएगा:

(ख) जहां आयातक भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत नहीं है, वहां उसे माल की निकासी के समय आयातित माल पर लागू सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा:

परन्तु ऐसा पंजीकरण प्राप्त करने और ऊपर निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के बाद, वह भुगतान किए गए शुल्क की ऐसी राशि की वापसी के लिए दावा दायर कर सकता है, जिसके लिए इस अधिसूचना के तहत छूट दी गई है, उक्त शुल्क के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त के समक्ष, जैसा भी मामला हो, आयात के बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र हो या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमत एक वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर।

**स्पष्टीकरण.** - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पद, -

(क) "सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान" से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिसके आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

	<p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(ii) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;</p> <p>(ग) "प्रमुख" से तात्पर्य है -</p> <p>(i) किसी संस्थान के संबंध में, उसका निदेशक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(ii) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(iii) किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसका प्रधानाचार्य (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);</p> <p>(घ) "अस्पताल" में कोई भी संस्था, केन्द्र, न्यास, सोसायटी, संघ, प्रयोगशाला, क्लिनिक या प्रसूति गृह शामिल है जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।</p>
25.	<p>(क) (i) आयातक प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उक्त माल केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है;</p> <p>(ii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं के आयात के मामले में, आयातक आयात के समय संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि जीवित पशु अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करेगा; और</p> <p>(iii) जब माल किसी संस्था को सुपुर्दगी के लिए आयात किया जाता है, तो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 57 या धारा 58 के अंतर्गत नियुक्त गोदाम से माल की निकासी के समय उपरोक्त खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे:</p> <p>(ख) जहां आयातक भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत नहीं है, वहां उसे माल की निकासी के समय आयातित माल पर लागू सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा:</p>

परन्तु ऐसा पंजीकरण प्राप्त करने और ऊपर निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के बाद, वह उक्त शुल्क के भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, आयात बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क के समक्ष, जैसा भी मामला हो, भुगतान किए गए शुल्क की ऐसी राशि की वापसी के लिए दावा दायर कर सकता है, जो एक वर्ष से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर हो, जिसकी अनुमति सीमा शुल्क आयुक्त दे सकते हैं।

**स्पष्टीकरण.** - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पद, -

(क) "सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान" से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिसके आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्थान;

(ii) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कोई संस्थान;

(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;

(ग) "प्रमुख" से तात्पर्य है -

(i) किसी संस्थान के संबंध में, उसका निदेशक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ii) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(iii) किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसका प्रधानाचार्य (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);

(घ) "अस्पताल" में कोई भी संस्था, केन्द्र, न्यास, सोसायटी, संघ, प्रयोगशाला, क्लिनिक या प्रसूति गृह शामिल है जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।

26.

(क) (i) माल का आयात भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र द्वारा किया जाता है; और आयातक संबंधित विभाग में अधिकारी जो उप सचिव के पद या उससे नीचे का न हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है;

(ii) आयातक प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त माल केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है;

(iii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं के आयात के मामले में, आयातक आयात के समय संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि जीवित पशु अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करता है; और

(iv) जब माल किसी संस्थान को सुपुर्दगी के लिए आयात किया जाता है, तो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 57 या धारा 58 के अंतर्गत नियुक्त गोदाम से माल की निकासी के समय उपरोक्त खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे:

(ख) जहां आयातक भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत नहीं है, वहां उसे माल की निकासी के समय आयातित माल पर लागू सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा:

परन्तु ऐसा पंजीकरण प्राप्त करने और ऊपर निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात, वह भुगतान किए गए शुल्क की ऐसी राशि की वापसी के लिए, जिसके लिए इस अधिसूचना के तहत छूट दी गई है, उक्त शुल्क के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त के समक्ष, यथास्तिथि, आयात के बंदरगाह पर अधिकार क्षेत्र हो या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमत एक वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, दावा दायर कर सकता है।

**स्पष्टीकरण.** - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पद, -

(क) "सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान" से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिसके

	<p>आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;</p> <p>(ख) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -</p> <p>(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(ii) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कोई संस्थान;</p> <p>(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;</p> <p>(ग) "प्रमुख" से तात्पर्य है -</p> <p>(i) किसी संस्थान के संबंध में, उसका निदेशक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(ii) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);</p> <p>(iii) किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसका प्रधानाचार्य (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए);</p> <p>(घ) "अस्पताल" में कोई भी संस्था, केन्द्र, न्यास, सोसायटी, संघ, प्रयोगशाला, क्लिनिक या प्रसूति गृह शामिल है जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।</p>
27.	<p>(i) उक्त माल भारत में किसी धर्मार्थ संगठन द्वारा विदेश से निःशुल्क उपहार के रूप में आयात किया गया है या उसके द्वारा विदेश में प्राप्त दान से विदेशी मुद्रा में खरीदा गया है;</p> <p>(ii) उक्त माल जाति, पंथ या नस्ल के किसी भी भेदभाव के बिना गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क वितरण के लिए है;</p> <p>(iii) आयातक, उक्त माल के आयात के समय:-</p> <p>क. संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था से सहायक आयुक्त सीमा शुल्क को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जो यह प्रमाणित करता है कि वह एक वास्तविक संगठन है जो जाति, पंथ या नस्ल</p>

	<p>के किसी भी भेदभाव के बिना गरीबों और जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित करने और राहत कार्य में लगा हुआ है; या</p> <p>ख. इस संबंध में सहायक आयुक्त को अन्यथा संतुष्ट करता है;</p> <p>(iv) सहायक आयुक्त आयातक संगठन की गतिविधियों और सद्भावना, उसके संचालन के क्षेत्र; उसके वित्तीय संसाधनों; दाता की स्थिति, आयातित माल की प्रकृति, मूल्य और मात्रा को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है; जिन लोगों के बीच आयातित माल वितरित किया जाना है, उनके भोजन और पहनावे की आदतें; यह कि माल जाति, पंथ या नस्ल के किसी भी भेदभाव के बिना गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त वितरण के लिए वास्तविक उपहार हैं;</p> <p>(v) आयातक, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को इस आशय का वचन देता है कि वह संबंधित राज्य सरकार या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था से उक्त माल के आयात की तिथि से छह महीने के भीतर या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि उक्त माल गरीबों और जरूरतमंदों को जाति, पंथ या नस्ल के किसी भी भेदभाव के बिना निःशुल्क वितरित किया गया है;</p> <p>(vi) जहां उक्त माल विदेशी मुद्रा में विदेश से प्राप्त दान से खरीदा गया है, वहां संगठन को विदेशों में दान की गई धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेश में एक खाता बनाए रखने की अनुमति दी गई है।</p>
28.	<p>आयात के समय, आयातक, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के महासचिव से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा जाता है कि विचाराधीन माल संकटग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक है।</p>
29.	<p>(i) उक्त माल भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों के उपचार के लिए आवश्यक है;</p> <p>(ii) आयातक, निकासी के समय और स्थान पर, मध्य प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता</p>

	<p>है कि निर्दिष्ट औषधियाँ, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों के उपचार के लिए आवश्यक हैं, और ऐसी औषधियों, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग उनके आयात की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाना संभावित है;</p> <p>(iii) आयातक इस आशय का एक वचन देता है कि वह ऐसी औषधियों, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के आयात की तिथि से छह महीने के भीतर या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, मध्य प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, से एक प्रमाण पत्र सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क को प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि औषधियों, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया गया है।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> "भोपाल गैस रिसाव आपदा" से 2 और 3 दिसंबर, 1984 को घटित घटना अभिप्रेत है, जिसमें भोपाल स्थित एक संयंत्र (जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का संयंत्र है, जो कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, यू.एस.ए. की एक सहायक कंपनी है) से अत्यधिक हानिकारक और असामान्य रूप से खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था और जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि हुई थी।</p>
30.	<p>(i) आयातक, आयात के समय यह वचन देता है कि उपहार में दी गई वस्तुएं निःशुल्क वितरण के लिए हैं।</p> <p>(ii) आयातक, आयात के समय यह वचन देता है कि जिन प्रयोजनों के लिए आपूर्ति और उपकरण आयात किए गए थे, जब उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो उन्हें भारत से बाहर निर्यात कर दिया जाएगा और आयातित आपूर्ति और उपकरण केयर या उसके वितरण संगठनों के अधिकारियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं हैं और इसके अतिरिक्त, कोई भी आपूर्ति या उपकरण उक्त अनुबंध के उल्लंघन में बिक्री या अन्यथा किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जाएगा।</p>
31.	<p>(i) उक्त माल भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच लागू किसी समझौते की शर्तों</p>

	के अनुसार भारत में आयात किया जाता है, जो ऐसे माल के भारत में शुल्क-मुक्त प्रवेश का प्रावधान करता है; और  (ii) इस प्रकार आयातित माल को भारत में बेचा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा, सिवाय इसके कि सरकार की पूर्व स्वीकृति के और इस संबंध में सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने पर ही ऐसा किया जाए।
32.	ये सामान भारत सरकार को मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान किए जाते हैं, या तो संयुक्त राष्ट्र संगठन या यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा।
33.	दान की गई वस्तुएं निर्यात के देश में भारतीय मिशन के पास जमा कर दी गईं और उस मिशन द्वारा भारत सरकार को या ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को भेज दी गईं जिन्हें सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

### तालिका II में संलग्न सूचियाँ

#### सूची 1 (तालिका II का क्रम संख्या 62 देखें)

क्रम सं.	विवरण
1.	पारबती-II, हिमाचल प्रदेश - 4x200-"800" मेगावाट (एनएचपीसी)
2.	तीस्ता- वी, सिक्किम - 3x170-"510" मेगावाट (एनएचपीसी)
3.	सीपत-II, छत्तीसगढ़ - 2x500-"1000" मेगावाट (एनटीपीसी)
4.	विंध्याचल-III, मध्य प्रदेश - 2x500-"1000" मेगावाट (एनटीपीसी)
5.	तालचेर-II, उड़ीसा - 4x500-2000 मेगावाट (एनटीपीसी)

6.	रिहंद-II, उत्तर प्रदेश - 2x500-1000 मेगावाट (एनटीपीसी)
7.	सीपत-I, छत्तीसगढ़ - 3x660-"1980" मेगावाट (एनटीपीसी)
8.	कहलगांव-II चरण-I और II बिहार - 3x500-1500 मेगावाट (एनटीपीसी)
9.	बाढ़, बिहार - 3x660-"1980" मेगावाट (एनटीपीसी)
10.	कोलडैम, हिमाचल प्रदेश - 4x200-800 मेगावाट (एनटीपीसी)
11.	तूतीकोरिन, तमिलनाडु- 2x500-1000 मेगावाट (एनएलसी)
12.	पार्वती-III, हिमाचल प्रदेश - 4x130-520 मेगावाट (एनएचपीसी)
13.	झानोर गांधार CCPP-II, गुजरात -2x650="1300" मेगावाट (एनटीपीसी)
14.	कावास सीसीपीपी-II, गुजरात - 2x650-"1300" मेगावाट (एनटीपीसी)
15.	आरजीपीपीएल, महाराष्ट्र - 2150 मेगावाट (एनटीपीसी/गेल/महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
16.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी, हिमाचल प्रदेश - 4x130-"520" मेगावाट (एनटीपीसी)
17.	सिम्हाद्रि-II, आंध्र प्रदेश - 2x500-"1000" मेगावाट (एनटीपीसी)
18.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी-जेवी परियोजना, हरियाणा - 3x500-1500 मेगावाट (एनटीपीसी)
19.	बोंगाईगांव, असम - 3x250='750' मेगावाट (एनटीपीसी)
20.	बाढ़-II, बिहार - "1320" मेगावाट (एनटीपीसी)
21.	कोडरमा टीपीएस सेंट-I, झारखंड - "1000" मेगावाट (डीवीसी)
22.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस, पश्चिम बंगाल - 2x500-1000 मेगावाट (डीवीसी)

23.	टिहरी पंप भंडारण परियोजना - 4x250-1000 मेगावाट (THDC)
24.	मौदा, महाराष्ट्र - 2x500-1000 मेगावाट (एनटीपीसी)
25.	रिहंद-III, उत्तर प्रदेश - 2 x 500-1000 मेगावाट (एनटीपीसी)
26.	नबीनगर- रेलवे, बिहार के साथ संयुक्त उद्यम - 4 x 250-1000 मेगावाट (एनटीपीसी)
27.	वल्लूर चरण- I चरण I और II, तमिलनाडु - 3 x 500-1500 मेगावाट (एनटीपीसी-तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड)
28.	रघुनाथपुर टीपीएस चरण 1, पश्चिम बंगाल - 2 x 600-1200 मेगावाट (डीवीसी)
29.	टांडा-II, उत्तर प्रदेश-2 x 660-1320 मेगावाट (एनटीपीसी)
30.	मेजा, उत्तर प्रदेश - 2 x 660-1320 मेगावाट (एनटीपीसी)
31.	विंध्याचल-IV, मध्य प्रदेश - 2 x 500-"1000" मेगावाट (एनटीपीसी)
32.	सोलापुर एसटीपीपी, महाराष्ट्र - 2x660-"1320" मेगावाट (एनटीपीसी)
33.	नबीनगर एसटीपीपी, बिहार के साथ संयुक्त उद्यम, बिहार-3x660-"1980" मेगावाट (एनटीपीसी)
34.	मौदा एसटीपीपी-II, महाराष्ट्र-2x660='1320' मेगावाट (एनटीपीसी)
35.	रघुनाथपुर टीपीएस (फेज-II), पश्चिम बंगाल- 2x660-1320 मेगावाट (डीवीसी)
36.	उत्तरी करणपुरा एसटीपीपी, झारखंड-3x660-"1980" मेगावाट (एनटीपीसी)
37.	कुडगी एसटीपीपी चरण-I, कर्नाटक- 3x800=2400 मेगावाट (एनटीपीसी)
38.	दर्लिपल्ली एसटीपीपी, स्टेज-I उड़ीसा- 2x800='1600' मेगावाट (एनटीपीसी)

39.	बरेठी एसटीपीपी, मध्य प्रदेश- 6x660-"3960" मेगावाट (एनटीपीसी)
40.	लारा एसटीपीपी, छत्तीसगढ़-2x800='1600' मेगावाट (एनटीपीसी)
41.	गजमारा एसटीपीपी चरण-I-2x800= 1600 मेगावाट (एनटीपीसी)
42.	राजीव गांधी सीसीपीपी चरण- II चरण- I, केरल-3x350=1050 मेगावाट (एनटीपीसी)
43.	गिद्दड़भा एसटीपीपी, पंजाब - 4x660-"2640" मेगावाट (एनटीपीसी)
44.	खरगोन सुपर टीपीपी, म.प्र. - 2x660= "1320" मेगावाट (एनटीपीसी)
45.	गाडरवारा सुपर टीपीपी, म.प्र. - 2x660 "1320" MW 2x800="1600" MW (एनटीपीसी)
46.	कटवा सुपर टीपीपी, पश्चिम बंगाल - 2x800-1600 मेगावाट 2x660=1320 मेगावाट (एनटीपीसी)
47.	बिल्हापुर एसटीपीपी, उत्तर प्रदेश -2x660='1320' मेगावाट (एनटीपीसी)
48.	तालचेर एसटीपीपी [टीपीपी] चरण-III, उड़ीसा - 2x660-1320 मेगावाट (एनटीपीसी)
49.	खेदड़ (हिसार), हरियाणा - 1000 (+200) मेगावाट (एचपीजीसीएल)
50.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना -2x600-1200 मेगावाट
51.	गैस आधारित सीसीपीपी प्रगति-III, दिल्ली-K0.6 मेगावाट (प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
52.	श्री दामोदरन संजीवैया, नेल्लातुरु, आंध्र प्रदेश - 2x800-"1600" मेगावाट (एपीपीडीसीएल)
53.	चंद्रपुर विस्तार, महाराष्ट्र- 2x500="1000" मेगावाट (एमएसपीजीसीएल)
54.	कोराडी विस्तार, महाराष्ट्र- 3x660-"1980" मेगावाट (एमएसपीजीसीएल)
55.	भुसावल विस्तार, महाराष्ट्र- 2x500="1000" मेगावाट (एमएसपीजीसीएल)

56.	सूरतगढ़, राजस्थान में एसटीपीएस चरण-V पर सुपरक्रिटिकल टीपीपी- 2x660="1320" मेगावाट (आरआरवीयूएनएल)
57.	छबड़ा, राजस्थान में सुपरक्रिटिकल टीपीपी - 2x660='1320' मेगावाट (आरआरवीयूएनएल)
58.	उत्तरी चेन्नई, तमिलनाडु-2x600-1200 मेगावाट (टीएनईबी)
59.	पुरुलिया पंप स्टोरेज हाइडल परियोजना, पश्चिम बंगाल-4x225=900 मेगावाट (राज्य क्षेत्र)
60.	सागरदिघी टीपीपी एक्सटेंशन। यूनिट 3 और 4, पश्चिम बंगाल-2x500-"1000" मेगावाट (डब्ल्यूपीडीसीएल)
61.	श्री सिंगाजी टीपीपी-2x660 एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मेगावाट (एमपीपीजीसीएल)
62.	कृष्णापटनम यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश-6x660=3960 मेगावाट (तटीय आंध्र पावर लिमिटेड)
63.	मुंद्रा यूएमपीपी, गुजरात-5x800= 4000 मेगावाट (कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड)
64.	सासन, मध्य प्रदेश- 6x660= "3960" मेगावाट (सासन पावर लिमिटेड)
65.	तिलैया यूएमपीपी, झारखंड-5x800= 4000 मेगावाट (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड)
66.	उड़ीसा यूएमपीपी, उड़ीसा - 5x800 "4000" मेगावाट
67.	छत्तीसगढ़ यूएमपीपी, छत्तीसगढ़-5x800=4000 मेगावाट
68.	चेयूर यूएमपीपी,- 5x800=4000 मेगावाट
69.	रायगढ़ टीपीपी, छत्तीसगढ़- 4x250= "1000" मेगावाट (मैसर्स जिंदल पावर लिमिटेड)
70.	अखखोल जीबीपीपी, गुजरात-3x382.5 1147.5 मेगावाट (मैसर्स जिंदल पावर लिमिटेड)

71.	उडुपी (नागार्जुन) विद्युत परियोजना, कर्नाटक-2x600-1200 मेगावाट (मेसर्स उडुपी (नागार्जुन) पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
72.	आईपीपी परियोजना हरियाणा- 2x660= "1320" मेगावाट (मेसर्स झज्जर पावर लिमिटेड)
73.	ओएनजीसी-त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड (ओटीपीसी) द्वारा पलाटाना, त्रिपुरा में विकसित किया जा रहा 726 मेगावाट सीसीजीटी- (2x250)(2x113.3)= 726 मेगावाट
74.	सलाया टीपीपी, गुजरात- 2x600= 1200 मेगावाट (मेसर्स एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड)
75.	तिरोदा टीपीपी, महाराष्ट्र-5x660-3300 मेगावाट (मेसर्स अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड)
76.	कवाई टीपीपी, राजस्थान - 2x660-1320 मेगावाट (मेसर्स अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड)
77.	तीस्ता-VI, सिक्किम - 4x125='600' मेगावाट (मेसर्स लैंको)
78.	तीस्ता-III सिक्किम-6x200= "1200" मेगावाट (मेसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड)
79.	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड (यू-3 एवं 4) जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़-2x600-"1200" मेगावाट (मेसर्स केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड)
80.	पंजाब राज्य में राजपुरा टीपीपी-2x700=1400 मेगावाट (मेसर्स नाभा पावर लिमिटेड)
81.	बनवाला, पंजाब में तलवंडी साबो बिजली परियोजना - 3x660-"1980" मेगावाट (मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल))
82.	टीपीपी नंदगांवपेठ, एमआईडीसी, अमरावती जिला, महाराष्ट्र - 5x270=1350 मेगावाट (मेसर्स इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड) रतन इंडिया पावर लिमिटेड।
83.	करछना, इलाहाबाद, यूपी में टीपीपी-2x660 = 1320 मेगावाट (मेसर्स संगम पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड)

84.	टीपीपी बारा, इलाहाबाद, यूपी, -3x660-1980 मेगावाट (मेसर्स प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड)
85.	सरगुजा, छत्तीसगढ़ में टीपीपी- 2x660="1320" मेगावाट (मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड)
86.	ढेंकनाल, उड़ीसा में टीपीपी-3x350-1050 मेगावाट (मेसर्स जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड)
87.	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़-2x685 मेगावाट
88.	केएसके महानदी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू-2 एवं 5) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़-2x600 मेगावाट
89.	केएसके महानदी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू-1 एवं 6) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़-2x600 मेगावाट
90.	थर्मल पावरटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पयनमपुरम, आंध्र प्रदेश- 2x660 मेगावाट
91.	केवीके नीलांचल पावर प्राइवेट लिमिटेड, कटक, उड़ीसा-3x350 मेगावाट
92.	ईस्ट-कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश - 2x660 मेगावाट
93.	मोनेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मालीब्राहमणी, उड़ीसा-2x525 मेगावाट
94.	हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-2x520 मेगावाट
95.	कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड, चंदवा, झारखंड-4x270 मेगावाट
96.	लैंको पावर लिमिटेड (यू-3,4) पाथडी, छत्तीसगढ़-2x660 मेगावाट
97.	ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश-3x660 मेगावाट

98.	लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड वर्धा, महाराष्ट्र-2x660 मेगावाट
99.	लैंको बाबांध पावर लिमिटेड ढँकनाल, उड़ीसा-2x660 मेगावाट
100.	डीबी पावर लिमिटेड वडोदरा टीपीपी जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़-2x660 मेगावाट
101.	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड सिंधीतराई टीपीएस जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़- 2x600 मेगावाट
102.	एस्सार पावर झारखंड लिमिटेड, टोरी, झारखंड-2x600 मेगावाट
103.	एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड अनुपपुर, मध्य प्रदेश-2x600 मेगावाट
104.	आरकेएम पावरजेन प्रा. लिमिटेड उचपिंडे टीपीपी जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़-4x360 मेगावाट
105.	आईएल एंड एफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड, कुड्डालोर, तमिलनाडु-2x600 मेगावाट
106.	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लिमिटेड थम्मिनापटनम, आंध्र प्रदेश-Ph-1:2x 150 Ph-II 2x350 मेगावाट
107.	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड बिंज कोटे टीपीपी रायगढ़, छत्तीसगढ़-4x300 मेगावाट
108.	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, अंगुल, उड़ीसा- 2x600 मेगावाट
109.	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स नेल्लोर एपी-2x660 मेगावाट
110.	समालकोट पावर लिमिटेड, समालकोट, आंध्र प्रदेश-2400 मेगावाट
111.	टोरेंट एनर्जी लिमिटेड दहेज, गुजरात-1200 मेगावाट
112.	नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन, तमिलनाडु- 2X500 मेगावाट=1000 मेगावाट (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन)

113.	कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश-600 मेगावाट नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)
------	---

**सूची 2 (तालिका II का क्रम संख्या 66 देखें)**

क्रम सं.	विवरण
1.	तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र -3 और 4 (महाराष्ट्र) - "1000" मेगावाट
2.	कुडनकुलम (तमिलनाडु) - "2000" मेगावाट
3.	कैगा - 3 और 4 (कर्नाटक) - "440" मेगावाट
4.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना- इकाई 5 एवं 6 (रावतभाटा) - 440 मेगावाट, इकाई -7 एवं 8 (रावतभाटा) 1400 मेगावाट
5.	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (कलपक्कम) -500 मेगावाट.
6.	काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना-इकाई 3 और 4 (काकरापार) 1400 MWe.
7.	गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) यूनिट -1 और 2 (700 मेगावाट x2)
8.	कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) इकाइयाँ - 3 और 4 (1000 MW x 2)
9.	माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना-1 से 4, माही बांसवाड़ा, राजस्थान
10.	कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना-5 और 6, कैगा साइट, कर्नाटक
11.	गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना-3 और 4, जी एच ए वीपी साइट, हरियाणा
12.	चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना-1 और 2, चुटका स्थल, मध्य प्रदेश
13.	कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) इकाइयाँ - 5 और 6 ('1000' MW x 2)

**तालिका III**

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	एकीकृत माल और सेवा कर	मुआवजा उपकर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कोई भी अध्याय	<p>भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के समय या अपने कार्यकाल के दौरान आयातित या बॉन्ड से खरीदी गई निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात् -</p> <p>(i) उपराष्ट्रपति या उनके परिवार के किसी सदस्य के निजी उपयोग, पहनने या उपभोग की वस्तुएं;</p> <p>(ii) उपराष्ट्रपति के घर के सदस्यों या उनके अतिथियों, चाहे वे आधिकारिक हों या नहीं, के उपभोग के लिए भोजन, पेय और तंबाकू;</p> <p>(iii) उपराष्ट्रपति के किसी भी आधिकारिक आवास की साज-सज्जा के लिए सामग्री;</p> <p>(iv) उपराष्ट्रपति के उपयोग के लिए मोटर कारें उपलब्ध कराई गईं</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-
2.	कोई भी अध्याय	<p>किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति पर या पद पर रहते हुए बॉन्ड से आयातित या क्रय की गई निम्नलिखित वस्तुएं, अर्थात् -</p> <p>(i) राज्य के राज्यपाल के उपयोग के लिए मोटर कार</p>	शून्य	-	-	-
3.	कोई भी अध्याय	<p>भारत में राजनयिक मिशनों के निम्नलिखित वर्गों के सदस्यों और उनके परिवारों द्वारा या उनकी ओर से व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी सामान, जिसमें शामिल मोटर वाहन, आयातित या बॉन्ड से खरीदे गए सामान-</p> <p>(i) राजदूत, उच्चायुक्त, दूत, असाधारण और मंत्री, पूर्णाधिकारी प्रभार-डी "मामलों, परामर्शदाता,</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>प्रथम सचिव, द्वितीय सचिव, तृतीय सचिव और अटैचेस;</p> <p>(ii) कार्यालय उपकरण और अन्य सभी सामान, जिसमें शामिल मोटर वाहन, जो राजदूतों, उच्चायुक्तों, दूतों, असाधारण और मंत्रियों, पूर्णाधिकारी और प्रभारी मामलों या मिशन के किसी भी अधिकारी द्वारा अपने मिशनों के आधिकारिक उपयोग के लिए इस संबंध में अधिकृत किए गए किसी भी अधिकारी द्वारा आयातित या बॉन्ड से खरीदे गए हैं;</p> <p>(iii) मद (i) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों/जनता को निःशुल्क वितरण के लिए आयातित कैलेंडर, यदि वे उस देश के उत्पाद या निर्माता हैं जिसका प्रतिनिधित्व अधिकारी कर रहे हैं:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(क) संबंधित राजनयिक मिशन की सरकार द्वारा समान स्थिति वाले भारतीय अधिकारियों को तदनुरूप छूट दी जाती है, और</p> <p>(ख) इस रियायत के तहत बॉन्ड से आयातित या खरीदे गए माल की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
4.	कोई भी अध्याय	<p>(i) भारत में राजनयिक मिशन के अधिकारियों द्वारा आयातित, राजनयिक दर्जा प्राप्त से भिन्न व्यक्तियों द्वारा, तथा भारत में अपनी नियुक्ति के लिए प्रथम आगमन पर उनके परिवारों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आयातित व्यक्तिगत और घरेलू सामान, मोटर वाहन को छोड़कर</p> <p>(ii) भारत में राजनयिक मिशन के अधिकारियों, से जो भिन्न राजनयिक दर्जा प्राप्त प्रत्येक अधिकारी द्वारा भारत में अपनी नियुक्ति लेने के लिए</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>प्रथम आगमन पर अपने निजी उपयोग के लिए आयातित एक मोटर वाहन:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(क) माल का आयात समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत बनाए गए सामान नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है;</p> <p>(ख) संबंधित राजनयिक मिशन की सरकार द्वारा समान स्थिति वाले भारतीय अधिकारियों को तदनु रूप छूट दी जाती है;</p> <p>(ग) दावेदार उस राज्य के नागरिक हैं जो उन्हें नियुक्त करता है, सामान्यतः भारत में निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा भारत में पदों पर भेजा जाता है और वे भारत में किसी लाभकारी निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं; और</p> <p>(घ) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
5.	कोई भी अध्याय	<p>(i) व्यक्तिगत और घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं, जिसमें मोटर वाहन भी शामिल है, जो विदेशी राज्यों के निम्नलिखित श्रेणियों के कैरियर कांसुलर अधिकारियों और उनके परिवारों, महावाणिज्यदूतों, काउंसल (जिसमें शामिल अतिरिक्त काउंसल) और उप-वाणिज्यदूतों द्वारा या उनकी ओर से आयातित किए जाते हैं।</p> <p>(ii) कार्यालय उपकरण जिसमें मोटर वाहन भी शामिल है, किसी विदेशी राज्य के वाणिज्य दूतावास में आधिकारिक उपयोग के लिए आयातित, जिसमें मद (i) के तहत छूट के हकदार कैरियर कांसुलर अधिकारी तैनात हैं।</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>(iii) मद (i) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों/जनता को निःशुल्क वितरण के लिए आयातित कैलेंडर, यदि वे उस देश के उत्पाद या निर्माता हैं जिसका प्रतिनिधित्व अधिकारी कर रहे हैं:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(क) माल को संबंधित कौंसुलर अधिकारी की भारत में नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय आयात किया जाता है;</p> <p>(ख) उसी स्थिति के भारतीय कांसुलरी अधिकारियों को सरकार द्वारा इसी प्रकार की छूट दी जाती है जिसका प्रतिनिधित्व कांसुलरी अधिकारी करता है;</p> <p>(ग) संबंधित कौंसुलर अधिकारी सामान्यतः भारत का निवासी हो;</p> <p>(घ) कौंसुलर अधिकारी भारत में किसी लाभकारी निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं है; और</p> <p>(ङ) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है।</p> <p>इसके अलावा</p> <p>(क) उन राज्यों में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयातित समान वस्तुओं के संबंध में तदनु रूप छूट दी जाती है;</p> <p>(ख) माल उस राज्य की सरकार की संपत्ति है और भारत में उनके वाणिज्य दूतावास में उपयोग के लिए आयात किया जाता है; और</p> <p>(ग) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है।</p>				
6.	कोई भी	(1)व्यक्तिगत और घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं	शून्य	शून्य	शून्य	-

अध्याय	<p>जिसमें मोटर वाहन भी शामिल है, जो भारत में विदेशी राज्यों के निम्नलिखित श्रेणियों के विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारियों, जो दिल्ली के बाहर तैनात हैं, और उनके परिवारों द्वारा या उनकी ओर से आयातित हैं, अर्थात् -</p> <p>(i) उप उच्चायुक्तों,</p> <p>(ii) सहायक उच्चायुक्त,</p> <p>(iii) प्रथम सचिवों,</p> <p>(iv) द्वितीय सचिव,</p> <p>(v) तृतीय सचिव; और</p> <p>(vi) संलग्न करता है.</p> <p>(2)मोटर वाहनों सहित कार्यालय उपकरण की वस्तुएं, जो किसी विदेशी मिशन में सरकारी उपयोग के लिए आयातित की गई हों, जिसमें उपर्युक्त (1) के अधीन छूट पाने का हकदार कोई विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी तैनात हो।</p> <p>(3)मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों/जनता को निःशुल्क वितरण के लिए आयातित कैलेंडर, यदि वे उस देश के उत्पाद या निर्माता हैं जिसका प्रतिनिधित्व अधिकारी कर रहा है:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(क) माल का आयात उस अवधि के दौरान किसी भी समय किया जाता है, जब संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी भारत में अपनी नियुक्ति रखता है;</p> <p>(ख) संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसी सरकार द्वारा समान स्थिति वाले भारतीय अधिकारियों को तदनुरूपी छूट दी जाती है;</p>				
--------	--	--	--	--	--

		<p>(ग) संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी सामान्यतः भारत का निवासी नहीं है;</p> <p>(घ) विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी भारत में किसी लाभकारी निजी व्यवसाय में संलग्न नहीं है; और</p> <p>(ङ) इस रियायत के अंतर्गत आयातित माल की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है:</p> <p>इसके अलावा</p> <p>(क) संबंधित मिशन द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देश में समान स्थिति वाले भारतीय मिशन द्वारा आयातित समान माल के संबंध में तदनुसूची छूट दी जाती है;</p> <p>(ख) माल उनके देश की सरकार की संपत्ति है और उनके मिशन में उपयोग के लिए आयात किया जाता है; और</p> <p>(ग) इस रियायत के अंतर्गत आयातित माल की छूट विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
7.	कोई भी अध्याय	<p>(1) व्यक्तिगत और घरेलू सामान, मोटर वाहनों को छोड़कर, जो क्रम संख्या 5 में उल्लिखित कैरियर कांसुलर अधिकारियों के अलावा किसी विदेशी राज्य के वाणिज्य दूतावास के अधिकारी द्वारा उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारत में अपनी नियुक्तियों को लेने के लिए उनके पहले आगमन पर आयात किए जाते हैं।</p> <p>(2) विदेशी राज्य के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा, राजनयिक स्थिति (क्रम संख्या 5 में उल्लिखित कैरियर कांसुलर अधिकारियों के अलावा) के अलावा, भारत में अपनी नियुक्ति लेने</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>के लिए उनके पहले आगमन पर, उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित प्रत्येक एक मोटर वाहन:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(i) माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79, के तहत बनाए गए बैगिज नियमों के तहत तय समय-सीमा के भीतर आयात किया जाता है;</p> <p>(ii) संबंधित वाणिज्य दूतावासों की सरकार द्वारा समान स्थिति वाले भारतीय अधिकारियों को तदनु रूप छूट दी जाती है;</p> <p>(iii) दावेदार उस राज्य के नागरिक हैं जहां उन्हें नियुक्त किया गया है, वे सामान्यतः भारत के निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा भारत में पदों पर भेजा गया है तथा वे भारत में किसी लाभकारी व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं; और</p> <p>(iv) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
8.	कोई भी अध्याय	<p>(1) व्यक्तिगत और घरेलू सामान, मोटर वाहन को छोड़कर, जो दिल्ली के बाहर भारत में किसी विदेशी देश के उप उच्चायोग या सहायक उच्चायोग के अधिकारी द्वारा, ऊपर क्रम संख्या 6(1) में उल्लिखित विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी से भिन्न, भारत में अपनी नियुक्ति लेने के लिए पहली बार आगमन पर, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित किए गए हों</p> <p>(2) दिल्ली के बाहर, भारत में, उप-उच्चायोग के अधिकारियों, जो राजनयिक दर्जा से भिन्न हैं, द्वारा, भारत में नियुक्तियां लेने के लिए पहली</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>बार आगमन पर अपने निजी उपयोग के लिए आयातित प्रत्येक एक मोटर वाहन:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(i) माल यात्री (गैर-पर्यटक) सामान नियम, 1960 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयात किया जाता है;</p> <p>(ii) संबंधित देश की सरकार द्वारा समान दर्जे के भारतीय अधिकारियों को तदनु रूप छूट दी जाती है;</p> <p>(iii) दावेदार उस राज्य के नागरिक हैं जहां उन्हें नियुक्त किया गया है, वे सामान्यतः भारत के निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा भारत में पदों पर भेजा गया है तथा वे भारत में किसी लाभकारी व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं; और</p> <p>(iv) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
9.	कोई भी अध्याय	<p>(1) व्यक्तिगत और घरेलू सामान और सभी वस्तुएं जिसमें मोटर वाहन भी शामिल है, जो किसी विदेशी या राष्ट्रमंडल देश की सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार आयुक्त, व्यापार प्रतिनिधि या व्यापार एजेंट और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित हैं</p> <p>(2) मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों के आधिकारिक उपयोग के लिए आयातित सभी वस्तुएं, जिसमें मोटर वाहन भी शामिल है</p> <p>(3) मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा आयातित नमूने (जिनमें विज्ञापन साहित्य भी शामिल है, यदि कोई हो), यदि वे उस देश के उत्पाद या विनिर्माण हैं जिसका प्रतिनिधित्व</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>संबंधित अधिकारी करता है और केवल संबंधित अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन के लिए हैं</p> <p>(4) मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों/जनता को निःशुल्क वितरण के लिए आयातित कैलेंडर, प्रचार पोस्टर और पुस्तिकाएं, यदि वे उस देश के उत्पाद या निर्माता हैं जिसका प्रतिनिधित्व अधिकारी कर रहा है:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(i) संबंधित देश की सरकार द्वारा समान दर्जे के भारतीय अधिकारियों को तदनु रूप छूट दी जाती है; और</p> <p>(ii) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
10.	कोई भी अध्याय	<p>व्यक्तिगत और घरेलू सामान, मोटर वाहन को छोड़कर, जो व्यापार आयुक्त, सहायक व्यापार आयुक्त, व्यापार प्रतिनिधि या क्रम संख्या 9 में उल्लिखित व्यापार एजेंट के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भारत में अपनी नियुक्ति लेने के लिए पहली बार आगमन पर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाते हैं:</p> <p>परन्तु -</p> <p>(i) माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 के तहत बनाए गए सामान नियमों के तहत तय समय-सीमा के भीतर आयात किया जाता है;</p> <p>(ii) सरकार द्वारा उसी स्तर के अधिकारियों को तदनु रूप छूट दी जाती है जिसका प्रतिनिधित्व व्यापार आयुक्त, सहायक व्यापार आयुक्त, व्यापार प्रतिनिधि या संबंधित व्यापार एजेंट करता है;</p>	शून्य	शून्य	शून्य	-

		<p>(iii) दावेदार उस राज्य के नागरिक हैं जो उन्हें नियुक्त करता है, सामान्यतः भारत में निवासी नहीं हैं, उन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा भारत में पदों पर भेजा जाता है और वे भारत में किसी लाभकारी व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं; तथा</p> <p>(iv) इस रियायत के तहत आयातित वस्तुओं की छूट भी विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमा शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 के अधीन है</p>				
11.	कोई भी अध्याय	रासायनिक हथियार निषेध संगठन के निरीक्षण दल द्वारा आयातित सभी उपकरण और उपभोग्य नमूने	शून्य	शून्य	-	(1)
12.	कोई भी अध्याय	<p>संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा नीचे सूचीबद्ध परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आयातित सभी सामान, अर्थात् -</p> <p>(i) पोषण-संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए क्षमताओं को मजबूत करना;</p> <p>(ii) हरित कृषि: वैश्विक पर्यावरण लाभ के लिए भारतीय कृषि में परिवर्तन और महत्वपूर्ण जैव विविधता एवं वन परिदृश्य का संरक्षण</p>	-	शून्य	-	(2)
13.	कोई भी अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण दल द्वारा आयातित सभी उपकरण और उपभोग्य नमूने	शून्य	शून्य	-	(3)
14.	कोई भी अध्याय	किसी विदेशी सरकार से यहां नीचे निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी भी वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार की वस्तुएं और उक्त व्यक्ति द्वारा अपने सामान के हिस्से के रूप में भारत में आयात की गई, और किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत का दौरा करने वाले किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा अपने सामान के हिस्से के रूप में भारत में आयात				(4)

		<p>की गई उपहार की वस्तुएं और नीचे निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी भी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उपहार में दी जाने वाली वस्तुएं, अर्थात् -</p> <p>(1) संघ या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री;</p> <p>(2) ऐसे व्यक्ति जो संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त हैं, किन्तु किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम में नियुक्त व्यक्ति नहीं हैं</p>				
15.	30	<p>संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), रेड क्रॉस या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्दिष्ट शर्त के अधीन निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली दवाइयाँ/ड्रग्स/टीके</p> <p><b>स्पष्टीकरण:-</b> इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, - "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" का तात्पर्य एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में घोषित किया है कि उक्त अधिनियम पर अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे:</p> <p>बशर्ते कि इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी</p>	शून्य	शून्य	-	(5)
16.	49	<p>कामनवेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाइ कूपन और यूनेस्को कूपन</p>	शून्य	-	-	-
17.	49	<p>यूनिसेफ द्वारा आयातित ग्रीटिंग कार्ड, डायरी और कैलेंडर तथा उन ग्रीटिंग कार्ड, डायरी और कैलेंडर के लिए उतने लिफाफे</p>	शून्य	-	-	-

**स्पष्टीकरण.-**

(I) इस तालिका III के प्रयोजनों के लिए, उक्त तालिका के स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में निर्दिष्ट दर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, यथामूल्य दर है;

(II) शंकाओं के निवारण हेतु, -

(क) स्तंभ (4) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप-धारा

(1) के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुसार माल पर लगाए जाने वाले मूल सीमा शुल्क से है।

(ख) स्तंभ (5) में प्रदर्शित "-" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के

अनुसार माल पर लगाए जाने वाले एकीकृत माल और सेवा कर से है, जिसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित किया गया है।

(ग) स्तंभ (6) में प्रदर्शित "-" से तात्पर्य माल और सेवा (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

(2017 का 15) के अनुसार माल पर लगाए जाने वाले प्रतिकर उपकर से है, जिसे उक्त

अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए, जो वर्तमान में लागू है।

**तालिका III का अनुलग्नक**

शर्त नं.	शर्त
(1)	<p>(i) आयातक को राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार कन्वेंशन के संयुक्त सचिव या उप सचिव से उपकरणों और उपभोज्य नमूनों की विधिवत प्रमाणित सूची के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि रासायनिक हथियार कन्वेंशन के अनुसार सत्यापन/निरीक्षण करने के लिए ऐसे उपकरण और नमूने आवश्यक हैं; और</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव या उप सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार अभिसमय, सीमा</p>

	<p>शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, यथास्तिथि, को लेटर हेड पर एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि ऐसे उपकरणों को उनके आयात के छह महीने के भीतर या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और इच्छित उद्देश्य के लिए उपभोग्य नमूनों की आवश्यकता है और उनका हिसाब रखा जाएगा।</p>
(2)	<p>आयातक, माल की निकासी के समय, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के समक्ष, अधिकार क्षेत्र रखने वाले, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के पद के नीचे का न हो, ऐसे किसी अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जिसमें निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि की जाती है, अर्थात: -</p> <p>(i) माल की मात्रा और विवरण; और</p> <p>(ii) उक्त माल का उपयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन में उपयोग के लिए किया जाना है।</p>
(3)	<p>अगर, -</p> <p>(i) आयातक को परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव से उपकरणों और उपभोज्य नमूनों की विधिवत प्रमाणित सूची के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि ऐसे उपकरण और नमूने असैन्य परमाणु सुविधाओं के लिए सुरक्षा उपायों के अनुप्रयोग की शर्तों के अनुसार सत्यापन या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हैं; और</p> <p>(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त को लेटर हेड पर इस आशय का वचन देंगे कि ऐसे उपकरणों का निर्यात उनके आयात के छह महीने के भीतर या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा और इच्छित उद्देश्य के लिए उपभोग्य नमूनों की आवश्यकता है और उनका हिसाब रखा जाएगा।</p>
(4)	<p>अगर,-</p> <p>(i) संबंधित व्यक्ति या विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क</p>

	<p>अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार घोषणा की जाती है; और</p> <p>(ii) (क) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी सरकार से प्राप्त उपहार की वस्तुओं के मामले में, तथा उक्त व्यक्ति द्वारा अपने सामान के भाग के रूप में भारत में आयातित की गई वस्तुओं के मामले में, उक्त व्यक्ति, ऐसी उपहार की वस्तुओं की निकासी के समय सहायक आयुक्त सीमा शुल्क या उप आयुक्त सीमा शुल्क को यह घोषणा करता है कि वह उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति है; तथा</p> <p>(ख) किसी सरकारी प्रयोजन से भारत आने वाले किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा अपने सामान के भाग के रूप में भारत में आयातित उपहार की वस्तुओं के मामले में, और ऐसी उपहार की वस्तुएं उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के व्यक्तियों को उपहार में दी जानी हैं, तो ऐसा विदेशी गणमान्य व्यक्ति ऐसी उपहार की वस्तुओं के निकासी के समय सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त को यह घोषणा करता है कि ऐसी उपहार की वस्तुएं उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के व्यक्तियों को उपहार में दी जानी हैं।</p>
(5)	<p>यदि आयातक आयात के समय-</p> <p>(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार में उप सचिव के पद के नीचे का न हो, ऐसे किसी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित औषधियां या औषधियां या टीके (वर्णन, मात्रा और तकनीकी विनिर्देशों के संबंध में) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), रेड क्रॉस या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं और केंद्र सरकार/राज्य सरकार प्रायोजित टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक हैं; और</p> <p>(ii) सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, यथास्तिति, को इस आशय का वचन देता है कि आयातित माल का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा और वह, मांग किए जाने पर, उपरोक्त उद्देश्य के लिए आयातित माल का उपयोग करने में विफल रहने की</p>

	स्थिति में, आयातित माल की ऐसी मात्रा पर लगाए जाने वाले शुल्क और अधिसूचना के तहत उपलब्ध छूट के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान करेगा।
--	---

#### तालिका IV

क्रम. सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	3706 या 8523	मीडिया पर मुद्रित या रिकॉर्ड किए गए गेमिंग कंसोल पर उपयोग के लिए चलचित्र, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर: परन्तु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात खुदरा बिक्री के लिए पूर्व-पैक रूप में आयातित चलचित्र, संगीत या गेमिंग सॉफ्टवेयर पर लागू नहीं होगी: इसके अलावा, इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।

2. यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 2025 से लागू होगी ।

[फा. सं. सीबीऑयसी-190341/168/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2025

**No. 45/2025 –Customs**

**G.S.R. 781(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and in supersession of the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely: -

- (i) No.1/2025- Customs, dated the 16<sup>th</sup> January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 63(E) dated the 16<sup>th</sup> January, 2025;
- (ii) No.57/2022- Customs, dated the 17<sup>th</sup> November, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 822(E) dated the 17<sup>th</sup> November, 2022;
- (iii) No.32/2019- Customs, dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.726 (E) dated the 30<sup>th</sup> September, 2019;
- (iv) No.19/2019- Customs, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 476(E) dated the 6<sup>th</sup> July, 2019;
- (v) No.86/2017-Customs, dated the 14<sup>th</sup> November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1404(E) dated the 14<sup>th</sup> November, 2017;
- (vi) No. 50/2017 – Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785 (E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (vii) No.41/2017 -Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 776(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (viii) No.37/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 772(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (ix) No.36/2017- Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 771(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (x) No.32/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 767(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (xi) No.30/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India,

- Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 765(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (xii) No.29/2017- Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 764(E) dated the 30<sup>th</sup> June, 2017;
- (xiii) No.16/2017-Customs, dated the 20<sup>th</sup> April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 394(E) dated the 20<sup>th</sup> April, 2017;
- (xiv) No.5/2017-Customs, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 89(E) dated the 2<sup>nd</sup> February, 2017;
- (xv) No.130/2010-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1008(E) dated the 23<sup>rd</sup> December, 2010;
- (xvi) No.81/2005 -Customs, dated the 8<sup>th</sup> September, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 569(E) dated the 8<sup>th</sup> September, 2005;
- (xvii) No.121/2003-Customs, dated the 1<sup>st</sup> August, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 623(E) dated the 1<sup>st</sup> August, 2003;
- (xviii) No.25/1998-Customs, dated the 2<sup>nd</sup> June, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 290(E) dated the 2<sup>nd</sup> June, 1998;
- (xix) No.51/1996-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E) dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996;
- (xx) No.50/1996-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 302(E) dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996;
- (xxi) No.39/1996-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 291(E) dated the 23<sup>rd</sup> July, 1996;
- (xxii) No.154/1994-Customs, dated the 13<sup>th</sup> July, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 583(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 1994;
- (xxiii) No.152/1994-Customs, dated the 13<sup>th</sup> July, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 581(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 1994;
- (xxiv) No.148/1994-Customs, dated the 13<sup>th</sup> July, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 577(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 1994;

- (xxv) No.147/1994-Customs, dated the 13<sup>th</sup> July, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 576(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 1994;
- (xxvi) No.146/1994 -Customs, dated the 13<sup>th</sup> July, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 575(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 1994;
- (xxvii) No.104/1994-Customs, dated the 16<sup>th</sup> March, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 319(E) dated the 16<sup>th</sup> March, 1994;
- (xxviii) No.207/89-Customs, dated the 17<sup>th</sup> July, 1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E) dated the 17<sup>th</sup> July, 1989;
- (xxix) No. 326-Customs, dated the 23<sup>rd</sup> December, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 912(E) dated the 23<sup>rd</sup> December, 1993;
- (xxx) No. 80-Customs, dated the 29<sup>th</sup> August, 1970 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1246(E) dated the 29<sup>th</sup> August, 1970;
- (xxxi) No. 3-Customs, dated the 8<sup>th</sup> January, 1957 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 98(E) dated the 8<sup>th</sup> January, 1957,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts -

(a) the goods of the description specified in column (3) of the Table I below or column (3) of the said Table read with the relevant List appended thereto, as the case may be, and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, -

- (i) from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table; and
- (ii) from so much of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table,

subject to any of the conditions, specified in the Annexure to Table I, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (6) of the said Table;

(b) the goods of the description specified in column (3) of the Table II below or column (3) of the said Table read with the relevant List appended thereto, as the case may be, and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, -

- (i) from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table; and
- (ii) from so much of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table,

subject to any of the conditions, specified in the Annexure to Table II, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (6) of the said Table;

(c) the goods of the description specified in column (3) of the Table III below or column (3) of the said Table read with the relevant List appended thereto, as the case may be, and falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, -

- (i) from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table; and
- (ii) from so much of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table,
- (iii) from so much of compensation cess leviable thereon under sub-section (9) of section 3 of said Customs Tariff Act, read with section 8 of the Goods and Services (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017) and section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (6) of the said Table,

subject to any of the conditions, specified in the Annexure to Table III, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (7) of the said Table;

(d) the goods of the description specified in column (3) of the Table IV below or column (3) of the said Table falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs as leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the duties which would be leviable, if the value of the said goods, for the purposes of sub-section (1) of section 14 of the said Customs Act, were equal to the aggregate of -

- (i) the cost of the carrier medium; and
- (ii) the freight and insurance charges incurred in respect of the carrier medium.

TABLE I

S. No.	Chapter or Heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Integrated Goods and Services Tax	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	Animals and birds imported by zoo	Nil	-	-
2.	01	Cows, heifers, bulls, goats, sheep, pigs, angora rabbits, ducklings and pureline poultry stock	5%	-	-
3.	01	Grandparent poultry stock and donkey stallions	25%	-	-
4.	0207 25 00, 0207 27 00	Meat and edible offal, of turkeys, frozen	5%	-	-
5.	0207 42 00, 0207 45 00	Meat and edible offal, of ducks, frozen	5%	-	1
6.	0304 99 00	Frozen Fish Paste (Surimi) for use in manufacture of Surimi analogue products, for export	5%	-	2
7.	0306 19 00	Frozen Krill	15%	-	-
8.	0306 36	Live SPF Vannamei shrimp ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ) broodstock	5%	-	-
9.	0306 36	Live Black tiger shrimp ( <i>Penaeus monodon</i> ) broodstock	5%	-	-
10.	0306 36 60	Artemia	Nil	-	-
11.	0308 90 00	SPF Polychaete worms	5%	-	-
12.	0505 10	Real Down Filling Material from Duck or Goose, when imported by <i>bona fide</i> exporters for use in the manufacture of textile or leather garments, for export	10%	-	2 and 3
13.	0511 91 40	Artemia cysts	Nil	-	-
14.	06, 07, 08, 09 or 12	Planting materials, namely, oil seeds, seeds of vegetables, flowers and ornamental plants, tubers and bulbs of flowers, cuttings or saplings of flower plants, seeds or plants of fruits and seeds of pulses: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	4
15.	0703 10	All goods	Nil	-	-
16.	0713	Pulses other than Peas ( <i>Pisum sativum</i> ), Tur, Chickpeas, Kabuli Chana, Bengal Gram and Masoor (Lentils)	Nil	-	-

17.	0713 10	Peas ( <i>Pisum sativum</i> )	10%	-	-
18.	0713 60 00	Tur Whole	Nil	-	-
19.	0713 40 00, 0713 60 00	Tur (other than Tur whole)	10%	-	-
20.	0713 20 10	Kabuli Chana	10%	-	-
21.	0713 20 20	Bengal Gram (desi chana)	10%	-	-
22.	0713 20 90	Chickpeas (garbanzos)	10%	-	-
23.	0713 40 00	Lentils (Mosur)	5%	-	-
24.	0802 11 00	All goods	Rs. 35 per kg/-	-	-
25.	0802 12 00	All goods	Rs. 100 per kg/-	-	-
26.	0802 31 00	All goods	100%	-	-
27.	0802 99 00	Pecan nuts	30%	-	-
28.	0806 20 10	Dark seedless raisin	30%	-	-
29.	0808 10 00	All goods	15%	-	-
30.	0810 40 00	Cranberries, fresh; Blueberries, fresh	10%	-	-
31.	0811 90	Cranberries, frozen; Blueberries, frozen	10%	-	-
32.	0813 40 90	Cranberries, dried; Blueberries, dried	10%	-	-
33.	1207 99 90	Shea Nuts	15%	-	-
34.	1209	All goods (other than those falling under sub-headings 1209 91 and 1209 99)	15%	-	-
35.	1211 30 00, 1211 40 00, 1211 50, 1211 60 00, 1211 90	All goods, fresh or dried, other than liquorice roots	15%	-	-
36.	1301 90 49	Oleopine resin	5%	-	-
37.	1302 14, 1302 19, 1302 20 00	All goods (other than vegetable seeds and extracts of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone)	15%	-	-
38.	1504 20	Fish lipid oil for use in manufacture of aquatic feed	Nil	-	3
39.	1504 20	Crude fish oil for use in manufacture of aquatic feed	Nil	-	3
40.	1505	All goods	15%	-	-
41.	1507 10 00	All goods	10%	-	-
42.	1507 90 10	All goods	32.5%	-	-

43.	1508, 1509, 1510, 1512 (other than 1512 11 10), 1513, 1515	All goods, crude and edible grade	35%	-	-
44.	1508, 1510, 1512 (other than 1512 19 10), 1513, 1515	All goods, refined and edible grade	45%		-
45.	1509	All goods, refined and edible grade	40%		
46.	1511 10 00	Crude Palm Oil	10%	-	-
47.	1511 90	All goods	32.5%	-	-
48.	1511	Palm stearin, whether crude, RBD or other, having free fatty acid (FFA) 20% or more	7.5%	-	-
49.	1512 11 10	All goods	10%	-	-
50.	1512 19 10	All goods	32.5%	-	-
51.	1514 11, 1514 91	All goods, edible grade	35%	-	-
52.	1514 19, 1514 99	All goods, edible grade	45%	-	-
53.	1516 10	All goods	30%	-	-
54.	1516 20, 1516 30 00	All goods	80%	-	-
55.	1516 20, 1516 30 00	All goods of edible grade	45%	-	-
56.	1517 10 21, 1517 90 10, 1518 00 11, 1518 00 21, 1518 00 31	All goods of edible grade	45%	-	-
57.	1517 , 1518	All goods other than edible grade	30%	-	-
58.	1518	Algal Oil for manufacturing of aquatic feed: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
59.	1520 00 00	Crude glycerin	7.5%	-	-
60.	1520 00 00	Crude glycerin for use in manufacture of	2.5%	-	3

		Epichlorohydrin: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027			
61.	1702	Lactose for use in the manufacture of homeopathic Medicine : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	3
62.	2008 19 21, 2008 19 22, 2008 19 29, 2008 19 91	All goods	30%	-	-
63.	2008 19 92	All goods	30%	-	-
64.	2008 93 00	Cranberries, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included	5%	-	-
65.	2008 99	Blueberries, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included	10%	-	-
66.	2102 20 00	Algal Prime (flour) for use in manufacture of aquatic feed	Nil	-	3
67.	2106 90	All goods (excluding compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages, of an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% by volume, determined at a temperature of 20 degrees centigrade)	50%	-	-
68.	2202 99	Cranberry products	10%	-	-
69.	Any Chapter	The goods specified in List 1 appended to TABLE I used in the processing of sea-food : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	5
70.	2204, 2205, 2206, 2208	All goods	50%	-	-
71.	2207 20 00	Denatured ethyl alcohol for use in manufacture of industrial chemicals: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	Nil	-	3
72.	2301 10 90	Insect Meal for use in research and development	5%	-	3 and 6

		purposes in aquatic feed manufacturing			
73.	2301 20	Fish meal for use in manufacture of aquatic feed: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027.	5%	-	3
74.	2301 20	Krill meal for use in manufacture of aquatic feed	Nil	-	3
75.	2301 20	Fish Hydrolysate for use in manufacture of aquatic feed	5%	-	3
76.	2309 90 31	Prawn and shrimps feed	5%	-	-
77.	2309 90 39	Fish Feed	5%	-	-
78.	2309 90 90	Mineral and vitamin Premixes for use in manufacture of aquatic feed	Nil	-	3
79.	2309 90 90	Single Cell Protein from Natural Gas for use in research and development purposes in aquatic feed manufacturing	5%	-	3 and 6
80.	2309 90	Shrimp larvae feed	5%	-	-
81.	2518	Dolomite for metallurgical use conforming to IS:10346-2004	2.5%	-	-
82.	2521	Limestone for metallurgical use conforming to IS:10345-2004	2.5%	-	-
83.	2529 22 00	Acid grade fluorspar containing by weight more than 97% of calcium fluoride	2.5%	-	-
84.	26	Gold ores and concentrates for use in the manufacture of gold : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3 and 7
85.	27	The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely:- (i) IFO 180 CST; (ii) IFO 380 CST; (iii) Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) meeting ISO 8217:2017 RMG380 Viscosity in 220-400 CST standards/Marine Fuel 0.5% (FO) : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	8
86.	2701, 2702, 2703	All goods	2.5%	-	-
87.	2709 00 10	Petroleum Crude	Re 1 per	-	-

			metric tonne		
88.	2710 19	Fuel oil	2.5%	-	-
89.	2710 19	Straight run fuel oil	2.5%	-	-
90.	2710 19	Low sulphur wax residue	2.5%	-	-
91.	2710 19	Vacuum residue, Slurry	2.5%	-	-
92.	2710 19	Vacuum gas oil	2.5%	-	-
93.	2710	Naphtha, for use in the manufacture of fertilisers: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
94.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19	Liquefied propane and butane mixture, liquefied propane, liquefied butane and liquefied petroleum gases (LPG) imported by the Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited or Bharat Petroleum Corporation Limited for supply to household domestic consumers or to Non-Domestic Exempted Category (NDEC) customers	Nil	-	-
95.	2711	Liquefied petroleum gases (LPG), in excess of the quantity of petroleum gases and other gaseous hydrocarbons consumed in the manufacture of polyisobutylene by the unit located in Domestic Tariff Area (DTA), received from the unit located in Special Economic Zone (SEZ) and returned by the DTA unit to the SEZ unit from where such Liquefied petroleum gases (LPG) were received.  <b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, the quantity of the petroleum gases and other gaseous hydrocarbons consumed in the manufacture of polyisobutylene shall be calculated by subtracting from the quantity of the said gases received by the DTA unit manufacturing polyisobutylene, the quantity of the said gases returned by the said unit to the SEZ unit:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
96.	2716 00 00	Electrical energy supplied from Processing Area of SEZ to Domestic Tariff Area (DTA), generated using- (i) imported coal as fuel	Paisa per KWh 40	-	-

		(ii) domestic coal as fuel	65	-	-
		(iii) mix of domestic gas/RLNG (Regasified Liquefied Natural Gas) as fuel	59	-	-
		(iv) RLNG as fuel	89	-	-
97.	2716 00 00	Electrical energy supplied from Non-Processing Area of SEZ to Domestic Tariff Area, generated using-	Paisa per KWh		
		(i) imported coal as fuel	24	-	-
		(ii) domestic coal as fuel	24	-	-
		(iii) mix of domestic gas/RLNG as fuel	18	-	-
		(iv) RLNG as fuel	21	-	-
98.	2716 00 00	Electrical energy supplied to DTA by power plants of 1000MW or above, and granted formal approval for setting up in SEZ prior to 19 <sup>th</sup> July, 2012: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	9
99.	2716 00 00	Electrical energy supplied to DTA from power plants of less than 1000MW, and granted formal approval for setting up in SEZ prior to 19 <sup>th</sup> July, 2012-	Paisa per KWh		
		(i) imported coal as fuel	24	-	9
		(ii) domestic coal as fuel	24	-	9
		(iii) mix of domestic gas/RLNG as fuel	18	-	9
		(iv) RLNG as fuel	21	-	9
		<b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
100.	28, 29, 30, 38	Drugs, medicines, diagnostic kits or equipment specified in List 2 appended to TABLE I	5%	-	-
101.	28, 29, 30, 38	Bulk drugs used in the manufacture of drugs or medicines specified in List 2 appended to TABLE I: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	5%	-	3
102.	28, 29, 30, 38	Lifesaving drugs/medicines including their salts and esters and diagnostic test kits specified in List 3	Nil	-	-
103.	28, 29, 30, 38	The following goods, namely: -			
		(i) Bulk drugs used in the manufacture of life saving drugs or medicines specified in List 3 appended to TABLE I	Nil	-	3
		(ii) Bulk drugs used in the manufacture of:			
		a. Poliomyelitis Vaccine (Inactivated and live)	Nil	-	3

		b. Monocomponent insulins <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	3
104.	30, 9804	Drugs, Medicines or Food for Special Medical Purposes (FSMP) used for treatment of rare diseases: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	10
105.	Chapter 30	Drugs or medicines, specified in column (2) of the List 4 appended to TABLE I, for supply under Patient Assistance Programmes specified in the corresponding entry in column (3) of the said List 4, run by the pharmaceutical companies specified in the corresponding entry in column (4) of the said List 4: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	11
106.	28, 29, 32, 39, 54, 56, 70, 72, 90	The following goods, namely: - (i) Goods specified in List 5 appended to TABLE I, for the manufacture of telecommunication grade optical fibres or optical fibre cables; (ii) Fibre reinforced plastic rods (FRP), for the manufacture of telecommunication grade optical fibres or optical fibre cables; (iii) Goods specified in List 6 appended to TABLE I for manufacture of telecommunication grade FRP: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	Nil	-	3
			Nil	-	3
			Nil	-	3
107.	28, 38	The following goods, namely: - (i) Silicon in all forms, that is, polycrystalline silicon or ingots, for the manufacture of undiffused silicon wafers; (ii) Undiffused silicon wafers, for the manufacture of solar cells or solar cell modules : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
108.	2807 00 10	Sulphuric acid for the manufacture of fertilizers	5%	-	-
109.	2809 20 10	Phosphoric acid	5%	-	-
110.	2841	Ammonium Metavanadate	2.5%	-	-
111.	2844	Medical use fission Molybdenum-99 (Mo-99) for use	Nil	-	3

		in the manufacture of radio pharmaceuticals : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
112.	2852, 3822	Pharmaceutical Reference Standard : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	12
113.	29, 38	Alpha pinene	5%	-	-
114.	29, 30, 35, 38, 39	Goods specified in List 7 appended to TABLE I used for the manufacture of enzyme linked immunosorbent assay kits (ELISA Kits): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
115.	29, 38	Gibberellic acid	5%	-	-
116.	29	DL-2 Aminobutanol, Diethyl malonate, Triethyl orthoformate, Aceto butyrolactone, Thymidine, Artemisinin	5%	-	-
117.	29	Maltol, for use in the manufacture of deferiprone: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
118.	2910 20 00	Methyloxirane (propylene oxide)	2.5%	-	-
119.	2914 61 00, 2914 69 30, 2914 69 90	Anthraquinone or 2-Ethyl Anthraquinone, for use in manufacture of Hydrogen Peroxide: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	2.5%	-	3
120.	2929 10 90	Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI) for use in the manufacture of Spandex Yarn	5%	-	3
121.	30 or any other Chapter	Drugs and materials: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	13
122.	30	Diethylcarbamazine (DEC) tablets	-	Nil	14
123.	Any Chapter	Artificial Plasma	5%	-	-
124.	Any Chapter	All types of contraceptives	Nil	-	-
125.	3002 49 10	Probiotics	5%	-	-
126.	3102 30 00	All Goods	5%	-	-
127.	31	Muriate of potash, for use as manure or for the production of complex fertilisers	Nil	-	-
128.	31	Ammonium phosphate or ammonium nitro-phosphate, for use as manure or for the production of	5%	-	-



		Volume, determined at 20 degrees centigrade)			
136.	38	Bio-pesticides, based on – (i) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (ii) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> (iii) <i>Bacillus sphaericus</i> (iv) <i>Saccharopolyspora spinosa</i>	5%	-	-
137.	3822 90 90	All goods	10%	-	-
138.	3824 99 00, 8505 11 90	The following goods for use in the manufacture of Brushless Direct Current (BLDC) motors, namely: - (i) Magnet Resin (Strontium Ferrite compound/before formed, before magnetization); (ii) Neodymium Magnet (before Magnetization): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	2.5%	-	3
139.	39	Ethylene vinyl acetate (EVA)	7.5%	-	-
140.	39, 48 or any other Chapter	Tags, labels, stickers, belts, buttons, hangers or printed bags (whether made of polythene, polypropylene, PVC, high molecular or high-density polyethylene), imported by <i>bona fide</i> exporters: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	2 and 3
141.	39, 48 or any other Chapter	The goods specified in List 9 appended to TABLE I, when imported by <i>bona fide</i> exporters for use in the manufacture of handicraft items, for export : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3 and 16
142.	39, 48 or any other Chapter	The goods specified in List 10 appended to TABLE I, when imported by <i>bona fide</i> exporters for use in the manufacture of textile or leather garments, for export: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	2 and 3
143.	39, 48 or any other Chapter	The goods specified in List 11 appended to TABLE I, when imported by <i>bona fide</i> exporters, for use in the manufacture of leather or synthetic footwear, or other leather products, for export: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	2 and 3

144.	39, 72 and 81	The following goods, for the manufacture of orthopedic implants falling under sub-heading 9021 10, or other artificial parts of the body falling under sub-heading 9021 31 or 9021 39 namely: -  (i) Special grade stainless steel; (ii) Titanium alloys; (iii) Cobalt-chrome alloys; (iv) All types of polyethylene:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil  Nil  Nil  Nil	-  -  -  -	3  3  3  3
145.	39 or 74	The following goods, if imported for the manufacture of Copper - T contraceptives, namely: -  (i) Alatheon (ii) Copper wire  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
146.	3902	Capacitor grades polypropylene granules or resins for the manufacture of capacitor grade plastic film:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
147.	3904	All goods	7.5%	-	-
148.	3906 90 90	Super absorbent polymer (SAP) imported for use in the manufacture of the following, namely: -  (i) adult diapers; (ii) all goods falling under chapter heading 9619, other than adult diapers  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
149.	3907	Polyester chips	5%	-	-
150.	3907 29 10	Polytetramethylene ether glycol, (PT MEG) for use in the manufacture of spandex yarn:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
151.	3908	Nylon chips	5%	-	-
152.	3920 (other than 3920 99 99), 3921	All goods other than Poly vinyl chloride (PVC) Flex Films  <b>Explanation.</b> – For the purposes of this entry, the term PVC Flex Films includes PVC flex banner and PVC flex sheets	10%	-	-

153.	3920 99 99	All goods other than Poly vinyl chloride (PVC) Flex Films <i>Explanation.</i> – For the purposes of this entry, the term PVC Flex Films includes PVC flex banner and PVC flex sheets	15%	-	-
154.	4002 70 00	Ethylene – propylene – non-conjugated diene rubber (EPDM) for use in the manufacture of insulated wires and cables falling under heading 8544 (except sub-heading 8544 11): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	7.5%	-	3
155.	40	New or retreaded Pneumatic tyres of rubber of a kind used in aircrafts of heading 8802: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	17
156.	40	New or retreaded Pneumatic tyres of rubber of a kind used in aircrafts of heading 8802: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	18
157.	4011 30 00	All goods other than goods covered under S. Nos. 155 and 156	2.5%	-	-
158.	4016 95 90, 4016 99 90,	All goods, other than- (i) Natural rubber latex made balloons; (ii) Microphone Rubber Case for cellular mobile phones; or (iii) Sensor Rubber Case / Sealing Gasket including sealing gaskets / cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination / combination of rubbers for cellular mobile phones. <i>Explanation.</i> - For the removal of doubts, this entry does not include toy balloons made of natural rubber latex (toy balloons are classified under Customs tariff heading 9503)	10%	-	-
159.	4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00, 4106 21 00, 4106 31 00, 4106 91 00	Wet blue leather (hides and skins)	Nil	-	-
160.	47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material (excluding rayon grade wood pulp) when used for the manufacture of the following, namely: -			

		(i) newsprint; (ii) paper and paperboard; (iii) adult diapers; (iv) all goods falling under chapter heading 9619, other than adult diapers <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil Nil Nil 2.5%	- - - -	3 and 19 3 3 3
161.	4702	Rayon grade wood pulp	2.5%	-	-
162.	4707	(i) All goods imported for use in, or supply to, a unit for manufacture of paper or paperboard other than newsprint; (ii) All goods, imported for use in, or supply to, a unit for manufacture of news print: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	2.5% 2.5%	- -	3 3
163.	48	The following goods used in the printing of newspapers, namely: - (i) newsprint; (ii) other uncoated paper conforming to the specifications of newsprint (other than its surface roughness) <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	20
164.	4810	Lightweight coated paper weighing up to 70 g/m <sup>2</sup> , imported by actual users for printing of magazines: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
165.	4823 90 90	All goods other than kites	10%	-	-
166.	49 or 8523	The following goods, namely: - (i) Information Technology software, and (ii) Document of title conveying the right to use Information Technology software. <b>Explanation.</b> - “Information Technology software” means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine-readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of an automatic data processing machine	Nil	-	-

167.	Any Chapter	Commercial catalogues in book form	Nil	-	-
168.	4901 10 10, 4901 91 00, 4901 99 00	Printed books (including covers for printed books) and printed manuals, in bound form or in loose-leaf form with binder, executed on paper or any other material including transparencies	5%	-	-
169.	4906	All goods	Nil	-	-
170.	4907 00 20	Paper Money	Nil	Nil	-
171.	5201 00 25	Other: of staple length exceeding 32.0 mm	Nil	-	-
172.	5603 11 10, 5603 11 90	Hydrophilic Non-Woven, Hydrophobic Non- Woven, imported for use in the manufacture of Adult Diapers: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
173.	6001 10, 6001 92	Pile fabrics for the manufacture of toys: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	3
174.	68, 82, 84	Moulds (including chassis for the manufacture of semi-conductor devices), tools (excluding tungsten carbide micro PCB drills) and dies, for the manufacture of parts of electronic components or electronic equipments: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
175.	68, 72, 85	The following goods, namely: - (i) Graphite Felt or graphite pack for growing silicon ingots; (ii) Thin steel wire used in wire saw for slicing of silicon wafers <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
176.	6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00, 6802 93 00	All goods, other than marble slabs and goods mentioned at S.No. 177	10%	-	-

177.	6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 93 00	Granite slabs	20%	-	-
178.	70	Preform of silica for use in the manufacture of telecommunication grade optical fibres or optical fibre cables: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	5%	-	3
179.	Any Chapter	The following goods for the manufacture of Preform of Silica, namely: - (i) Refrigerated Helium Liquid (2804); (ii) Germanium Tetra Chloride (2812); (iii) Silica tetra chloride (2812); (iv) Silica tube (7002); (v) Silica Rods (7002) <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	Nil	-	3
180.	7007	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	10%	-	-
181.	70, 84, 85, 90, Any other Chapter	The goods specified in List 12 appended to TABLE I: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	-
182.	71	Rubies, emeralds and sapphires, unset and imported uncut	0.5%	-	-
183.	71	Rough diamonds (industrial or non- industrial)	Nil	-	-
184.	7102 21, 7102 31 00	Simply Sawn Diamonds: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	21
185.	7102, 7104	Seeds for use in manufacturing of rough lab- grown diamonds: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	-
186.	71	Rough coloured gemstones	0.5%	-	-
187.	71	Rough semi-precious stones	0.5%	-	-
188.	7103	Pre-forms of precious and semi-precious stones	0.5%	-	-

189.	71 (except 7104 99 00)	Cut and polished coloured gemstones	5%	-	-
190.	71	Diamonds including lab grown diamonds-semi-processed, half-cut or broken	5%	-	-
191.	71	Non-industrial diamonds including lab-grown diamonds (other than rough diamonds)	5%	-	-
192.	71	Gold dore bar, having gold content not exceeding 95%	5%	-	3 and 22
193.	71	Silver dore bar having silver content not exceeding 95%	5%	-	3 and 22
194.	71, 98	(i) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer's or refiner's engraved serial number and weight expressed in metric units, and gold coins having gold content not below 99.5%, imported by the eligible passenger	5%	-	23
		(ii) Gold in any form other than (i), including tola bars and ornaments, but excluding ornaments studded with stones or pearls	5%	-	23
195.	71, 98	Silver, in any form including ornaments, but excluding ornaments studded with stones or pearls, imported by the eligible passenger	5%	-	23
196.	7108	All goods other than those mentioned at S. No. 192	5%	-	-
197.	7106	All goods other than those mentioned at S. No. 193	5%	-	-
198.	71	Import of- (a) Gold or Silver or both by banks as per List 13 appended to TABLE I; (b) Gold by banks as per List 14 appended to TABLE I; (c) Gold/Silver/Platinum by entities as per List 15 appended to TABLE I	-	Nil	-
199.	7104	Rough synthetic gemstones	0.5%	-	-
200.	7104	Rough cubic zirconia	0.5%	-	-
201.	7112	Spent catalyst or ash containing precious metals: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3 and 24
202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11, 7110 11 19, 7110 11 21,	All goods	5%	-	-

	7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118				
203.	7113	(i) Gold findings; (ii) Silver findings; (iii) Platinum findings <b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, gold, silver or platinum findings mean a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of jewelry in place.	5%	-	-
204.	7202 60 00	Ferro-Nickel	Nil	-	-
205.	7204	All goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	-
206.	7210 12 10, 7210 12 90	All goods	7.5%	-	-
207.	7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90, 7219 90 90	All goods	7.5%	-	-
208.	7225 19 90	Magnesium Oxide (MgO) coated cold rolled steel coils for use in manufacture of cold rolled grain oriented steel (CRGO) falling under 7225 11 00 or 7226 11 00: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
209.	7225	The following goods, namely: - (i) hot rolled coils; (ii) cold-rolled Magnesium Oxide (MgO) coated and annealed steel; (iii) hot rolled annealed and pickled coils; (iv) cold rolled full hard,	Nil Nil Nil Nil	- - - -	3 3 3 3

		for the manufacture of cold rolled grain-oriented steel (CRGO) steel falling under tariff item 7225 11 00 or 7226 11 00: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
210.	7225 11 00	All goods	5%	-	-
211.	7226 11 00	All goods	5%	-	-
212.	7226 99 30	Amorphous alloy ribbon	5%	-	-
213.	7229	INVAR	5%	-	-
214.	72	All goods other than the following, namely: - (i) goods mentioned against S. Nos. 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212 and 213; (ii) seconds and defectives of goods falling under Chapter 72	7.5%	-	-
215.	73	All goods other than, - (i) goods mentioned against S.No. 216; (ii) Screw, SIM socket, or other mechanical items of Metal for cellular mobile phone; (iii) goods falling under heading 7318 or 7323	10%	-	-
216.	73072900, 73079990, 73089090, 73102990, 73209090, 73259999, 73261990, 73269099	All goods other than SIM socket/other mechanical items (Metal) (7326 90 99) for cellular mobile phone	10%	-	-
217.	73181500, 73181600, 73182990	All goods	15%	-	-
218.	7325	Metal parts for use in the manufacture of electrical insulators falling under heading 8546: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	7.5%	-	3
219.	73	Pipes and tubes for use in manufacture of boilers: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	7.5%	-	3
220.	7326 90 99	Forged steel rings for manufacture of special bearings for use in wind operated electricity generators: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall	5%	-	3 and 25

		have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
221.	7402 00 10	Blister Copper	Nil	-	-
222.	7408	Copper wire or refined copper of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6mm for the manufacture of photovoltaic ribbon or tinned copper interconnect or cell interconnect or string interconnect or the photovoltaic connect or photovoltaic ribbon or solar ribbon for manufacture of solar photovoltaic cell or modules: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
223.	7802	All goods	Nil	-	-
224.	7902	All goods	Nil	-	-
225.	8101 99 90	Tungsten (wolfram) bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil	5%	-	-
226.	8105 20 30	All goods	Nil	-	-
227.	82	Dies for drawing metal, when imported after repairs from abroad, in exchange of similar worn-out dies exported out of India for repairs: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	26
228.	84 or any other Chapter	Parts and raw materials for manufacture of goods to be supplied in connection with the purposes of off- shore oil exploration or exploitation: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	27
229.	25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 69, 73, 74, 82, 84, 85, 87, 89 or 90	Goods specified in column (3) of List 16 appended to TABLE I, when imported by a specified person, in relation with petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under: (a) petroleum exploration licenses or mining leases (b) the New Exploration Licensing Policy (c) the Marginal Field Policy (MFP) (d) the Coal Bed Methane Policy (e) the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)	Nil	18%	28

		<p><b>Explanation.-</b> For the purposes of this notification, a specified person is a licensee, lessee, contractor or sub-contractor, as defined below:-</p> <p>(i) “licensee” means a person authorised to prospect for mineral oils (which include petroleum and natural gas) in pursuance of a petroleum exploration license granted under the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 made under the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948)</p> <p>(ii) “lessee” means a person authorised to mine oils (which include petroleum and natural gas) in pursuance of a petroleum mining lease granted under the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 made under the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948)</p> <p>(iii) “contractor” means a company (Indian or foreign) or a consortium of companies with which the Central Government has entered into an agreement in connection with petroleum operations (consisting of prospecting for or extraction or production of mineral oils) to be undertaken by such company or consortium.</p> <p>(iv) “sub-contractor” means a person engaged by licensee/lessee or contractor for the purpose of conducting petroleum operations on behalf of such licensee/lessee or contractor, as the case maybe</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>			
230.	84 or any other Chapter	<p>The following goods, namely: -</p> <p>(1) Parts and sub-parts for the manufacture or the maintenance of wind operated electricity generator components, namely:-</p> <p>(a) Special bearings,</p> <p>(b) Gear box,</p> <p>(c) Yaw Components,</p> <p>(d) Wind turbine Controllers</p>	5%	-	29
		<p>(2) Parts for the manufacture or the maintenance of blades for rotor of wind operated electricity generators</p>	5%	-	29

		(3) Balsa Wood, Carbon Fibre for the wind operated electricity generator blades <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	29
231.	84 or any other Chapter	Permanent magnets for manufacture of PM synchronous generators above 500KW for use in wind operated electricity generators: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3 and 25
232.	84 or any other Chapter	(a) Parts of catalytic convertors, excluding parts made up of Platinum or Palladium falling under 7110, for manufacture of catalytic convertors;	7.5%	-	3
		(b) The following goods for use in the manufacture of catalytic convertors or its parts, namely: - (i) Raw Substrate (ceramic) (ii) Washcoated Substrate (ceramic) (iii) Raw Substrate (metal) (iv) Washcoated Substrate (metal) (v) Stainless Steel wire cloth stripe (falling under tariff item 7314 14 10) (vi) Wash Coat;	7.5%	-	3
		(c) Parts of catalytic convertors, made up of Platinum or Palladium falling under 7110, for manufacture of catalytic convertors <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
233.	7110	Platinum or Palladium for use in the manufacture of: - (i) all goods, including Noble Metal Compounds and Noble Metal Solutions, falling under heading 2843; (ii) all goods falling under sub-heading 3815 12: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
234.	2825 60 20	Ceria zirconia compounds for use in the manufacture of washcoat for catalytic convertors: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3

235.	2846 10 90	Cerium compounds for use in the manufacture of washcoat for catalytic converters: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
236.	3824 99 00	Zeolite for use in the manufacture of washcoat for catalytic converters: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
237.	84, 85, 90	Machinery, electrical equipment, other instruments and their parts except populated Printed Circuit Boards for use in fabrication of semiconductor wafer and Liquid Crystal Display (LCD): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
238.	84, 85, 90	Machinery, electrical equipment, other instruments and their parts except populated Printed Circuit Boards for use in assembly, testing, marking and packaging of semiconductor chips: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
239.	84, 85, any Chapter	(i) The goods specified in List 17 appended to TABLE I, for the manufacture of goods falling under heading/sub- heading/tariff item 8523 52 00, 8541, 8542, 8543 90 00 or 8548 00 00; (ii) Parts, for manufacture of the goods at (i) : <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
240.	Any Chapter	(i) The goods specified in List 18 appended to TABLE I, for the manufacture of photovoltaic cells falling under tariff item 8541 42 00 or photovoltaic modules falling under tariff item 8541 43 00; (ii) Parts, for manufacture of goods at item (i) above	Nil	-	3
241.	84, 85 or 90	The following goods, imported by an accredited press cameraman: - (i) Photographic cameras; (ii) cinematographic cameras; (iii) digital cameras; and (iv) lenses, filters, flash light apparatus and	Nil	-	30

		<p>exposure meters required for use with the aforesaid cameras:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
242.	84, 85 or 90	<p>The following goods, imported by an accredited journalist: -</p> <p>(i) Personal computers including laptop, personal computers;</p> <p>(ii) typewriters; and</p> <p>(iii) fax machines</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029.</p>	Nil	-	31
243.	84 or any other Chapter	<p>The following goods, namely: -</p> <p>(i) High speed cold-set web offset rotary double width four plate wide printing machines with a minimum speed of 70,000 copies per hour or High-speed Heat-set web offset rotary printing machines with a minimum speed of 70,000 copies per hour;</p> <p>(ii) Mailroom equipment suitable for use with (i), namely:-</p> <p>(a) overhead conveyor gripper;</p> <p>(b) stacker;</p> <p>(c) wrapper;</p> <p>(d) labeller;</p> <p>(e) strapper;</p> <p>(f) inserters;</p> <p>(g) delivery conveyors</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	5%	-	-
			5%	-	20
244.	84, 85	Braille printer or Braille embosser or Braille display, specially designed for computer systems	Nil	-	-
245.	84, 85	Truck refrigeration unit	Nil	-	-
246.	84	<p>Bushings made of Platinum and Rhodium alloy when imported in exchange of worn out or damaged bushings exported out of India:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	5%	-	32

247.	8431	Parts and components for manufacture of tunnel boring machines: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	2.5%	-	3
248.	8407	All goods other than engines of- (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703, or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
249.	8408	All goods other than engines of- (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703, or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
250.	8409	All goods other than parts suitable for use solely or principally with the engines, of heading 8407 or 8408, of a kind used in- (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
251.	8483 10 91	All goods other than Crank shaft for engines falling under heading 8407 of - (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
252.	8483 10 92	All goods other than Crank shaft for engines falling under heading 8408 of - (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
253.	8414 40	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
254.	841480 (except 84148011)	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704;	7.5%	-	-

		(ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711			
255.	8415 90 00	All goods other than indoor or outdoor units of split-system air conditioner	10%	-	-
256.	8419	Evacuated tubes with three layers of solar selective coating for use in the manufacture of solar water heater and system: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
257.	84198912, 84198913, 84198914, 84198915, 84198916, 84198917, 84198919	All goods	7.5%	-	-
258.	8419	Coffee roasting, brewing or vending machines for use in the manufacture or processing of coffee	7.5%	-	-
259.	8421 99 00	All goods other than Reverse Osmosis (RO) membrane element for household type filters	7.5%	-	-
260.	8446, 8448	The following goods (other than old and used) for use in the textile industry, namely: - (i) Shuttleless Rapier Looms (above 650 meters per minute); (ii) Shuttleless Rapier Looms (below 650 meters per minute); (iii) Shuttleless Waterjet Looms (above 800 meters per minute); (iv) Shuttleless Airjet Looms (above 1000 meters per minute); (v) Shuttleless Airjet Looms (below 1000 meters per minute); (vi) Parts and components for use in the manufacture of shuttleless looms <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	Nil Nil Nil Nil Nil Nil	- - - - -	- - - - 3

261.	8446	The following weaving machines (other than old and used), for use in the textile industry, namely: - (i) Carbon Fabric Weaving Rapier Looms; (ii) Biaxial and multiaxial weaving machines for manufacturing technical textiles; (iii) 3-D and block weaving machines for manufacturing technical textile <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	5%	-	-
262.	8447	The following knitting machines (other than old and used), for use in the textile industry, namely: (i) Flat Knitting Machines (11 revolutions per minute or minimum speed of 0.3 Mts per sec); (ii) Warp Knitting Machines (Minimum working width of 60" and minimum speed of 500 RPM); (iii) Raschel Knitting Machines (Minimum working width of 60" and minimum speed of 500 RPM); (iv) Knitting machines for spacer fabrics <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	5%	-	-
263.	84	The following goods (other than old and used), for use in the textile industry, namely: - (i) Industrial sewing machine (tariff heading 8452); (ii) Laser garment panel cutter (tariff item 8456 11 00); (iii) Whole garment making machine (knitted) (chapter 84); (iv) Ink Jet printing machines (tariff item 8443 39 10) <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	5% 5% 5% 5%	- - - -	- - - -

264.	84	<p>Machinery (other than old and used) for manufacture of non-wovens textiles, namely: -</p> <p>(i) Complete production lines for the production of following non-wovens, up to rolled goods preparation and packing, namely:</p> <p>(a) Needle punched non-wovens</p> <p>(b) Chemically bonded non-wovens</p> <p>(c) Thermally bonded non-wovens</p> <p>(d) Stitch bond non-wovens</p> <p>(e) Spun laced (hydro entangled) non-wovens</p> <p>(f) Melt blown non-wovens</p> <p>(g) Spun bond melt blown (SMS) non-wovens</p> <p>(ii) Machinery for finishing of all non-wovens;</p> <p>(iii) Machinery for converting non-wovens into made-ups</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2027</p>	5%	-	-
265.	84 or any other chapter	<p>Parts and components (other than old and used) for use in manufacturing of textile machineries (falling under tariff headings 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452):</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2027</p>	5%	-	3
266.	8448	<p>The following goods, namely: -</p> <p>(i) High Speed Dobby mechanical or electronic (300 rpm and above) (tariff item 8448 19 00);</p> <p>(ii) High Speed Jacquard mechanical or electronic (300 rpm and above) (tariff item 8448 19 00);</p> <p>(iii) Automatic Yarn Splicers for Automatic Cone Winders (tariff item 8448 32 90);</p> <p>(iv) Spindle Motor for Automatic Cone Winders (tariff item 8448 32 90):</p> <p>(v) Grooved Winding Drums for Automatic Cone Winders (tariff item 8448 32 90);</p> <p>(vi) Compact Spinning attachment (tariff item 8448 39 90);</p> <p>(vii) Air Jet weft insertion mechanism fitted with relay nozzles and electronic controls (tariff</p>	Nil	-	-

		<p>item 8448 42 90);</p> <p>(viii) Water Jet weft insertion system fitted with water supply mechanism and electronic control (tariff item 8448 42 90);</p> <p>(ix) Profile Reed for Air Jet or Water Jet looms (tariff item 8448 42 90);</p> <p>(x) Rapier tape, Rapier head or Rapier drive wheel (tariff item 8448 49 50);</p> <p>(xi) Weft Feeders with or without electronic controlling mechanism (tariff item 8448 49 50);</p> <p>(xii) Accumulators with or without electronic controlling mechanism (tariff item 8448 49 50);</p> <p>(xiii) Weft selectors with programmer (tariff item 8448 49 50);</p> <p>(xiv) Electronic weft stop motion (tariff item 8448 49 50);</p> <p>(xv) CAM for CAM Beat-up rapier loom (tariff item 8448 49 90);</p> <p>(xvi) Electronic take up motion fitted with servo motor control (tariff item 8448 49 90);</p> <p>(xvii) Electronic let off motion fitted with servo motor control (tariff item 8448 49 90)</p>			
267.	8483 40 00	<p>Ball screws for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff items 8458 11 00, 8458 91 00), Machining Centers (tariff items 8457 10 10, 8457 10 20) or all types of CNC machine tools falling under headings 8456 to 8463:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	2.5%	-	3
268.	8466 93 90	<p>Linear Motion Guides for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff items 8458 11 00, 8458 91 00), Machining Centers (tariff items 8457 10 10, 8457 10 20) or all types of CNC machine tools falling under headings 8456 to 8463:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	2.5%	-	3
269.	8537 10	<p>CNC Systems for use in the manufacture of CNC Lathes (tariff items 8458 11 00, 8458 91 00),</p>	2.5%	-	3

		Machining Centers (tariff items 8457 10 10, 8457 10 20) or all types of CNC machine tools falling under headings 8456 to 8463: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
270.	7325 10 00, 8477 90 00, 8483 40 00	The following goods for use in the manufacture of plastic processing machineries (tariff items 8477 10 00, 8477 20 00, 8477 30 00): (i) S. G. Ingot Castings (7325 10 00) (ii) Linear Motion Guides (8477 90 00) (iii) Ball Screws (8483 40 00) <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	7.5% 5% 5%	- - -	3 3 3
271.	8472 90, 8473 40	The following goods, namely: - (i) Cash dispenser or automatic bank note dispenser; (ii) Parts and components of the goods mentioned at (i) <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil Nil	- -	- 3
272.	84 or 85	Parts and components for use in the manufacture of the following goods- (i) Micro ATMs as per standards version 1.5.1; (ii) Fingerprint reader/scanner other than Fingerprint reader/ scanner for use in manufacturing of cellular mobile phones; (iii) Iris scanner; (iv) Miniaturized POS card reader for mPOS (other than Mobile phone or Tablet Computer): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
273.	Any Chapter	All parts for use in the manufacture of LED lights or fixtures including LED Lamps: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	3
274.	Any Chapter	All inputs for use in the manufacture of LED (Light Emitting Diode) driver or MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) for LED lights and fixtures	10%	-	3

		or LED Lamps: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
275.	85 or any other Chapter	Television equipment, cameras and other equipment for taking films, imported by a foreign film unit or television team: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	Nil	33
276.	85 or any other Chapter	Photographic, filming, sound recording and radio equipment, raw films, video tapes and sound recording tapes of foreign origin, if imported into India after having been exported therefrom: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	Nil	34
277.	85 or any Other Chapter	Goods imported for being tested in specified test centers: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	Nil	35
278.	8501 10, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 71, 8501 72	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	10%	-	-
279.	8511	All goods other than of a kind used in conjunction with engines of: - (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
280.	8518	The following goods for use in the manufacturing of Microphones falling under tariff item 8518 10 00, namely:- (i) Microphone Cartridge;	Nil	-	3

		(ii) Microphone Holder; (iii) Microphone Grill; (iv) Microphone Body <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
281.	8537	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
282.	8544(except 85443000 and 854470)	All goods (other than USB Cable for cellular mobile phone)	10%	-	-
283.	9032 89	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
284.	8507 90	Battery separators	5%	-	-
285.	8529 90 90	Parts of Radio Trunking terminals	5%	-	-
286.	8521 90 90	All goods other than Digital video Recorder (DVR/ Network Video Recorder (NVR)	10%	-	-
287.	8523	CD-ROMs containing books of an educational nature, journals, periodicals (magazines) or newspapers	Nil	-	-
288.	8525 89 00	Digital Still Image Video Cameras other than Camera or Camera Module of cellular mobile phones	Nil	-	-
289.	8525 81 to 8525 89	All goods other than CCTV Camera/IP camera	10%	-	-
290.	8523	Foreign Satellite data on storage media imported by National Remote Sensing Centre (NRSC), Hyderabad	Nil	-	-
291.	85 or any other Chapter	Parts and Components of Digital Still Image Video Cameras: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
292.	85 or any other Chapter	(i) Parts, components and accessories for manufacture of Digital Video Recorder (DVR)/ Network Video Recorder (NVR) falling under 8521 90 90, other than the	Nil	-	3

		<p>following items, namely: -</p> <p>(a) populated printed circuit boards;</p> <p>(b) charger or power adapter;</p>			
		<p>(ii) Sub-parts for use in manufacture of items mentioned at (i) above</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	3
293.	85 or any other Chapter	<p>(i) Parts, components and accessories for use in manufacture of reception apparatus for television but not designed to incorporate a video display falling under tariff item 8528 71 00, other than the following items, namely: -</p> <p>(a) populated printed circuit boards;</p> <p>(b) charger or power adapter</p> <p>(ii) Sub-parts for use in manufacture of items covered in (i) above:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	3
		<p>(ii) Sub-parts for use in manufacture of items covered in (i) above:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	3
294.	85 or any other Chapter	<p>(i) Parts, components and accessories for manufacture of CCTV Camera/IP camera falling under 8525 81 to 8525 89 other than the following items, namely: (a) populated printed circuit boards;</p> <p>(b) charger or power adapter;</p> <p>(ii) Sub-parts for use in manufacture of items mentioned at (i) above</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	3
295.	85 or any other Chapter	<p>(i) Parts, components and accessories except Lithium-ion cell and Printed Circuit Board Assembly (PCBA), for use in manufacture of Lithium-ion battery and battery pack;</p> <p>(ii) Sub- parts for use in manufacture of items mentioned at (i) above</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	2.5%	-	3
296.	Any Chapter	<p>Inputs, parts or sub-parts for use in the manufacturing of Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (falling under tariff item 85079090) of Lithium-ion battery and battery pack</p>	2.5%	-	3

		<b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
297.	8524	Open cell (15.6" and above) for use in the manufacture of Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) TV panels of heading 8524: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
298.	8524	Open cell (with or without touch) for use in the manufacture of Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module	5%	-	3
299.	8529	The following goods for use in the manufacture of Open cell of Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) TV panels of heading 8524, namely: - (i) Chip on Film; (ii) Printed Circuit Board Assembly (PCBA); (iii) Cell (glass board/substrate): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2027	Nil	-	3
300.	8528 59 00	All goods other than Interactive Flat Panel Display (IFPD)	10%	-	-
301.	8529	The following goods for use in the manufacture of Interactive Flat Panel Display (IFPD) Module, namely:- (i) Touch Glass sheet (ii) Touch Sensor PCB	5%	-	3
302.	8529	The following goods for use in the manufacture of Liquid Crystal Display (LCD) and Light Emitting Diode (LED) TV panels of heading 8524, namely: - (i) Plate diffuser; (ii) Film diffuser; (iii) Reflector sheet; (iv) Film, top; (v) Film, middle; (vi) Film bottom; (vii) BAR, LED; (viii) Bezzal; (ix) Back cover sheet; (x) Back Light Unit Module <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	3

303.	8529 10 99, 8529 90 90	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525, 8526 or 8527:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	10%	-	-
304.	8529 10 99, 8529 90 90	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8528, namely: - (i) other cathode ray tube monitors (8528 49 00); (ii) other monitors (8528 59 00); (iii) other projectors (8528 69 00); (iv) reception apparatus for television, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus, - (a) not designed to incorporate a video display or screen (8528 71 00); and (b) other Monochrome (8528 73)	10%	-	-
305.	8536 41 00, 8536 49 00	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	10%	-	-
306.	8540 71 00	Magnetron of up to 1.5 KW used for the manufacture of domestic microwave Ovens:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
307.	8549 (except 8549 99 00)	Battery scrap and battery waste, other than waste and scrap of Lithium-Ion battery falling under tariff items 8549 13 00, 8549 14 00 or 8549 19 00	5%	-	-
308.	8549 13 00, 8549 14 00, 8549 19 00	Waste and scrap of Lithium-Ion battery	Nil	-	-
309.	Any Chapter	Raw materials or parts for use in manufacture of e-Readers:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
310.	86	Loco simulators	5%	-	-
311.	86 or any Chapter	Train protection and warning system	7.5%	-	-
312.	8609 00 00	Refrigerated containers	5%	-	-
313.	8604 00 00	Track machines and parts	7.5%	-	-

314.	Any Chapter	Parts, sub-parts, inputs or raw material for use in manufacture of Lithium-ion cells falling under tariff item 8507 60 00:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
315.	8702, 8704	Motor vehicles (excluding electrically operated vehicles), if imported, -  (i) as a Completely Knocked Down (CKD) kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with, -  (a) engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition;  (b) engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form but not mounted on a chassis or a body assembly.  (ii) other than (i) above	15%  20%  20%	-  -  -	-  -  -
316.	8702, 8704	Electrically operated vehicles, if imported-  (i) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, contactor, brake system, electric compressor, whether or not individually pre- assembled, with –  (a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis  (b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis	15%  20%	-  -	-  -



318.	8703	<p>Electrically operated vehicles, if imported-</p> <p>(i) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, contactor, brake system, electric compressor, whether or not individually pre-assembled, with –</p> <p>(a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis</p> <p>(b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis</p> <p>(ii) in a form other than (i) above, -</p> <p>(a) with a CIF value more than US \$40,000</p> <p>(b) other than (a) above</p> <p>(c) with a minimum CIF value of US \$35,000 imported in terms of provisions of the ‘Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India’ notified vide S.O. No. 1363 (E) dated 15th March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in item (ii)(c) in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2031.</p> <p><b>Explanation.</b> – For the removal of doubts, the exemption contained in items (i)(a) and (i)(b) of this entry shall be available, even if one or more of the components, parts or sub-assemblies required for assembling a complete vehicle are not imported in the kit, provided that the kit as presented, is classifiable under the heading 8703 of the Customs Tariff Act, 1975 as per the general rules of interpretation.</p>	15%	-	-
			35%	-	-
				-	-
			70%	-	-
			70%	-	-
			15%	-	36
319.	8507 60 00	Lithium-ion cell use in manufacture of battery or	5%	-	3

		battery pack, other than those mentioned against S.No. 320 and 321:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
320.	8507 60 00	Lithium-ion cell for use in the manufacture of battery or battery pack of cellular mobile phone:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
321.	8507 60 00	Lithium-ion cell for use in the manufacture of battery or battery pack of electrically operated vehicle or hybrid motor vehicle:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
322.	8507	Battery pack for use in the manufacture of electrically operated vehicle or hybrid vehicle	15%	-	3
323.	8504 40 30	Battery charger for use in manufacture of electrically operated vehicle or hybrid vehicle	15%	-	3
324.	8507 60 00	Lithium-ion battery or battery pack of cellular mobile phones	15%	-	-
325.	8507 60 00	All goods other than the following, namely: - (i) goods mentioned against S. Nos. 322 and 324; (ii) Power Bank	10%	-	-
326.	8704	Refrigerated motor vehicles	Nil	-	-
327.	8708	All goods other than parts and accessories of the motor vehicles of heading 8702 to 8704	10%	-	-
328.	8711	(A) Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor (excluding electrically operated motor cycles and cycles), with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation and with engine capacity not exceeding 1600 cc - (1) as a completely knocked down kit containing all the necessary components, parts or sub- assemblies, for assembling a complete vehicle, with - (a) engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition;	10%	-	-

		(b) engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form, not mounted on a body assembly;	20%	-	-
		(2) in a form other than (A)(1) above;	40%	-	-
		(B) Motor cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor (excluding electrically operated motor cycles and cycles), with or without side cars, and side cars, new, which have not been registered anywhere prior to importation and with engine capacity of 1600 cc and above -			
		(1) as a completely knocked down kit containing all the necessary components, parts or sub-assemblies, for assembling a complete vehicle, with -			
		(a) engine, gearbox and transmission mechanism not in a pre-assembled condition;	10%	-	-
		(b) engine or gearbox or transmission mechanism in pre-assembled form, not mounted on a body assembly;	20%	-	-
		(2) in a form other than (B)(1) above	30%	-	-
329.	8711	Electrically operated vehicles, if imported-			
		(1) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, brake system, whether or not individually pre-assembled, with -			
		(a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis	15%	-	-
		(b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis	25%	-	-
		(2) in a form other than (1) above	50%	-	-

		<b>Explanation.</b> – For the removal of doubts, the exemption contained in the items (1)(a) and (1)(b) of this entry shall be available, even if one or more of the components, parts or sub-assemblies required for assembling a complete vehicle are not imported in the kit, provided that the kit as presented, is classifiable under the heading 8711 of the Customs Tariff Act, 1975 as per the general rules of interpretation			
330.	8714 91 00, 8714 92, 8714 93, 8714 94 00, 8714 95, 8714 96 00, 8714 99	All goods other than Bicycle parts and components	15%	-	-
331.	39,40,58,70, 72,73,83,84, 85,87,90	Vehicles, automobile parts/components, sub- systems and tyres specified in List 19 appended to Table I, when imported by testing agencies specified in List 20 appended to Table I, for the purpose of testing and/or certification:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	37
332.	88	Gliders, or simulators of aeroplanes or simulators of helicopters	Nil	-	-
333.	88 or any other Chapter	Parts of gliders or simulators of aircrafts (excluding rubber tyres and tubes of gliders):  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3 and 38
334.	88 or any Other Chapter	Raw materials – (i) for manufacture of aircraft falling under heading 8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder) (ii) for manufacture of parts of aircraft at (i):  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
335.	Any Chapter	Components or parts including engines, of aircraft of heading 8802-	Nil	-	3 and 39

		<p>(i) for manufacture of aircraft falling under heading 8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder);</p> <p>(ii) for manufacture of parts of aircraft at (i), imported by Public Sector Units under the Ministry of Defence</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>			
336.	88 or any other Chapter	<p>Parts, testing equipment, tools and tool-kits for maintenance, repair, and overhauling of</p> <p>(i) aircraft falling under heading 8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)</p> <p>;</p> <p>(ii) Components or parts, including engine, of aircrafts of heading 8802 by the units engaged in such activities:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	40
337.	8802 (except 8802 60 00)	<p>All goods:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	Nil	41
338.	8807	<p>Components or parts, including engines, of aircraft of heading 8802:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	-	42
339.	88 or any other Chapter	<p>(a) Satellites and payloads;</p> <p>(b) Ground equipments brought for testing of (a);</p> <p>(c) Ground installations for satellite including its spares and consumables:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	Nil	43
340.	88 or any other Chapter	<p>Scientific and technical instruments, apparatus, equipment, accessories, parts, components, spares, tools, mock ups and modules, raw material and consumables required for launch vehicles and satellites and payloads:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2026</p>	Nil	5%	44

341.	8802 (except 8802 60 00)	All goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	45
342.	8802 (except 8802 60 00)	All goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	46
343.	8802 (except 8802 60 00)	All goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	2.5%	-	47
344.	8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00	All goods other than those covered under S. Nos. 337, 341, 342 and 343	2.5%	-	-
345.	Any Chapter	Parts (other than rubber tubes), of aircraft of heading 8802: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	17
346.	Any Chapter	Components or parts which are prescribed in any of the following manuals: - (i) Aircraft Maintenance Manual (AMM); (ii) Component Maintenance Manual (CMM); (iii) Illustrated Parts Catalogue (IPCL); (iv) Structural Repair Manual (SRM); or (v) Standard Procedure Manual (SPM) of the OEMs, when imported into India for servicing, repair, maintenance or overhauling, subject to fulfilling respective conditions, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (6) against the S.No. 336, 338 or 345.	-	5%	-
347.	Any Chapter	Parts (other than rubber tyres and tubes), of aircraft of heading 8802 or 8806 (except Unmanned Aircraft used as Television camera, digital camera or video camera recorder)	2.5%	-	-
348.	Any Chapter	Parts (other than rubber tubes), of aircraft of heading 8802: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	18
349.	88 or any other chapter	Aircrafts, aircraft engines and other aircraft parts imported into India under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017	-	Nil	48

350.	89	Barges or pontoons imported along with ships for the more speedy unloading of imported goods and loading of export goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	49
351.	89 or any other chapter	Capital goods and spares thereof, raw materials, parts, material handling equipment and consumables, for repairs of ocean-going vessels by a ship repair unit. <b>Explanation:</b> For the purpose of this entry, “Ocean going vessels” includes- (i) liners; cargo-vessel of various kinds including refrigerator vessels for the transport of meat, fruit or the like, vessels specified for the transport of particular goods (grain, coal, ores or the like); tankers (petrol, wine or the like); yachts and other sailing vessels; cable ships; ice-breakers; floating factories of all kinds (for processing whales, preserving fish or the like) whale catchers; trawlers and other fishing vessels; life boats, scientific research vessels; weather ships; vessels for the transportation or mooring of buoys; pilot- boats; hopper barges for the disposal of dredged material or the like; (ii) war ships of all kinds including submarines; (iii) tugs, dredgers, fire-floats and salvage ships; and (iv) oil rigs, drilling ships and jack-up rigs: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	3
352.	89 or any Chapter	Spare parts and consumables for repairs of ocean-going vessels registered in India: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	-	50
353.	8901	All goods (excluding vessels and other floating structures as are imported for breaking up): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	-
354.	8901	Foreign Going Vessel converted for a coastal run: <b>Provided</b> that such vessel re-converts to a foreign	-	Nil	-

		going vessel within six months from the date of such conversion. <b>Explanation.</b> - For the purpose of this entry, (a) "Foreign going vessel" shall have the same meaning as assigned to it under clause (21) of Section 2 of the Customs Act, 1962. (b) "Conversion to coastal Vessel" shall include the vessel granted necessary license under the Merchant Shipping Act, 1958			
355.	8902, 8904 00 00, 8905 90	All goods (excluding vessels and other floating structures as are imported for breaking up): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	51
356.	8906	All goods (excluding vessels and other floating structures as are imported for breaking up): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	-
357.	8908 00 00	All Goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2035	Nil	-	-
358.	89	Rigs and ancillary items imported for oil or gas exploration and production under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017	-	Nil	48
359.	Any Chapter	All goods, vessels, ships [other than motor vehicles] imported under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017	-	Nil	48
360.	89	Ships/ Vessels for providing cable laying or repairing services in Indian Customs waters	-	Nil	52
361.	Any Chapter	(i) Raw materials, components, consumables or parts, for use in the manufacture of goods falling under heading/tariff item 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (except tariff item 8905 20 00) or 8906; (ii) spare parts used in relation to the manufacture of goods falling under tariff item 8906 10 00; (iii) technical documentation in printed or digital form required in the manufacture of goods	Nil	-	3

		<p>falling under tariff item 8906 10 00</p> <p><b>Explanation.-</b> For the purposes of this entry, it is clarified that in the case of raw materials and parts already imported under S. No. 558 of Notification No. 50/2017- Customs and lying unutilized, -</p> <p>(a) the unit will furnish a separate bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022, giving details of such goods and also undertake to utilize the same for manufacture of goods falling under heading/tariff item 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (except tariff item 8905 20 00) or 8906; and</p> <p>(b) in the event of failure to use such goods for the specified purpose, the unit shall pay on demand, an amount equal to the duty payable on such goods but for the exemption under this notification:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2035</p>			
362.	Any Chapter	Parts, for repairs of dredgers	Nil	-	-
363.	90	Coronary stents and coronary stent systems for use with cardiac catheters	Nil	-	-
364.	90	Endovascular stents	Nil	-	-
365.	9019 10 20, 9022 90 10, 9022 90 30	<p>Goods required for medical, surgical, dental or veterinary use</p> <p><b>Explanation.</b> – For the purposes of this entry, the term “Goods” refers to medical instruments or appliances required for medical, surgical, dental or veterinary use only and do not refer to parts and spares thereof.</p>	5%	-	-
366.	9018 90 99 or 9022 (except 9022 90 10 or 9022 90 30	<p>All goods, other than the following, -</p> <p>(i) X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90);</p> <p>(ii) The following goods for use in manufacture of goods mentioned at (i) above, namely: -</p>	7.5%	-	-

		<p>(a) Static User Interface (9018 90 99);</p> <p>(b) X-Ray Diagnostic Table (9022 90 40);</p> <p>(c) Vertical Bucky (9022 90 90);</p> <p>(d) X-Ray Tube Suspension (9022 90 90);</p> <p>(e) High Frequency X-Ray Generator (&gt;25KHz) (9022 14 10)</p> <p>(f) X-Ray Grid (9022 90 90);</p> <p>(g) Multi Leaf Collimator/ Iris (9022 29 00 or 9022 90 90).</p> <p>(h) Flat Panel Detector, including Scintillators (9022 90 90);</p> <p>(i) X-ray Tube (9022 30 00)</p>			
367.	9022 14 10	High Frequency X-Ray Generator (>25KHz, >=500mA) for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90)	10%	-	3
368.	9022 90 90	The following goods for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90), namely: - (i) Vertical Bucky; (ii) X-Ray Tube Suspension; (iii) X-Ray Grid	10%	-	3
369.	9022 29 00, 9022 90 90	Multi Leaf Collimator/ Iris for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90)	10%	-	3
370.	9022 30 00	X-ray tubes for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	7.5%	-	3
371.	9022 30 00	X-ray tubes for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90): <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect before the 1 <sup>st</sup> April, 2026	10%	-	3
372.	9022 90 90	Flat Panel Detector, including Scintillators, for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90):	7.5%	-	3

		<b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
373.	9022 90 90	Flat Panel Detector, including Scintillators, for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90):  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect before the 1 <sup>st</sup> April, 2026	10%	-	3
374.	90 or any other Chapter	Raw materials, parts or accessories for use in manufacture of goods falling under headings 9018, 9019, 9020, 9021, or 9022, other than the following goods for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90), namely: -  (i) Static User Interface (9018 90 99); (ii) X-Ray Diagnostic Table (9022 90 40); (iii) Vertical Bucky (9022 90 90); (iv) X-Ray Tube Suspension (9022 90 90); (v) High Frequency X-Ray Generator (>25KHz) (9022 14 10) (vi) X-Ray Grid (9022 90 90); (vii) Multi Leaf Collimator/ Iris (9022 29 00 or 9022 90 90); (viii) Medical Grade Monitor (8528 59 00); (ix) Flat Panel Detector, including Scintillators (9022 9090); (x) X-ray Tube (9022 30 00)	2.5%	-	3
375.	Any Chapter	Stainless steel tube and wire, cobalt chromium tube, Hayness alloy-25 and polypropylene mesh required for manufacture of Coronary stents / coronary stent system and artificial heart valve:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
376.	Any Chapter	The following goods, namely: -  (i) Ostomy products (Appliances) for managing Colostomy, Ileostomy, Ureterostomy, Ileal Conduit Urostomy Stoma cases such as bags, belts, adhesives seals or discs or rolls, adhesive remover, bag closing clamps, karaya seals paste or powder, irrigation sets, plastic or rubber faceplates, flanges, male or female urinary incontinency sets, skin gels, in parts or sets;	5%	-	-



385.	90 or any other Chapter	Assistive devices, rehabilitation aids and other goods for disabled, specified in List 21	Nil	-	-
386.	Any chapter	Raw materials, parts or accessories for the manufacture of Cochlear Implants: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
387.	9022	X-Ray Baggage Inspection Systems and parts thereof: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	56
388.	90 or any other Chapter	Portable X-ray machine / system: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	57
389.	9028 30	All goods other than Smart Meter	10%	-	-
390.	9031 80 00	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711	7.5%	-	-
391.	91 or 9804 90 00	Braille watches and braille one-day alarm clocks	Nil	-	-
392.	91	Parts and cases of braille watches, for the manufacture of Braille watches: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	3
393.	93	Air rifles or air pistols of 0.177 calibre	Nil	-	-
394.	93	Air pellets of air rifles or air pistols, of 0.177 calibre	Nil	-	-
395.	9405 50 00	Solar lanterns or solar lamps	15%	-	-
396.	9503 00 91	Parts of electronic toys for manufacture of electronic toys: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	20%	-	3
397.	9504	Parts of video games for the manufacture of video games: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%	-	3
398.	9608	Parts of writing instruments	5%	-	-
399.	Any Chapter	Postage stamps, unused	Nil	-	-

400.	9802 00 00	All goods (excluding undenatured ethyl alcohol of any alcoholic strength) for use in: - (i) laboratory; or (ii) Research and Development purposes	10%	-	58
401.	9804	The following goods, imported for personal use, namely:-  (i) the lifesaving drugs or medicines (including diagnostic test kits) specified in List 3;  (ii) other lifesaving drugs or medicines  (iii) lifesaving medicines for treatment of Spinal Muscular Atrophy or Duchenne Muscular Dystrophy, namely- (a) Zolgensma (Onasemnogene Aporavidine) (b) Viltropso (Viltroparsen) (c) any other medicine for treatment of the said diseases  (iv) Medicine Dinutuximab (Quarziba), used in the treatment of Cancer:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil  Nil  Nil  Nil	-  -  Nil  Nil	-  59  59  59
402.	9804	Lifesaving drugs/medicines for personal use, supplied free of cost by overseas supplier:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	60
403.	9804	Drugs, Medicines or Food for Special Medical Purposes (FSMP) used for treatment of rare diseases specified in List 22:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	61
404.	9804	All Goods intended for personal use, and exempted from any prohibition in respect of the imports thereof under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) but excluding articles falling under heading 9803.	10%	-	-

405.	9804	<i>Bonafide</i> gifts imported by post or air upto <i>CIF</i> value limit of 5000 rupees and exempted from any prohibition in respect of the imports thereof under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)	Nil	Nil	-
406.	Any Chapter	Used <i>bonafide</i> personal and household effects belonging to a deceased person: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2028	Nil	Nil	86
407.	Any Chapter	Goods imported through postal parcels, packets and letters, the <i>CIF</i> value of which is not more than one thousand rupees per consignment	Nil	Nil	-
408.	Any Chapter	The following goods, namely: - (i) Nylon gut (ii) PU or nylon grip sheets for hockey sticks (iii) Butyl bladders for inflatable balls (iv) Willow clefts, willow, ashwood or beechwood (v) Cork bottoms (vi) PVC/Synthetic Rubber bladder for inflatable balls (vii) Manau cane (viii) Table tennis rubber (ix) Table tennis bat handles (x) Table tennis blade (xi) TPU/PU leather cloth or TPU/PU laminated with cotton, for inflatable balls (xii) Extra tec (cricket bat facing tape) (xiii) Resin hardener TTP-33S and release paper for composite hockey sticks; (xiv) Table tennis glue; (xv) Evazote foam for protective equipments e.g. leg guards, thigh guards; (xvi) plywood for carrom board (xvii) PVC leather cloth for inflatable balls or sports gloves (xviii) Latex foam for shin guard or goal keeper gloves or other sports gloves (xix) PEVA/EVA foil for shin guard or sports gloves	Nil	-	62

		<p>(xx) Stitching thread for inflatable balls or sports glove</p> <p>(xxi) Printing ink for inflatable balls or sports gloves</p> <p>(xxii) Pine wood</p> <p>(xxiii) Foam/EVA foam:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
409.	Any Chapter	Samples which are exempt from import duties under and in accordance with the International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material, drawn up at Geneva and dated the 7th day of November, 1952.	Nil	Nil	-
410.	Any Chapter	Price lists are supplied free of charge and are exempt from import duties under and in accordance with the International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material, drawn up at Geneva and dated the 7th day of November, 1952.	Nil	Nil	-
411.	Any Chapter	Commercial samples	Nil	Nil	63
412.	Any Chapter	Prototypes of engineering goods imported as samples for executing or for use in connection with securing export orders	Nil	Nil	64
413.	Any Chapter	<i>Bona fide</i> commercial samples and prototypes	Nil	Nil	65
414.	Any Chapter	Containers which are of durable nature <b>Explanation.</b> - A device such as tag, tracking device or data logger already affixed on the container at the time of import shall also be eligible for exemption from the duty of customs and the integrated tax as is available to the said container under this notification	Nil	Nil	87
415.	Any Chapter	All items of machinery, including prime movers, instruments, apparatus and appliances, control gear and transmission equipment, and auxiliary equipment (including those required for testing and quality control) and components, required for initial setting up of a project for generation of power or generation of compressed bio-gas (Bio-CNG) using non-conventional materials, namely, agricultural, forestry, agro-industrial, industrial, municipal and urban waste, bio waste or poultry litter:	5%	-	66

		<b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026			
416.	Any Chapter	Following goods when imported into India by a designated airline specified in column (3) of the List 23 appended to Table I and registered or incorporated in a country specified in column (2) of the said List:  (i) Printed ticket stocks (ii) Airway bills (iii) Any printed material which bears the insignia of the importing airline printed thereon including baggage tags (iv) Publicity material for distribution free of charge	Nil	Nil	-
417.	Any Chapter	Equipment, instruments, raw materials, components, pilot plant and computer software when imported for any Research and Development Project undertaken by any company:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	67
418.	Any Chapter	Following goods when imported into India by any institution (including a registered Co-operative Society) for the blind and the deaf:  (i) All tangible appliances for the blind; (ii) Hearing aids and other audio-visual aids for the education of the deaf; (iii) Vocational aids for the blind and the deaf; (iv) Articles including instruments, apparatus, appliances, machinery and spares or component parts or accessories thereof required for the purpose of giving training or imparting instructions to the blind and the deaf; (v) Phonographs and cassette players for playing talking books, magnetic tapes and cassettes for the production of talking books, electronic reading machines, television enlargers and optical aids:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	68
419.	Any Chapter	Video cassettes and video tapes recorded with educational materials, when imported by the University Grants Commission:	Nil	-	69

		<b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029			
420.	Any Chapter	Video cassettes and video tapes, recorded with University or higher or advanced technical educational programme and imported by a University or a research institution:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	70
421.	Any Chapter	The following goods :  (i) equipments carried on board vessels engaged in research on high seas; and (ii) polymetallic nodules collected by such vessels on high sea:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	71
422.	Any Chapter	Specimen, models, wall pictures and Diagrams for instructional purposes	Nil	-	-
423.	Any Chapter	Works of art created abroad by Indian artists and sculptors, whether imported on the return of such artists or sculptors to India or imported by such artists or sculptors subsequent to their return to India:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	-
424.	Any Chapter	Books, being antiques of an age exceeding one hundred years:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	Nil	-	72
425.	Any Chapter	The following goods: -  (i) Sports goods, sports equipments, sports requisites, including synthetic playing surfaces, fitness equipments, sports medicine, sports apparel; (ii) Spares, accessories and consumables relating to goods covered by (i) above:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	73
426.	Any Chapter	Sports Goods mentioned in List 24:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	74
427.	Any Chapter	Sports Goods mentioned in List 29	-	Nil	74

428.	Any Chapter	The goods specified in List 25 imported into India by the Indian Mountaineering Foundation, New Delhi:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	75
429.	Any Chapter	Clay Birds:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	-
430.	Any Chapter	The goods specified in List 26 imported by  (i) a State Rifle Association; or (ii) the District Rifle Association which is controlled by, or affiliated to, the State Rifle Association;  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	76
431.	Any Chapter	Air Rifles/Pistols - 0.177 calibres:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	77
432.	Any Chapter	Anti-doping and dope testing related equipments specified in List 27 imported into India by National Anti-doping Agency or National Dope Testing Laboratory in the Ministry of Youth Affairs and Sports:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	-	78
433.	Any Chapter	Firearms and ammunition:  <b>Provided further</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029	50%	-	79
434.	Any Chapter	Challenge cups and trophies:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	Nil	80
435.	Any Chapter	Medals and trophies:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	Nil	81
436.	Any Chapter	Prizes won by any member of an Indian team:  <b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028	Nil	Nil	82
437.	Any Chapter	Trophy when imported into India by the National Sports Federation recognized by the Central Government or any Sports Body registered under any law for the time being in force, for being awarded to the winning team in the international tournament including	Nil	Nil	83

		<p>bilateral tournament and World Cup event to be held in India:</p> <p><b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2028</p>			
438.	Any Chapter	<p>Articles and component parts thereof, when imported respectively for the replacement of defective articles or of component parts thereof:</p> <p><b>Provided</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029</p>	Nil	-	84
439.	Any Chapter	<p>Foodstuffs and provisions (excluding fruit products, alcohol and tobacco), when imported into India by a person residing in India, not being a citizen of India:</p> <p><b>Provided</b> that -</p> <p>(i) the aggregate c.i.f. value of such foodstuffs and provisions so imported by any such person in a year shall not exceed Rs. 1,00,000; and</p> <p>(ii) the importer secures the foreign currency required for importing such foodstuffs and provisions from the funds available to him in the foreign country:</p> <p><b>Provided further</b> that nothing containing in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2029</p>	Nil	Nil	-
440.	Any Chapter	<p>All items of machinery, including, instruments, apparatus and appliances, transmission equipment and auxiliary equipment (including those required for testing and quality control) and components, required for, -</p> <p>(i) initial setting up of fuel cell based system for generation of power or for demonstration purposes; or</p> <p>(ii) balance of systems operating on bio-gas or bio-methane or by-product hydrogen:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31st March, 2026</p>	5%	-	85

**Explanation.—**

(I) For the purposes of this Table I, the rate specified in column (4) or column (5) of the said Table is ad valorem rate, unless otherwise specified;

(II) For the removal of doubts, -

- (a) "-" appearing in column (4) means basic customs duty leviable on the goods as per the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 read with any other notifications issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, for the time being in force.
- (b) "-" appearing in column (5) means Integrated Goods and Services Tax leviable on the goods as per the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with any other notifications issued under the said Act, for the time being in force.

(III) Consequent to the amendments made with effect from 2nd February, 2021 in the entries against S. Nos. 162 and 361, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 shall complete pending action, if any, in respect of imports made earlier therein.

**ANNEXURE to TABLE I**

Condition No.	Condition
1.	<p>If, at the time of import, -</p> <p>(a) the importer furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from the designated officer in terms of O.M. No. L-110109(3)/1/2016-Trade (E-2625), dated 22<sup>nd</sup> February, 2024, issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, that the imported goods are meat and edible offal, of ducks, frozen (other than backs of ducks, frozen), satisfying the parameters specified in the Annex to the said O.M.; and</p> <p>(b) the importer furnishes to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, -</p> <p style="padding-left: 40px;">i. a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Tourism recommending that the importer is a 3-Star and above operational hotel as per notification issued by Ministry of Tourism, Government of India, as amended, or</p> <p style="padding-left: 40px;">ii. a valid restricted import authorisation issued under DGFT notification No. 66/2023, dated 06<sup>th</sup> March, 2024, as amended.</p>
2.	If the items manufactured using the imported goods are exported by the importer within six months of the date of the import of the said imported goods.
3.	If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.
4.	If the importer gives a declaration that such material is for the purposes of sowing or planting only.
5.	<p>If, -</p> <p>(i) the goods are imported by an exporter of sea-food products for use in processing sea-food products for export and the said exporter is registered with the Marine Products Export Development</p>

	<p>Authority;</p> <p>(ii) the total value of the goods imported shall not exceed 1% of the FOB value of exports of sea-food products exported during the preceding financial year; and</p> <p>(iii) the importer produces a certificate from the Marine Products Export Development Authority, certifying the value of exports made during the financial year referred to in clause (ii) above, and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year:</p> <p><b>Provided</b> that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, up to the period of 31<sup>st</sup> March, 2020, shall be extended upto 20<sup>th</sup> September, 2020 for import of unutilized value and quantity of goods specified in the said certificate.</p>
6.	If the importer at the time of importation, furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Fisheries, Government of India, recommending the grant of this exemption and that the goods are required for the specified purpose.
7.	If the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, an assay certificate issued by the mining company, giving details of composition.
8.	<p>If, -</p> <p>(i) the bunker fuels are imported for use in ships or vessels which are registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and fly the Indian flag only;</p> <p>(ii) such ships or vessels carry cargo between two or more Indian ports (including an intermediate foreign port);</p> <p>(iii) such ships or vessels carry containerized cargo namely, export-import cargo or empty containers or domestic cargo, between such ports;</p> <p>(iv) such ships or vessels file an import manifest (IGM) or an export manifest (EGM), as the case may be, in each leg of the voyage;</p> <p>(v) such ships or vessels do not file any cargo related documentation under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) with the Customs authorities, other than an import manifest (IGM) or an export manifest (EGM), as the case may be;</p> <p>(vi) the Master of the vessel or his authorised agent and the importer submit a declaration-cum-undertaking stating the quantity of bunker fuels required under this notification to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, based on a document certifying the consumption rate of fuel issued by any classification society which is a member of the International Association of Classification Societies (IACS) and the distance proposed to be covered by the vessel during its voyage;</p> <p>(vii) the Master of the vessel or his authorised agent and the importer submit an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, to pay, in the event of his failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained therein, along with the applicable interest thereon.</p>
9.	The power producer shall produce a certificate from the jurisdictional Development Commissioner in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, that no benefit of customs duty and Goods

	and Services Tax ,as well as fuel-transportation related Goods and Service tax has been availed by the said power producer towards raw materials and consumables used in operation and maintenance of the power plant.
10.	<p>If the goods are imported by, –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a Centre of Excellence listed in List 28; or</li> <li>(ii) any person or institution on recommendation of any Centre of Excellence listed in List 28, certifying that the person (by name) for whom the Drugs, Medicines or Food for Special Medical Purposes (FSMP) are being imported, is suffering from a rare disease (to be specified by name) and requires these Drugs, Medicines or Food for Special Medical Purposes (FSMP) for the treatment of said rare disease.</li> </ul>
11.	<p>If, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the drugs and medicines are supplied free of cost to the patients under the Patient Assistance Programme of the specified pharmaceutical company;</li> <li>(ii) the said pharmaceutical company furnishes an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that - <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) it shall maintain the following records: - <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) name, age, gender, residence and contact details of the patient;</li> <li>(b) copies of valid identity proof and residence proof of the patient and the caregiver, if any, as the case may be;</li> <li>(c) the disease diagnosed and the prescribed dosage of drugs and medicines;</li> <li>(d) the drugs and medicines imported or received and consumed under the said programme;</li> </ul> </li> <li>(B) the goods shall be used for the specified purpose only;</li> </ul> </li> <li>(iii) The said pharmaceutical company also furnishes an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction, to pay, in the event of failure to comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained in this notification, along with the applicable interest thereon.</li> </ul>
12.	If the importer produces a certificate of the Reference Standard and copies of documents to substantiate that the organization or institution from where the Reference Standard has been imported is approved by the World Health Organisation or International Organisation for Standards.
13.	If, at the time of importation, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from the Licensing Authority to the effect that specified quantity of such drugs and materials are required for being used in a clinical trial for which permission has been granted by the Licensing Authority under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.
14.	If the importer furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare certifying that the goods are to be

	supplied free of cost for the National Filaria Control Programme or other Centrally sponsored programme against Filariasis.
15.	If the importer at the time of import, furnishes in all cases a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) recommending the grant of the exemption and the said officer certifies that the goods are required for the specified purpose.
16.	If the items manufactured using the imported goods are exported by the importer within twelve months of the date of import of the said imported goods: <b>Provided</b> that the said period of twelve months may be further extended by the jurisdictional Commissioner for a period not exceeding three months.
17.	If, - (i) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft, which is used for operating scheduled air transport service or the scheduled air cargo service, as the case may be; or (ii) the parts are brought into India for servicing, repair or maintenance of an aircraft mentioned in clause (ii) of Condition No. 45. <b>Explanation.</b> - The expressions “scheduled air transport service” and “scheduled air cargo service” shall have the meanings respectively assigned to them in Condition No. 45.
18.	If,- (i) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft imported or procured by Aero Club of India; or (ii) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft, which are used for flying training purposes or for operating non-scheduled (passenger) service or non-scheduled (charter) services; (iii) imported for servicing, repair or maintenance of aircraft imported or procured by the Airports Authority of India for flight calibration purposes (iv) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:- (a) the imported goods shall be used for the specified purpose only; and (b) he shall pay on demand, in the event of his failure to use the imported goods for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said goods but for the exemption under this notification. <b>Explanation.</b> - The expressions, “Aero Club of India”, “operator”, “non-scheduled (passenger) services” and “non-scheduled (charter) services” shall have the meanings respectively assigned to them in Condition No. 46 or 47.
19.	If,- (a) the pulp of wood is imported for the manufacture of newsprint, that is to say, paper intended for the printing of newspapers, books and periodicals; and (b) the newsprint manufactured in terms of (a) above is supplied to a newspaper. <b>Explanation.</b> - For the purpose of this condition, “newspaper” means a newspaper registered by the Registrar of Newspapers for India under the provisions of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867).

20.	If the importer, at the time of import is an establishment registered with the Registrar of Newspapers, India (RNI).
21.	<p>If the importer at the time of importation, produces before the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a certificate issued under Kimberley Process Certification Scheme (KPCS);</li> <li>(ii) an undertaking from the importer stating that the imported goods are diamonds, not further worked than simply sawn; and</li> <li>(iii) a certificate from the exporter, and the Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) stating that the imported goods are diamonds, not further worked than simply sawn.</li> </ul>
22.	<p>If,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the goods are directly shipped from the country in which they were produced and each bar has a weight of 5 kg. or above;</li> <li>(b) the goods are imported in accordance with the packing list issued by the mining company by whom they were produced;</li> <li>(c) the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, an assay certificate issued by the mining company or the laboratory attached to it, giving detailed precious metal content in the dore bar;</li> <li>(d) the gold dore bars are imported by the actual user for the purpose of refining and manufacture of standard gold bars of purity 99.5% and above; and</li> <li>(e) the silver dore bars are imported by the actual user for the purpose of refining and manufacture of silver bars of purity 99.9% and above.</li> </ul>
23.	<p>If,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) (a) the duty is paid in convertible foreign currency;</li> <li>(b) the quantity of import does not exceed one kilogram of gold and ten kilograms of silver per eligible passenger; and</li> <li>2) the gold or silver is, - <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) carried by the eligible passenger at the time of his arrival in India, or</li> <li>(b) the total quantity of gold under items (i) and (ii) of S. No. 194 does not exceed one kilogram and the quantity of silver under S. No. 195 does not exceed ten kilograms per eligible passenger; and</li> <li>(c) is taken delivery of from a customs bonded warehouse of the State Bank of India or the Minerals and Metals Trading Corporation Ltd., subject to the condition (1):</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Provided</b> that such eligible passenger files a declaration in the prescribed form before the proper officer of customs at the time of his arrival in India declaring his intention to take delivery of the gold or silver from such a customs bonded warehouse and pays the duty leviable thereon before his clearance from customs.</p> <p><b>Explanation.-</b> For the purposes of this notification, “eligible passenger” means a passenger of Indian origin or a passenger holding a valid passport, issued under the Passports Act, 1967 (15 of 1967), who is coming to India after a period of not less than six months of stay abroad; and short visits, if any, made by the eligible</p>

	passenger during the aforesaid period of six months shall be ignored if the total duration of stay on such visits does not exceed thirty days and such passenger has not availed of the exemption under this notification or under the notification being superseded at any time of such short visits.
24.	<p>If the importer at the time and place of clearance: -</p> <p>(i) gives an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, regarding percentage of precious metals contained in spent catalyst or Ash containing precious metal being imported and to the effect that the said goods are imported for recovery of precious metals.;</p> <p>(ii) produces a certificate from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change before the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, permitting import of spent catalyst or Ash containing precious metal for recovery or recycling purposes.</p>
25.	If the importer at the time of importation, furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) recommending the grant of this exemption and the said officer certifies that the goods are required for the specified purpose.
26.	<p>If,-</p> <p>(1) the dies for drawing metal, acquired in exchange, are imported within one year of the date of exportation of similar dies out of India for repairs; and</p> <p>(2) no drawback of duty has been paid on the occasion of their export.</p> <p><b>Explanation.-</b> On the imports referred to in condition (1) above, the duty would be leviable as if the value of the said dies were equal to-</p> <p>(i) the aggregate of-</p> <p>(a) labour charges for such repair;</p> <p>(b) cost of materials used in such repair ;</p> <p>(c) any other charges paid by the importer for repair of such dies; and</p> <p>(ii) the insurance and freight charges, both ways.</p>
27.	<p>If,-</p> <p>(a) the parts and raw materials are used in the manufacture of goods in accordance with the provisions of section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); and</p> <p>(b) a certificate is produced in each case to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from a duly authorised officer of the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydrocarbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the goods are required for the purposes of off-shore oil exploration or exploitation.</p>
28.	<p>If, -</p> <p>(a) the importer is a licensee or lessee or contractor, he shall produce to the concerned Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, a document</p>

	<p>evidencing that he falls in the category of a specified person and give an undertaking to pay duty, fine or penalty that becomes payable, if any of the Conditions of this notification are not complied with;</p> <p>(b) the importer is a sub-contractor, he produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation, a certificate issued by a senior official who is authorised by the Board of Directors to issue such a certificate, of the concerned licensee or lessee or contractor certifying that the goods are intended for specified purpose along with an undertaking from such licensee or lessee or contractor and the sub- contractor, as the case may be, liable to pay duty, fine or penalty that becomes payable, if any of the Conditions of this notification are not complied with;</p> <p>(c) the importer or any specified person (transferor), seeks to transfer the goods to any other specified person (transferee),-</p> <p>(i) the transferor shall give an intimation to the concerned Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, about such transfer and get himself discharged in respect of the goods so transferred;</p> <p>(ii) the transferee shall give an undertaking to comply with the Conditions of this notification, as if he is the importer of these goods.</p> <p>(iii) where the transferee is a sub-contractor, the lessee or the lesser or the licensee or the contractor of such sub-contractor, as the case maybe, shall also give an additional undertaking to make himself liable to pay duty, fine or penalty in case the sub-contractor fails to comply with the Conditions of this notification;</p> <p>(d) the goods so imported are sought to be disposed after their use in unserviceable form or as scrap, the importer or the transferee, as the case may be, shall dispose of these goods, through MSTC, or any other Government agency, notified by the Central Government for this purpose, or directly either to armed forces of the Union under the Ministry of Defence or Government Department by paying a duty at the rate of 7.5% of the transaction value of such goods.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this Condition, goods imported on or before the 1<sup>st</sup> day of February, 2022, claiming concessional rate of duty, either under this Condition or any preceding exemption for such goods, are to be disposed off on or after 2<sup>nd</sup> day of February, 2022, may be disposed off in accordance with clause (d) of this Condition.</p>
29.	<p>If the importer at the time of importation,-</p> <p>(a) furnishes in all cases a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) recommending the grant of this exemption and in the case of the goods specified at (1) to (3), the said officer certifies that the goods are required for the specified purposes; and officer certifies that the goods are required for the specified purposes; and</p> <p>(b) furnishes an undertaking to the said Deputy Commissioner or Assistant Commissioner to the effect that,-</p>

	<p>(i) in the case of wind operated electricity generators upto 30 KW or wind operated battery chargers upto 30 KW, he shall not sell or otherwise dispose off, in any manner, such generators or chargers for a period of two years from the date of importation;</p> <p>(ii) in the case of other goods specified at (1) to (3), he shall use them for the specified purpose; and</p> <p>(iii) in case he fails to comply with sub-conditions (i) or (ii), or both conditions, as the case may be, he shall pay an amount equal to the difference between the duty leviable on the imported goods but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation.</p>
30.	<p>(i) If the importer produces a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Principal Information Officer in the Press Information Bureau in the Ministry of Information and Broadcasting to the effect that the importer is an accredited press cameraman, and that the importer has not availed, on any occasion in the previous two years, exemption under this notification or the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017;</p> <p>(ii) the exemption under this notification shall be applicable to that portion of C.I.F. value of the specified cameras, lenses and other goods, which does not exceed one lakh rupees; and</p> <p>(iii) if the importer gives an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time and place of importation to the effect that the said goods shall remain in his possession, control and use and shall not be sold or parted with for a period of two years from the date of importation.</p>
31.	<p>(i) If the importer produces a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Principal Information Officer in the Press Information Bureau in the Ministry of Information and Broadcasting to the effect that the importer is an accredited journalist, and that the importer has not availed, on any occasion in the previous two years, exemption under this notification or the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017;</p> <p>(ii) the exemption under this notification shall be applicable to that portion of C.I.F. value of the specified personal computers, typewriters and fax machines, which does not exceed one lakh rupees; and</p> <p>(iii) if the importer gives an undertaking to the Joint Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, at the time and place of importation to the effect that the said goods shall remain in his possession, control and use and shall not be sold or parted with for a period of two years from the date of importation.</p>
32.	<p>If, -</p> <p>1) the bushings acquired in exchange, are imported, within one year of the date of exportation of bushings out of India; and</p> <p>2) no drawback of duty has been paid on the occasion of their export.</p>

	<p><b>Explanation.</b> - On the imports referred to in condition (1) above, the duty would be leviable as if the value of the said bushings were equal to-</p> <p>(i) the cost of such exchange, that is to say, the aggregate of-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) labour charges;</li> <li>(b) price charged for that quantity of platinum and rhodium, if any, which is in excess of the respective quantity of the platinum and rhodium contained in the said bushings exported out of India; and</li> <li>(c) any other charges paid by the importer to the supplier of such bushings for such exchange of bushings; and</li> </ul> <p>(ii) the insurance and freight charges, both ways.</p>
33.	<p>If an accredited representative of the foreign film unit or the television team executes a bond in such form and with such surety as may be acceptable to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on such equipment and cameras if the same are not placed under customs control for re-export within a period of three months or such extended period as the said Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner may permit, after clearance for home consumption.</p>
34.	<p>If, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the duties of customs leviable on the specified equipment, raw films and tapes had been paid at the time of their first importation into India;</li> <li>(b) no drawback of duty was paid on their exportation from India;</li> <li>(c) the identity of the goods is established to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of availing of this concession;</li> <li>(d) the goods are re-imported into India within six months or such period not exceeding one year from the date of their export from India, as may be extended by the said Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner on sufficient cause being shown to his satisfaction; and</li> <li>(e) the External Publicity Division of the Ministry of External Affairs certifies that the purpose for which the goods had been exported from India was in public interest and had been sponsored or approved by the Government of India.</li> </ul>
35.	<p>If,-</p> <p>(1) the goods are imported for being tested in –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Defence Research and Development Organisation (DRDO) laboratories;</li> <li>(b) Indian Institutes of Technology;</li> <li>(c) Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) laboratories;</li> <li>(d) Central Power Research Institute, Bangalore; or</li> <li>(e) Any other test centre approved by any Ministry in the Government of India for this purpose; and</li> </ul> <p>(2) the Head of the organisation certifies that the goods have been imported by that organisation only for the purpose of testing and shall not be used or sold after such testing.</p>
36.	<p>If the importer, at the time of import, furnishes a certificate from an officer not below the rank of a Joint</p>

	<p>Secretary to the Government of India in the Ministry of Heavy Industries (MHI) to the effect that,-</p> <p>(i) the importer holds a valid Approval Letter issued by the Ministry of Heavy Industries under the 'Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India' notified vide S.O. No. 1363 (E) dated 15th March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries;</p> <p>(ii) the importer satisfies the conditions of the aforesaid scheme and the quantity of the vehicles being imported is within the limits prescribed in Para.1.3.5 and para.1.3.6 of the aforesaid scheme; and</p> <p>(iii) the importer is eligible for grant of this exemption in respect of the goods being imported.</p>
37.	<p>If,-</p> <p>(a) at the time of import, the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Heavy Industries certifying that the imported goods (having regard to their description, quantity and technical specification) are intended for use by testing agencies specified in List 20 for testing and/or certification purposes only;</p> <p>(b) at the time of import, the importer executes a bond before the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import binding himself to pay the differential duty along with interest in case of diversion from the purpose as mentioned in condition (a) above;</p> <p>(c) importer carries out testing and/or certification within a period of six months from the date of import, which may be extended by another three months by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import upon the written request of the importer citing reasons for seeking such extension;</p> <p>(d) the importer re-exports the goods, wherever applicable, after testing and/or certification, within a period of six months from the date of import, which may be extended by another three months by the Principal Commissioner or Commissioner of the port of import upon written request of the importer citing reasons for seeking such extension;</p> <p>(e) the goods are destroyed in the course of testing and thus not re-exported after testing and/or certification, the importer produces a certificate to the Principal Commissioner or Commissioner of the port of import of such goods that scrapping or re-cycling of vehicle parts or vehicles or E-waste have been carried out,-</p> <p>(i) in case of scrapping of engine /vehicle, by agencies authorised for the purpose by the State Government or Union Territory or the Central Governments;</p> <p>(ii) in case of E-waste, by the Central Pollution Control Board approved vendors;</p> <p>(iii) in case of other goods, by the head of the concerned notified testing agency that the goods have been scrapped;</p> <p>(f) the importer maintains a proper account of import, use and scrap, and submits such account periodically to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the port of import of such goods.</p>
38.	<p>If the parts are required for manufacture or servicing of aero planes, gliders, helicopters or simulators of aircraft.</p>

	<b>Explanation.</b> - Parts of aero planes, gliders, helicopters or simulators of aircraft shall include engines, engine parts, wireless transmission apparatus, wireless receivers, iron and steel washers and screws, ball and roller bearings and other parts.
39.	<p>If an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) certifies the quantity, description and technical specifications of the imported goods;</li> <li>(ii) certifies that the said goods are intended for manufacture of aircraft falling under heading 8802 or for manufacture of components or parts, including engines, of such aircrafts; and</li> <li>(iii) recommends the grant of exemption to the imported goods.</li> </ul>
40.	<p>If,-</p> <p>(A) imported by units approved by Director General of Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation, for maintenance, repair, or overhauling of-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) aircraft registered in India; or</li> <li>(b) aircraft not registered in India, which are brought into India for the purpose of flight to or across India, or for the purpose of maintenance, repair or overhauling and which are intended to be removed from India within six months or for such periods as extended by the Director General of Civil Aviation, as the case may be; or</li> <li>(c) aircraft components or parts, including engines of aircrafts;</li> </ul> <p>(B) the importer submits documents duly certified by the Director General of Civil Aviation approved Quality Managers of aircraft maintenance organisations indicating such parts, testing equipment, tools and tool-kits;</p> <p>(C) the importer maintains a proper account of import, use and consumption of the specified goods imported for the purpose of servicing, repair and maintenance of aircrafts, aircraft components, parts including engines of aircrafts and submits such account periodically to the Commissioner of Customs in such manner as may be specified by the said Commissioner;</p> <p>(D) the importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the said Commissioner, binds himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) on parts, tools and tool kits as are not proved to the satisfaction of the said Commissioner to have been used or consumed for the aforesaid purpose;</li> <li>(ii) on the testing equipment, as are not proved to the satisfaction of the said Commissioner to have been installed or otherwise used for the aforesaid purposes,</li> </ul> <p>within a period of three years from the date of importation thereof or within such extended period as that Commissioner, on being satisfied that there is sufficient cause for not installing, using or consuming as the case may be, for the aforesaid purposes within the said period, allow.</p>
41.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) If, imported for maintenance, repair or overhauling of aircraft, not registered or intended to be registered in India, but to be removed from India within six months or as extended by the Director General of Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation; and</li> <li>(b) carries passengers in the flight at the beginning and end of the stay period in India, but undertakes no commercial flights during the stay period.</li> </ul>

42.	If the components or parts, including engines, of aircraft of heading 8802, is imported for maintenance, repair or overhauling by units approved by the Director General of Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation for the said purpose and such components or parts, including engines, of aircraft of heading 8802 are exported subsequent to such maintenance, repair or overhauling.
43.	<p>If the importer, at the time of import,-</p> <p>(i) produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Space certifying that the said satellite and payloads are for launch into outer space in conformity with the provisions of the Outer Space Treaty of 1967;</p> <p>(ii) gives an undertaking to the effect that the ground equipment, covered under item (b) of column (3) of S.No.339 of the Table I, imported for testing the satellites or payloads shall be re-exported within a period of six months from the date of their importation or such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow, and in the event of failure to comply with the same, he shall pay on demand an amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation.</p>
44.	If the importer, at the time of import, produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Space certifying that the goods specified in column (3) of S.No.340 of the Table I, are required for launch vehicles, and satellites and payloads.
45.	<p>If, -</p> <p>(i) imported by an operator or on behalf of the operator, for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service, and such aircraft is used for operating the scheduled air transport service or the scheduled air cargo service, as the case may be; or</p> <p>(ii) the said aircraft is not registered or not intended to be registered in India, and brought into India for the purpose of a flight to or across India, and which is intended to be removed from India within fifteen days, or as extended by the competent authority in Ministry of Civil Aviation, not exceeding sixty days, from the date of entry.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry,</p> <p>(a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;</p> <p>(b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public; and</p> <p>(c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a</p>

	recognizably systematic series, not open to use by passengers.
46.	<p>If,-</p> <p>(a) the aircraft is imported by,-</p> <p>(i) the Aero Club of India, New Delhi, recognized as a National Sports Federation by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India; or</p> <p>(ii) a Flying Training Institute approved by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation; and</p> <p>(b) the importer has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to import aircraft for use in imparting training; and</p> <p>(c) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:-</p> <p>(i) the said aircraft shall be used for the specified purpose only and he shall pay on demand, in the event of his failure to use the imported aircraft for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said aircraft but for the exemption under this notification;</p> <p>(ii) the aircraft imported under this concession shall not be sold/transferred to an entity other than a flying training institute approved by the Directorate General of Civil Aviation.</p> <p>(d) the aircraft is imported by the Airports Authority of India for flight calibration purposes and at the time of importation, the Airports Authority of India furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that :-</p> <p>(i) the said aircraft shall be used for flight calibration purposes only and in the event of their failure to use the imported aircraft for the specified purpose, they shall pay, on demand, an amount equal to the duty payable on the said aircraft but for the exemption under this notification; and</p> <p>(ii) the said aircraft shall not be sold or transferred to any other entity.</p>
47.	<p>(i) the aircraft are imported by an operator who has been granted approval by the competent authority in the Ministry of Civil Aviation to import aircraft for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services; and</p> <p>(ii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation that:-</p> <p>(a) the said aircraft shall be used only for providing non-scheduled (passenger) services or non-scheduled (charter) services, as the case may be; and</p> <p>(b) he shall pay on demand, in the event of his failure to use the imported aircraft for the specified purpose, an amount equal to the duty payable on the said aircraft but for the exemption under this notification.</p> <p><b>Explanation.-</b></p> <p>(1) for the purposes of this entry,-</p> <p>(a) 'operator' means a person, organization, or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operation;</p>

	<p>(b) 'non-scheduled (passenger) services' means air transport services other than Scheduled (passenger) air transport services as defined in rule 3 of the Aircraft Rules 1937.</p> <p>(c) 'non-scheduled (charter) services' mean services provided by a 'non-scheduled (charter) air transport operator', for charter or hire of an aircraft to any person, with published tariff, and who is registered with and approved by Directorate General of Civil Aviation for such purposes, and who conforms to the civil aviation requirement under the provision of rule 133A of the Aircraft Rules 1937:</p> <p>(2) For the purpose of this exemption, use of such imported aircraft by a non-scheduled (passenger) operator for non-scheduled (charter) services or by a non-scheduled (charter) operator for non-scheduled (passenger) services, shall not be construed to be a violation of the conditions of import at concessional rate of duty.</p>
48.	<p>The importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs, binds himself,-</p> <p>(i) to pay Integrated tax leviable under section 5(1) of the IGST Act, 2017 on supply of service covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017;</p> <p>(ii) not to sell or part with the goods, without the prior permission of the Commissioner of Customs of the port of importation;</p> <p>(iii) to re-export the goods within 3 months from the expiry of the period for which they were supplied under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 out of India;</p> <p>(iv) to pay on demand an amount equal to the integrated tax payable on the said goods but for the exemption under this notification in the event of violation of any of the above conditions:</p> <p><b>Provided</b> that goods may, instead of being re-exported out of India in terms of condition at (iii) above, be given on lease under a transaction covered by item 1(b) or 5 (f) of Schedule II of the Central Goods and Service Tax Act 2017, by lessor to another lessee in India, in which case, -</p> <p>(a) the original lessee shall give an intimation to the Commissioner of Customs and get his bond discharged;</p> <p>(b) the new lessee shall, by execution of bond, in such form and for such sum, as may be specified by the Commissioner of Customs, bind himself to comply with the conditions herein, as if he were the importer of the goods.</p> <p><b>Provided further</b> that in case of goods supplied by an SEZ unit to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, where SEZ unit is liable to pay integrated tax on such transaction under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, the lessee shall bind himself only with conditions (ii), (iii) and (iv) above.</p> <p><b>Explanation.</b> - In case of goods supplied by an SEZ unit (lessor) to DTA under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017, -</p> <p>(a) the "Commissioner of Customs" or the "Commissioner of Customs of the port of importation", wherever they appear, shall mean "the Specified Officer" as defined in Special Economic Zone Rules, 2006;</p>

	(b) 'Re-export' in item (iii) shall mean returning the goods to the lessor.
49.	<p>If,-</p> <p>(a) the importer makes a declaration at the time of import that the barges would be re-exported;</p> <p>(b) the barges are re-exported, by the same ship which brought them or by any other ship under the same shipping agency, within two months of the date of importation or such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow; and</p> <p>(c) the importer executes a bond, in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay that sum if the re-export does not take place within the period specified under condition (b) above.</p>
50.	<p>If,-</p> <p>(a) the importer maintains a proper account of import , use and consumption of the specified goods imported for the purpose of repairs of ocean going vessels and submits such account periodically to the Commissioner of Customs in such form and in such manner as may be specified by the said Commissioner;</p> <p>(b) the importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs , binds himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable on the spares and consumables, as are not proved to the satisfaction of the said Commissioner to have been used or otherwise consumed for the aforesaid purpose, within a period of one year from the date of importation thereof or within such extended period as that Commissioner, on being satisfied that there is sufficient cause for not using or consuming them, as the case may be, for the aforesaid purpose within the said period, allow.</p> <p><b>Explanation.</b> - "Ocean going vessels" includes-</p> <p>(i) Liners; cargo vessels of various kinds including refrigerator vessels for the transport of meat, fruit or the like, vessels specified for the transport of particular goods (grain, coal, ores or the likes); tankers(petrol, wine or the like ); yachts and other sailing vessels ; cable ships; ice-breakers ; floating factories of all kind( for processing whales, preserving fish or the like) whale catchers; trawlers and other fishing vessels; life boats ,scientific research vessels; weather ships; vessels for the transportation or mooring of buoys ; pilot boats ;hopper barges for the disposal of dredged material or the like;</p> <p>(ii) War ships of all kinds including submarines;</p> <p>(iii) Tugs, dredgers, fire-floats and salvage ships ; and</p> <p>(iv) Oil rigs , drilling ships and jack-up rigs.</p>
51.	If the vessels and other floating structures are intended to be broken up after their importation, the importer shall present a fresh bill of entry to the Commissioner of Customs, and thereupon such goods shall be chargeable with the duty which would be payable on such goods as if they were entered for home

	consumption, under section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), on the date of the presentation of such fresh bill of entry, for the purposes of break-up of such goods.
52.	<p>The importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs, binds himself to, -</p> <p>(i) pay duty on goods used in cable laying or repairing services, leviable under the Customs Act, 1962 and integrated tax leviable under Section 3 (7) of the Customs Tariff Act, 1975;</p> <p>(ii) pay applicable integrated tax leviable under section 5(1) of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 on cable laying or repair service;</p> <p>(iii) to furnish an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that the imported goods shall not be cleared for home consumption, and shall be used only for the intended purpose;</p> <p>(iv) to re-export the ship/ vessel immediately after completion of the said cable laying or repairing service;</p> <p>(v) to pay on demand an amount equal to the integrated tax payable on the said goods but for the exemption under this notification in the event of violation of any of the above conditions.</p>
53.	<p>If,-</p> <p>(a) imported by any Department or Ministry of the Government of India; and</p> <p>(b) the importer produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the concerned Department or Ministry, certifying that the said goods are being imported under an agreement relating to Government to Government Assistance Programme with any other country.</p>
54.	<p>If,-</p> <p>(a) the hospital is run by –</p> <p>(1) the Central Government, a State Government, a Union Territory Administration or a Local Authority; or</p> <p>(2) institutions established by or under any law for the time being in force; or</p> <p>(3) societies registered under any law for the time being in force relating to registration of societies, such societies being controlled by any of the authorities mentioned in (1) above;</p> <p>(b) the importer produces a certificate, from the Directorate General of Health Services of the Government of India or the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India, or from the State Government, the Union territory Administration or the Local Authority running or controlling that hospital, as the case may be, to the effect that the said hospital falls in any of the categories specified at (a) above; and</p> <p>(c) the head of the hospital certifies in each case that the hospital equipment is meant for use in the hospital and is essential for running or maintenance of the hospital.</p> <p><b>Explanation.-</b> “Hospital” includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic and Maternity Home, which renders medical, surgical or diagnostic treatment.</p>
55.	<p>If the importer at the time of importation, -</p> <p>(a) produces a certificate from the Director General or Deputy Director General or Assistant Director</p>

	<p>General, Health Services, New Delhi, in each case, in the Form below; or</p> <p>(b) furnishes an undertaking acceptable to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that the aforesaid certificate shall be produced before the said Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner within the period specified by the said Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, failing which he would pay the duty leviable thereon.</p> <p style="text-align: center;">FORM</p> <p>Certificate No..... of.....(year)</p> <p>Certified that the medical equipment / accessory / spare part ..... (name to be specified) being imported by ..... is a life saving medical equipment, accessory or spare part and exemption from payment of customs duty is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General /Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi</p>
56.	<p>If,-</p> <p>(a) where the importer is the Government of India or a person authorised by that Government, or the goods are shipped on the order of a Department of that Government and are appropriated under such order at the time of shipment, for use in anti-smuggling operations, he produces, at the time of importation, a certificate from the Under Secretary to the Government of India in the Department of Revenue to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use;</p> <p>(b) where the importer is a Police Force of a State or a Union territory or the Central Reserve Police Force, the National Security Guard or the Special Protection Group and the said goods are imported for bomb detection or disposal purposes, he produces, at the time of importation, a certificate from an officer in the Ministry of Home Affairs not below the rank of an Under Secretary to the Government of India to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use.</p>
57.	<p>If,-</p> <p>(a) the goods are imported by the Police Force of the States or Union territories or Central Reserve Police Force or National Security Guard or Border Security Force or Central Industrial Security Force or Indo-Tibetan Border Police or Assam Rifles or Railway Protection Force or Special Frontier Force for bomb detection or disposal purposes; and</p> <p>(b) the importer produces a certificate from an officer in the Ministry of Home Affairs or Ministry of Railways, as the case may be, not below the rank of Under Secretary to the Government of India to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use.</p>
58.	<p>If, the importer submits an undertaking before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods so imported shall be for use in laboratory or for use in research and development purposes and shall not be sold or traded after importation and that in case of failure to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such quantity of the said goods as is proved to have not been so used for the specified purposes, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption under this notification.</p>

59.	<p>If, -</p> <p>(a) the goods are imported by an individual for personal use;</p> <p>(b) it is certified in the Form as applicable and specified below, by the Director General or Deputy Director General or Assistant Director General, Health Services, New Delhi, Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil Surgeon of the district, in each individual case</p> <p>(1) Form for medicines used for treatment of Spinal Muscular Atrophy/ Duchenne Muscular Dystrophy covered under sub-clause(c) of clause (iii) of S. No.401 of the Table I.</p> <p style="text-align: center;">Certificate No..... of ..... (year)</p> <p>Certified that the medicine..... (name of the medicine) to be used for the treatment of ..... (patient name), is a lifesaving medicine used specifically for Spinal Muscular Atrophy / Duchenne Muscular Dystrophy and exemption from the payment of customs duty and Integrated GST is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.</p> <p>or</p> <p>(2) Form for life saving drugs or medicines, not covered under (1) above, being imported under clause (ii) of S. No. 401 of the Table I.</p> <p style="text-align: center;">Certificate No..... of ..... (year)</p> <p>Certified that the drug / medicine.....(name of the drug / medicine) to be used for the treatment of .....( patient name), is a lifesaving drug / medicine for.....(disease name) and exemption from the payment of customs duty is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.</p> <p>and,</p> <p>(c) the importer produces the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of clearance, or gives an undertaking as acceptable to the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner to furnish the said certificate within such period as may be specified by the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, failing which to pay duty leviable thereon.</p>
60.	<p>If the importer at the time of import-</p> <p>(a) the goods are imported by an individual for personal use;</p> <p>(b) it is certified in the Form below, by the Director General or Deputy Director General or Assistant</p>

	<p>Director General, Health Services, New Delhi, Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil Surgeon of the district, in each individual case, that the goods are lifesaving drugs or medicines (Regarding description, quantity and technical specificity); and</p> <p>(c) furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that the imported goods shall be used for the personal purpose and he shall pay, on demand, in the event of his failure to use the imported goods for the said purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the imported goods but for the exemption under this notification;</p> <p style="text-align: center;"><b>FORM</b></p> <p style="text-align: center;">Certificate No..... of.....(year)</p> <p>Certified that the ..... (name of the drug/medicine) being imported by .....(name of the patient) is a lifesaving drug/medicine and required in ..... (quantity) for treatment period .....(months) and exemption from the payment of IGST is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon</p>
61.	<p>If, -</p> <p>(a) the goods are imported by an individual for personal use;</p> <p>(b) it is certified in the Form as applicable and specified below, by the Director General or Deputy Director General or Assistant Director General, Health Services, New Delhi, Director of Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil Surgeon of the district, in each individual case</p> <p>(1) Form for Drugs/Medicines/FSMP used for treatment of Rare Diseases covered under S. No.403 of the Table I.</p> <p style="text-align: center;">Certificate No..... of ..... (year)</p> <p>Certified that the medicine.....(name of the Drug/Medicine/FSMP) to be used for the treatment of .....(patient name), is a Drug/Medicine/ Food for Special Medical Purposes (FSMP) used specifically for treatment of rare disease specified in List 22 appended to Table I and exemption from the payment of customs duty is recommended.</p> <p style="text-align: right;">Signature with date of Director General / Deputy Director General / Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health Services or District Medical Officer/Civil Surgeon.</p>

	<p>And</p> <p>(c) the importer produces the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of clearance, or gives an undertaking as acceptable to the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner to furnish the said certificate within such period as may be specified by the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner, failing which to pay duty leviable thereon.</p>
62.	<p>If, -</p> <p>(a) the goods are imported by a manufacturer, for use in the manufacture of sports goods for export by that manufacturer and the manufacturer is registered with the “Sports Goods Export Promotion Council”;</p> <p>(b) the total value of specified goods imported in a year shall not exceed 3 % of the FOB value of sports goods exported by the manufacturer during the preceding financial year;</p> <p>(c) the importer produces a certificate from the “Sports Goods Export Promotion Council” certifying the value and quantity of exports made during the preceding financial year mentioned in sub- condition (b); and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year:</p> <p><b>Provided</b> that the validity of the said certificate, issued for the financial year 2019-20, upto the period of 31st March, 2020, shall be extended upto 30th September, 2020 for import of unutilised value and quantity of goods specified in the said certificate.</p>
63.	<p>If, -</p> <p>(i) The said goods have been imported as personal baggage by <i>bona fide</i> commercial travellers or businessmen or imported by post or by air;</p> <p>(ii) The importer produces his Import Export Code Number at the time of importation;</p> <p>(iii) The said goods are clearly marked as samples;</p> <p>(iv) The import of the said goods does not exceed Rs. 3,00,000 (Three lakh)] in value or 50 units in number, within a period of twelve months; and:</p> <p><b>Provided</b> that where the samples relating to gem and jewellery industry are imported by exporters of gem and jewellery, the import of said sample shall not exceed value of Rs. 3,00,000 (Three lakhs) or 0.25% of average value of three immediately preceding years exports whichever is lower, and such samples shall not exceed 50 units in number, within a period of twelve months subject to the condition that the importer produces a certificate from the Gem and Jewellery Export Promotion Council certifying the value of export made during three immediately preceding years and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the last twelve months.</p> <p>(v) The importer at the time of importation -</p> <p>(A) declares that -</p> <p>(a) the samples have been imported into India solely for the purpose of being shown in India for the guidance of exporters or for securing or executing an export order;</p> <p>(b) the total import value of sample does not exceed Rs. 3,00,000 (Three lakhs) or 0.25% of average value of three immediately preceding years exports whichever is lower, in the case the sample is related to gem and jewellery industry imported by exporter of gem and jewellery, as the case may be and Rs. 3,00,000 (Three lakhs) in case of any other import of commercial samples and such sample shall not exceed 50 units in number, within a period of last twelve months; and</p> <p>(B) produces an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to pay the duty leviable on the said goods but for the</p>

	exemption contained herein, if the declaration under clause (A) is found to be false.
64.	<p>If,-</p> <p>(i) The importer produces a certificate from the Export Promotion Council concerned with the particular export or the Trade Development Authority to the effect that the samples are required for executing or for use in connection with securing export orders;</p> <p>(ii) where the value of a sample does not exceed Rupees ten thousand the same shall be rendered useless as merchandise by any suitable process and where this is not possible they are re-exported within a period of nine months of import or such extended period as may be allowed by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs;</p> <p>(iii) where the value of a sample exceeds Rupees ten thousand the same shall be re-exported within a period of nine months of import or such extended period as may be allowed by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs; and</p> <p>(iv) the importer shall execute a bond in such form and for such sum and with such surety as may be prescribed by the Assistant Commissioner of Customs, or Deputy Commissioner of Customs for the purpose of enforcing conditions (ii) and (iii), as the case may be.</p>
65.	<p>If, -</p> <p>(i) The said goods have been imported by post or in an aircraft, or by courier service;</p> <p>(ii) the value of the said samples or prototypes does not exceed rupees ten thousand; and</p> <p>(iii) the said goods have been supplied free of charge.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purpose of condition (ii), postal charges or the air-freight shall not be taken into account for determining the value limit of rupees ten thousand.</p>
66.	<p>If, -</p> <p>(i) the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Non-Conventional Energy Sources to the effect that the goods are required for initial setting up of a project for the generation of power or compressed bio-gas (Bio-CNG), as the case may be using non-conventional materials, namely, agricultural, forestry, agro-industrial, industrial, municipal and urban waste, bio waste or poultry litter and the said officer recommends the grant of this exemption;</p> <p>(ii) In case of projects for the generation of power, the importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that there is a valid power purchase agreement between the importer and the purchaser, for the sale and purchase of electricity generated from the non-conventional materials, for a period of not less than ten years from the date of commissioning of the project :</p> <p><b>Provided</b> that this condition shall not apply to the power generation projects promoted by State electricity boards or corporations which are notified by the respective State Governments as the State Transmission Utility and Licensee.</p> <p><b>Provided further</b> that this condition shall not apply to the power generation projects based on municipal and</p>

	<p>urban waste, if the importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that there is a valid agreement between the importer and urban local body for processing of municipal solid waste for not less than ten years from the date of commissioning of project.</p> <p>(iii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that such imported goods will be used for the purpose specified and in the event of his failure to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such goods as is not proved to have been so used, an amount equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation.</p>
67.	<p>If,-</p> <p>(i) the said project is undertaken by any company having an in-house Research and Development unit recognized by the Department of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology;</p> <p>(ii) the said project is funded by the Government of India in a Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education, as the case may be, and the share of such Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education is not less than twenty per cent of the total cost of the said project;</p> <p>(iii) a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the concerned Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education, as the case may be, funding the said project is produced to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, in each case, at the time of importation, indicating—</p> <p>(a) the total cost of the project;</p> <p>(b) the cost of the project shared by such Ministry or Department or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education, as the case may be;</p> <p>(c) the value of the goods already imported under this notification;</p> <p>(d) that the goods are imported for the purposes of the said project;</p> <p>(iv) the goods shall not be sold or transferred to any person or other organisation for a period of five years from the date of their import:</p> <p><b>Provided</b> that the exemption under this notification shall be available to the said goods only upto a value equivalent to the cost of the said project shared by the concerned Ministry or Department or Council of</p>

	Scientific and Industrial Research or Indian Council of Medical Research or Indian Council of Agriculture Research or University Grants Commission or Defence Research and Development Organisation or All India Council for Technical Education.
68.	If any such institution is scheduled to begin to function only after the importation of the said goods, the exemption shall not apply in respect of the goods imported by that institution, unless an undertaking in writing is given by the President or the Secretary of that institution that it will begin to function within a period of six months, or such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in this behalf, from the date of importation of the goods.
69.	<p>If, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the importer, at the time of clearance, produces a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Education, Government of India, to the effect that such video cassettes and video tapes are recorded with educational material and are required for educational programmes approved by that Ministry or for telecast through Doordarshan and that the programmes of similar nature are not produced in India;</li> <li>(ii) the importer, at the time and place of clearance, gives an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to the effect that such video cassettes and video tapes shall not be used for any other purpose and such cassettes and tapes shall not be subsequently recorded with any other material; and</li> <li>(iii) such video cassettes and video tapes shall not be sold or parted with without the prior permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs at the port of importation.</li> </ul>
70.	<p>If,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) The importer produces, at the time and place of clearance, a certificate, from the organisation which has recorded the programme on the said video cassettes and video tapes, to the effect that the same are recorded with the University or higher or advanced technical educational programme, and the importer, if required to do so, also satisfies the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs that such video cassettes or video tapes, as the case may be, contain such technical educational programme;</li> <li>(ii) in the case of a University, the importer produces, at the time and place of clearance, a certificate from the Head of the University, to the effect that such video cassettes and video tapes are required for use for technical educational purposes by that University;</li> <li>(iii) in the case of research institution (other than research institution established, maintained or controlled by the Government), the importer produces, at the time and place of clearance, a certificate, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Education or in the Ministry administratively concerned with the said research institution, to the effect that the said cassettes and tapes are required for use for technical educational purposes in that research institution;</li> <li>(iv) the importer, at the time and place of clearance, gives an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to the effect that such video cassettes and video</li> </ul>

	<p>tapes —</p> <p>(a) shall not be sold or parted with without prior permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs at the port of importation,</p> <p>(b) shall not be used for any purposes other than the purposes of technical education, and</p> <p>(c) shall not be subsequently recorded with any other material.</p> <p><b>Explanation.</b> — For the purposes of this entry, the expression —</p> <p>(i) "Head" means, —</p> <p>(a) in relation to a University, Registrar thereof (by whatever name called),</p> <p>(b) in relation to a College, Principal thereof, (by whatever name called),</p> <p>(c) in relation to an institution, Director thereof (by whatever name called).</p> <p>(ii) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes —</p> <p>(a) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a University for the purposes of that Act,</p> <p>(b) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance,</p> <p>(c) a college maintained by, or affiliated to, a university,</p> <p>(d) a research institution established, maintained or controlled by Government.</p>
71.	If, the importer, at the time and place of clearance, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, from an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Department of Ocean Development to the effect that the vessel is authorised by the Government of India for such research or collection work.
72.	<p>If,</p> <p>(i) the establishment operating such a museum or an art gallery is itself the importer being the purchaser or owner of such works of art or antiques;</p> <p>(ii) the importer submits an undertaking before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods so imported shall be used for public exhibition and shall not be sold or traded after importation and that in case of failure to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such quantity of the said goods as is proved to be not being so used for the specified purposes, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption under this notification; and</p> <p>(iii) the importer produces a certificate issued by the Ministry of Culture in the Government of India, certifying that-</p> <p>a. the importer runs a museum or an art gallery which allows unrestricted access to public; and</p> <p>b. the building housing such a museum or gallery is clearly meant for the operation of a museum or art gallery.</p> <p>(iv) Such antiquities are registered with the Archaeological Survey of India within 90 days from the date of importation.</p>
73.	<p>If, -</p> <p>(i) The said goods are imported into India by, -</p>

	<p>a. Sports Authority of India or Sports Authority of concerned State, for use in a national or international championship or competition, to be held in India or abroad or for the purposes of training, or</p> <p>b. A National Sports Federation for its own use or for the use of its State/District Affiliate Associations, in a National or International championship or competition, to be held in India or abroad or for the purposes of training, under a certificate issued by the Sports Authority of India, or</p> <p>c. the Services Sports Control Board in the Ministry of Defence for their own use or for use in a National or International championship or competition, to be held in India or abroad or for the purposes of training, under a certificate issued by the Services Sports Control Board.</p> <p>(ii) The importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs from an officer not below the rank of a Director in the Sports Authority of India or Secretary, in the Services Sports Control Board for its own imports or Director of Sports Authority of concerned State indicating –</p> <p>a. the name and address of the importer and the description, quantity and value of the said goods; and</p> <p>b. that the said goods are required for the purpose specified in condition (i) above.</p>
74.	<p>(i) The said goods are imported into India by a sports person of outstanding eminence for training purpose</p> <p>(ii) the importer, at the time of importation of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs from an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Human Resource Development, Government of India indicating –</p> <p>a. the description, quantity and value of the said goods;</p> <p>b. that the importer is a sports person of outstanding eminence; and</p> <p>c. that the said goods are essential for the training purposes of the importer and recommends grant of the exemption:</p> <p><b>Provided</b> that in respect of goods listed under item 18, 'SHOOTING' specified in column (2) of the List 24 or List 29 appended to Table I, the said goods are imported into India by a renowned shooter for training purpose and such importer produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, from the National Rifle Association of India that the importer is a renowned shooter.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purpose of this notification, "renowned shooter" means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through Qualifying Tournament or Wild Card Entry conducted in accordance with the rules of the International Shooting Union, and has attained the Minimum Qualifying Score prescribed by the National Rifle Association.</p> <p>(iii) Arms and Ammunition shall be subject to the Licensing conditions imposed by Directorate General of Foreign Trade and approvals by the Ministry of Home Affairs.</p>
75.	If, the importer, at the time of clearance of goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of

	<p>Customs or Deputy Commissioner of Customs from the President of Indian Mountaineering Foundation, New Delhi, indicating -</p> <p>(i) the description, quantity and value of the said goods; and</p> <p>(ii) that the said goods are to be used in connection with mountaineering expedition or training.</p>
76.	<p>If, the importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of the Deputy Secretary, in the Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Human Resource Development, Government of India, recommending grant of exemption to the said goods and indicating, -</p> <p>(i) the description, quantity and value of the said goods;</p> <p>(ii) that the Sports Authority of India recommends grant of exemption; and</p> <p>(iii) that the said goods are essential for the training purposes of the sports persons.</p>
77.	<p>If, -</p> <p>(i) the said goods are imported into India by the National Rifle Association of India for the purpose of imparting training;</p> <p>(ii) the importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, from an officer not below the rank of a Director in the Sports Authority of India, recommending grant of exemption to the said goods and indicating, -</p> <p>a. the name and address of the importer of the said goods;</p> <p>b. the description, quantity and value of the said goods; and</p> <p>c. that the said goods are required for the purpose of imparting training</p>
78.	<p>If, the importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, from an officer not below the rank of a Director in the Ministry of Youth Affairs and Sports indicating -</p> <p>(i) the name and address of the importer and the description, quantity and value of the said goods; and</p> <p>(ii) that the said goods are required in relation to anti-doping and dope testing.</p>
79.	<p>If,-</p> <p>(i) The said goods have been imported as personal baggage, or as gifts exempted from the Import Trade Control restrictions, or covered by Customs Clearance Permit or Import Licence issued by the Director General of Foreign Trade; and</p> <p>(ii) the goods are for the use of a renowned shooter who have been certified as such by the National Rifle Association.</p> <p><b>Explanation.</b> – For the purpose of this entry, “renowned shooter” means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men’s Event or Open Women’s Event or Open Civilian’s Event whether through Qualifying tournament or Wild Card entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Union, and has attained the Minimum Qualifying Score prescribed by the National Rifle Association.</p>
80.	<p>If,-</p> <p>(i) awarded to an Indian team in connection with its participation in a tournament outside India and</p>

	<p>brought by it into India for being kept with an Official Sports Association;</p> <p>(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the team proceeded abroad with the specific purpose of participating in the tournament; and</p> <p>(iii) the importer, as well as the Official Sports Association by whom the goods shall be retained, gives an undertaking that the said goods shall be retained by the said Association and shall not be disposed of in any manner, save that of subsequent re-export when such re-export is one of the conditions of participation in the tournament.</p>
81.	<p>If,-</p> <p>(i) awarded to members of Indian teams for their participation in international tournaments or competitions outside India; and</p> <p>(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs is satisfied that the said goods do not constitute an article of general utility.</p>
82.	<p>If,-</p> <p>(i) the team has participated in any international tournament or competition in relation to any sport or game, with the approval of the Government of India in the Department of Youth Affairs and Sports;</p> <p>(ii) the importer, at the time of clearance, produces a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the said Department to the effect that,-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. the importer is a member of an Indian team which participated, with the approval of the Government of India, in an international tournament or competition in relation to any sport or game and has won the prize in such tournament or competition; and</li> <li>b. the said prize has been announced, before such tournament or competition has been held, by its organisers; and</li> </ol> <p>(iii) the importer gives an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, at the time and place of importation, that the prize shall remain in his possession, control and use and shall not be sold or parted with for a period of five years from the date of such importation.</p>
83.	<p>If-</p> <p>(i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, is satisfied that the said goods do not constitute an article of general utility;</p> <p>(ii) the recognised National Sports Federation or the registered Sports Body organising the international tournament including bilateral tournament and World Cup gives the following documents to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, namely :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manufacturer's invoice;</li> <li>b. photograph of the Trophy;</li> <li>c. a declaration stating the purpose of import by the recognised National Sports Federation or the registered Sports Body as well as the International body, if any, at whose behest such Federation or Sports Body is conducting the tournament in India;</li> <li>d. duration of event;</li> </ol> <p>(iii) such Federation or Sports Body gives an undertaking that,-</p>

	<p>a. the said Trophy is retained by the Federation or Sports Body and not disposed of in any manner until the event is concluded;</p> <p>b. if the Trophy is awarded to the Indian team, such Federation or Sports Body shall retain the Trophy and shall not be disposed of in any manner whatsoever;</p> <p>c. if the Trophy is awarded to a winning team other than the Indian team, the said Trophy shall be exported;</p> <p>(iv) at the time of export, the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, is satisfied that the international team which has won the Trophy has participated in the international tournament including bilateral tournament and World Cup held in India and that the identity of the Trophy is established.</p>
84.	<p>If, -</p> <p>(i) the defective articles were brought into India earlier from places outside India by an importer who is an individual and the defective articles are his private personal properties;</p> <p>(ii) the articles or component parts thereof, as the case may be, are imported within the warranty period and are supplied free of charge by the foreign manufacturer in terms of the warranty given by the manufacturer in accordance with the established trade practice pertaining to the articles;</p> <p>(iii) the repairs including replacement of the defective parts are done free of charge by the manufacturer through his agent or branch in India; and</p> <p>(iv) the defective articles or component parts thereof if not re-exported, are destroyed or surrendered to the Customs.</p>
85.	<p>If, -</p> <p>(i) the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate indicating the quantity, description and specification of such items, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of New and Renewable Energy recommending grant of the exemption to the items as required for, -</p> <p>a. initial setting up of fuel cell based system for generation of power or for demonstration purposes; or</p> <p>b. balance of systems operating on bio-gas or bio-methane or by-product hydrogen;</p> <p>(ii) the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that such imported items shall be used for the purposes as specified above and, if the importer fails to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such items as is not proved to have been so used, an amount equal to the difference between the duty leviable on such items but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation.</p>
86.	<p>If a certificate from the Indian Mission concerned, about the ownership of the goods by the deceased person, is produced at the time of clearance of the goods through Customs station.</p>
87.	<p>If the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs binds himself to re-export the said containers within six months from the date of their importation and to furnish documentary evidence</p>

thereof to the satisfaction of the said Assistant Commissioner and to pay the duty leviable thereon in the event of the importer's failure to do so :

**Provided** that in any particular case, the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner for such further period, as he may deem fit.

### LISTS appended to TABLE I

#### **List 1 (See S. No. 69 of TABLE I)**

1. Acid Sodium Carbonate (Sodium bicarbonate)
2. Batter
3. Breadcrumbs
4. Pre dust breaded powder
5. Starch (Wheat/non-wheat)/Pre-gelatinized Starch
6. Flavouring oil
7. Flavouring extracts, and sauces
8. Food Colours
9. Food Enzymes
10. Food Marinates
11. Food Tenderizers
12. Food Grade Phosphates
13. Natural Edible Gum
14. Sodium Citrate
15. Seasoning Salts/acids such as sodium carbonate, potassium hydrogen tartrate
16. Citric Acid
17. Sorbitol
18. OTR Fresh Fish Bags (Oxygen Permeable)
19. Polypropylene box as per buyer's requirements
20. Solid board box as per buyer's requirements
21. RFID label to tag on carton or box

#### **List 2 (See S. No. 100 and 101 of TABLE I)**

1. Amikacin
2. Amphotericin-B
3. Aprotinin
4. Baclofen
5. Bleomycin
6. Chlorambucil
7. Chorionic Gonadotrophin
8. Clindamycin
9. Dactinomycin
10. Daunorubicin
11. Desferrioxamine
12. Dimercaprol
13. Disopyramide phosphate
14. Dopamine
15. Eptifibatide
16. Glucagon

17. Hydroxyurea
18. Isoflurane
19. Lactulose
20. Latanoprost
21. Methotrexate
22. Mustin Hydrochloride
23. Pancuronium Bromide
24. Protamine
25. Quinidine
26. Sodium Cromoglycate spincaps and cartridges
27. Sodium Hyalauronate sterile 1% and 1.4% solution
28. Thioguanine
29. Tobramycin
30. Tetanus Immunoglobulin
31. Tribavirin / Ribavirin
32. Urokinase
33. Ursodeoxycholic Acid
34. Vancomycin
35. Zidovudine
36. 5-Fluorouracil
37. Pergolide
38. Kit for bedside assay of Troponin-T
39. Solution for storing, transporting, flushing donor organs for transplant
40. Miltefosine
41. Milrinone Lactate
42. Methoxy Isobutyle Isonitrile (MIBI)
43. Verteporfin
44. Daclizumab
45. Ganciclovir
46. Drotrecogin alfa (activated)
47. Japanese encephalitis vaccine
48. Low Molecular weight heparin
49. Efavirenz
50. Emtricitabine
51. Azathioprine
52. Antinomycin D
53. Cytosine Arabinoside (Cytarabine)
54. Vinblastine Sulphate
55. Vincristine
56. Eurocollins Solution
57. Poractant alfa
58. Troponin-I whole blood test kit
59. Blower/mister kit for beating heart surgery
60. Fluoro Enzyme Immunoassay Diagnostic kits
61. Tablet Telbivudine
62. DTaP-IPV-Hib or PRP-T combined Vaccine
63. Injection Thyrotropin Alfa
64. Injection Omalizumab
65. Abatacept
66. Daptomycin
67. Fondaparinux Sodium
68. Ixabepilone
69. Pegaptanib Sodium injection
70. Tocilizumab
71. Caspofungin acetate
72. Desflurane USP
73. Haemostatic Matrix with Gelatin and human Thrombin
74. Radiographic contrast media (Sodium and Meglumine ioxitalamate, Iobitridol and Sodium and meglumine ioxaglate)
75. Yttrium

76. Nilotinib
77. Pneumococcal saccharide Conjugate vaccine adsorbed 13-valent suspension for injection
78. Micafungin sodium for injection
79. Raltegravir potassium
80. Pneumococcal Polysaccharide Vaccine
81. Temsirolimus Concentrate for infusion for injection
82. Natalizumab
83. Somatropin
84. Diagnostic Agent for detection of Hepatitis B antigen
85. Diagnostic kits for detection of HIV antibodies
86. Enzyme linked immune absorbent assay kits Elisa kits
87. Fluticasone Furoate + Umeclidinium + Vilanterol FF/UMEC/VI
88. Brentuximab Vedotin
89. Ocrelizumab
90. Pertuzumab
91. Pertuzumab + trastuzumab
92. Faricimab

**List 3 ( See S. No. 102 and 103 of TABLE I)**

1. Asparaginase
2. Anti-human lymphocyte immunoglobulin IV
3. Anti-human thymocyte immunoglobulin IV
4. Basiliximab
5. Beractant Intra-tracheal Suspension
6. Blood group sera
7. Burn therapy dressing soaked in gel
8. Bovine Thrombin for in vitro test for diagnosis in Haemorrhagic disorders
9. Bovine Albumin
10. Cesium Tubes
11. Calcium folinate
12. Cholestyramine
13. Christmas Factor Concentrate (Coagulation factor IX prothrombin complex concentrate)
14. Cobalt-60
15. Corticotrophin
16. Edrophonium
17. Epirubicin
18. Fibrinogen
19. Floxuridine
20. Flucytosin
21. Fludarabine Phosphate
22. Foetal Bovine Serum (FBS)
23. Gadolinium DTPA Dimeglumine
24. Gallium Citrate
25. Goserlin Acetate
26. Hepatitis B Immunoglobulin
27. Idarubicine
28. Idoxuridine
29. Immunoassay kit for blood Fibrinogen degradation product for direct estimation for diagnostic test in D.I.C.
30. Intravenous amino acids
31. Intravenous Fat Emulsion
32. Iopamidol
33. Iohexol
34. (a) Indium (III) in bleomycin (b) Indium 113 Sterile generator and elution accessories (c) Indium 113 in brain scanning kit (d) Indium 113 in liver scanning kit
35. Iscador, CLIA diagnostic kits

36. Lenograstim
37. Metrizamide Inj with diluent
38. Mycophenolate Mofetil
39. Normal Human plasma
40. Normal Human immunoglobulin
41. Nuclear magnetic resonance contrast agent
42. Normal Human serum Albumin
43. Penicillamine
44. Pentamidine
45. Prednimustine
46. Pneumocystis carinii IF kits
47. Prostaglandin E1 (PGE1)
48. Radioisotope TI 201
49. (a) Rabbit brains thromboplastin for PT test (b) Reagent for PT tests (c) Human Thrombin for TT tests
50. Rabies immunoglobulin of equine origin
51. Sevoflurane
52. Rocuronium Bromide
53. Septopal beads and chains
54. Sodium Arsenate
55. Solution of Nucleotides and Nucliosides
56. Sterile Absorbable Haemostat for control of surgical vessel bleeding
57. Strontium SR-89 Chloride
58. Suxamethonium Chloride
59. Selenium-75
60. Teicoplanin
61. Tetrofosmin
62. Tocainide
63. Tri-Iodothyronine
64. Triethylene Tetramine
65. Thrombokinas
66. Teniposide
67. Trans-1- diamino cyclohexane Oxalatoplatinum
68. Ticarcillin Disodium and Potassium Clavulanate combination
69. Vindesin Sulphate
70. X-ray diagnostic agents, the following: -
  - (i) Propylidone
  - (ii) Ethyl iodophenylun decylate
  - (iii) Iodipammide methyl glucamine
  - (iv) Lipidol ultra fluid
  - (v) Patent blue
71. Zalcitabine
72. Anti-Haemophilic Factor Concentrate (VIII and IX)
73. Pembrolizumab (Keytruda)
74. Trastuzumab Deruxtecan
75. Osimertinib
76. Durvalumab
77. Onasemnogene abeparvovec
78. Asciminib
79. Mepolizumab
80. Pegylated Liposomal Irinotecan
81. Daratumumab
82. Daratumumab subcutaneous
83. Teclistamab
84. Amivantamab
85. Alectinib
86. Risdiplam
87. Obinutuzumab
88. Polatuzumab vedotin
89. Entrectinib

90. Atezolizumab
91. Spesolimab
92. Velaglucerase Alfa
93. Agalsidase Alfa
94. Rurioctocog Alpha Pegol
95. Idursulphatase
96. Alglucosidase Alfa
97. Laronidase
98. Olipudase Alfa
99. Tepotinib
100. Avelumab
101. Emicizumab
102. Belumosudil
103. Miglustat
104. Velmanase Alfa
105. Alirocumab
106. Evolocumab
107. Cystamine Bitartrate
108. CI- Inhibitor injection
109. Inclisiran
110. Agalsidase Beta
111. Imiglucerase
112. Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa

**List 4 (See S. No. 105 of TABLE I)**

<b>Sr. No.</b>	<b>Description of Drug/Medicine</b>	<b>Name of Patient Assistance Programme</b>	<b>Name of Pharmaceutical Company running Patient Assistance Programme</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Xtandi (Enzulatamide)	Xtandi Patient Assistance Programme	Astellas Pharma India Pvt. Ltd.
2.	Dasatinib (Sprycel)	Sprycel Assistance Program	Bristol Myers Squibb India Pvt. Ltd.
3.	Nivolumab (Opdyta)	OASIS	Bristol Myers Squibb India Pvt. Ltd.
4.	Halaven (Eribulin medylate) - Metastatic Breast cancer, Soft Tissue Sarcoma	Hope to Her –	Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.
		2 to 3 cycles purchased and balanced free upto disease progression	
		HELP - All cycles free for below poverty line patients	Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.
5.	Zonegran (Zonisamide) - for Epilepsy	Livefree - 33% Support to patients for extending duration of treatment as this is a chronic therapy	Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.
6.	Imbruvica	1+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
7.	Zytiga	3+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
8.	Velcade 1mg	3+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.

9.	Velcade 3.5 mg	1+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
10.	Caelax	1+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
11.	Dacogen	1+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
12.	Yondelis	1+1 PAP	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
13.	Simponi	1 vial free on 1st purchase	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
14.	Remicade	5+4 on 3 dose therapy, 6+6 on 4 dose therapy	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
15.	Invega all SKUs	1+1 PAP (Maintenance dosage)	Janssen India, Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
16.	Imatinib (Glivec)	Glivec NOA Program/ Glivec International PAP	Novartis India Ltd.
17.	Nilotinib (Tasigna)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Novartis Healthcare Private Limited
18.	Ruxolitinib (Jakavi)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Novartis Healthcare Private Limited
19.	Everolimus (Afinitor)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Novartis Healthcare Private Limited
20.	Ceritinib (Spexib)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Sandoz India Private Limited
21.	Pazopanib (Votrient)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Novartis Healthcare Private Limited
22.	Eltrombopag (Revolade)	Win for Patients-Cancer Care/Umaang	Novartis Healthcare Private Limited
23.	Indicaterol (Sequadra)	Win for Patients - COPD	Novartis India Ltd.
24.	Secukinumab (Scapho)	Win for Patients - Skincare	Novartis India Ltd.
25.	Omalizumab (Xolair CSU)	Win for Patients – Skin care	Novartis India Ltd.
26.	Ranibizumab (Accentrix)	Win for Patients - Visioncare	Novartis India Ltd.
27.	RITUXIMAB	SPARSH - The Touch	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
28.	Erlotinib (Tarceva)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited
29.	Trastuzumab (Herclon)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited
30.	Pertuzumab (Perjeta)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited
31.	Transtuzumab Emtansine (Kadcyla)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited
32.	Obinutuzumab (Gazyva)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited
33.	Bevacizumab (Avastin)	The Blue Tree	Roche Products (India) Private Limited

34.	Tocilizumab (Actemra)	Care for Joints	Roche Products (India) Private Limited
35.	Mycophenolate Mofetil (CellCept)	Aarambh	Roche Products (India) Private Limited
36.	Avonex (Interferon Beta 1A)	Reach	UCB India Private Limited
37.	Tysabri (Monoclonal Antibody)	Reach	UCB India Private Limited
38.	Tecfidera (Di-methyl Fumarate)	Reach	UCB India Private Limited
39.	Plegridy (Peggylated Interferon Beta 1A)	Reach	UCB India Private Limited
40.	Sorafenib (Nexavar)	NexCSP (Nexavar Cancer Survivorship Program)	Bayer Zydus Pharma Private Limited
41.	Sirturo (Bedaquiline)	Bedaquiline Compassionate Use Program	Janssen India, Johnson & Johnson Private Limited
42.	Darzalex (Daratumumab)	Daratumumab Patient Assistance Program	Janssen India, Johnson & Johnson Private Limited
43.	SUTENT	Sutent Patient Assistance Programme-STAR	Pfizer Products India Private Limited
44.	CRIZALK	Crizalk Patient Assistance Programme-STAR	Pfizer Products India Private Limited
45.	INLYTA	Inlyta Patient Assistance Programme-STAR	Pfizer Products India Private Limited
46.	PALBACE	Palbace Patient Assistance Programme-PRERNA	Pfizer Products India Private Limited
47.	ENBREL	Enbrel Patient Assistance Programme	Pfizer Limited
48.	XELJANZ	Xeljanz Patient Assistance Programme	Pfizer Limited
49.	GENPTROPIN	Genotropin Patient Assistance Programme	Pfizer Products India Private limited
50.	Atgam	Atgam Patient Assistance Programme	Pfizer Products India Private Limited
51.	Aromasin	Aromasin Patient Assistance Programme	Pfizer Products India Private Limited
52.	Campto	Campto Patient Assistance Programme	Pfizer Products India Private Limited
53.	Pembrolizumab	Key- PAP 1.0	MSD Pharmaceuticals
54.	Pembrolizumab	KIRAN	MSD Pharmaceuticals
55.	Lorlatinib	LorbriquaCare	Pfizer Products India Private Ltd.
56.	Dacomitinib	DacoCare	Pfizer Products India Private Ltd.
57.	Inotuzumab Ozogamicin	HemaCare	Pfizer Products India Private Ltd.
58.	Ribociclib	UMAANG	Novartis Healthcare Pvt. Ltd.
59.	Dabrafenib	UMAANG	Novartis Healthcare Pvt. Ltd.

60.			AstraZeneca Pharma India Limited
	Selumetinib	AstraZeneca Pharma PAP	
61.	Benralizumab	AstraZeneca Pharma PAP	AstraZeneca Pharma India Limited
62.			
	Fulvestrant	AstraZeneca Pharma PAP	AstraZeneca Pharma India Limited
63.	Acalabrutinib	AstraZeneca Pharma PAP	AstraZeneca Pharma India Limited
64.	Olaparib	AstraZeneca Pharma PAP	AstraZeneca Pharma India Limited
65.	Amivantamab	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
66.	Teclistamab	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
67.			
	Ustekinumab	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
68.	Daratumumab and hyaluronidase-fihj	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
69.			
	Ibrutinib	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
70.			
	Bortezomib	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
71.			
	Daratumumab	Johnson and Johnson PAP	Johnson & Johnson Pvt. Ltd.
72.	Cetuximab	Rainbow PAP	Merck Specialties Pvt. Ltd.
73.	Avelumab	My Bavencio Assist Program	Merck Specialties Pvt. Ltd.
74.	Tepotinib	My Tepmetko Patient Access Program	Merck Specialties Pvt. Ltd.
75.	Brentuximab Vedotin	Takeda PAP	Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Limited
76.	Vedolizumab	Takeda PAP	Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Limited
77.	Velaglucerase Alpha	Takeda PAP	Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Limited
78.	Agalsidase Alpha	Takeda PAP	Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Limited
79.	Idursulphase	Takeda PAP	Takeda Biopharmaceuticals India Pvt. Limited
80.			
	Mepolizumab	GSK Pharmaceuticals Limited	GSK Pharmaceuticals Limited
81.			

	Alectinib	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
82.	Risdiplam Powder	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
83.	Emicizumab	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
84.	Atezolizumab	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
85.	Pertuzumab + trastuzumab	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
86.	Ocrelizumab	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
87.	Polatuzumab vedotin	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
88.	Faricimab	The Blue Tree	Roche Products India Private Ltd.
89.	Luspatercept	Bristol-Myers Patient Assistance Program	Bristol-Myers Squibb India Pvt. Ltd.

**List 5 (See S. No. 106 of TABLE I)**

S. No.	Item Description
1	Chlorine
2	Helium
3	Silicon tetra chloride
4	Germanium tetra chloride
5	Phosphorous oxychloride
6	Sulphur hexa flouride oxygen
7	Oligopoly isocyanate ethyl-acetate solution
8	Colouring ink for fibre
9	Binder of polyurethane or vinyl chloride-vinyl acetate copolymer
10	UV resin 1 & 2/Ribbon matrix
11	Nylon-12 / Ether Ester Elastomer
12	Coloured Nylon 12/ Nylon 11/Ether Ester Elastomer
13	Elongated polyethylene tape
14	Polyester tape
15	Nylon thread/water swellable yarn
16	Polyethylene cord

17	Biaxily oriented nylon tape
18	Silica tube / rod, other than preform
19	Aramid Yarn
20	Impregnated Glass fibre reinforcement (Glass rovings)
21	Rip Cord
22	Nylon 11
23	Low smoke zero Halogen compound for sheathing
24	Glass yarn / Rovings
25	Complex high molecular weight resin in acrylate solution
26	Acrylated monomers
27	Photoinitiater
28	Tert Butyl perbenzoate
29	Zinc soap of long fatty acid mixture
30	Modified polypropylene
31	Ethylene acrylic acid (EAA)/Vinyl ester

**List 6 (See S. No. 106 of TABLE I)**

S. No.	Item Description
1	Glass yarn/Rovings
2	UV resin
3	Complex high molecular weight resin in acrylate solution
4	Acrylated monomers
5	Photoinitiater
6	Tert Butyl perbenzoate
7	Zinc soap of long fatty acid mixture
8	Modified polypropylene
9	Ethylene acrylic acid (EAA)/Vinyl ester

**List 7 (See S. No. 114 of TABLE I)**

1. Plastic ELISA plates;
2. Deactivated positive control sera against human and animal diseases;
3. Enzyme horse raddish peroxidase;
4. Enzyme Alkaline phosphatase;
5. Enzyme glucose oxidase;
6. Animal anti-human immunoglobins;
7. Protein A or Protein A Gold Conjugates;
8. Polystyrene latex beads;
9. Deactivated enzyme labeled human anti-HIV reagent;
10. Enzyme conjugates of antibodies or antigens or Protein A;
11. Natural or synthetic or recombinant antigens relating to human and animal diseases;
12. Antibodies (monoclonal or polyclonal) relating to human and animal diseases;
13. Stabilizers for the Enzyme conjugate

**List 8 (See S. No. 134 of TABLE I)**

1. EVA and Polyolefin Elastomers (POE) resin;
2. EVA and Polyolefin Elastomers (POE) master batch;
3. Poly ethylene terephthalate (PET) film;
4. Poly vinyl fluoride (PVF);
5. Poly vinyl di-flouride (PVDF);
6. Trimethylolpropane Tri acrylate (TMPTA) for EVA or POE;
7. EVA or Polyolefin Elastomers (POE) Additive – “Taicross”;
8. Adhesive resin; and
9. Adhesive hardner

**List 9 (See S. No. 141 of TABLE I)**

1. Back of photo frames, fittings for photo frame/box
2. Motifs for attachment on export products
3. Decorative paper for lamp shade
4. Prints for photo frames
5. Hardware brass and metal fittings for furniture
6. Handles/blades for cutlery
7. Inlay cards, sensors, stickers, poly bags, alarm tags, alarm chips, security chips
8. Zipper, zipper head, fasteners, pullers, sliders, end stoppers, eyelets, hooks, eyes, rivets, studs, buttons, magnet buttons, buckles, fusible embroider prints, sequins, metal chain, dog hook, 'D' ring, 'O' ring, bridge fitting, metal frame/bag frame, metal letters/interior plate/logo
9. Faucet/lotion pump for dispensers of plastic/stainless steel/metal
10. Electric parts for fitting on electric lamp/table lamp/wall lamp/ceiling lamp/door lamp/ Window lamp/ Garden lamp/wire roll/Christmas ornamentation
11. Chemical/lacquer required for improved finish of export product

12. Wood Polish materials
13. Sea shell, Mother of Pearl (MOP), Cattle horn and Bone Materials
14. Clock movement
15. Adhesive/glue
16. Natural essential oils/aromatic chemicals
17. Compact Fluorescent Lamps (CFL) and bulbs of 120 volts
18. Resins

**List 10 (See S. No. 142 of TABLE I)**

1. Fasteners including buttons and snap fasteners, zip fasteners
2. Inlay cards
3. Buckles, eyelets, hooks and eyes, rivets
4. Collar stays, collar patties, butterfly and other garment stays including plastic stays
5. Embroidery motifs or prints
6. Laces
7. Badges including embroidered badges
8. Sequins
9. Toggles
10. Studs
11. Printed bags
12. Anti-theft devices like labels, tags and sensors
13. Poly pouch, high density sticker, heat transfer sticker
14. Aglets on draw strings-hooded jacket
15. Pin bullets for packing, plastic tag bullets, metal tabs, bows, ring and slider and rings;
16. Lining and inter-lining materials
17. Wet blue chrome tanned leather
18. Wet white leather
19. Crust leather
20. Finished leather of all kinds
21. Reinforcement materials
22. All types of Labels or Price Tag or Hang Tag
23. Polyurethane
24. Draw cord or cord
25. Elastic Band or Tape
26. Metal Tab or Stopper or Clip
27. Tape
28. Velcro Tape
29. Die Set
30. D-Ring

**List 11 (See S. No. 143 of TABLE I)**

1. Buckles, "D" Rings and "O" Rings, eyelets, hooks and eyes, rivets, studs, decorative fittings and metal trimmings
2. Buttons and snap fasteners, zip fasteners
3. Locks including magnetic locks
4. Metal handles, handle fittings, handle holder, metal frames, dog hooks, logos of all types, ring binders, key hooks, key rings, key holders, push clip, chains, pullers, parts of pullers, hinges and magnetic snaps
5. Loop rivets and loop oval
6. Packaging boxes
7. Saddle tree
8. Fittings, snaps of metals or alloys
9. Metal fittings, embellishments, webbing of any material
10. Stirrup of any material and stirrup bars used for making saddle tree
11. Artificial fur and alarm tag
12. Magnets for use in leather goods
13. Labels or Price Tag or Hang Tag

14. Wet blue chrome tanned leather
15. Wet white leather
16. Crust leather
17. Finished leather of all kinds
18. Reinforcement materials
19. Lining or Inter Lining materials (Synthetic or Poly vinyl chloride or Polyurethane or Textile)
20. Laces
21. Insoles or Mid-soles and sheet or Board thereof
22. Shank Board
23. Stiffeners
24. Unit soles and sheets of Polyurethane, Thermoplastic rubber, Polyvinyl Chloride, Thermoplastic Polyurethane, Phylon, Nitrile Butadiene Rubber, Styrene Butadiene Rubber for soles including Polyurethane paint, colour paste and pigments
25. Thermoplastic Sheets
26. Toe Caps and Toe Puffs and Counters
27. Synthetic or Polymeric Foam
28. Protective Steel Toe Cap and Steel Mid Sole
29. Heels
30. Reflective Tapes or Fashion tapes or Elastic Tape or Velcro Tape
31. Chatons or Stones or Beads or Crystals as Decorative items
32. Beading Material (Synthetic or Leather or fabric)
33. Polyurethane

**List 12 (See S. No. 181 of TABLE I)**

<b>S. No.</b>	<b>Heading or Sub-heading or tariff Item</b>	<b>Description</b>
(1)	(2)	(3)
1.	7017 10 00 or 7020 00	Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semi-conductor wafers.
2.	8419 89 or 8486	Chemical vapour deposition apparatus for semi-conductor production.
3.	8419 90 or 8486	Parts of chemical vapour deposition apparatus for semi-conductor production.
4.	8421 19 or 8486	Spin dryers for semi-conductor wafer processing.
5.	8421 91 00 or 8486	Parts of Spin dryers for semi-conductor wafer processing.
6.	8424 89 or 8486	Deflash machines for cleaning and removing contaminants from the metal leads of semiconductor packages prior to the electroplating process.
7.	8424 89 or 8486	Spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers.
8.	8424 90 00 or 8486	Parts of spraying appliances for etching, stripping or cleaning semiconductor wafers.
9.	8456 11 00 or 8456 12 00 or 8486	Machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers.
10.	8456 90 10 or 8486	Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes, for dry-etching patterns on semiconductor materials of the said First Schedule.
11.	8486 40 00	Focussed ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices.
12.	8456 90 90 or 8486	Laser cutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam.
13.	8464 10 or 8486	Machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips.

14.	8464 20 00 or 8486	Grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers.
15.	8464 90 00 or 8486	Dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers.
16.	8466 91 00 or 8486	Parts of grinding, polishing and lapping machines for processing of semiconductor wafers.
17.	8466 91 00 or 8486	Parts of machines for sawing monocrystal semiconductor boules into slices, or wafers into chips.
18.	8466 91 00 or 8486	Parts of dicing machines for scribing or scoring semiconductor wafers.
19.	8466 93 or 8486	Parts of focussed ion beam milling machines to produce or repair masks and reticles for patterns on semiconductor devices.
20.	8466 93 or 8486	Parts of machines for working any material by removal of material, by laser or other light or photo beam in the production of semiconductor wafers.
21.	8466 93 or 8486	Parts of machines for dry-etching patterns on semiconductor materials.
22.	8466 93 or 8486	Parts of laser cutters for cutting contacting tracks in semiconductor production by laser beam.
23.	8466 93 or 8486	Parts of apparatus for stripping or cleaning semiconductor wafers.
24.	8477 10 00 or 8479 89	Encapsulation equipment for assembly of semiconductors.
25.	8477 90 00 or 8479 90	Parts of encapsulation equipment for assembly of semiconductors.
26.	8479 50 00 or 8486	Automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices.
27.	8479 89 or 8486	Apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules.
28.	8479 89 or 8486	Epitaxial deposition machines for semiconductor wafers.
29.	8479 89 or 8486	Apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers.
30.	8479 89 or 8543 30 00 or 8486	Apparatus for wet-etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays.
31.	8479 89 or 8486	Die attach apparatus, tape automated bonders and wire bonders for assembly of semiconductors.
32.	8479 89 or 8486	Machines for bending, folding and straightening semiconductor leads.
33.	8479 89 or 8486	Physical deposition apparatus for semiconductor production.
34.	8479 89 or 8486	Spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers.
35.	8479 90 or 8486	Parts of apparatus for growing or pulling monocrystal semiconductor boules.
36.	8479 90 or 8486	Parts of epitaxial deposition machines for semiconductor wafers.
37.	8479 90 or 8486	Parts of apparatus for physical deposition by sputtering on semiconductor wafers.
38.	8479 90 or 8486	Parts for die attach apparatus, tape automated bonders and wire bonders for assembly of semiconductors.
39.	8479 90 or 8486	Parts of spinners for coating photographic emulsions on semiconductor wafers.
40.	8479 90 or 8543 90 00 or 8486	Parts of apparatus for wet-etching, developing, stripping or cleaning semiconductor wafers and flat panel displays.
41.	8479 90 or 8486	Parts of automated machines for transport, handling and storage of semiconductor wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other material for semiconductor devices.
42.	8479 90 or 8486	Parts of machines for bending, folding and straightening semiconductor leads.
43.	8479 90 or 8486	Parts of physical deposition apparatus for semiconductor production.
44.	8480 71 00 or 8486	Injection and compression moulds for manufacture of semiconductor devices.
45.	8514 19 00 or 8486	Resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers.
46.	8514 20 00 or 8486	Inductance or dielectric furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers.
47.	8514 90 00 or 8486	Parts of resistance heated furnaces and ovens for the manufacture of semiconductor devices on semiconductor wafers.
48.	8514 31 00 or 8514 32 00 or 8514 39 00 or 8486	Apparatus for rapid heating of semiconductor wafers.
49.	8514 90 00 or	Parts of furnaces and ovens of heading Nos. 8514 11 to 8514 39.

	8486	
50.	8514 90 00 or 8486	Parts of apparatus for rapid heating of wafers.
51.	8543 10 10 or 8486	Ion implanters for doping semiconductor materials.
52.	8543 or 9017 20	Pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates.
53.	8543 90 00 or 8486	Parts of ion implanters for doping semiconductor materials.
54.	8543 90 00 or 9017 90 00	Parts and accessories of pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates.
55.	8486 20 00	Apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitised semiconductor materials.
56.	8486 90 00	Parts and accessories of the apparatus of heading Nos. 901041 to 901049
57.	9011 10 00	Optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
58.	9011 20 00	Photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
59.	9011 90 00	Parts and accessories of optical stereoscopic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
60.	9011 90 00	Parts and accessories of photomicrographic microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
61.	9012 10	Electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
62.	9012 90 00	Parts and accessories of electron beam microscopes fitted with equipment specifically designed for the handling and transport of semiconductor wafers or reticles.
63.	9030 90	Parts and accessories of instruments and apparatus and parts of appliances for measuring or checking semiconductor wafers or devices.
64.	9031 41 00	Optical instruments and appliances, for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices.
65.	9031 49 00	Optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers.
66.	9031 90 00	Parts and accessories of optical instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or for inspecting masks, photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor devices.
67.	9031 90 00	Parts and accessories of optical instruments and appliances for measuring surface particulate contamination on semiconductor wafers.
68.	Any Chapter	All goods required for the manufacture of goods specified against S. Nos. 1 to 67 of this list, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for specified End Use) Rules, 2022.

**List 13 (See S. No. 198 of TABLE D)- With effect from 1<sup>st</sup> April, 2025 and valid upto 31<sup>st</sup> March, 2026**

1. Axis Bank Limited
2. Bank of India
3. Federal Bank Limited
4. HDFC Bank Limited
5. Industrial and Commercial Bank of China Limited
6. ICICI Bank Limited
7. IndusInd Bank Limited
8. Kotak Mahindra Bank Limited
9. Karur Vysya Bank Limited
10. Punjab National Bank
11. RBL Bank Limited
12. State Bank of India
13. Yes Bank Limited

**List 14 (See S. No. 198 of TABLE I)- With effect from 1<sup>st</sup> April, 2025 and valid upto 31<sup>st</sup> March, 2026**

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India

**List 15 (See S. No. 198 of TABLE I)**

1. The Handicraft and Handlooms Exports Corporation of India Ltd.
2. MSTC Ltd.
3. Diamond India Limited

**List 16 (See S. No. 229 of TABLE I)**

S. No.	Heading/ Tariff Item	Description
(1)	(2)	(3)
1.	7304	Premium/Chrome Casing pipes and Tubing's along with accessories, connections, crossovers, couplings, Sub-sea pipelines including weight coating and wrapping- API 5L (American Petroleum Institute) Line Pipe complying requirement of Annexure-J and Annexure-H of API list
2.	8207	Drilling bits for earth boring and rock drilling tools
3.	8413, 8414, 8481, 842129, 843143, 847989, 847990, 842199, 730799, 854999, 853710, 841989, 842123	Equipment required for process and production platform like water injection, Gas turbine, sub-surface pumps and all type of Compressor, sub-surface pumps and sucker rod pumps, High pressure Valves, Equipment/Units for MEG Reclamation & Regeneration Facilities and Gas Dehydration Unit, Gas Engine, Gas Generators, filters and filtering equipment, Amine Plant
4.	8430	Oil and Gas Rigs (Onshore) Petroleum and Gas well Drilling Machinery and Equipment/Units for specialized services for Offshore and Onshore petroleum operations
5.	8475, 8481 80	High Temp Valve, sub-sea valves
6.	8531 10 90	Fire prevention signaling apparatus
7.	8705 30 00	Fire fighting vehicles
8.	8905, 898598, 890120, 890400, 732698, 732690, 890790, 560750, 731581, 401693, 847990, 401699, 732690, 843143	Oil and Gas Rigs (Offshore), Process and Production Platforms and Marine Vessels and Barges including Tugs, Security Boats, accommodation Work Barge, Geotechnical investigation and Geophysical Survey Vessel, Support vessel, FPSO, Turret Bouy Mooring System, Equipment for Oil and Gas Rigs and Specialized Services, Remote Operated Vehicle, Light Vessels, dredges, floating cranes and other vessels, the navigability of which is subsidiary to their main function, floating docs, Floating and submersible drilling or production platforms - Mooring ropes, Chains, Shackles, Coupling Marines hoses, Buoyancy Modules and connected equipment
9.	8906 90	Life Boats, Survival craft, Life craft, Vessel for Pollution control

10.	8907	Oil tanker to be used for oil storage and connected equipment, other floating structures (for example rafts, tanks, coffer dams, landing stages, buoys and beacons)
11.	9015, 870590, 841350	Geological and Geophysical Equipment, Logging units, Vehicle mounted Logging Units, Survey Vessel required for petroleum operations
12.	9020 00 00	Breathing appliances and gas masks
13.	9030 10 00	Fire and gas detection equipment including H2S monitoring equipment
14.	2710, 3811, 3824, 3905, 3104 20 00, 2915	Oilfield chemicals namely Potassium Formate, Hollow Glass Sphere Grade-IV, Aqueous Film Forming Foam 6% US Mil., Glutaraldehyde, Hydroxymethyl Phosphonium Sulphate, Ammonium Persulphate, Demulsifier Low Temperature, Potassium Chloride, Xanthum Gum polymer, Oil and Gas wells specific Cement Additives and Cesium Formate
15.	732690, 391729, 730429	Perforation Guns/carriers & accessories, Carbon/GRE Drill Pipes, Drill Collars
16.	730791, 731815, 843143, 842139, 730799, 731824, 848190, 848180, 730511, 854442, 730429, 730519, 730890, 843049, 731290, 731829, 820590	Subsea/onshore Production System including Structures, Christmas tree, Control System (including HPU, EPU, MCS, TUTU, Subsea Control Modules, Retrievable Production Modules), Tie-in system, Jumper, HIPPS, Electrical/Fiber Optic and Steel Flying Leads, Gooseneck, PLETS, SSIVs, ILS , PLR, Wellheads, Umbilicals, Manifolds, foundation piles, hold back systems, anchor piles, fibre optic cables, Flexible risers & Flowlines, buckle arrestors, bend restrictors, umbilical termination heads, bend stiffener connectors, Separators
17.	847990, 401693, 843143, 392690, 741529, 843139; 731815; 841221; 842129; 847989, 843049, 850511, 732690	Wireline Fishing equipment and Steel accessories used in Logging units and tools
18.	741920, 741999, 741980	Articles of Copper
19.	340290, 340239, 391390, 250810, 382499, 250840, 271019	Surfactant-Solvent (Micro-emulsion) used in wellbore cleaning, Water-based viscosifier, Synthetic Oil based rheology modifier, Base Oil used in SOBM, Synthetic oil based Rheology modifier and wetting agent, Organophyllis clay for conventional and HTHP well Conditions
20.	390290, 340399, 392690, 39139090, 29053990, 271019, 382499, 843143, 847989, 820559	Special Lubricants used for tool/perforating gun joints, Silicone oil used in down hole Logging tools, Heat shrink sleeve & Handling tools, Go-devil-II, Blue Streak, Hyper graph Lube, Special handling tools
21.	360200, 360320, 360360, 902789, 360300, 340399, 350691, 6914 90	Perforation Explosives, Thread/silicone grease, Special Thread Locker RTV adhesive, proppant of light weight high strength 30/50 mesh and 40/70 mesh with less than 2% crushability @12000 psi
22.	903090, 284444, 284443, 284440	Radioactive residues

23.	73, 84, 85, 87, 89 and 90	Spares, accessories, Tools, Consumables, Sub-assemblies, test equipment, stores, parts, proprietary software and accessories for running, repairing or maintenance of the goods for the parts specified at S. No. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 and 13
24.	852380	Software required for petroleum operations

**List 17 (See S. No. 239 of TABLE I)**

1. Micromanipulators
2. Molecular beam epitaxy system (MBE system)
3. Chemical vapour deposition (CVD) system - Low pressure CVD (LP CVD) - Metal organic CVD (MO CVD)
4. High pressure oxidation systems
5. Lithography systems
6. Direct step on wafers/steppers
7. X-ray lithography systems
8. E-Beam mask making system
9. E-Beam direct write system
10. Mask aligners
11. Mask inspection systems (comparators)
12. Wafer scribe or Wafer slicer or Wafer sawing machine or Wafer fractures or any combination thereof
13. Die bonders or wire bonders or combination thereof
14. Wafer sawing machine
15. Leak detection system
16. Clean room air showers
17. Particle monitor/counter both air and liquid borne
18. Automatic encapsulation system, Automatic marking/branding machine
19. Clean room laminar flow air handling system
20. Ultra clean room equipment
21. Ultra high purity demineralised water treatment plant
22. PVDF welding and orbital welding machines
23. Ultra high pure (UHP) gas distribution system
24. Toxic gas distribution / monitoring system
25. Fourier Transform Infra-red (FTIR) Spectrophotometer for measuring Epitaxy Thickness, Boron and Phosphorus weight percentage
26. Parts of FTIR instrument
27. Interferometer and nano-scan meter for measuring deposited metal or oxide thickness
28. Ellipsometer for measurement of refractive thickness, thickness of layers deposited on semiconductor wafer
29. De-Oxo purifiers and purifiers and Hydrogen, Nitrogen, Oxygen and Argon gases
30. Hydrogen, Oxygen and Nitrogen gas generators and accessories for producing high purity process gases for semiconductor wafer/device manufacture
31. Automatic lead frame loaders for semiconductor devices
32. Mercury probing apparatus and accessories for measuring oxide purity and carrier concentration of semiconductor wafers
33. Parts of mercury probing apparatus
34. Fume scrubbers for toxic process gases used in semiconductor industry
35. Apparatus for profiling and measurement of the surface including topography of semiconductor wafers and /or any layers deposited on it
36. Mass Flow Controllers (MFC) and Source Vaporiser for various process gases used in semiconductor wafer processing
37. RF Generator for Epitaxial Reactors heating
38. Parts of RF Generator
39. Equipment used for quality control namely Burn-in Systems, moisture monitors and parts thereof

40. Tools for Moulding, Cutting, Trimming operations used in the semi-conductors manufacture
41. Apparatus for the measurement of dynamic electrical parameters of Semiconductor wafer devices
42. Apparatus for measuring physical parameters of junction in semiconductor wafer
43. Automatic trim and form/die equipment for semiconductor devices
44. Electro polished SS pipes, Swagelok fittings, nupro bellows valves, manual shut-off valves, non-return valves, high purity gas and chemical filters
45. Optical pyrometer for measuring infra-red radiated temperature
46. Gas Chromatograph/Analyzer for analysing purity of process gases
47. Toxic gas monitors and Alarms
48. Milli-Volt generator for temperature profiling of diffusion furnace used in semiconductor industry
49. Curve Tracer for measurement of dynamic electrical parameters of semiconductor wafers/devices
50. Apparatus for measurement of life time carriers/Switching time for semiconductor devices
51. Contact Printer for photomask
52. Die sheer Tester
53. XRP Tester for inspection of the Moulded/Encapsulated devices for finding out the defects
54. Trace Moisture Analyzer/Dew point analyser for measuring moisture contents in PPMS
55. UV light intensity measurement apparatus in semiconductor manufacture
56. Critical Dimension measurement system for Mask making

**List 18 (See S. No. 240 of TABLE I)**

1. Solar Cell Tabber and Stringer Machine with or without automation
2. Automatic Laminating and Hot Pressing Tool
3. Electroluminescent and Visual Inspection Machines
4. Sun Simulator or Flash Tester
5. Auto Bussing and Soldering tools
6. Laser Cutting Machine
7. IQC lab and Reliability Chamber Tools
8. Automation Line for Solar Module Manufacturing
9. Wafer Inspection Camera or Machine
10. Wafer Texture Machine
11. Wafer Polishing Machine
12. Automation Line for Solar Cell Manufacturing
13. Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) machines
14. Passivation Tool
15. LDSE (Laser Detective Selective Emitter) Machine
16. Printing Machine (Line)
17. Abatement or Gas Treatment System
18. All types of Boats or carriers in Solar Photovoltaic Cell including Graphite, Quartz Silicon Carbide boats and boat cleaning tool
19. Wafer Cleaning Machine
20. Cell Tester and Sorter
21. Rework Tool
22. Process Ultra-Pure Water Generation Unit
23. Semi-Conductor Treatment Unit
24. Substrate Cleaning and Treatment Unit
25. Chemical Dispensing Unit
26. Chemical Application Unit
27. Cell Definition
28. Module Finishing Unit
29. Inspection Measurement Systems

**List 19 (See S. No. 331 of TABLE I)**

1. Diesel Buses
2. Diesel Hybrid Buses
3. Petrol Hybrid Buses
4. Electric Buses
5. Other Buses under sub-heading 870290
6. Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity not exceeding 1000cc
7. Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1000cc but not exceeding 1500cc
8. Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 3000cc
9. Petrol Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 3000cc
10. Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity not exceeding 1500cc
11. Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 1500cc but not exceeding 2500cc
12. Diesel Passenger Vehicles of a cylinder capacity exceeding 2500cc
13. Petrol Hybrid Passenger Vehicles
14. Diesel Hybrid Passenger Vehicles
15. Petrol Plug-in Hybrid Passenger Vehicles
16. Diesel Plug-in Hybrid Passenger Vehicles
17. Electric Passenger Vehicles under sub-heading 870380
18. Other Passenger Vehicles
19. Vehicles falling under heading 8703 with CIF value exceeding USD 40,000
20. Dumpers
21. Diesel Goods Vehicles with g.v.w. not exceeding 5 tonnes
22. Diesel Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
23. Diesel Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 20 tonnes
24. Petrol Goods Vehicles with g.v.w. not exceeding 5 tonnes
25. Petrol Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 5 tonnes
26. Diesel Hybrid Goods Vehicles g.v.w. not exceeding 5 tonnes
27. Diesel Hybrid Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
28. Diesel Hybrid Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 20 tonnes
29. Petrol Hybrid Goods Vehicles with g.v.w. not exceeding 5 tonnes
30. Petrol Hybrid Goods Vehicles with g.v.w. exceeding 5 tonnes
31. Electric Goods Vehicles
32. Other Goods Vehicles
33. Two Wheelers with cylinder capacity upto 50 cc
34. Two Wheelers with engine cylinder capacity between 50 - 250 cc
35. Two Wheelers with engine cylinder capacity between 250 - 500 cc
36. Two Wheelers with engine cylinder capacity between 500 - 800 cc
37. Two Wheelers with engine cylinder capacity greater than 800 cc
38. Two Wheelers Electric
39. Other Two Wheelers
40. Body Control Unit/Vehicle Control Unit
41. Infotainment Systems/Instrument Clusters for use in vehicles
42. Passive Entry Passive Start
43. Intelligent Transportation System for Public Transport
44. Sunroof
45. Transmission including 4WD and Automatics
46. Electronic Steering System
47. Speakers and Amplifiers of vehicles
48. Compressor
49. Hi-Tech Switches
50. Rain and Light Sensors
51. HVAC Systems
52. Interior and Exterior Lightings for vehicles
53. Telescopic Front Fork Tubes
54. Dynamic Force Flexible Engine
55. Sensors and Coils

56. Engine Components for Low Emission and High Fuel Efficiency
57. Exhaust System
58. Mechanical Seals
59. Alternate Fuel Systems
60. Engine Management ECUs
61. Electro valves, Accumulator, Gear Pump, Rotor Oil Pump
62. Motors
63. Hydrogen Vehicle System
64. Cylinders
65. Plastic Fuel Tank
66. Wiring Harness
67. Head Lamps
68. Shift Tower with AGS (Transmission)
69. Other parts and accessories of the motor vehicles under sub-heading 87089900
70. Seat Belt webbing
71. Side Intrusion/Impact Beam Tubes
72. Body Parts falling under tariff item 87089900
73. Drive chains
74. Blower or Engine Cooling or Micro Motors, BLDC Motors
75. Axle Systems
76. E-Lift Axle
77. Electronically Controlled Air Suspension
78. Intelligent Trailer Program
79. Dual Mass Flywheel (DMF)
80. Lighting Systems
81. Airbags
82. Braking Systems
83. Light Emitting Diode for use in vehicle
84. Contact Coil - Airbag Deployment
85. Immobilizer-Two Wheeler
86. Horn System and Components
87. Intarder
88. Advanced Glazing Solutions
89. Alloy wheels (2W, 4W) System and Components
90. Electric Vehicle Parts
91. High Voltage Power Distribution Unit
92. Electric Vehicle Pumps & Motors
93. Drive Units for Electric Vehicle
94. Electric Vehicle Transmission and Other Items
95. Tyres falling under tariff item 4011 1010

**List 20 (See S. No. 331 of TABLE I)**

1. Automotive Research Association of India (ARAI), Pune, Maharashtra
2. International Centre for Automotive Technology (ICAT), Manesar, Haryana
3. Global Automotive Research Centre (GARC), Chennai, Tamil Nadu
4. Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Thane, Maharashtra
5. National Automotive Test Tracks (NATRAX), Indore, Madhya Pradesh
6. Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune, Maharashtra
7. Indian Institute of Petroleum (IIP), Dehradun, Uttarakhand
8. Central Farm Machinery Testing and Training Institute (CFMTTI), Budhni, Madhya Pradesh
9. Vehicle Research and Development Establishment of the Ministry of Defence of the Government of India (VRDE), Ahmednagar, Maharashtra
10. North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar, Haryana.

**List 21 (See S. No. 385 of TABLE I)**

A.	(1) Braille writers and braille writing instruments
	(2) Hand writing equipment Braille Frames, Slates, Writing Guides, Script Writing Guides, Styli, Braille Erasers
	(3) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide
	(4) Optical, Environmental Sensors
	(5) Arithmetic aids like the Taylor Frame (arithmetic and algebra types), Cubarythm, Speaking or Braille calculator
	(6) Geometrical aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Compasses and Spar Wheels
	(7) Electronic measuring equipment, such as calipers, micrometers, comparators, gauges, gauge blocks Levels, Rules, Rulers and Yardsticks
	(8) Drafting, Drawing aids, tactile displays
	(9) Specially adapted clocks and watches
B.	(1) Orthopaedic appliances falling under heading No. 90.21 of the First Schedule
	(2) Wheel chairs falling under heading No. 87.13 of the First Schedule
C.	Artificial electronic larynx and spares thereof
D.	Artificial electronic ear (Cochlear implant)
E.	(1) Talking books (in the form of cassettes, discs or other sound reproductions) and large-print books, braille embossers, talking calculators, talking thermometers
	(2) Equipment for the mechanical or the computerized production of braille and recorded material such as braille computer terminals and displays, electronic braille, transfer and pressing machines and stereo typing machines
	(3) Braille paper
	(4) All tangible appliances including articles, instruments, apparatus, specially designed for use by the blind
	(5) Aids for improving mobility of the blind such as electronic orientation and obstacle detection appliance and white canes
	(6) Technical aids for education, rehabilitation, vocational training and employment of the blind such as braille typewriters, braille watches, teaching and learning aids, games and other instruments and vocational aids specifically adapted for use of the blind
	(7) Assistive listening devices, audiometers
	(8) External catheters, special jelly cushions to prevent bed sores, stair lift, urine collection bags
	(9) Implants for severely physically handicapped patients including bone cement

**List 22 (See S. No. 403 of TABLE I)**

1. Lysosomal Storage Disorders (LSDs)
2. Adrenoleukodystrophy
3. Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
4. Chronic Granulomatous disease
5. Wiskot Aldrich Syndrome
6. Osteopetrosis
7. Fanconi Anemia
8. Laron's Syndrome
9. Tyrosinemia
10. Glycogen storage disorders (GSD) I, III and IV due to poor metabolic control, multiple liver adenomas, or high risk for Hepatocellular carcinoma, or condition of substantial cirrhosis or liver dysfunction, or progressive liver failure
11. Maple Syrup Urine Disease (MSUD)
12. Urea cycle disorders
13. Organic acidemias
14. Autosomal recessive Polycystic Kidney Disease

15. Autosomal dominant Polycystic Kidney Disease
16. Phenylketonuria (PKU)
17. Non-PKU hyperphenylalaninemia conditions
18. Homocystinuria
19. Urea Cycle Enzyme defects
20. Glutaric Aciduria type 1 and 2
21. Methyl Malonic Acidemia
22. Propionic Acidemia
23. Isovaleric Acidemia
24. Leucine sensitive hypoglycemia
25. Galactosemia
26. Glucose galactose malabsorption
27. Severe Food protein allergy
28. GH deficiency
29. Prader Willi Syndrome
30. Turner syndrome
31. Noonan syndrome
32. Acidemias, mitochondrial disorders
33. Acute Intermittent Porphyria
34. Wilson's Disease
35. Congenital Adrenal Hyperplasia
36. Neonatal onset Multisystem inflammatory Disease (NoMID)
37. Gaucher Disease Type I and III
38. Hurler Syndrome [Mucopolysaccharidosis (MPS) Type I]
39. Hunter syndrome (MPS II)
40. Pompe Disease
41. Fabry Disease
42. MPS IVA
43. MPS VI
44. Cystic Fibrosis
45. Duchenne Muscular Dystrophy
46. Spinal Muscular Atrophy
47. Wolman Disease
48. Hypophosphatasia
49. Neuronal ceroid lipofuscinosis
50. Hypophosphatic Rickets
51. Atypical Hemolytic Uremic Syndrome.

**List 23 (See S. No. 416 of TABLE I)**

S. No.	Name of the Country	Name of Designated Airline
(1)	(2)	(3)
1.	Russia	Aeroflot
2.	UAE	Air Arabia, Emirates, Etihad Airways
3.	Kazakhstan	Air Astana
4.	China	Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines
5.	France	Air France
6.	Mauritius	Air Mauritius
7.	Japan	All Nippon Airways, Japan Airlines
8.	USA	American Airlines, United Airlines
9.	Afghanistan	Ariana Afghan Airlines, Kam Air
10.	Republic of Korea	Asiana Airlines, Korean Air
11.	Bahrain	Gulf Air
12.	Bangladesh	Biman Bangladesh Airlines
13.	UK	British Airways, Virgin Atlantic Airways

14.	Hong Kong	Cathay Pacific Airways
15.	Taiwan	China Airlines
16.	Germany	Lufthansa German Airlines
17.	Bhutan	Druk Air
18.	Egypt	Egypt Air
19.	Israel	El-Al-Israel Airlines
20.	Ethiopia	Ethiopian Airlines
21.	Finland	Fin Air
22.	Iran	Iran Air, Mahan Air
23.	Kuwait	Jazeera Airways, Kuwait Airways
24.	Netherlands	KLM Royal Dutch Airlines
25.	Kenya	Kenya Airways
26.	Malaysia	Malaysia Airlines
27.	Maldives	Maldivian
28.	Sri Lanka	Sri Lankan Airlines
29.	Myanmar	Myanmar Airways
30.	Nepal	Nepal Airlines
31.	Oman	Oman Air
32.	Pakistan	Pakistan International Airlines
33.	Australia	Qantas Airways
34.	Qatar	Qatar Airways
35.	Saudi Arabia	Saudi Arabian Airlines
36.	Singapore	Singapore Airlines, Tiger Airways
37.	Switzerland	Swiss International Airlines
38.	Thailand	Thai Airways
39.	Turkey	Turkish Airlines
40.	Turkmenistan	Turkmenistan Airlines
41.	Uzbekistan	Uzbekistan Airlines
42.	Yemen	Yemen Airways
43.	Canada	Air Canada

**List 24 (See S. No. 426 of TABLE I)**

Sport S.No.	Sport Name	Goods S.No.	Goods Name
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Archery	1)	Bows and Arrows
		2)	Bow Handles
		3)	Bow Limbs
		4)	Bow Sinks
		5)	'V' Bar Set
		6)	Button
		7)	String Material - fast and light
		8)	Arrow Tabs
		9)	Finger Tabs
		10)	Arm Guards
		11)	Target Face
		12)	Binoculars
		13)	Target Boss
		14)	Bow Strings
		15)	Clicker
		16)	Fletching Jig
		17)	Fletches
		18)	Chest Guard
		19)	Arrow Rest
		20)	Arrow Quiver

		21)	Nock
2	Athletics	1)	Throwing Hammers
		2)	Discus
		3)	Shot
		4)	Javelin
		5)	Fibre Glass Vaulting Poles
		6)	Shoes
		7)	Spikes
		8)	Cross Bar
		9)	Pole Vault
		10)	Cross Bar (high Jump)
		11)	Hurdles
		12)	Take off Board
		13)	Pole Vault Upright
		14)	Spring Board
		15)	Starting Blocks
3	Badminton	1)	Shuttlecocks
		2)	Racquets
		3)	Racquet Strings
4	Basketball	1)	Hydra Upright
		2)	Basket balls of superior quality
		3)	24-second electronic device
5	Billiards and Snooker	1)	Billiards/Snooker Balls
		2)	Cues
6	Boxing	1)	Cub Protector
		2)	Head Guard
		3)	Mouth Guard/Gum Shields
		4)	Boxing Gloves
		5)	Speed Balls
		6)	Training Robots
		7)	Shoes
		8)	Teeth Guard
		9)	Punching pad
		10)	Breast Guard for Ladies
		11)	Bandage
		12)	Scoring Device
7	Cricket	1)	Cricket balls
		2)	Bowling machines
		3)	Swiss ball for physical fitness/training
		4)	Aerobic equipment for physical training
8	Carrom	1)	Carrom Board
9	Canoeing, Kayaking and Rowing	1)	Boats
		2)	Paddles
		3)	Ergometers
10	Cycling	1)	Helmet, aerodynamic
		2)	Skin fit riding kit (T-Shirt and shorts in one piece)
		3)	Leather cycling shoes, with cleats
		4)	Gloves
		5)	Skin-fit warming up kit(One piece lower and top full sleeve)
		6)	Racing cycles (Road) for competitions and training, with spares
		7)	Racing cycle (Track) for competitions and training ,with spares
11	Fencing	1)	Complete set of fencing equipment with accessories/spares
		2)	Shoes
12	Football	1)	Footballs of superior quality
		2)	Goal keeper kits, complete
		3)	Football Shoes
		4)	Shin Guard
13	Gymnastics	1)	Trampoline

		2)	Parallel bar
		3)	Horizontal bar
		4)	Pommel horse
		5)	Vaulting horse
		6)	Roman rings
		7)	Vault runway
		8)	Vaulting Boards
		9)	Balance Beams
		10)	Uneven bar
		11)	Floor plates
		12)	Parallel bar rails
		13)	Uneven bar rails
		14)	Straps and rings
		15)	Scoring System
		16)	Mushroom
		17)	Beat Board
		18)	Spare Bars
		19)	Crash Mats
		20)	Acrobatic Tumbling Mat
		21)	Floor Exercise Mat
		22)	Rhythmic Apparatus Ball
		23)	Rope, Clubs & Ribbon
		24)	Palm Guard
14	Golf	1)	Golf balls
		2)	Golf clubs
15	Hockey	1)	Complete goal keeper's kits
		2)	Synthetic dimpled balls
		3)	Shoes
		4)	Hockey Sticks
		5)	Goal Post
		6)	Turf Cleaning Machine
		7)	Ball Throwing Machine
16	Hand Ball	1)	Hand balls of superior quality
17	Judo	1)	Judo Mats
		2)	Judo Dresses
		3)	Supporting and Strapping
		4)	Judo Dummy
		5)	Shoes
		6)	Crash Mat
		7)	Scoring System
18	Shooting	1)	Rifles – .22 Calibres(should have at least an outside barrel diameter of 10 mm.)
		2)	Pistols – .22 and .32 Calibres(barrels should be measured from the Breach point)
		3)	Air Rifles/Pistols – 4.5 mm/0.177 Calibres
		4)	Shot Guns – 12 bore(should be “Ventilated Rib” and “Single Sighting Planes”)
		5)	Air pellets – Diabelotype(i.e. with flat nose and metround on painted nose)
		6)	Ammunition- 12 bore cartridges, .27 air pellets, .22 bore match cartridges, .22 bore rapid fire (short) cartridges, .22 bore pistol match standard sports, .32 bore wad-cutters

		7)	.32 bore revolver (barrel length should not be less than 4½", and measurements are to be taken from the end of the cylinder holding the cartridge)
		8)	.22 bore revolver – (barrel length same as above)
		9)	Telescope
		10)	12 Bore Gun
		11)	.38/.357 revolver/pistol
		12)	Rifles 7.62/.308 or any caliber upto 8 mm
		13)	Electronic Target scoring system
		14)	Clay birds
19	Skiing	1)	Skis
		2)	Ski bindings
		3)	Ski boots
		4)	Ski suits
		5)	Shoes
20	Swimming/Water Polo	1)	Goggles
		2)	Pace clocks
		3)	Pull buoy
		4)	Kick boards
		5)	Lane Rope
		6)	Resuscitators
		7)	Life Jackets
		8)	Portable Starting Blocks
		9)	Stop Watch
21	Table Tennis	1)	Balls
		2)	Racquets
		3)	Rubber sheets
22	Volleyball	1)	Volleyballs of superior quality
		2)	Pressure gauge
		3)	Knee pads
		4)	Volleyball adjustable poles
		5)	Volleyball fibreglass antenna
23	Water Polo	1)	Balls
		2)	Caps
24	Weightlifting	1)	Barbell sets and rods
		2)	Barbell Plates/discs
		3)	Shoes
25	Wrestling	1)	Wrestling Mats
		2)	Dummy
		3)	Wrestling costumes
26	Yachting	1)	Binoculars
		2)	Boats and other accessories
27	Equestrian	1)	Saddle
		2)	Bridle
		3)	Stirrup Leather
		4)	Stirrup Iron
		5)	Bits
		6)	Jumping Set
		7)	Warm Blood horse
28	Kabbadi	1)	Mats
		2)	Shoes
29	Karate	1)	Karate Mat
		2)	Kit
30	Lawn Tennis	1)	Rackets
		2)	Balls
		3)	Shoes

		4)	Racket String/Gut
31	Lawn Bowling	1)	Balls
		2)	Jack
32	Rowing	1)	Fixed Purl
		2)	Shoes
		3)	Row Balls
		4)	Assorted tools
		5)	Carbon fibre oars and sculls
		6)	Buttons and sleeves for oars
		7)	Material for boat repair
33	Rugby	1)	Balls
		2)	Shoes
34	Sepak Takraw	1)	Balls
35	Softball	1)	Bat (slugger)
		2)	Catcher kit
		3)	Balls
		4)	Umpire Kit
		5)	Left hand gloves
		6)	Home Plate Rubber
		7)	Mitt
		8)	Chest Guard
		9)	Leg Guard
		10)	Hard Tow Shoe
		11)	Face Mask
		12)	Helmets
36	Squash	1)	Racket
		2)	Balls

**List 25 (See S. No. 428 of TABLE I)**

S.No.	Category of Goods	Goods S.No.	Goods Name
1	Softwear Mountaineering Equipment	1)	Climbing boots
		2)	Boot covers
		3)	Sleeping bags (feather)
		4)	Jackets (feather)
		5)	Trousers (feather)
		6)	Windproof Jackets
		7)	Windproof Pants
		8)	Anorack
		9)	Sallopat
		10)	Thermal undersuits
		11)	Gloves (feather)
		12)	Face Masks
		13)	High Altitude light weight tents
		14)	Summit tents
		15)	Bivouac
		16)	Survival Blankets
		17)	Carrymats
		18)	Ruck Sack frameless
		19)	Climbing ropes
		20)	Snow Goggles
		21)	Harnesses
		22)	Mittens
		23)	Gaiters
2	Iron Mongery Mountaineering Equipment	1)	Ice Axe
		2)	Ice Axe cum hammers

		3)	Rock Hammers
		4)	Ice Pittons
		5)	Carabiners
		6)	Rock Pittons
		7)	Ascenders and Descenders
		8)	Friends (sets)
		9)	Nuts and chocks
		10)	Pulleys
		11)	Etrier
		12)	Drills
		13)	Expansion bolts
		14)	Rescue pulleys
		15)	Sledges
		16)	Rescue stretchers
		17)	Crampons
		18)	Head lamps
		19)	Altimeters
		20)	Binoculars of high magnification
		21)	Avalanche peeps trans receivers
		22)	Oxygen Cylinders, Masks and other accessories
		23)	Gas Stoves/burners
		24)	Petrol stoves with accessories
		25)	MSR bottles
3	Rock Climbing Equipment	1)	Holds
		2)	Climbing slippers
		3)	Harness
		4)	Climbing ropes
		5)	Anchors
		6)	Mechanical belay devices
		7)	Rock climbing shoes

**List 26 (See S. No. 430 of TABLE I)**

Serial No.	Goods Description
1)	Ammunition-cartridges
2)	Shooting sling, shooting glasses, ear muff, ear plugs, kneeling roll, shooting stand, spotting scope with stand and stop watch
3)	Skeet or trap or double trap machine with acoustic release
4)	Targets and paper targets
5)	Training aid for dry firing for all the shooting disciplines
6)	Computer controlled or electronics-controlled target system for 10 metre, 25 metre, 50 metre and 300 metre
7)	Tool box for different machines used for sports of shooting
8)	Competition sights and aperture, namely rear and front sights
9)	Wooden or aluminium stocks, grips and cases
10)	Cleaning material for weapons, namely, rod, cotton buds, oil and grease for arms

**List 27 (See S. No. 432 of TABLE I)**

Category Serial No.	Category of Goods	Goods Serial No.	Goods Description
1)	Anti-doping and Dope Testing Equipment	1	Gas Chromatograph
		2	Gas Chromatograph-NPD
		3	Gas Chromatograph-FID
		4	Gas Chromatograph-C-Isotope Ratio Mass Spectrometer
		5	Gas Chromatograph-high resolution Mass Spectrometer
		6	Liquid Chromatograph
		7	Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer
		8	Elisa Processor
		9	Immuno Assay Analyser
		10	Blood cell counter and other Hematology analysers
		11	DNA/EPO analysing equipments including cameras and other accessories
		12	Computer and software, other accessories for operating the dope testing related equipment
		13	Auxiliary equipment for laboratory use like centrifuges; electronic balances; fume hoods; Gas generators; gas supply systems including regulators, pipes and other lab wares
		14	Laboratory safety equipment including access control systems
2)	Chemicals used for sample processing for dope testing	1	Chemicals used for sample processing for dope testing
3)	Pure drug standards and its metabolites; spiked drug standards in urine/blood; Synthetic standards	1	Pure drug standards and its metabolites; spiked drug standards in urine/blood; Synthetic standards

**List 28 (See S. No. 104 and Condition no. 10 of TABLE I)**

Sl. No.	Institution
1	AIIMS, New Delhi
2	Centre for Human Genetics, Bengaluru
3	Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Kolkata
4	King Edward Memorial Hospital, Mumbai
5	Maulana Azad Medical College, New Delhi
6	Nizam Institute of Medical Sciences, Secundarabad
7	PGIMR, Chandigarh
8	Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Science, Lucknow

**List 29 (See S.No. 427 of TABLE I)**

Sport S.No.	Sport Name	Goods S.No.	Goods Name
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Archery	1)	Bows and Arrows
		2)	Bow Handles
		3)	Bow Limbs
		4)	Bow Sinks
		5)	'V' Bar Set
		6)	Button
		7)	String Material - fast and light
		8)	Arrow Tabs
		9)	Finger Tabs
		10)	Arm Guards
		11)	Target Face
		12)	Binoculars
		13)	Target Boss
		14)	Bow Strings
		15)	Clicker
		16)	Fletching Jig
		17)	Fletches
		18)	Chest Guard
		19)	Arrow Rest
		20)	Arrow Quiver
		21)	Nock
2	Athletics	1)	Throwing Hammers
		2)	Discus
		3)	Shot
		4)	Javelin
		5)	Fibre Glass Vaulting Poles
		6)	Shoes
		7)	Spikes
		8)	Cross Bar
		9)	Pole Vault
		10)	Cross Bar (high Jump)
		11)	Hurdles
		12)	Take off Board
		13)	Pole Vault Upright
		14)	Spring Board
		15)	Starting Blocks
3	Badminton	1)	Shuttlecocks
		2)	Racquets
		3)	Racquet Strings
4	Basketball	1)	Hydra Upright
		2)	Basket balls of superior quality
		3)	24-second electronic device
5	Billiards and Snooker	1)	Billiards/Snooker Balls
		2)	Cues
6	Boxing	1)	Cub Protector
		2)	Head Guard
		3)	Mouth Guard/Gum Shields
		4)	Boxing Gloves
		5)	Speed Balls
		6)	Training Robots
		7)	Shoes
		8)	Teeth Guard
		9)	Punching pad

		10)	Breast Guard for Ladies
		11)	Bandage
		12)	Scoring Device
7	Cricket	1)	Cricket balls
		2)	Bowling machines
		3)	Swiss ball for physical fitness/training
		4)	Aerobic equipment for physical training
8	Carrom	1)	Carrom Board
9	Canoeing, Kayaking and Rowing	1)	Boats
		2)	Paddles
		3)	Ergometers
10	Cycling	1)	Helmet, aerodynamic
		2)	Skin fit riding kit (T-Shirt and shorts in one piece)
		3)	Leather cycling shoes, with cleats
		4)	Gloves
		5)	Skin-fit warming up kit(One piece lower and top full sleeve)
		6)	Racing cycles (Road) for competitions and training, with spares
		7)	Racing cycle (Track) for competitions and training ,with spares
11	Fencing	1)	Complete set of fencing equipment with accessories/spares
		2)	Shoes
12	Football	1)	Footballs of superior quality
		2)	Goal keeper kits, complete
		3)	Football Shoes
		4)	Shin Guard
13	Gymnastics	1)	Trampoline
		2)	Parallel bar
		3)	Horizontal bar
		4)	Pommel horse
		5)	Vaulting horse
		6)	Roman rings
		7)	Vault runway
		8)	Vaulting Boards
		9)	Balance Beams
		10)	Uneven bar
		11)	Floor plates
		12)	Parallel bar rails
		13)	Uneven bar rails
		14)	Straps and rings
		15)	Scoring System
		16)	Mushroom
		17)	Beat Board
		18)	Spare Bars
		19)	Crash Mats
		20)	Acrobatic Tumbling Mat
		21)	Floor Exercise Mat
		22)	Rhythmic Apparatus Ball
		23)	Rope, Clubs & Ribbon
		24)	Palm Guard
14	Golf	1)	Golf balls
		2)	Golf clubs
15	Hockey	1)	Complete goal keeper's kits
		2)	Synthetic dimpled balls
		3)	Shoes
		4)	Hockey Sticks
		5)	Goal Post
		6)	Turf Cleaning Machine
		7)	Ball Throwing Machine
16	Hand Ball	1)	Hand balls of superior quality

17	Judo	1)	Judo Mats
		2)	Judo Dresses
		3)	Supporting and Strapping
		4)	Judo Dummy
		5)	Shoes
		6)	Crash Mat
		7)	Scoring System
18	Shooting	1)	Rifles – .22 Calibres(should have at least an outside barrel diameter of 10 mm.)
		2)	Pistols – .22 and .32 Calibres(barrels should be measured from the Breach point)
		3)	Air Rifles/Pistols – 4.5 mm/0.177 Calibres
		4)	Shot Guns – 12 bore(should be “Ventilated Rib” and “Single Sighting Planes”)
		5)	Air pellets – Diabelotype(i.e. with flat nose and metround on painted nose)
		6)	Ammunition- 12 bore cartridges, .27 air pellets, .22 bore match cartridges, .22 bore rapid fire (short) cartridges, .22 bore pistol match standard sports, .32 bore wad-cutters
		7)	.32 bore revolver (barrel length should not be less than 4½", and measurements are to be taken from the end of the cylinder holding the cartridge)
		8)	.22 bore revolver – (barrel length same as above)
		9)	Telescope
		10)	12 Bore Gun
		11)	.38/.357 revolver/pistol
		12)	Rifles 7.62/.308 or any caliber upto 8 mm
		13)	Electronic Target scoring system
		14)	Clay birds
19	Skiing	1)	Skis
		2)	Ski bindings
		3)	Ski boots
		4)	Ski suits
		5)	Shoes
20	Swimming/Water Polo	1)	Goggles
		2)	Pace clocks
		3)	Pull buoy
		4)	Kick boards
		5)	Lane Rope
		6)	Resuscitators
		7)	Life Jackets
		8)	Portable Starting Blocks
		9)	Stop Watch
21	Table Tennis	1)	Balls
		2)	Racquets
		3)	Rubber sheets
22	Volleyball	1)	Volleyballs of superior quality
		2)	Pressure gauge
		3)	Knee pads
		4)	Volleyball adjustable poles

		5)	Volleyball fibreglass antenna
23	Water Polo	1)	Balls
		2)	Caps
24	Weightlifting	1)	Barbell sets and rods
		2)	Barbell Plates/discs
		3)	Shoes
25	Wrestling	1)	Wrestling Mats
		2)	Dummy
		3)	Wrestling costumes
26	Yachting	1)	Binoculars
		2)	Boats and other accessories
27	Equestrian	1)	Saddle
		2)	Bridle
		3)	Stirrup Leather
		4)	Stirrup Iron
		5)	Bits
		6)	Jumping Set
28	Kabbadi	1)	Mats
		2)	Shoes
29	Karate	1)	Karate Mat
		2)	Kit
30	Lawn Tennis	1)	Rackets
		2)	Balls
		3)	Shoes
		4)	Racket String/Gut
31	Lawn Bowling	1)	Balls
		2)	Jack
32	Rowing	1)	Fixed Purl
		2)	Shoes
		3)	Row Balls
		4)	Assorted tools
		5)	Carbon fibre oars and sculls
		6)	Buttons and sleeves for oars
		7)	Material for boat repair
33	Rugby	1)	Balls
		2)	Shoes
34	Sepak Takraw	1)	Balls
35	Softball	1)	Bat (slugger)
		2)	Catcher kit
		3)	Balls
		4)	Umpire Kit
		5)	Left hand gloves
		6)	Home Plate Rubber
		7)	Mitt
		8)	Chest Guard
		9)	Leg Guard
		10)	Hard Tow Shoe
		11)	Face Mask
		12)	Helmets
36	Squash	1)	Racket
		2)	Balls

TABLE II

S.No.	Chapter or Heading or subheading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Integrated Goods and Services Tax	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	39 or any other chapter	Security fibre, security threads, Paper Based Taggant, including M-feature, for use in the manufacture of security paper by Security Paper Mill, Hoshangabad and Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	1
2.	39 or any other Chapter	Raw materials for use in manufacture of security fibre and security threads for supply to Security Paper Mill, Hoshangabad and Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore for use in manufacture of security paper: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2026	Nil	-	1
3.	4802	Mould vat made watermarked bank note paper, imported by (i) the Bank Note Press, Dewas, (ii) the Currency Note Press, Nasik, (iii) the India Security Press, Nasik, (iv) the Security Printing Press, Hyderabad, (v) the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore, or (vi) the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Salbony	Nil	-	-
4.	4907	Printed Indian Bank Notes, imported by the Reserve Bank of India	Nil	-	-
5.	71	Current coins of the Government of India	Nil	-	-
6.	Any Chapter	Supplies by Air India Engineering Services Limited (M/s AIESL):  Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-  (i) Hand held Metal detector;	Nil	-	2

		<p>(ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
7.	Any Chapter	<p>(i) Machines, appliances, instruments, parts and equipment required for the construction of, or fitment to, or maintenance of, patrol crafts;          (ii) Wireless transmission and receiving sets and their components;          (iii) Night vision equipment and their components;          (iv) Arms and their components, and ammunition;          (v) Radio communication test sets;          (vi) Spare parts of patrol crafts;          (vii) Spare parts in respect of any of the above items;</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;          (ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	-	3
8.	Any Chapter	<p>(i) Spedeheat grenades CS, 3-way grenades CN/CS, practice grenades, blast dispersion grenades with two second bouchon, model 34 single blast grenades, one second delay firing mechanism for spede-heat</p>	Nil	-	4

		<p>grenades, two seconds delay firing mechanism for three-way grenades;</p> <p>(ii) Long range shells CN/CS, short range shells CN/CS, slite rite-shells CN/CS, practice shells CN/CS;</p> <p>(iii) Refills, accessories caps, gas pellets and recapping and decapping machines for practice shells, gas guns and accessories and spare parts for gas guns;</p> <p>(iv) Truncheons, truncheon cartridges, one second bouchons, two second bouchons, chemical mace, aerosol tear gas spray, tear gas billets, paper fog and bullet proof protective vests;</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely: -</p> <p>(i) Hand held Metal detector;</p> <p>(ii) Postal Bomb detector;</p> <p>(iii) Explosive Container;</p> <p>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</p> <p>(v) Deep search Metal or Mine detector;</p> <p>(vi) Mine impactor;</p> <p>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</p> <p>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
9.	Any Chapter	<p>Machinery, equipment, instruments, fittings, devices, scientific apparatus, components, spares, tools, accessories, computer hardware, computer software, technical know-how (in the form of documents and drawings in the printed media) castings, forgings, pipings, tubings, raw materials and consumables required for the purpose of ATVP of the Ministry of Defence:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;</p>	Nil	-	5

		<p>(ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
10.	Any Chapter	<p>Ballistic grade aramid fabric, aramid thread, aramid yarns, ballistic grade ceramic plate, high performance polyethylene plate, special grade polyurethane paste and special grade thermoplastic film required for the manufacture of bullet proof jackets and bullet proof helmets for supply to the armed forces of the Union under the Ministry of Defence or the Police Forces of the States or the Union Territories:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;          (ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	-	6
11.	Any Chapter	<p>Bomb disposal suits/helmets /protection shields, Bomb suppression blanket, Explosive detectors including hand held or portable type, Electronic stethoscope, Remote car opening tool (push/pull type), Inspection/Search mirrors - illuminated/ telescopic or otherwise, Mine detectors, Metal detectors (portable or fixed), Postal bomb detector,</p>	Nil	-	7

		<p>Explosive container. Water jet disrupter with cartridges and laser sight and Telescopic manipulator, Non-linear junction detector. Optical fibre scopes, Search lights (dragon variety), Radiation detectors, Parcel viewer. Alarm systems, CCTV systems, Bomb disrupter, Bomb trailer, Blasting machines, Wire and cable locator:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
12.	Any Chapter	<p>All goods imported for the use of Special Protection Group for operational purpose:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	-	8

13.	Any Chapter	<p>Machinery, equipment, instruments, components, spares, jigs and fixtures, dies, tools, accessories, computer software, raw materials and consumables required for the purpose of DIVYA DRISHTI Programme of the Ministry of Defence:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	-	9
14.	Any Chapter	<p>Ballistic Grade aramid yarn:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	-	1 and 10
15.	Any Chapter	<p>Machinery, equipment, instruments, components, spares, jigs, fixtures, dies, tools, accessories, computer software,</p>	Nil	-	11

		<p>computer hardware, castings, forgings piping, tubing, chemicals, bio-chemicals, refrigerants, raw materials and consumables:</p> <p>Notwithstanding anything contained herein above, the exemption from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
16.	Any Chapter	<p>Medals and decorations (including medal ribbons):</p> <p><b>Provided</b> that the exemption from whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Hand held Metal detector;</li> <li>(ii) Postal Bomb detector;</li> <li>(iii) Explosive Container;</li> <li>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</li> <li>(v) Deep search Metal or Mine detector;</li> <li>(vi) Mine impactor;</li> <li>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</li> <li>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</li> </ul> <p><b>Provided further</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	Nil	12
17.	Any Chapter	<p>Personal effects of the persons on duty out of India with the Indian Navy, Army, or Air Force or Central Para</p>	Nil	Nil	13

		<p>Military Forces:</p> <p><b>Provided</b> that the exemption from whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;</p> <p>(ii) Postal Bomb detector;</p> <p>(iii) Explosive Container;</p> <p>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</p> <p>(v) Deep search Metal or Mine detector;</p> <p>(vi) Mine impactor;</p> <p>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</p> <p>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided further</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
18.	Any Chapter	<p><i>Bona fide</i> gifts from donors abroad when imported for the maintenance of war graves by an institution:</p> <p><b>Provided</b> that the exemption from whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;</p> <p>(ii) Postal Bomb detector;</p> <p>(iii) Explosive Container;</p> <p>(iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;</p> <p>(v) Deep search Metal or Mine detector;</p> <p>(vi) Mine impactor;</p> <p>(vii) Mine prodder (non-magnetic); and</p> <p>(viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided further</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	Nil	14
19.	Any Chapter	<p>Imported stores purchased out of bonded stocks lying in a warehouse:</p> <p><b>Provided</b> that the exemption from whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;</p>	Nil	Nil	15

		<p>(ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
20.	Any Chapter	<p>Goods imported for trial, demonstration or training before any authority under the Ministry of Defence in the Government of India:</p> <p><b>Provided</b> that the exemption from whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act shall not apply to the following goods, namely :-</p> <p>(i) Hand held Metal detector;          (ii) Postal Bomb detector;          (iii) Explosive Container;          (iv) Portable or Fixed Door frame Metal detector;          (v) Deep search Metal or Mine detector;          (vi) Mine impactor;          (vii) Mine prodder (non-magnetic); and          (viii) Under Vehicle search Mirrors:</p> <p><b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	Nil	Nil	16
21.	8406 82 00	<p>Steam Turbines and other vapour turbines with output between 5-15 MW for Naval craft:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
22.	8408 10 93	<p>Compression Ignition Internal Combustion piston engine with output more than 3 MW for Naval craft:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
23.	8411 12 00	<p>Turbojets, turbo-propellers and other gas turbines for Mig-29 K or LCA:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17

24.	8411 21 00, 8411 22 00	Turbojets, turbo-propellers and other gas turbines for Multi-role or Utility Helicopters: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
25.	8487 10 00	Ships or boats propellers and blades required as Controllable pitch propellers for Naval craft: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
26.	8502 13 20, 8502 13 30, 8502 13 40	Electric generating sets with power output 1-3 MW: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
27.	8502 39 90	Electric generating sets with power output 1 MW and above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
28.	8543 70 13	Mine detector for Mine Detection Sweep: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
29.	8705 90	Special purpose motor vehicle, other than those principally designed for the transport of persons or goods for Vehicle based Mine scattering system: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
30.	84, 85, 8802 12 00, 90 or 93	(i) Helicopters of an unladen weight exceeding 2000 kg of the following types, - (a) Military Helicopters with co-axial intermeshing or tandem rotors (KA 31, Kamov Ka 226, Chinook) (b) Military Helicopters with empty weight more than 3500 Kg (Multi role and utility helicopters, Apache AH 64E) (ii) Associated Role Equipment, Ground Support Equipment, Ground handling Equipment, Ammunition, Special Maintenance Tools, Special Test Equipment and spares for goods mentioned at (i) above; (iii) Ammunitions for the goods mentioned at item (i) above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
31.	84, 85,	(i) Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight not	Nil	Nil	17

	8802 20 00, 90 or 93	<p>exceeding 2000 kg required under the category of Military trainer aircraft</p> <p>(ii) Associated Role Equipment, Ground Support Equipment, Ground handling Equipment, Special Maintenance Tools, Special Test Equipment and spares for goods mentioned at (i) above</p> <p>(iii) Ammunitions for the goods mentioned at item (i) above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>			
32.	84, 85, 8802 30 00, 8806, 90 or 93	<p>(i) Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight exceeding 2000 kg, but not exceeding 15,000 Kg required under the following categories, -</p> <p>a. RPA for military use- Operating altitude more than 35000 feet (HALE-High Altitude Long Endurance);</p> <p>b. Fighter aircraft (MMRCA, MRFA)</p> <p>(ii) Associated Role Equipment, Ground Support Equipment, Ground handling Equipment, Special Maintenance Tools, Special Test Equipment and spares for goods mentioned at (i) above</p> <p>(iii) Ammunitions for the goods mentioned at item (i) above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
33.	84, 85, 8802 40 00, 8806, 90 or 93	<p>(i) Aeroplanes and other aircraft of an unladen weight exceeding 15,000 Kg required under the following categories, -</p> <p>a. Carrier Borne Fighter aircraft;</p> <p>b. Military Transport aircraft (C-130, C-17);</p> <p>c. Flight Refueller aircraft;</p> <p>d. AWACS aircraft;</p> <p>e. Recce and surveillance aircraft</p> <p>f. Amphibious aircraft;</p> <p>(ii) Associated Role Equipment, Ground Support Equipment, Ground handling Equipment, Ammunition, Special Maintenance Tools, Special Test Equipment and spares for goods mentioned at (i) above</p> <p>(iii) Ammunitions for the goods mentioned at item (i) above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall</p>	Nil	Nil	17

		have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029			
34.	8807	Parts of goods of heading 8801 or 8802 or 8806: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
35.	8805 10 20	Deck Arrestor or similar gear required as Aircraft arrestor gears: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
36.	8906 90	Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats required under the category of underwater vehicle/ platforms for special operations: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
37.	9301 10	Artillery weapons (for example guns, howitzers, and mortars) under the category of Guns (127 mm): <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
38.	9301 10 90	Artillery weapons under the category of Heli Portable Howitzer of calibre more than 150 mm and weight 4500 Kg or less: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
39.	9303	Rifles under the category of Sniper rifles .338 inch or more: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
40.	84, 85, 87, 90 or 9306	(i) Rockets with calibre more than 250 mm; (ii) Integrated Air Defence Weapons Systems (IADWS); (iii) Vehicles, Launchers, Missiles with containers, Guns, Radars, Command posts, Sensor systems, Power generation units, Maintenance and repair equipment for goods mentioned at (ii) above: <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
41.	84, 85, 90 or 9306	(i) The following goods, namely, - (a) Ship launched missiles with range 8-32 Km; (b) Land based missiles range more than 100 Km; (c) Torpedoes; (d) Shoulder fired surface to air missile;	Nil	Nil	17

		<p>(e) Submarine launched land attack cruise missile;</p> <p>(f) Harpoon anti-ship missile;</p> <p>(g) Medium range anti-ship missile</p> <p>(ii) Systems, sub-systems, equipment, parts, sub-parts, tools, test equipment, software meant for Long range Surface to Air Missile System (LR SAM)</p> <p>(iii) Missiles, Command and control Units, Radars, self-propelled launchers, Simulators, Inflatable dummies, Vehicles, Power generation units, Maintenance and repair equipment for goods mentioned at (ii) above:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>			
42.	84, 85, 87, 9301 10 10 or 93	<p>(i) Self-propelled Air Defence Gun Missile System;</p> <p>(ii) Vehicles, missiles, guns, radar, command and control post for goods mentioned at (i) above</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
43.	49, 73, 84, 85, 90 or 93	<p>(i) Parts, sub-parts, inputs for use in manufacture of AK-203 rifle;</p> <p>(ii) Machinery, Fixtures, Gauges, Tools and jigs for goods mentioned at (i) above</p> <p>(iii) Technical documentation in respect of goods mentioned in (i) and (ii) above</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
44.	88, 8536	<p>Flight Motion Simulator and its parts:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
45.	88, 8536	<p>Target Motion Simulator and its parts:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
46.	Any Chapter	<p>Parts, sub-assemblies of HACFS:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1<sup>st</sup> July, 2029</p>	Nil	Nil	17
47.	84, 85	<p>Low noise amplifier (Hermetic sealed), vent guide assembly -Return vent guided assembly-supply, vent guide assembly- NBC for MRSAM system:</p>	Nil	Nil	17

		<b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029			
48.	84, 85, 87, 90, 93	Parts and sub-assemblies of IAWDS:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
49.	88	Military transport aircraft (C-140, C-295 MW):  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
50.	89	Deep submergence rescue vessel:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
51.	89	Unmanned Underwater vessels/platforms:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
52.	8807	Ejection Seats for fighter aircrafts:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
53.	8506	High performance batteries for drones and specialised equipment:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
54.	8525	Communication devices including software defined radios with component and accessories:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
55.	9019, 9020	Air diving, rebreather sets, diving systems, components and accessories:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
56.	89	Sonobuoys for Naval Air Assets:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
57.	93	Ship launched missiles:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17

58.	93	Rockets with calibre more than 100 mm:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
59.	88	RPA (Remote Pilot Aircraft) for military use:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
60.	Any Chapter	Parts, sub-assemblies, spares, accessories, tools, testing equipment, literature for goods like artillery weapons, rifles, aircrafts, etc. except for 12.7mm SRCG, 155mm/45 Cal. Dhanush, L-70 Gun, 84mm RL Mk-III, AK-630 Naval Guns, Light Machine Gun, MAG Gun:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
61.	49	Technical documentation in respect of Goods mentioned at S. Nos. 21 to 60 above:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S. No. shall have effect on or after the 1 <sup>st</sup> July, 2029	Nil	Nil	17
62.	9801	Goods required for setting up of any Mega Power Project specified in List 1 appended to TABLE II, so certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power before the 19 <sup>th</sup> day of July, 2012, that is to say,  (i) a thermal power plant of a capacity of 700MW or more, located in the States of Jammu and Kashmir, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura; or  (ii) a thermal power plant of a capacity of 1000MW or more, located in States other than those specified in (i); or  (iii) a hydel power plant of a capacity of 350MW or more, located in the States of Jammu and Kashmir, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura; or  (iv) a hydel power plant of a capacity of 500MW or more, located in States other than those specified in clause (i):  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after 30 <sup>th</sup> September 2027	Nil	-	18 and 19

63.	9801	Goods required for, -  (i) power generation projects including gas turbine power projects (excluding captive power plants set up by projects engaged in activities other than in power generation) (ii) power transmission, sub-transmission or distribution projects: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 30 <sup>th</sup> September, 2027	5%  5%	-  -	18  18
64.	9801	All goods: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 30 <sup>th</sup> September, 2027	5%	-	18
65.	9801	Water Supply Projects <i>Explanation.</i> – Water supply projects notified under the heading 9801 against item numbers 26 and 26A of notification No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 [G.S.R. 294 (E), dated the 23rd July, 1996]:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 30 <sup>th</sup> September, 2027	Nil	-	18
66.	9801	Goods required for setting up of any Nuclear Power Project specified in List 2 appended to TABLE II, having a capacity of 440 MW or more, as certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 30 <sup>th</sup> September, 2027	Nil	-	18 and 20
67.	Any Chapter	Archaeological specimens, photographs, plaster casts or antiquities, intended for exhibition for public benefit in a museum managed by the Archaeological Survey of India or by a State Government:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	21
68.	Any Chapter	Equipment or buoys required for Research Moored Array for African Asian Australian Monsoon Analysis and Prediction (RAMA) programme:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> July, 2026	-	Nil	22
69.	Any Chapter	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);	5%	-	23

		<p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (for experimental purposes);</p> <p>(c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) proto-types, the C.I.F. value of which does not exceed rupees fifty thousand in a financial year:</p> <p><b>Provided</b> it is imported by Public funded research institution or a university or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital:</p> <p><b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>			
70.	Any Chapter	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) accessories, parts, consumables and live animals (for experimental purposes);</p> <p>(c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches;</p> <p>(d) prototypes, the C.I.F. value of which does not exceed rupees fifty thousand in a financial year:</p> <p><b>Provided</b> it is imported by Research institutions, other than a hospital:</p> <p><b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31<sup>st</sup> March, 2029</p>	5%	-	24
71.	Any Chapter	<p>(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers);</p> <p>(b) Accessories, parts, consumables and live animals (for experimental purposes);</p> <p>(c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; and</p> <p>(d) Prototypes, the CIF value of which does not exceed rupees fifty thousand in a financial year:</p> <p><b>Provided</b> it is imported by Departments and laboratories of the Central Government and State Government, other than a hospital:</p>	5%	-	25

		<b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029			
72.	Any Chapter	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) Accessories, parts, consumables and live animals (for experimental purposes); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches: <b>Provided</b> it is imported by Regional Cancer Center (Cancer Institute): <b>Provided</b> further that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	5%	-	26
73.	Any Chapter	The following goods, namely: - (i) Foodstuffs (ii) Medicines (iii) Medical stores of perishable nature (iv) Clothing (v) Blankets <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	27
74.	Any Chapter	Goods imported by the Indian Red Cross Society: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	28
75.	Any Chapter	Wool, Woollen Fabrics and Woollen apparels received as gifts by the Indian Red Cross Society: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	-
76.	Any Chapter	Drugs, medicines and medical equipments: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	29
77.	Any Chapter	(i) Gift commodities imported by Cooperative for American Relief Everywhere, Incorporated, since renamed as Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Incorporated, (hereinafter referred to as CARE) or its distributing Organisations, approved by the Government of India, under the Agreement between President of India and CARE. (ii) Supplies and equipment imported by CARE or its	Nil	Nil	30

		distributing Organisations, approved by the Government of India, under the Agreement between President of India and CARE; and (iii) Supplies and equipment for the official use of the officers of CARE: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029			
78.	Any Chapter	Goods imported into India for the purposes of relief and rehabilitation: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	31
79.	Any Chapter	Articles of food and edible material: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	32
80.	Any Chapter	(i) Articles donated to the Government of India for use of defence personnel; (ii) Articles including bullion donated to the National Defence Fund: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	33
81.	Any Chapter	Goods, gifted or supplied free of cost under a bilateral agreement between the Government of India and a Foreign Government: <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after the 31 <sup>st</sup> March, 2029	Nil	Nil	-

**Explanation.** —

(I) For the purposes of this Table II, the rate specified in column (4) or column (5) of the said Table is ad valorem rate, unless otherwise specified;

(II) For the removal of doubts, -

- (a) "-" appearing in column (4) means basic customs duty leviable on the goods as per the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 read with any other notifications issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, for the time being in force.

- (b) "-" appearing in column (5) means Integrated Goods and Services Tax leviable on the goods as per the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with any other notifications issued under the said Act, for the time being in force.

## ANNEXURE TO TABLE II

Condition No.	Condition
1.	If the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or for Specified End Use) Rules, 2022.
2.	If, - (i) the supplies are made to the three specific B-737 and two specific B-777 aircrafts maintained and operated by Indian Air Force for use of Government of India for the purpose of certain special assignments; and (ii) an officer not below the rank of an Air Vice-Marshal certifies in each case that the said supplies are required for the purpose specified above.
3.	If,- (i) the goods are imported by the Government of India, or by a person authorised by that Government or shipped on the order of a Department of that Government for use in anti-smuggling operations or Coastal Security Operations or Internal Security Operations and are appropriated under such order at the time of shipment, and (ii) the importer produces a certificate from- a. the Under Secretary to the Government of India in the Department of Revenue to the effect that the said goods are intended for use in anti-smuggling operations, or b. from an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, in the Ministry of Home Affairs that the said goods are intended for use in coastal security operations or internal security operations.
4.	If,- (i) the said goods are imported for the use of Police Force of the States or the Union territories, or the Central Para military Forces; and (ii) the importer produces a certificate from the Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use.
5.	If,- (i) the said goods are imported by work centres of the ATVP, Government agencies or public sector undertakings, as may be designated by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence; and (ii) such importers produce to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description, duly certified by the Project Director or Director of the ATV Programme(of the rank of Rear

	Admiral of the Indian Navy or of equivalent rank of the Joint Secretary to the Government of India), to the effect that the said goods are required for the ATVP, shall be used only for the ATVP and that they are not manufactured in India.
6.	<p>If,-</p> <p>(i) the importer furnishes to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, at the time of importation, in each case, a list of the said goods, with relevant description and quantities required for the manufacture of such bullet proof jackets; and</p> <p>(ii) such list is duly certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India :-</p> <p>a. in the Ministry of Defence, in the case of imports made against an order for supply of such bullet proof jackets to the Armed Forces of the Union under the Ministry of Defence; or</p> <p>b. in the Ministry of Home Affairs, in case the import is made against an order for supply of such bullet proof jackets to the Police Forces of the States or the Union Territories.</p> <p><b>Explanation.</b> - Police Forces of the States or the Union Territories shall also include the Central Reserve Police Force, the Indo-Tibetan Border Police Force, the Special Services Bureau, the Border Security Force, the Central Industrial Security Force and the National Security Guards maintained or constituted under the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968) and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).</p>
7.	<p>If,-</p> <p>(i) imported by the Police Force of the States or Union territories or Central Reserve Police Force, National Security Guard or Border Security Force or Central Industrial Security Force or Indo-Tibetan Border Police or Assam Rifles or Railway Protection Force or Special Frontier Force, for bomb detection or disposal purposes; and</p> <p>(ii) the importer produces a certificate from an officer in the Ministry of Home Affairs or Ministry of Railways, as the case may be, not below the rank of an Under Secretary to the Government of India to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use.</p>
8.	If the importer produces a certificate from an officer in the Cabinet Secretariat not below the rank of an Under Secretary to the Government of India to the effect that the said goods are intended for the aforesaid use.
9.	<p>If,-</p> <p>(i) the said goods are imported by works centers of the DIVYA DRISHTI Programme, Government agencies or public sector undertakings, as the case may be, designated by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence; and</p> <p>(ii) such importers produce to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description, -</p>

	<p>a. duly certified by the Director, Defence Electronic Research Laboratory or Chief Managing Director, Electronics Corporation of India Limited, to the effect that the said goods are required for the DIVYA DRISHTI Programme, shall be used only for the DIVYA DRISHTI programme and that they are not manufactured in India; and</p> <p>b. duly certified also by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence to the effect that the import of the said goods mentioned in the said list are authorized by the Ministry of Defence under and for the purposes of the DIVYA DRISHTI Programme.</p>
10.	<p>If,-</p> <p>(i) the goods are imported by a manufacturer for use in the manufacture of Ballistic grade aramid fabric;</p> <p>(ii) the importer, at the time of importation, in each case, furnishes to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, an undertaking that such aramid fabric shall be supplied only to a manufacturer of bullet proof jackets for further supply to the armed Forces of the Union under the Ministry of Defence or the Police Forces of the States or the Union territories.</p> <p><b>Explanation.</b> - The expression "Police Forces of the States or the Union-territories" shall include the Central Reserve Police Force, the Indo-Tibetan Border Police Force, the Special Services Bureau, the Border Security Force, the Central Industrial Security Force and the National Security Guards maintained or constituted under the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968) and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).</p>
11.	<p>If, -</p> <p>(i) the said goods are imported by authorised works centres of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) -India, Institute of Plasma Research, as may be designated by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy; and</p> <p>(ii) the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description duly certified by the Project Director, (ITER)-India project, to the effect that –</p> <p>a. the goods mentioned in the said list are required for the purposes of the ITER -India project;</p> <p>b. the said goods shall be used only for the said project.</p>
12.	If imported directly by the Government of India in the Ministry of Defence.
13.	If imported for delivery to the next of kin of such person if he dies or is wounded, is missing or is taken prisoner of war.
14.	<p>If, -</p> <p>(i) a certificate is produced from the Ministry of Defence that the said goods are intended solely for</p>

	<p>the purpose of maintenance of war graves; and</p> <p>(ii) the head of the importing institution certifies in each case that the said goods are intended only for the above purpose and shall not be sold or disposed of.</p>
15.	<p>If, -</p> <p>(i) the imported stores are intended to be supplied free by the Government for use of the crew of a ship of the Coast Guard Organisation, in accordance with their conditions of service;</p> <p>(ii) a shipping bill in the prescribed form has been presented and the export duties, penalties, rent, interest and other charges payable, in respect of the imported stores have been paid;</p> <p>(iii) an order for clearance of the imported stores for taking on board a ship of the Coast Guard Organisation has been made by the proper officer; and</p> <p>(iv) the procedure as specified by the Commissioner of Customs in this behalf is followed.</p>
16.	<p>If,-</p> <p>(i) a certificate from the Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence is produced to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, in each case, that the goods imported are for the purpose of trial, demonstration or training, and</p> <p>(ii) the importer undertakes, in each case, to pay the duty leviable on such goods (except those which are certified by the said Under Secretary as having been consumed in the process of trial, demonstration or training) which are not re-exported by him within a period of two years from the date of importation or within such extended period that the said Assistant Commissioner may allow.</p>
17.	<p>If imported into India by the Ministry of Defence, or the Defence forces, or the Defence Public Sector Units, or other Public Sector Units, or any other entity, for the Defence forces, subject to the following conditions, namely: -</p> <p>(i) an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence certifies,</p> <p>(a) the quantity, description and technical specifications of the imported goods; and</p> <p>(b) that the said goods are intended for the purpose of and use by the defence forces only and recommends the grant of exemption to the imported goods;</p> <p>(ii) the importer shall, at the time of import, furnish the said certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.</p>
18.	<p>If the goods have been imported against contracts registered on or before 30th September, 2022 with the concerned Custom House in compliance with the Project Imports Regulations, 1986.</p>
19.	<p>If an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power certifies that:-</p> <p>(i) the power purchasing State has constituted the Regulatory Commission with full powers to fix tariffs;</p> <p>(ii) the power purchasing State shall undertake to carry out distribution reforms as laid down by Ministry of Power-</p>

	<p>(a) In case of imports for a project for which certificate regarding Mega Power Project status issued by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power is provisional, the importer furnishes a security in the form of a Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee from any Scheduled Bank for a term of one hundred and sixty-two months in the name of the President of India for an amount equal to the duty of customs payable on such imports but for this exemption, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of importation and if the importer fails to furnish the final mega power status certificate with in a period of one hundred and twenty months one hundred and fifty-six months from the date of importation, the said security shall be appropriated towards duty of customs payable on such imports but for this exemption:</p> <p style="text-align: center;"><b>Provided</b> that in case of provisional Mega Power Projects, the security in the form of a Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee may be released proportionately as per the proportionate mega certificate issued by the said Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power;</p> <p>(b) In the case of imports by a Central Public Sector Undertaking, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by the Chairman and Managing Director of the said Central Public Sector Undertaking; and</p> <p>(c) In the case of imports by a Private Sector Project, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by the Chief Executive Officer of such project.</p>
20.	<p>(a) In the case of imports by the constituent units of the Department of Atomic Energy, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy.</p> <p>(b) In the case of imports by a Central Public Sector Undertaking, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by the Chairman and Managing Director of the said Central Public Sector Undertaking.</p>
21.	<p>If the imported goods are meant to be exhibited in a museum managed by –</p> <p>(a) the Archaeological Survey of India, such goods shall be imported under cover of a certificate issued by the Director General of Archaeology in India; or</p> <p>(b) a State Government, such goods shall be imported under cover of a certificate issued by the concerned Authority in the concerned State Government.</p>
22.	<p>If,</p> <p>(a) the importer, at the time of import, furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, of the port of import, from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Earth Sciences recommending the grant of this exemption and that the goods are required for the specified purpose; and</p> <p>(b) the importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the</p>

	<p>Principal Commissioner or Commissioner of Customs, binds himself,-</p> <p>(i) to re- export the goods within a period of two years from the date of import, which may be extended by another one year by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs of the Port of import of such goods upon written request of the importer citing reasons for seeking such extension; and</p> <p>(ii) to pay on demand an amount equal to the integrated tax payable on the such goods, but for the exemption under this entry, along with the applicable interest thereon, in the event of violation of any of the conditions specified above.</p>
23.	<p>If, -</p> <p>(A) (i) The goods are imported by or for delivery to -</p> <p>(a) a public funded research institution under the administrative control of the Department of Space or the Department of Atomic Energy or the Department of Defence Research and Development of the Government of India, or</p> <p>(b) an institution Registered with the Government of India in Department of Scientific and Industrial Research; and the importer produces a certificate to this effect from an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the concerned Department;</p> <p>(ii) The importer produces, at the time of importation, a certificate from the head of the institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(iii) In the case of import of live animals for experimental purposes, the importer produces, at the time of importation, a certificate from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals; and</p> <p>(iv) When the goods are imported for delivery to an institution, the certificates specified in items (i) and (ii), as the case may be, items (i), (ii) and (iii) above shall be produced at the time of clearance of the goods from a warehouse appointed under Section 57 or 58 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);</p> <p>(B) Where the importer is not registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, he shall, at the time of clearance of the goods, pay the applicable duty of customs and additional duty on the goods imported:</p> <p><b>Provided</b> that after obtaining such registration and compliance of the conditions specified above, he may file a claim for refund of such amount of the duty paid for which exemption is granted under this notification, within a period of one year from the date of payment of the said duties before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the port of import or within such extended period not exceeding one year as the Commissioner of Customs may allow.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, the expression, -</p> <p>(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;</p>

	<p>(b) "University" means a university established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -</p> <p>(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a university for the purposes of that Act;</p> <p>(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;</p> <p>(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;</p> <p>(c) "Head" means -</p> <p>(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);</p> <p>(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);</p> <p>(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);</p> <p>(d) "Hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.</p>
24.	<p>If,-</p> <p>(A) (1) The importer -</p> <p>(i) is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research;</p> <p>(ii) produces a certificate from the Head of the institution, in each case of import, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for the stated purpose only;</p> <p>(iii) in the case of import of live animals for experimental purposes, produces, at the time of importation, a certificate from the Head of the institution that the live animals are required for research purposes and encloses a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.</p> <p>(2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold for a period of five years from the date of importation;</p> <p>(B) Where the importer is not registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, he shall, at the time of clearance of the goods, pay the applicable duty of Customs and additional duty on the goods imported:</p> <p><b>Provided</b> that after obtaining such registration and compliance of the conditions specified above, he may file a claim for refund of such amount of the duty paid for which exemption is granted under this notification, within a period of one year from the date of payment of the said duties before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the port of import or within such extended period not exceeding one year as the Commissioner of Customs may allow.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, the expression, -</p> <p>(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;</p>

	<p>(b) "University" means a university established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a university for the purposes of that Act;</li> <li>(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;</li> <li>(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;</li> </ul> <p>(c) "Head" means -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);</li> <li>(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);</li> <li>(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);</li> </ul> <p>(d) "Hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.</p>
25.	<p>(A) (i) The importer produces a certificate from the head of the institute, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(ii) In the case of import of live animals for experimental purposes, the importer produces, at the time of importation, a certificate from the head of the institution that the live animals are required for research purposes and encloses a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals; and</p> <p>(iii) When the goods are imported for delivery to an institution, the certificates specified in the clauses (i) and (ii) above shall be produced at the time of clearance of the goods from a warehouse appointed under section 57 or section 58 of the said Customs Act;</p> <p>(B) Where the importer is not registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, he shall, at the time of clearance of the goods, pay the applicable duty of Customs and additional duty on the goods imported:</p> <p><b>Provided</b> that after obtaining such registration and compliance of the conditions specified above, he may file a claim for refund of such amount of the duty paid for which exemption is granted under this notification, within a period of one year from the date of payment of the said duties before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the port of import or within such extended period not exceeding one year as the Commissioner of Customs may allow.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, the expression, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;</li> <li>(b) "University" means a university established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes - <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3</li> </ul> </li> </ul>

	<p>of 1956) to be a university for the purposes of that Act;</p> <p>(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;</p> <p>(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;</p> <p>(c) "Head" means -</p> <p>(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);</p> <p>(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);</p> <p>(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);</p> <p>(d) "Hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.</p>
26.	<p>If-</p> <p>(A) (i) The goods are imported by the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Industrial Research; and the importer produces a certificate to this effect from an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the concerned Department;</p> <p>(ii) The importer produces a certificate from the head of the institute, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;</p> <p>(iii) In the case of import of live animals for experimental purposes, the importer produces, at the time of importation, a certificate from the head of the institution that the live animals are required for research purposes and encloses a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals; and</p> <p>(iv) When the goods are imported for delivery to an institution, the certificates specified in the clauses (i) and (ii) above shall be produced at the time of clearance of the goods from a warehouse appointed under section 57 or section 58 of the said Customs Act:</p> <p>(B) Where the importer is not registered with the Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research, he shall, at the time of clearance of the goods, pay the applicable duty of Customs and additional duty on the goods imported:</p> <p><b>Provided</b> that after obtaining such registration and compliance of the conditions specified above, he may file a claim for refund of such amount of the duty paid for which exemption is granted under this notification, within a period of one year from the date of payment of the said duties before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the port of import or within such extended period not exceeding one year as the Commissioner of Customs may allow.</p> <p><b>Explanation.</b> - For the purposes of this entry, the expression, -</p> <p>(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;</p> <p>(b) "University" means a university established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -</p> <p>(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3</p>

	<p>of 1956) to be a university for the purposes of that Act;</p> <p>(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;</p> <p>(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;</p> <p>(c) "Head" means -</p> <p>(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);</p> <p>(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);</p> <p>(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);</p> <p>(d) "Hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.</p>
27.	<p>(i) The said goods have been imported by a charitable organisation in India as free gift to it from abroad or purchased out of donations received abroad in foreign exchange by it;</p> <p>(ii) the said goods are for free distribution to the poor and the needy without any distinction of caste, creed or race;</p> <p>(iii) the importer, at the time of importation of the said goods :-</p> <p>a. produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs from the State Government concerned or from person or institution specified by the Central Board of Indirect taxes and Customs certifying that it is a <i>bona fide</i> organisation engaged in relief work and in the distribution of relief supplies to the poor and the needy without any distinction of caste, creed or race; or</p> <p>b. otherwise satisfies the Assistant Commissioner in this regard;</p> <p>(iv) the Assistant Commissioner is satisfied, having regard to the activities and bona fides of the importing organisation, the area of its operations; its financial resources; the status of the donor, the nature, value and quantity of the goods imported; the food and sartorial habits of the people amongst whom the imported goods are to be distributed; that the goods are <i>bona fide</i> gifts for free distribution to the poor and the needy without any distinction of caste, creed or race;</p> <p>(v) the importer gives an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to the effect that he would furnish from the State Government concerned or from person or institution specified by the Central Board of Indirect taxes and Customs within six months from the date of importation of the said goods or such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow, a certificate stating that the said goods have been distributed to the poor and the needy, free of cost without any distinction of caste, creed or race;</p> <p>(vi) where the said goods have been purchased out of donations received abroad in foreign exchange, the organisation has been permitted to maintain an account abroad by the Reserve Bank of India for the purpose of receiving funds donated overseas.</p>
28.	<p>At the time of importation, the importer produces to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs a certificate from the Secretary General, Indian Red Cross Society, to the effect that the goods in question are required for purposes of relief to distressed persons.</p>

29.	<p>(i) The said goods are required for the treatment of the victims of the Bhopal Gas Leak Disaster;</p> <p>(ii) the importer produces, at the time and place of clearance, a certificate from an officer of the Government of Madhya Pradesh not below the rank of a Joint Secretary to that Government, to the effect that the specified drugs, medicines and medical equipments are required for the treatment of the victims of the Bhopal Gas Leak Disaster, and that such drugs, medicines and medical equipments are likely to be so used within three months from the date of their importation;</p> <p>(iii) the importer gives an undertaking to the effect that he would furnish a certificate from an officer of the Government of Madhya Pradesh not below the rank of a Joint Secretary to that Government to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs within six months from the date of importation of such drugs, medicines and medical equipments or such extended period as the Assistant Commissioner of Customs may allow, certifying that the drugs, medicines and medical equipments have been so used.</p> <p><b>Explanation.</b> - "Bhopal Gas Leak Disaster" means the occurrence on the 2nd and 3rd days of December, 1984, which involved the release of highly noxious and abnormally dangerous gas from a plant in Bhopal (being a plant of the Union Carbide India Limited, a subsidiary of the Union Carbide Corporation, U.S.A.) and which resulted in loss of life and damage to property on an extensive scale.</p>
30.	<p>(i) The importer, at the time of import, gives an undertaking that the gift commodities are meant for free distribution.</p> <p>(ii) The importer, at the time of import, gives an undertaking that the supplies and the equipment, when no longer required for the purposes for which they were imported, will be exported out of India and that the imported supplies and equipment are not meant for the personal use of the officers of CARE or its distributing organisations and, further, that any of the supplies or equipment shall not be passed on to a third party by way of sale or otherwise in contravention of the said Agreement.</p>
31.	<p>(i) The said goods are imported into India in accordance with the terms of any agreement in force between the Government of India and any foreign Government providing for duty-free entry of such goods into India; and</p> <p>(ii) the goods so imported shall not be sold or otherwise disposed of in India except with the prior approval of, and on fulfilment of such conditions as may be imposed by, the Government in this behalf.</p>
32.	The goods are supplied as free gifts to the Government of India, either by the agencies approved by the United Nations Organisation or by the European Economic Community.
33.	The articles donated were deposited with the Indian Mission in the country of export and despatched by that Mission to the Government of India or to such officer or officers as that Government may specify in this behalf.

**Lists appended to TABLE II****List 1 (See S. No. 62 of the TABLE II)**

<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>
1.	Parbati-II, Himachal Pradesh - 4x200-800 MW (NHPC)
2.	Teesta- V, Sikkim - 3x170-510 MW (NHPC)
3.	Sipat-II, Chhattisgarh - 2x500-1000 MW (NTPC)
4.	Vindhyachal-III, Madhya Pradesh - 2x500-1000 MW (NTPC)
5.	Talcher-II, Orissa - 4x500-2000 MW (NTPC)
6.	Rihand-II, Uttar Pradesh - 2x500-1000 MW (NTPC)
7.	Sipat-I, Chhattisgarh - 3x660-1980 MW (NTPC)
8.	Kahalgaon-II Phase-I & II Bihar - 3x500-1500 MW (NTPC)
9.	Barh, Bihar - 3x660-1980 MW (NTPC)
10.	Koldam, Himachal Pradesh - 4x200-800 MW (NTPC)
11.	Tuticorin, Tamil Nadu- 2x500-1000 MW (NLC)
12.	Parbati-III, Himachal Pradesh - 4x130-520 MW (NHPC)
13.	Jhanor Gandhar CCPP-II, Gujarat -2x650=1300 MW (NTPC)
14.	Kawas CCPP-II, Gujarat - 2x650-1300 MW (NTPC)
15.	RGPPL, Maharashtra - 2150 MW (JV of NTPC/GAIL/Govt. of Maharashtra)
16.	Tapovan Vishnugad HEP, Himachal Pradesh - 4x130-520 MW (NTPC)
17.	Simhadri-II, Andhra Pradesh - 2x500-1000 MW (NTPC)
18.	Indira Gandhi STPP-JV project, Haryana - 3x500-1500 MW (NTPC)
19.	Bongaigaon, Assam - 3x250=750 MW (NTPC)
20.	Barh-II, Bihar - 1320 MW (NTPC)
21.	Koderma TPS St-I, Jharkhand - 1000 MW (DVC)

22.	Durgapur Steel TPS, West Bengal - 2x500-1000 MW (DVC)
23.	Tehri Pump Storage Project - 4x250-1000 MW (THDC)
24.	Mauda, Maharashtra - 2x500-1000 MW (NTPC)
25.	Rihand-III, Uttar Pradesh - 2 x 500-1000 MW (NTPC)
26.	Nabinagar- JV with Railways, Bihar - 4 x 250-1000 MW (NTPC)
27.	Vallur Stage- I Phase I & II, Tamil Nadu - 3 x 500-1500 MW (NTPC-Tamil Nadu Energy Co. Ltd.)
28.	Raghunathpur TPS Phase 1, West Bengal - 2 x 600-1200 MW (DVC)
29.	Tanda-II, Uttar Pradesh-2 x 660-1320 MW (NTPC)
30.	Meja, Uttar Pradesh - 2 x 660-1320 MW (NTPC)
31.	Vindhyachal-IV, Madhya Pradesh - 2 x 500-1000 MW (NTPC)
32.	Solapur STPP, Maharashtra - 2x660-1320 MW (NTPC)
33.	Nabinagar STPP, JV with Bihar, Bihar-3x660-1980 MW (NTPC)
34.	Mouda STPP-II, Maharashtra-2x660=1320 MW (NTPC)
35.	Raghunathpur TPS (Ph-II), West Bengal- 2x660-1320 MW (DVC)
36.	North Karanpura STPP, Jharkhand-3x660-1980 MW (NTPC)
37.	Kudgi STPP stage-I, Karnataka- 3x800=2400 MW (NTPC)
38.	Darlipalli STPP, Stage-I Orissa- 2x800=1600 MW (NTPC)
39.	Barethi STPP, Madhya Pradesh- 6x660-3960 MW (NTPC)
40.	Lara STPP, Chhattisgarh-2x800=1600 MW (NTPC)
41.	Gajmara STPP Stage-I-2x800= 1600MW (NTPC)
42.	Rajiv Gandhi CCPP Stage- II Phase-I, Kerala-3x350=1050 MW (NTPC)
43.	Gidderbha STPP, Punjab - 4x660-2640 MW (NTPC)
44.	Khargone Super TPP, M.P. - 2x660= 1320 MW (NTPC)
45.	Gadarwara Super TPP, M.P. - 2x660 1320 MW 2x800=1600 MW (NTPC)

46.	Katwa Super TPP, West Bengal - 2x800-1600 MW 2x660=1320 MW (NTPC)
47.	Bilhapur STPP, Uttar Pradesh -2x660=1320 MW (NTPC)
48.	Talcher STPP [TPP] Stage-III, Orissa - 2x660-1320 MW (NTPC)
49.	Khedar (Hissar), Haryana - 1000 (+200) MW (HPGCL)
50.	Shree Singaji Thermal Power Project -2x600-1200 MW
51.	Gas based CCPP Pragati-III, Delhi-1371.6 MW (Pragati Power Corp. Ltd.)
52.	Sri Damodaran Sanjeevaiah, Nellore, Andhra Pradesh - 2x800-1600 MW (APPDCL)
53.	Chandrapur Expansion, Maharashtra- 2x500=1000 MW (MSPGCL)
54.	Koradi Expansion, Maharashtra- 3x660-1980 MW (MSPGCL)
55.	Bhusawal Expansion, Maharashtra- 2x500=1000 MW (MSPGCL)
56.	Supercritical TPP at STPS Stage-V at Suratgarh, Rajasthan- 2x660=1320 MW (RRVUNL)
57.	Supercritical TPP at Chhabra, Rajasthan - 2x660=1320 MW (RRVUNL)
58.	North Chennai, Tamil Nadu-2x600-1200 MW (TNEB)
59.	Purulia Pump Storage Hydel Project, West Bengal-4x225=900 MW (State Sector)
60.	Sagardighi TPP Ext. Unit 3&4, West Bengal-2x500-1000 MW (WBPDCCL)
61.	Shree Singaji TPP-2x660 MP Power Generating Company Ltd. MW (MPPGCL)
62.	Krishnapatnam UMPP, Andhra Pradesh-6x660=3960 MW (Coastal Andhra Power Ltd.)
63.	Mundra UMPP, Gujarat-5x800= 4000 MW (Coastal Gujarat Power Ltd.)
64.	Sasan, Madhya Pradesh- 6x660= 3960 MW (Sasan Power Ltd.)
65.	Tilaiya UMPP, Jharkhand-5x800= 4000 MW (Jharkhand Integrated Power Ltd.)
66.	Orissa UMPP, Orissa- 5x800 4000 MW
67.	Chhattisgarh UMPP, Chhattisgarh-5x800=4000 MW
68.	Cheyur UMPP,- 5x800=4000MW
69.	Raigarh TPP, Chhattisgarh- 4x250= 1000 MW (M/s. Jindal Power Ltd.)

70.	Akhakhhol GBPP, Gujarat-3x382.5 1147.5 MW (M/s. Jindal Power Ltd.)
71.	Udupi (Nagarjuna) Power Project, Karnataka-2x600-1200 MW (M/s. Udupi (Nagarjuna) Power Corp. Ltd.)
72.	IPP project Haryana- 2x660= 1320 MW (M/s. Jhajjar Power Ltd.)
73.	726 MW CCGT being developed by ONGC-Tripura Power Company Ltd. (OTPC) at Palatana, Tripura- (2x250)(2x113.3)= 726 MW
74.	Salaya TPP, Gujarat- 2x600= 1200 MW (M/s. Essar Power Gujarat Ltd.)
75.	Tiroda TPP, Maharashtra-5x660-3300 MW (M/s. Adani Power Maharashtra Ltd.)
76.	Kawai TPP, Rajasthan - 2x660-1320 MW (M/s. Adani Power Rajasthan Ltd.)
77.	Teesta-VI, Sikkim - 4x125=500 MW (M/s. Lanco)
78.	Teesta-III Sikkim-6x200= 1200 MW (M/s. Teesta Urja Ltd.)
79.	KSK Mahanadi Power Company Ltd.(U-3 & 4) Janjgir-Champa, Chhattisgarh-2x600-1200 MW (M/s KSK Mahanadi Power Co. Ltd.)
80.	Rajpura TPP in the State of Punjab-2x700=1400 MW (M/s. Nabha Power Ltd.)
81.	Talwandi Sabo power project at Banawala, Punjab.- 3x660-1980 MW (M/s. Talwandi Sabo Power Ltd. (TSPL))
82.	TPP at Nandgaonpeth, MIDC, Amravati Dist., Maharashtra.- 5x270=1350 MW (M/s. Indiabulls Power Ltd.) Rattan India Power Ltd.
83.	TPP at Karachhana, Allahabad, UP-2x660 = 1320 MW (M/s. Sangam Power Gen. Company Ltd.)
84.	TPP at Bara, Allahabad, UP, -3x660-1980 MW (M/s. Prayagraj Power Gen. Company Ltd.)
85.	TPP at Surguja, Chhattisgarh- 2x660=1320 MW (M/s. IFFCO Chhattisgarh Power Ltd.)
86.	TPP at Dhenkanal, Orissa-3x350-1050 MW (M/s. GMR Kamalanga Energy Ltd.)
87.	GMR Chhattisgarh Energy Ltd. Raipur, Chhattisgarh-2x685 MW
88.	KSK Mahanadi Power Corporation Ltd. (U-2&5) Janjgir Champa, Chhattisgarh-2x600 MW
89.	KSK Mahanadi Power Corporation Ltd. (U-1&6) Janjgir Champa, Chhattisgarh-2x600 MW
90.	Thermal Powertech Corporation Ltd. Pynampuram Andhra Pradesh- 2x660 MW

91.	KVK Neelanchal Power Pvt. Ltd. Cuttak, Orissa-3x350 MW
92.	East-Coast Energy Pvt. Ltd Srikakulam, Andhra Pradesh.-2x660 MW
93.	Monnet Power Corporation Ltd. Malibrahmani, Orissa-2x525 MW
94.	Hinduja National Power Corporation Ltd. Vishakhapatnam, Andhra Pradesh-2x520 MW
95.	Corporate Power Ltd. Chandwa, Jharkhand-4x270 MW
96.	Lanco Power Ltd. (U-3,4) Pathadi, Chhattisgarh-2x660 MW
97.	Lalitpur Power Generation Company Ltd. Lalitpur, U.P.-3x660 MW
98.	Lanco Vidarbha Thermal Power Ltd. Wardha, Maharashtra-2x660 MW
99.	Lanco Babandh Power Ltd. Dhenkanal, Orissa-2x660 MW
100.	DB Power Ltd. Vadodarha TPP Janjgir - Champa Chhattisgarh-2x660 MW
101.	Athena Chhattisgarh Power Ltd. Singhitarai TPS Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 2x600 MW
102.	Essar Power Jharkhand Ltd. Tori, Jharkhand-2x600 MW
103.	MB Power (MP) Ltd. Anuppur, Madhya Pradesh-2x600 MW
104.	RKM Powergen Pvt. Ltd. Uchpinde TPP Janjgir-Champa, Chhattisgarh-4x360 MW
105.	IL & FS Tamil Nadu Power Company Ltd. Cuddalore, Tamil Nadu-2x600 MW
106.	Meenakshi Energy Pvt. Ltd. Thamminapatanam, Andhra Pradesh-Ph-1:2x 150 Ph-II 2x350 MW
107.	SKS Power Generation (Chhattisgarh) Ltd. Binj Kote TPP Raigarh, Chhattisgarh-4x300 MW
108.	Jindal India Thermal Power Ltd. Angul, Orissa- 2x600 MW
109.	NCC Power Projects Nellore AP-2x660 MW
110.	Samalkot Power Ltd. Samalkot, Andhra Pradesh-2400 MW
111.	Torrent Energy Ltd. Dahej, Gujarat-1200 MW
112.	Neyveli New Thermal Power Station, Tamil Nadu- 2X500 MW=1000MW (Neyveli Lignite Corporation)
113.	Kameng Hydro Electric Power Project, Arunachal Pradesh-600 MW North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO)

## List 2 (See S. No. 66 of the TABLE II)

Sl. No.	Description
1.	Tarapur Atomic Power Plants -3 and 4 (Maharashtra) - 1000 MW
2.	Kudankulam (Tamil Nadu) - 2000 MW
3.	Kaiga - 3 and 4 (Karnataka) - 440 MW
4.	Rajasthan Atomic Power Project- Units 5 and 6 (Rawatbhata) - 440 MW, Units -7 and 8 (Rawatbhata) of 1400MWe
5.	Prototype Fast Breeder Reactor (Kalpakkam) -500 MW.
6.	Kakrapar Atomic Power Project-Units 3 and 4 (Kakrapar) of 1400 MWe.
7.	Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) Units -1 and 2 (700 MW x2)
8.	Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) Units - 3 and 4 (1000 MW x 2)
9.	Mahi Banswara Atomic Power project-1 to 4, Mahi Banswara, Rajasthan
10.	Kaiga Atomic Power project-5 and 6, Kaiga site, Karnataka
11.	Gorakhpur Atomic Power project-3 and 4, GHAVP site, Haryana
12.	Chutka Atomic Power project-1 and 2, Chutka site, Madhya Pradesh
13.	Kudankulam Nuclear Power Project (KKNPP) Units - 5 and 6 (1000 MW × 2)

TABLE III

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Integrated Goods and Services Tax	Compensation Cess	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Any Chapter	The following goods imported or purchased out of bond by Vice President of India on appointment or during this tenure in office, namely, - (i) Articles for personal use, wear or consumption of the Vice President or any member of his family; (ii) Food, drink and tobacco for consumption by members of the Vice President's household or by his guests, whether official or not; (iii) Articles for the furnishing of any of the Vice President's official residences; (iv) Motor cars provided for the Vice President's use	Nil	Nil	Nil	-
2.	Any Chapter	The following goods imported or purchased out of bond by Governor of any State on appointment or during this tenure in office, namely, - (i) Motor car for the use of Governor of the State	Nil	-	-	-
3.	Any Chapter	All goods, including motor vehicles, goods imported or purchased out of bond, for the personal use by the	Nil	Nil	Nil	-

		<p>following classes of Members of the Diplomatic Missions in India and their families or on their behalf-</p> <p>(i) Ambassador, High Commissioner, Envoys, Extraordinary and Ministers, Plenipotentiary Charge-d' Affairs, Counsellors, First Secretaries, Second Secretaries, Third Secretaries and Attaches;</p> <p>(ii) Articles of office equipment and all other-goods, including motor vehicles, imported or purchased from bond by Ambassadors, High Commissioners, Envoys, Extraordinary and Ministers, Plenipotentiary and Charge-d' Affairs or any officer of the Mission authorised in this behalf for the Official use of their Missions;</p> <p>(iii) Calendars imported by the officers mentioned in item (i) for free distribution to the various agencies/public, if they are the product or manufacture of the country the officer represents:</p> <p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) a corresponding exemption is allowed to Indian Officers of the same status by the Government of the Diplomatic Mission concerned, and</p> <p>(b) the exemption of goods imported or purchased from bond under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957</p>				
4.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects, excluding motor vehicles imported by the officials of the Diplomatic Mission in India, other than those holding diplomatic status, and by their families for their personal use on their first arrival to take up their appointments in India;</p> <p>(ii) One motor vehicle each imported by the officers of the Diplomatic Mission in India, other than those holding diplomatic status, for their personal use on their first arrival to take up their appointments in India:</p> <p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) the goods are imported within the time-limit fixed under the Baggage Rules made under Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to Indian officers of the same status by the Government of the Diplomatic Mission concerned;</p> <p>(c) the claimants are nationals of the State employing them, are not normally resident in India, are sent by their respective Governments to posts in India and are not engaged in any gainful private occupation in India; and</p> <p>(d) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged</p>	Nil	Nil	Nil	-

		Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules,1957				
5.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects and other articles, including motor vehicles, imported by or on behalf of the following classes of Career Consular Officers of Foreign States and their families, Consuls-General, Consuls (including Additional Consuls) and Vice-Consuls;</p> <p>(ii) Articles of office equipment including motor vehicles, imported for official use in a Consulate of a Foreign State to which a Career Consular Officer entitled to exemption under item (i) is posted;</p> <p>(iii) Calendars imported by the officers mentioned in item (i) for free distribution to the various agencies/public, if they are the product or manufacture of the country the officer represents:</p> <p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) the goods are imported at any time during the period the Consular Officer concerned holds his appointment in India;</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to Indian Consular Officers of the same status by the Government which the Consular Officer represents;</p> <p>(c) the Consular Officer concerned is normally resident in India;</p> <p>(d) the Consular Officer is not engaged in any gainful private occupation in India; and</p> <p>(e) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules,1957:</p> <p><b>Provided further that -</b></p> <p>(a) a corresponding exemption is allowed in respect of similar goods imported by the Indian Consulate in those States;</p> <p>(b) the goods are the property of the Government of that State and imported for use in their Consulate in India; and</p> <p>(c) the exemption of goods imported under this concession is subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules,1957</p>	Nil	Nil	Nil	-
6.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects and other articles including motor vehicles, imported by or on behalf of the following classes of privileged officers of Foreign States in India, stationed outside Delhi, and their families, namely –</p> <p>(a) Deputy High Commissioners;</p> <p>(b) Assistant High Commissioners;</p> <p>(c) First Secretaries;</p>	Nil	Nil	Nil	-

		<p>(d) Second Secretaries; (e) Third Secretaries; and (f) Attaches</p> <p>(ii) Articles of office equipment including motor vehicles, imported for official use in a Foreign Mission to which a privileged officers entitled to exemption under (i) above is posted.</p> <p>(iii) Calendars imported by the officers mentioned in item (i) for free distribution to the various agencies/public, if they are the product or manufacture of the country the officer represents:</p> <p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) the goods are imported at any time during the period the privileged officer concerned holds his appointment in India;</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to Indian Officers of the same status by the Government which the privileged person concerned represents;</p> <p>(c) the privileged officer concerned is not normally resident in India;</p> <p>(d) the privileged officer is not engaged in any gainful private occupation in India; and</p> <p>(e) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules,1957</p> <p><b>Provided further that –</b></p> <p>(a) a corresponding exemption is allowed in respect of similar goods imported by the Indian Mission of similar status in the country represented by the Mission concerned;</p> <p>(b) the goods are the property of the Government of their country and imported for use in their Mission; and</p> <p>(c) the exemption of goods imported under this concession is subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules,1957</p>				
7.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects, excluding motor vehicles, imported by the official of a Consulate of Foreign State other than the Career Consular Officers mentioned in S.No. 5 for their personal use, on their first arrival to take up their appointments in India</p> <p>(ii) One motor vehicle each imported by the officials of a Consulate of Foreign State, other than those holding diplomatic status (other than the career Consular Officers mentioned in S. No.5) for their personal use, on their first arrival to take up their appointments in India:</p>	Nil	Nil	Nil	-

		<p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) the goods are imported within the time-limit fixed-under the Baggage Rules made under Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to Indian Officers of the same status by the Government of the Consulates concerned;</p> <p>(c) the claimants are nationals of the State employing them, are not normally resident in India, are sent by their respective Governments to posts in India and are not engaged in any gainful occupation in India; and</p> <p>(d) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957</p>				
8.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects, excluding motor vehicles, imported by the official of a Deputy High Commission or an Assistant High Commission of a foreign country in India outside Delhi, other than the privileged officers mentioned in S.No.6(i) above for their personal use, on their first arrival to take up their appointments in India.</p> <p>(ii) One motor vehicle each imported by the officers of the Deputy High Commission in India, outside Delhi, other than those holding diplomatic status, for their personal use on their first arrival to take up appointments in India:</p> <p><b>Provided that-</b></p> <p>(a) the goods are imported within the time-limit fixed under the Passengers' (Non-Tourist) Baggage Rules, 1960;</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to Indian Officers of the same status by the Government of the country concerned;</p> <p>(c) the claimants are nationals of the State employing them, are not normally resident in India, are sent by their respective Governments to posts in India and are not engaged in any gainful occupation in India; and</p> <p>(d) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957</p>	Nil	Nil	Nil	-
9.	Any Chapter	<p>(i) Personal and household effects and all articles including motor vehicles intended for personal use imported by a Trade Commissioner, Trade Representative or a Trade Agent appointed by the Government of a foreign or Commonwealth country and the members of their families;</p> <p>(ii) All articles, including motor vehicles, imported for the official use of the officers mentioned in item (i);</p> <p>(iii) Samples (including advertising literature, if any)</p>	Nil	Nil	Nil	-

		<p>imported by the officers mentioned in item (i), if they are the produce or manufacture of the country the officer concerned represents and are intended solely for display in the office of the officer concerned;</p> <p>(iv) Calendars, publicity posters and booklets imported by the officers mentioned in item (i) for free distribution to the various agencies/public, if they are the product or manufacture of the country the officer represents:</p> <p><b>Provided that-</b></p> <p>(a) corresponding exemption is allowed to Indian Officers of the same status by the Government of the country concerned; and</p> <p>(b) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957</p>				
10.	Any Chapter	<p>Personal and household effects excluding motor vehicles, imported by the officials in the office of a Trade Commissioner, Assistant Trade Commissioner, Trade Representative or a Trade Agent mentioned in S.No. 9 for their personal use on their first arrival to take up their appointments in India:</p> <p><b>Provided that –</b></p> <p>(a) the goods are imported within the time-limit fixed under the Baggage Rules made under Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);</p> <p>(b) a corresponding exemption is allowed to officers of the same status by the Government which Trade Commissioner, Assistant Trade Commissioner, Trade Representatives or the Trade Agent concerned represents;</p> <p>(c) claimants are nationals of the State employing them, are not normally resident in India, are sent by their respective Governments to posts in India and are not engaged in any gainful occupation in India; and</p> <p>(d) the exemption of goods imported under this concession is also subject to the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957</p>	Nil	Nil	Nil	-
11.	Any Chapter	All Equipments and consumable samples imported by the Inspection Team of the Organization of Prohibition of Chemical Weapons	Nil	Nil	-	(1)
12.	Any Chapter	<p>All goods imported by Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) for execution of projects listed below, namely: –</p> <p>(i) Strengthening Capacities for Nutrition-sensitive Agriculture and Food systems;</p> <p>(ii) Green Ag: Transforming Indian Agriculture for Global Environment benefits and the conservation of Critical Biodiversity and Forest landscape</p>	-	Nil	-	(2)

13.	Any Chapter	All the equipments and consumable samples imported by the Inspection Team of the International Atomic Energy Agency	Nil	Nil	-	(3)
14.	Any Chapter	Articles of gift received from any foreign Government by a person belonging to any class of persons specified below and imported by the said person into India as part of his baggage, and articles of gift imported into India by a foreign dignitary, visiting India for any official purposes, as part of his baggage and to be gifted to persons belonging to any class of persons specified below, namely:- (1) Ministers of the Union or of a State or of a Union Territory; (2) Persons holding any appointment in any public service or post in connection with the affairs of the Union or of any State, but not being persons appointed in any Corporation established by or under any law or any Corporation owned or controlled by Government	Nil	Nil	-	(4)
15.	30	Medicines/drugs/vaccines supplied free by United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Red Cross or an International Organisation subject to specified conditions  <b>Explanation:</b> For the purpose of this notification, - “International Organisation means an International Organisation to which the Central Government has declared, in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), that the provisions of the Schedule to the said Act shall apply:  <b>Provided</b> that nothing contained in this S.No. shall have effect after 31 <sup>st</sup> March 2029	Nil	Nil	-	(5)
16.	49	Commonwealth and international reply coupons and UNESCO coupons	Nil	-	-	-
17.	49	Greeting cards, diaries and calendars and corresponding number of envelopes for such greeting cards, diaries and calendars, imported by UNICEF	Nil	-	-	-

**Explanation.** —

(I) For the purposes of this Table III, the rate specified in column (4), column (5) or column (6) of the said Table is ad valorem rate, unless otherwise specified;

(II) For the removal of doubts, -

- (a) "-" appearing in column (4) means basic customs duty leviable on the goods as per the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 read with any other notifications issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, for the time being in force.
- (b) "-" appearing in column (5) means Integrated Goods and Services Tax leviable on the goods as per the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with any other notifications issued under the said Act, for the time being in force.
- (c) "-" appearing in column (6) means Compensation Cess leviable on the goods as per the Goods and Services (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017) read with any other notifications issued under the said Act, for the time being in force.

#### ANNEXURE TO TABLE III

Condition No.	Condition
(1)	<p>(i) the importer shall produce a certificate along with duly certified list of equipments and consumable samples from the Joint Secretary or the Deputy Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention to the effect that such equipments and samples are required for carrying out verification/ inspections as per in terms of Chemical Weapons Convention; and</p> <p>(ii) the Joint Secretary or the Deputy Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention shall furnish an undertaking on letter head to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that such equipments shall be exported within six months of their import or within such extended period as may be allowed by the Commissioner of Customs, in this behalf and that consumable samples are required for the intended purpose and shall be accounted for.</p>
(2)	<p>The importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction, from an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, verifying the following details, namely: -</p> <p>(i) the quantity and description of the goods; and</p> <p>(ii) that the said goods are intended for the purpose of use in execution of said projects</p>
(3)	<p>(i) the importer shall produce a certificate along with duly certified list of equipment and consumable samples from the Joint Secretary or the Deputy Secretary of the Department of Atomic Energy to the effect that such equipments and samples are required for carrying out verification or inspections as per terms of Application of Safeguards to Civilian Nuclear Facilities; and</p> <p>(ii) the Joint Secretary or the Deputy Secretary of the Department of Atomic Energy shall furnish an undertaking on letter head to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that such equipments shall be exported within six months of their import or within such extended period as may be allowed by the Commissioner of Customs, in this behalf and that consumable samples are required for the intended purpose and shall be accounted for.</p>

(4)	<p>If,-</p> <p>(i) A declaration is made by the concerned person or foreign dignitary, as the case may be, in accordance with the provisions of section 77 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); and</p> <p>(ii) (a) in the case of articles of gift received from any foreign Government by a person belonging to any class of persons specified in the entry and imported by the said person into India as part of his baggage, the said person, at the time of clearance of such articles of gift makes a declaration to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs that he is a person belonging to any class of persons specified in the said entry; and</p> <p>(b) in the case of articles of gift imported into India by a foreign dignitary, visiting India for any official purpose, as part of his baggage and such articles of gift are to be gifted to persons belonging to any class of persons specified in the said entry, such foreign dignitary, at the time of clearance of such articles of gift, makes a declaration to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs that such articles of gift are to be gifted to persons belonging to any class of persons specified in the said entry.</p>
(5)	<p>If the importer at the time of import-</p> <p>(i) furnishes a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Health and Family Welfare, Government of India, to the effect that the imported medicines or drugs or vaccines (in respect of description, quantity and technical specifications) are supplied by United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Red Cross or an international organisation and are required for Central Government/State Government sponsored immunisation programmes; and</p> <p>(ii) furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to the effect that the imported goods shall be used for the above purpose and he shall pay, on demand, in the event of his failure to use the imported goods for the above purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the imported goods but for the exemption under this notification.</p>

TABLE IV

Sl. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	3706 or 8523	<p>Motion pictures, music, gaming software for use on gaming consoles printed or recorded on media:</p> <p><b>Provided</b> that nothing contained in this notification shall apply to motion pictures, music or gaming software imported in a pre-packaged form for retail sale:</p> <p><b>Provided further</b> that nothing contained in this notification shall have effect after the 31st March, 2026</p>

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2025.

[F. No. CBIC- 190341/168/2025- TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.